खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश
वर्ष 2015–16

टैरिफ आदेश
दिनांक 17 अप्रैल, 2015
(हिन्दी अनुवाद)

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा खुदरा विद्युत–प्रदाय दर निर्धारण (टैरिफ) आदेश

याचिका क्रमांक 30/2014

उपस्थित :

डॉ. देवराज विरदी, अध्यक्ष
ए. बी. बाजपेयी, सदस्य
आलोक गुप्ता, सदस्य

विषयः–वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, यथा मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ आवेदनों के आधार पर संपूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा खुदरा विद्युत प्रदाय दर का अवधारण

विषय–सूची

ए1	आदेश	8
ए2	याचिका क्र. 30/2014 के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को जारी खुदरा विद्युत दर (टैरिफ) आदेश के साथ संलग्न विस्तृत कारण तथा आधार	19
ए3	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु मध्य प्रदेश पूर्व, पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों (ईस्ट, वेस्ट तथा सेंट्रल डिस्कॉम) की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	20
	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित विक्रयों के पूर्वानुमान	20
	विक्रय के संबंध में आयोग का विश्लेषण	22
	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किये गये ऊर्जा संतुलन एवं विद्युत क्रय	23
	याचिकाकर्ताओं द्वारा ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन	25
	विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत क्रय लागत (स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत) का आकलन	31
	नवकरणीय क्रय आबद्धता लागत	35
	याचिकाकर्ताओं द्वारा विद्युत क्रय लागत के अन्य घटकों का आकलन	37
	ऊर्जा संतुलन एवं विद्युत क्रय के संबंध में आयोग का विश्लेषण	42
	वितरण हानियां	42
	बाह्य (पीजीसीआईएल) हानियां	42
	विद्युत क्रय लागतें	56
	पूंजीकरण तथा निर्माण कार्य प्रगति पर	75
	परिसम्पत्ति/आस्ति के पूंजीकरण पर आयोग का विश्लेषण	76
	संचालन एवं संधारण लागतें	78
	याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण	78
	कर्मचारी व्यय	78
	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	79
	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	79
	संचालन तथा संधारण व्ययों के संबंध में आयोग का विश्लेषण	***80***
	अवमूल्यन या अवक्षयण	82
	याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण	82
	अवमूल्यन के संबंध में आयोग का विश्लेषण	83
	ब्याज तथा वित्त प्रभार	85
	याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण	85
	ब्याज तथा वित्त प्रभारों पर आयोग का विश्लेषण	88
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	90
	याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण	90
	कार्यकारी पूंजी के ब्याज पर आयोग का विश्लेषण	92
	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	94
	याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण	*94*
	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप के बारे में आयोग का विश्लेषण	*94*

	पूंजी पर प्रतिलाभ	**95**
	याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण	95
	पूंजी पर प्रतिलाभ पर आयोग का विश्लेषण	**95**
	डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	**97**
	याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण	97
	डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के संबंध में आयोग का विश्लेषण	**97**
	अन्य आय	**98**
	याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण	**98**
	अन्य आय के बारे में आयोग का विश्लेषण	**99**
	अनुमोदित संपूर्ण राजस्व आवश्यकता का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण	**100**
	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आयोग द्वारा स्वीकार की गई संपूर्ण राजस्व आवश्यकता	**101**
	पुनरीक्षित विद्युत–दरों से राजस्व की प्राप्ति	**102**
ए4 :	**चक्रण प्रभार तथा प्रतिराज्यानुदान अधिभार**	**104**
	''चक्रण लागत'' का अवधारण	**104**
	प्रतिराज्यानुदान अधिभार का अवधारण	**109**
ए5 :	**ईंधन लागत समायोजन प्रभार**	**113**
ए6 :	**सार्वजनिक आपत्तियां तथा अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाओं पर टिप्पणियां**	**120**
ए7 :	**खुदरा विद्युत–दर रूपांकन**	**161**
	कानूनी स्थिति	**161**
	विद्युत–दर अवधारण हेतु आयोग की कार्य पद्धति	**161**
	विद्युत प्रदाय की औसत लागत से संबद्धता	**161**
ए8 :	***वित्तीय वर्ष 2014–15 के टैरिफ आदेश में जारी किये गये दिशा निर्देशों का परिपालन***	**169**
	परिशिष्ट –1 (आपत्तिकर्ताओं की सूची)	**187**
	परिशिष्ट–2 {निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां}	**193**
	परिशिष्ट–3 {उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां }	**223**

तालिका–सूची

संख्या क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
तालिका 1:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु याचिका का परिदृश्य	10
तालिका 2:	जन–सुनवाईयां	11
तालिका 3:	विनियमों के अनुसार वितरण हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण	12
तालिका 4:	मीटरीकरण कार्य की अद्यतन स्थिति	13
तालिका 5:	अमीटरीकृत ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं/कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों की अद्यतन स्थिति	13
तालिका 6:	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व	15
तालिका 7:	विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रक्षेपित किये गये श्रेणीवार विक्रय	21
तालिका 8:	आयोग, द्वारा स्वीकार किये गये श्रेणीवार विद्युत विक्रय के आंकड़े	22
तालिका 9:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन	23
तालिका 10:	दाखिल किये गये मासिक हानि प्रतिशत	24
तालिका 11:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एमपीपीएमसीएल आवंटित विद्युत उत्पादक केन्द्र की सूची	26
तालिका 12:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा दाखिल की गई एक्स–बस ऊर्जा उपलब्धता	27
तालिका 13:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों के पास उपलब्ध आधिक्य (बचत) ऊर्जा का प्रबन्धन	31
तालिका 14:	एमपीपीएमसीएल आवंटित स्टेशनों के टैरिफ आदेश	32
तालिका 15:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विद्यमान स्टेशनों हेतु दाखिल की गई स्थाई लागत तथा परिवर्तनीय लागत	32
तालिका 16:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत एमपीपीएमसीएल की स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतें	33
तालिका 17:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु नवकरणीय क्रय आबद्धता	36
तालिका 18:	पीजीसीआईएल लागतें : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	38
तालिका 19:	समस्त राज्य क्षेत्र इकाईयों की सेवान्त प्रसुविधाओं हेतु वास्तविक रोकड़ बाह्य प्रवाह	39
तालिका 20:	याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु दाखिल किये गये राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार	40
तालिका 21:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु दाखिल किये गये एमपीपीएमसीएल के व्यय	40
तालिका 22:	विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित की गई एमपीपीएमसीएल लागतें	41
तालिका 23:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु दाखिल की गई कुल विद्युत क्रय लागत	41
तालिका 24:	विनियमों के अनुसार हानि के लक्ष्य (प्रतिशत में)	42
तालिका 25:	आयोग द्वारा की गई गणना के अनुसार विद्युत क्रय की आवश्यकता	43
तालिका 26:	विद्युत वितरण कंपनियों को विद्यमान दीर्घ अवधि स्त्रोतों का स्टेशनवार क्षमता आवंटन	44
तालिका 27:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु एमपीपीएमसीएल को आवंटित विद्युत उत्पादक स्टेशन	45
तालिका 28:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु मिलियन यूनिट विद्युत उपलब्धता के प्रक्षेपण	47
तालिका 29:	विद्युत की माहवार उपलब्धता तथा आवश्यकता	51
तालिका 30:	म.प्र. शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन	52

तालिका 31:	विद्युत वितरण कम्पनियों की स्टेशनवार उपलब्धता	53
तालिका 32:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु एमपीपीएमसीएल को आवंटित स्टेशनों से सुयोग्यताक्रम प्रेषण	55
तालिका 33:	आवश्यकता, उपलब्धता तथा कमी (मिलियन यूनिट में)	56
तालिका 34:	ताप विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु स्थाई लागत आदेश संदर्भ (एमपीपीजीसीएल विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किये गये को छोड़कर)	57
तालिका 35:	आयोग द्वारा की गई गणना के अनुसार नवकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता	59
तालिका 36:	आयोग द्वारा स्वीकार की गई नवकरणीय ऊर्जा क्रय की लागत	60
तालिका 37:	एमपीपीएमसीएल संयन्त्रों हेतु स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभारों का आधार	61
तालिका 38:	विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य स्थाई लागत का आवंटन	65
तालिका 39:	विद्युत वितरण कम्पनियों बाबत स्टेशनवार स्वीकृत की गई परिवर्तनीय लागत	66
तालिका 40:	एमपीपीएमसीएल आवंटित विद्युत उत्पादक केन्द्रों को कुल मिलियन यूनिट प्रेषण तथा इसकी लागत	68
तालिका 41:	बचत की गई ऊर्जा के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति	69
तालिका 42:	बचत की गई ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त राजस्व के विद्युत वितरण कम्पनीवार विवरण	69
तालिका 43:	विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुज्ञेय किये गये पीजीसीआईएल प्रभार	70
तालिका 44:	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकृत किये गये एमपीपीटीसीएल प्रभार मय राभाप्रेके प्रभारों के	71
तालिका 45:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकृत की गई कुल विद्युत क्रय लागत	72
तालिका 46:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु समुच्चय विद्युत क्रय लागत	74
तालिका 47:	पूंजी निवेश योजना	75
तालिका 48:	विद्युत वितरण कम्पनीवार तथा वर्षवार पूंजीकरण तथा निर्माण कार्य प्रगति पर का द्विभाजन	75
तालिका 49:	विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु माना गया परिसम्पत्ति पूंजीकरण	77
तालिका 50:	वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान परिसम्पत्ति पूंजीकरण	77
तालिका 51:	वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकार किया गया परिसम्पत्ति पूंजीकरण	77
तालिका 52:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु दाबा किये गये संचालन एवं संधारण व्यय	80
तालिका 53:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकार किये गये कर्मचारी व्यय	81
तालिका 54:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकार किये गये प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	81
तालिका 55:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकार किये गये मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	82
तालिका 56:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकार किये गये संचालन एवं संधारण व्यय	82
तालिका 57:	याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई अवमूल्यन/अवक्षयण राशि	83
तालिका 58:	स्वीकार किया गया अवमूल्यन	85
तालिका 59:	दावा की गई ब्याज लागत	86
तालिका 60:	दावा की गई ब्याज लागत	87
तालिका 61:	दावा की गई ब्याज लागत	87
तालिका 62:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकार किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	89
तालिका 63:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु दाखिल किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	91
तालिका 64:	आयोग द्वारा स्वीकार किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	93
तालिका 65:	विनियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु उपभोक्ता प्रतिभूमि पर	94

	ब्याज	
तालिका 66:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर स्वीकृत ब्याज	94
तालिका 67:	पूंजी पर प्रतिलाभ	95
तालिका 68:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ	96
तालिका 69:	विनियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों का विवरण	97
तालिका 70:	अन्य आय	98
तालिका 71:	अंकेक्षित लेखों के अनुसार कुल वास्तविक अन्य आय	99
तालिका 72:	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकृत की गई अन्य आय	99
तालिका 73:	आयोग द्वारा स्वीकृत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	100
तालिका 74:	स्वीकृत की गई कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (चक्रण तथा खुदरा गतिविधि हेतु)	101
तालिका 75:	वित्तीय वर्ष 2015–16 में पुनरीक्षित विद्युत–दरों (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति	102
तालिका 76:	अन्तिम सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्यमान विद्युत–दरों से राजस्व की प्राप्ति	103
तालिका 77:	परिसम्पत्ति मूल्य का चिन्हांकन	105
तालिका 78:	ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्तर पर कुल लागत	105
तालिका 79:	वोल्टेज के प्रत्येक स्तर पर नेटवर्क के मूल्यांकन का चिन्हांकन	106
तालिका 80:	विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर नेटवर्क के व्ययों (चक्रण लागतों) की कुल लागत का चिन्हांकन	106
तालिका 81:	वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं हेतु चक्रण लागत का आवंटन	107
तालिका 82:	चक्रण प्रभार	107
तालिका 83:	शीर्ष पांच प्रतिशत अर्थात् 3213.07 मिलियन यूनिट विद्युत क्रय की लागत	110
तालिका 84:	वोल्टेजवार हानिस्तर	110
तालिका 85:	पारेषण प्रभार	111
तालिका 86:	परिदृश्यवार लागत	112
तालिका 87:	श्रेणीवार औसत विद्युत–दर	122
तालिका 88:	ईंधन लागत समायोजन प्रभार हेतु प्रपत्र	117
तालिका 89:	मानदण्डीय हानियां–पीजीसीआईएल प्रणाली, एमपीटीसीएल प्रणाली तथा विवरण हानियों के संबंध में	118
तालिका 90:	प्राप्त की गई आपत्तियों की संख्या	120
तालिका 91:	आयोजित की गई जन–सुनवाईयां	121
तालिका 92:	राज्य हेतु विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत की गणना	163
तालिका 93:	सम्पूर्ण राज्य के संबंध में वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु वोलटेजवार लागत पर आधारित प्रतिराज्यनुदान	164
तालिका 94:	विद्युत दर (टैरिफ) बनाम विद्युत प्रदाय की औसत लागत का तुलनात्मक अध्ययन	165

ए 1: आदेश

(आज दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को पारित किया गया)

1.1 यह आदेश मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इन्दौर तथा मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल (जिन्हें एतद् पश्चात वैयक्तिक रूप से पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, तथा मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी एवं सामूहिक रूप से ''विद्युत वितरण कंपनियां'' या ''वितरण अनुज्ञप्तिधारी'' या ''अनुज्ञप्तिधारी'' या ''याचिकाकर्ता'' संबोधित किया गया है), तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर {जिसे एतद् पश्चात् एमपीपीएमसीएल अथवा विद्युत वितरण कम्पनियों के साथ याचिकाकर्ता संबोधित किया गया है} द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे एतद् पश्चात ''मप्रविनिआ'' या ''आयोग'' संबोधित किया गया है) के समक्ष दायर की गई याचिका क्रमांक 30, वर्ष 2014 से संबंधित है। यह याचिका मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्ते एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2012 {आरजी–35(I), वर्ष 2012} (जिन्हें एतद् पश्चात् टैरिफ विनियम अथवा विनियम संदर्भित किया गया है), की अर्हताओं के अनुसार दाखिल की गई है।

1.2 टैरिफ विनियमों के अनुसार, राज्य के विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु उनसे संबंधित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) एवं टैरिफ याचिका(ओं) प्रस्ताव(ों) को आयोग के पत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 द्वारा अन्तिम तिथि दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 तक दाखिल किये जाने की अपेक्षा की गई थी। मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) ने अपने पत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 द्वारा आयोग को याचिका दायर करने की तिथि 30 नवम्बर, 2014 तक बढ़ाये जाने का अनुरोध इस आधार पर किया गया कि विद्युत वितरण कंपनियों के लेखों को हाल ही में अन्तिम किया गया था, अतएव पुनरीक्षित पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) की गणना हेतु उन्हें और अधिक समय की आवश्यकता थी। उनके पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि विद्युत वितरण कंपनियां विक्रय, उपभोक्ताओं की संख्या, आदि के बारे में वाणिज्यिक आंकड़ों के मिलान के साथ–साथ नियन्त्रण अवधि के व्ययों के प्रक्षेपण का कार्य भी कर रही थीं। आयोग द्वारा इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया। एमपीपीएमसीएल ने पुनः अपने पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2014 द्वारा याचिका दायर करने की तिथि को 19 दिसम्बर, 2014 तक वृद्धि करने का अनुरोध

किया गया। एमपीपीएमसीएल द्वारा यह उल्लेख भी किया गया कि विद्युत वितरण कम्पनियों के स्तर पर याचिका को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी थी, अतएव उन्हें कुछ और अधिक समय की आवश्यकता थी। इस अनुरोध को भी आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया। एमपीपीएमसीएल द्वारा पुनः अपने पत्र दिनांक 17.12.2014 द्वारा याचिका दायर करने की तिथि में वृद्धि 31 दिसम्बर तक करने का अनुरोध किया गया जिसमें उनके द्वारा पत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 तथा 28 नवम्बर, 2014 में दर्शाये गये कारणों की ही पुनरावृत्ति की गई। आयोग ने इस अनुरोध पर और अधिक समय वृद्धि प्रदान करने की अनुमति प्रदान नहीं की क्योंकि एमपीपीएमसीएल तथा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा बारम्बार समतुल्य आधार पर समय वृद्धि चाही जा रही थी।

1.3 एमपीपीएमसीएल तथा विद्युत वितरण कम्पनियों ने दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 को संयुक्त याचिका (क्रमांक 30/2014) दायर की गई। आयोग द्वारा समावेदन सुनवाई (motion hearing) दिनांक 6 जनवरी, 2015 को निर्धारित की गई। आयोग द्वारा याचिका में प्रस्तुत आंकड़ों/जानकारी में अनेक त्रुटियां तथा कमियां पाई गई। आयोग द्वारा आगे यह भी पाया गया कि विद्युत क्रय की लागत समुचित आयोगों द्वारा जारी किये गये आदेशों के असंगत थी। अतएव, आयोग द्वारा आदेश जारी किये गये कि आयोग द्वारा जारी पत्र दिनांक 7 जनवरी, 2015 के माध्यम से सम्प्रेषित की गई अभ्युक्तियों पर याचिकाकर्ताओं से उत्तर प्राप्त होने के बाद ही याचिका पर विचार किया जा सकेगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने–अपने उत्तर दाखिल किये गये तथा अपनी पुनरीक्षित याचिका, सही की गई जानकारी के साथ दिनांक 2 फरवरी, 2015 को प्रस्तुत की गई।

1.4 याचिका पर समावेदन सुनवाई (Motion Hearing) दिनांक 10 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके प्रतिनिधियों द्वारा याचिका की मुख्य विशिष्टताएं प्रस्तुत की गईं। आयोग द्वारा याचिका को अपने आदेश दिनांक 10 फरवरी, 2015 के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया तथा निम्न दिशा–निर्देश जारी किये गयेः–

i. हितधारकों से विषयवस्तु याचिका पर आपत्तियों/टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त किये जाने के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने वाली सार्वजनिक सूचना का प्रारूप हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में अन्तिम रूप से दिनांक 13 फरवरी, 2015 तक प्रस्तुत कर दिया जाए ; तथा

ii. याचिका के अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करणों की प्रतियां विक्रय हेतु दिनांक 13 फरवरी, 2015 तक सार्वजनिक सूचना में उल्लेखित कार्यालयों में निश्चित रूप से तैयार रखी जाएं।

1.5 सार्वजनिक सूचनाएं, जिनमें विद्युत–दर (टैरिफ) आवेदनों तथा विद्युत–दर प्रस्तावों के सार (gist) शामिल थे, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा हिन्दी तथा अंग्रेजी समाचार–पत्रों में दिनांक 13 फरवरी, 2015 को प्रकाशित किये गये। हितधारकों से उनकी टिप्पणियां/सुझाव/आपत्तियां दिनांक 9 मार्च, 2015 तक प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध भी किया गया।

1.6 आयोग द्वारा विभिन्न हितधारकों से 129 लिखित आपत्तियां प्राप्त की गईं। आपत्तियों के विवरण याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया तथा आयोग का दृष्टिकोण इस आदेश के अध्याय ''ए–6 : सार्वजनिक आपत्तियां तथा अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाओं पर टिप्पणियां'' में दिये गये हैं।

1.7 प्रस्तुत की गई याचिका का सार निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 1 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु याचिका का परिदृश्य (करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
विद्युत के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति	7,448	8,263	7,901	23,612
सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	9,130	10,098	9,630	28,858
वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आय तथा व्यय में राजस्व का अन्तर	1,682	1,835	1,729	5,246

1.8 पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु क्रमशः रू. 1682 करोड़, रू. 1835 करोड़ तथा रू. 1729 करोड़ का राजस्व अन्तर (Revenue Gap) प्रक्षेपित किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उपरोक्त उल्लेखित राजस्व अन्तर, खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ में प्रस्तावित वृद्धि के साथ–साथ बचत से प्राप्त की गई ऊर्जा के दक्ष प्रबंधन से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त अनुमानित राजस्व के माध्यम से पाटे जाने द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

राज्य सलाहकार समिति (State Advisory Committee)

1.9 आयोग ने दिनांक 03 मार्च, 2015 को राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ प्राप्त की गई याचिका के बारे में परामर्श प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से एक बैठक भी आयोजित की। इस याचिका पर सदस्यों ने सत्यापन लागत (true up cost), विक्रय प्रक्षेपण (sales projections), बचत से प्राप्त की गई ऊर्जा (surplus energy) टैरिफ अनुसूचियों के युक्तियुक्तकरण, टैरिफ की निबंधन तथा शर्तों तथा सेवान्त सुविधाओं

(terminal benefits) के बारे में कई बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किये। राज्य सलाहकार समिति के विचार इस आदेश के अध्याय 'ए–6' सार्वजनिक आपत्तियों तथा अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाओं पर टिप्पणियों में अंकित किये गये हैं। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/विद्युत–दर का अवधारण करते समय इन विषयों पर यथोचित विचार किया है।

1.10 आयोग द्वारा प्रमुख सचिव (ऊर्जा म.प्र.शासन), विद्युत वितरण कम्पनियों व एमपीपीपीएमसीएल के प्रबन्ध संचालकों तथा अधिकारियों के साथ दिनांक 13 मार्च, 2015 को बैठक में याचिका से संबंधित विभिन्न सुसंबद्ध मामलों पर चर्चा की गई जिसके अन्तर्गत चर्चा का केन्द्र–बिन्दु विद्युत क्रय तथा सेवान्त प्रसुविधाओं से संबद्ध था।

जन–सुनवाई (Public Hearing)

1.11 आयोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2015 तथा 01 मार्च, 2015 को जारी सार्वजनिक सूचना के माध्यम से भोपाल में सुनवाई कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण करते हुए राज्य में प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों में नोटिस जारी करते हुए सार्वजनिक सूचना द्वारा इच्छुक हितधारकों को याचिका पर दिनांक 5 मार्च, 2015 तक जनसुनवाईयों में उनके विचार प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया।

1.12 आयोग द्वारा जन सुनवाईयों का आयोजन जबलपुर, भोपाल तथा इन्दौर में निम्न तालिका में दर्शाये गये कार्यक्रम के अनुसार किया गया।

तालिका 2 : जन–सुनवाईयां

स.क्रं	विद्युत वितरण कम्पनी का नाम	सार्वजनिक सुनवाई स्थल तथा दिनांक	जन सुनवाई की तिथि
1.	मप्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर	सन्तोष सभागृह, चरक अस्पताल परिसर, रानी सती गेट मन्दिर के समीप, यशवन्त निवास मार्ग इन्दौर	17 मार्च, 2015
2.	मप्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल	आडिटोरियम, मप्र प्रशासन अकादमी, 1100 क्वार्टर, भोपाल	20 मार्च, 2015
3	मप्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	तरंग आडिटोरियम, शक्ति भवन जबलपुर	24 मार्च, 2015

1.13 आयोग ने एक विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाकर पारदर्शिता तथा जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक चरण में सतर्कतापूर्वक अनुसरण किया जाकर समस्त हितधारकों को इस विषय में उनके द्वारा अपनी टिप्पणियां तथा सुझाव दाखिल करने का समुचित अवसर प्रदान किया है।

1.14 इस आदेश को अंतिम रूप देते समय आयोग ने हितधारकों से प्राप्त की गई समस्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों के अलावा उपरोक्त जनसुनवाईयों के दौरान प्राप्त सुझावों पर भी यथोचित विचार किया है।

वितरण हानियां (Distribution Losses)

1.15 वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट किये गये वितरण हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 3 : विनियमों के अनुसार वितरण हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण

विद्युत वितरण कम्पनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
पूर्व क्षेविवि कम्पनी	23%	20%	**18%**
पश्चिम क्षेविवि कम्पनी	20%	18%	**16%**
मध्य क्षेविवि कम्पनी	23%	21%	**19%**

1.16 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों बाबत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) तथा विद्युत–दरें (Tariffs) विनियमों में निर्दिष्ट किये गये अनुसार वितरण हानि प्रक्षेपण वक्र (loss trajectory) के अनुसार निर्धारित की हैं।

ऊर्जा लेखांकन एवं मीटरीकरण (Energy Accounting & Meterisation)

1.17 आयोग ने समय–समय पर तथा अपने पूर्व के विद्युत–दर (टैरिफ) आदेशों के माध्यम से भी ऊर्जा लेखांकन तथा मीटरीकरण के महत्व पर जोर दिया गया है। इन आदेशों में विभिन्न स्तरों पर, जैसे कि उपकेन्द्रों, वितरण संभरकों व वितरण ट्रांसफार्मरों के साथ–साथ उपभोक्ता छोर पर उचित ऊर्जा लेखांकन तथा ऊर्जा वितरण हानियों, यथा तकनीकी एवं अन्य हानियों के वास्तविक स्तर के संबंध में आवश्यकता विद्युत वितरण कम्पनियों के स्तर पर प्रतिपादित की गई थी। विद्युत वितरण कम्पनियों को हानि कम किये जाने संबंधी समुचित रणनीतियां तथा योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वयन करने संबंधी निर्देश भी प्रसारित किये गये थे। वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों, जैसे कि संभरक (feeder)/वितरण ट्रांसफॉर्मर मीटरीकरण, हानियों की रोकथाम के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु उच्च हानि के क्षेत्रों की खोजबीन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। आयोग ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि इस संबंध में विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। जबकि संभरक मीटरीकरण कार्यक्रम में कुछ प्रगति अवश्य दृष्टिगोचर हुई है, कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों तथा व्यक्तिगत अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों के मीटरीकरण के कार्य की अभी भी उपेक्षा की जा रही है। दिनांक 31

दिसम्बर, 2014 तक प्रस्तुत नियतकालिक प्रतिवेदनों के अनुसार अमीटरीकृत संयोजनों तथा कृषि बहुल वितरण ट्रांसफर्मरों की मीटरीकरण की स्थिति निम्नानुसार है :

तालिका 4 : मीटरीकरण कार्य की अद्यतन स्थिति

सरल क्रमांक	विवरण	मध्य क्षेविविकं		पश्चिम क्षेविविकं		पूर्व क्षेविविकं	
		33 केवी संभरक	11 केवी संभरक	33 केवी संभरक	11 केवी संभरक	33 केवी संभरक	11 केवी संभरक
1	ऊर्जा अंकेक्षण के कुल बिन्दुओं की संख्या	1,489	3,830	2,382	5,129	1,575	3,684
2	ऐसे संभरकों की संख्या जिनमें ऊर्जा अंकेक्षण मीटरीकरण व्यवस्था उपलब्ध कराई जा चुकी है	1,371	3,460	2,382	4,346	1,575	3,684
3	ऐसे संभरकों की संख्या जिनमें ऊर्जा अंकेक्षण मापयन्त्र दोषपूर्ण स्थिति में हैं	210	584	342	1009	97	265
4	ऐसे संभरकों की संख्या जिन पर ऊर्जा अंकेक्षण मीटरीकरण व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना अभी भी शेष है	118	370	निरंक	783	निरंक	निरंक

तालिका 5 : अमीटरीकृत ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं/कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों की अद्यतन स्थिति

क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	घरेलू (ग्रामीण)		
	संयोजनों की कुल संख्या	अमीटरीकृत संयोजनों की संख्या	अमीटरीकृत संयोजनों का प्रतिशत
पूर्व	2,077,798	371,289	17.76%
पश्चिम	1,699,594	129,892	7.64%
मध्य	1,150,306	179,006	15.56%
राज्य का योग	**4,927,698**	**680,187**	**13.77%**

क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	कृषि वितरण ट्रांसफार्मर		
	कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या	वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या जिन पर मीटर स्थापित किये गये हैं	वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रतिशत जिन पर मीटर स्थापित किये गये हैं
पूर्व	65,737	3,489	5.31%
पश्चिम	93,524	20,426	21.84%
मध्य	100,198	23,112	23.07%
राज्य का योग	**259,459**	**47,027**	**18.13%**

1.18 आयोग बारम्बार समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों को कृषि भार वितरण ट्रांसफार्मरों के मीटरीकरण के कार्य में प्रगति में वृद्धि किये जाने संबंधी निर्देश देता चला आ रहा था। विद्युत वितरण कम्पनियों को अमीटरीकृत उच्च दाब संभरकों (HT Feeders) तथा व्यक्तिगत घरेलू संयोजनों को प्राथमिकता के आधार पर मीटरीकरण कार्य हाथ में लेने हेतु दिये गये थे। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के टैरिफ आदेश में विद्युत वितरण कम्पनियों को शत प्रतिशत मीटरीकरण कार्य माह मार्च, 2014 के अन्त तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे। तदोपरान्त, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अनुरोध पर आयोग द्वारा ग्रामीण घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत अमीटरीकृत संयोजनों का शत प्रतिशत मीटरीकरण माह मार्च, 2015 के अन्त तक पूर्ण किये जाने की अनुमति भी प्रदान की गई थी। इस प्रकार विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा ग्रामीण घरेलू संयोजनों का शत प्रतिशत मीटरीकरण कार्य माह मार्च, 2015 तक पूर्ण करने बाबत प्रतिबद्धता प्रकट की गई है। विद्युत वितरण कम्पनियों को 31 मार्च, 2015 तक की वस्तुस्थिति के बारे में 31 मई, 2015 तक अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आयोग इस संबंध में स्थिति की समीक्षा माह जून, 2015 तक करेगा।

1.19 आयोग यहां यह दोहराना भी उचित समझता है कि जब तक समस्त कृषि उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत संयोजन प्रदान न कर दिये जाएँ, कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मर (agricultural predominant DTRs) एक अन्तरिम व्यवस्था है। आयोग का यह दृढ़ मत है कि समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से मीटरीकृत किया जाना चाहिए। घरेलू तथा कृषि उपभोक्ताओं के बारे में बिलिंग की वर्तमान मानदण्डीय खपत पद्धति उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत करने हेतु किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान नहीं करती है तथा यह भी कि वर्तमान परिदृश्य में वास्तविक ऊर्जा हानि की गणना करना संभव है। चूंकि उचित मीटरीकरण व्यवस्था के अभाव में, कृषि उपभोक्ताओं की मांग का आकलन किया जाना संभव नहीं है, आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को संभरक मीटरीकरण (feeder meterization) तथा वितरण ट्रांसफार्मर के मीटरीकरण (DTR meterization) कार्य को प्राथमिकता के आधार पर गति प्रदान करने के निर्देश दिये हैं। विद्युत वितरण कम्पनियों को इस संबंध में एक विस्तृत योजना 31 मई, 2015 तक दाखिल करनी चाहिए। आयोग इस बावत में वस्तुस्थिति की समीक्षा माह जून, 2015 में करेगा।

चक्रण प्रभार तथा प्रतिराज्यानुदान अधिभार (Wheeling Charges and Cross Subsidy Surcharge)

1.20 खुली पहुंच उपभोक्ताओं हेतु चक्रण प्रभारों तथा प्रति राज्यानुदान प्रभारों पर अध्याय–ए4 ''चक्रण प्रभार तथा प्रतिराज्यानुदान अधिभार'' के अन्तर्गत विचार किया गया है।

विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirement of Discoms)

1.21 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु, विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirement-ARR) की गणना की है तथा तदनुसार विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों हेतु विद्युत–दरों (tarrifs) {ऊर्जा प्रभारों (energy charges) तथा स्थाई प्रभारों (fixed charges)} को पुनरीक्षित किया गया है। विद्युत–दरों (tarrifs) से राजस्व आय विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अवधारित किये गये अनुसार हैं। अवधारित की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) में विद्युत वितरण कम्पनियों की पूर्व वर्षों की राजस्व आवश्यकता के सत्यापन, मप्र पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (MPPTCL) तथा मप्र पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (MPPGCL) की पूर्व वर्षों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) के सत्यापन (True up) को ध्यान में रखा गया है।

1.22 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश (Retail Supply Tariff) जारी होने के बाद विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय वर्ष 2009–10 (रू. 494. 00 करोड़) वित्तीय वर्ष 2010–11 (रू. 318.00 करोड़), वित्तीय वर्ष 2011–12 (रू. 932. 00 करोड़) की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सत्यापन, एमपीपीटीसीएल हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का सत्यापन (रू. 174.00 करोड़) तथा वर्ष 2011–12 हेतु एमपीपीजीसीएल की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का सत्यापन (–) रू. 188.00 करोड़ के आदेश पारित किये हैं। इसके वित्तीय प्रभाव की समग्र गणना रू. 1730 करोड़ की गई है जिस हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों को वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु इन लागतों की वसूली बाबत अनुमति प्रदान की गई है।

1.23 तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु अनुज्ञेय की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 6 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			योग
	पूर्व	पश्चिम	मध्य	
विद्युत क्रय लागत (एमपीपीएमएल लागत को सम्मिलित करते हुए)	4,713.09	7,027.10	6,020.24	17,760.42
पीजीसीआईएल प्रभार	436.78	555.16	422.43	1,414.36

ट्रांसको (एमपीपीटीसीएल) प्रभार, सेवान्त प्रसुविधाओं को सम्मिलित करते हुए	538.79	691.25	573.91	1,803.95
संचालन तथा संधारण लागत (O&M Cost)	1,091.05	993.84	976.05	3,060.93
अवक्षयण या अवमूल्यन (Depreciation)	125.76	107.63	137.60	371.00
परियोजना ऋणों पर ब्याज (Interest on Project Loans)	183.93	106.20	262.22	552.35
पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)	237.26	182.03	258.98	678.27
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)	24.93	3.48	31.90	60.31
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण (Bad and Doubtful Debts)	2.00	2.00	2.00	6.00
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (Interest on Consumer Security Deposit)	61.68	89.22	61.22	212.11
घटायें : अन्य आय–खुदरा तथा चक्रण (Retail & Wheeling)	202.24	341.25	551.11	1,094.61
वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	**7,213.03**	**9,416.65**	**8,195.43**	**24,825.10**
वित्तीय वर्ष 2009–10 के सत्यापन का अन्तर (Gap of True-up of FY 2009-10)	353.00	60.00	81.00	494.00
वित्तीय वर्ष 2010–11 के सत्यापन का अन्तर (Gap of True-up of FY 2010-11)	164.00	-139.00	293.00	318.00
वित्तीय वर्ष 2011–12 के सत्यापन का अन्तर (Gap of True-up of FY 2011-12)	545.00	78.00	309.00	932.00
वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत पारेषण सत्यापन का अन्तर (Transmission True-up of FY 2012-13)	52.00	55.00	67.00	174.00
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विद्युत उत्पादन सत्यापन (Generation True-up of FY 2011-12)	-38.00	-37.00	-113.00	-188.00
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	**8,289.03**	**9,433.65**	**8,832.43**	**26,555.10**
विद्यमान विद्युत–दर से राजस्व की प्राप्ति (Revenue from existing Tarrif)	7,602.64	8,493.67	8,082.46	24,178.77
विद्यमान विद्युत–दर पर आपूरित अंतर/आधिक्य (uncovered Gap/surplus at existing tariff)	**-686.39**	**-939.98**	**-749.96**	**-2,376.33**
प्रस्तावित विद्युत–दरों के अनुसार राजस्व की प्राप्ति (Revenue from proposed Tarrif)	8,289.03	9,433.65	8,832.42	26,555.10
प्रस्तावित विद्युत दर पर अपूरित अन्तर/आधिक्य (uncovered Gap/Surplus at proposed tariff)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

1.24 याचिकाकर्ताओं ने अपने पत्र दिनांक 19 मार्च, 2015 द्वारा ईंधन लागत समायोजन (FCA) की वसूली दिनांक 1.4.2015 से माह नवम्बर, 2014 से माह जनवरी, 2015

अवधि हेतु ताप विद्युत उत्पादक केन्द्रों (Thermal Generating Stations) संबंधी परिवर्तनीय दरों में अन्तर के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया है। इस टैरिफ आदेश में परिवर्तनीय प्रभारों की गणना करते समय आयोग ने याचिकाकर्ताओं द्वारा माह फरवरी, 2014 से जनवरी, 2015 की अवधि हेतु दाखिल की गई जानकारी के आधार पर ऊर्जा दरों पर विचार किया है। अतएव, दिनांक 1.4.2015 से ईंधन लागत समायोजन की पृथक से वसूली की जाने की आवश्यकता नहीं है।

1.25 आयोग ने ईंधन लागत समायोजन (FCA) की त्रैमासिक आधार पर वसूली हेतु निर्दिष्ट क्रियाविधि को जारी रखा है ताकि इन्हें टैरिफ नीति की भावना के अनुरूप परिवर्तनीय प्रभारों में विषमताओं के कारण अनियन्त्रणीय लागतों को तथा जैसा कि इस संबंध में माननीय एप्टेल (Appelant Tribunal for Electricity-APTEL) द्वारा भी निर्देशित किया गया है, समयबद्ध रूप से समायोजित किया जा सके।

1.26 आयोग ने नवकरणीय ऊर्जा क्रय आबन्ध (Renewal Purchase Obligation-RPO) की पूर्ति बाबत सुसंबद्ध विनियमों के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में उपयुक्त प्रावधान भी किये हैं।

1.27 आयोग ने उपभोक्ता श्रेणियों की विद्युत प्रदाय वोल्टेजवार लागत के साथ–साथ प्रति राज्यानुदान प्रतिशत, उक्त वोल्टेज पर विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार अवधारित किये हैं। उल्लेखनीय है कि विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत की गणना हेतु विद्युत प्रदाय की लागत को और आगे सत्यापित किये जाने की आवश्यकता है ताकि एक युक्तियुक्त तथा सही वस्तुस्थिति ज्ञात की जा सके। वांछित आकड़ों के अभाव में इस टैरिफ आदेश के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत की गणना मात्र निर्देशात्मक (indicative) प्रकार ही की है। यह कार्यवाही माननीय एप्टेल (APTEL) द्वारा इस विषय पर दिये गये दिशा–निर्देश के परिपालन में इस दिशा में प्रथम कदम के रूप में का गयी है।

आदेश का कार्यान्वयन (Implementation of the order)

1.28 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 की कण्डिका 1.30 के अनुसार समाचार पत्रों में सात (7) दिवस का नोटिस देकर आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में तत्काल कदम उठाने चाहिए। इस आदेश द्वारा अवधारित विद्युत–दरें (टैरिफ)

दिनांक 25 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक प्रभावशील रहेंगी, जब तक आयोग किसी आदेश के माध्यम से इनमें संशोधन अथवा सुधार नहीं कर देता।

1.29 अतएव, आयोग द्वारा राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी की याचिकाएं, सुधारों के साथ तथा शर्तों के साथ स्वीकार कर ली गई हैं तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान विद्युत प्रदाय के अनुज्ञप्तिप्राप्त क्षेत्र में खुदरा विद्युत–दरों तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूलीयोग्य प्रभारों का अवधारण भी कर दिया गया है। आयोग याचिकाकर्ताओं को निर्देश देता है कि यह आदेश दिये गये निर्देशों तथा दी गई शर्तो के साथ–साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार क्रियान्वित किया जाए। इसके अतिरिक्त, इन आदेशों के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारियों को उपभोक्ताओं को केवल इस टैरिफ आदेश तथा प्रयोज्य विनियमों के उपबंधों के अनुसार ही देयक जारी किये जाने की अनुमति भी प्रदान की जाती हैं।

हस्ता/–	**हस्ता/–**	**हस्ता/–**
(आलोक गुप्ता)	**(ए.बी. बाजपेयी)**	**(डॉ. देवराज बिरदी)**
सदस्य	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

ए 2: याचिका क्र. 30/2014 के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को जारी खुदरा विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के साथ संलग्न विस्तृत कारण तथा आधार (DETAILED REASONS AND GROUNDS ATTACHED WITH RETAIL SUPPLY TARIFF ORDER ISSUED BY MPERC ON 17TH APRIL, 2015 IN RESPECT OF PETITION NUMBER 30/2014)

श्री एफ के मेश्राम, मुख्य महाप्रबंधक (टैरिफ) ने मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी का प्रतिनिधित्व किया।

श्री पी.के. सिंह, कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक) ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिनिधित्व किया।

श्री कैलाश शिवा मुख्य अभियंता, (वाणिज्यिक), ने पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिनिधित्व किया।

श्री ए.आर. वर्मा, महाप्रबंधक तथा अधीक्षण यंत्री (वाणिज्यिक) ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिनिधित्व किया।

2.1 तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान टैरिफ के अवधारण तथा वसूलीयोग्य प्रभार के विस्तृत आदेश, कारण तथा आधार दर्शाते हुए, निम्नानुसार दिये गये हैं। विस्तृत आदेश में तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यात्मक तथा वित्तीय निष्पादन की चर्चा की गई है तथा आयोग के दिशा–निर्देशों पर अनुपालन की अद्यतन स्थिति तथा अनुज्ञप्तिधारियों की प्रतिक्रिया पर एक भाग तथा टैरिफ के प्रस्तावों पर हितधारकों से संपूर्ण राजस्व आवश्यकता पर प्राप्त किये गये सुझावों तथा टीपों पर आयोग की अभ्युक्ति संबंधी प्रतिवेदन भी सम्मिलित किये गये हैं।

———

ए.3 वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु मध्यप्रदेश पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों (ईस्ट, वेस्ट तथा सेंट्रल डिस्काम) की संपूर्ण राजस्व आवश्यकता (AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR FY 2013-14 OF MADHYA PRADESH POORVA, PASCHIM & MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN COMPANIES LIMITED (EAST, WEST & CENTRAL DISCOMS)

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित विक्रयों के पूर्वानुमान (Sales Forecast as projected by the Petitioners)

3.1 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विद्युत विक्रय के प्रक्षेपण हेतु पूर्व के चार वर्षों, के विद्युत विक्रय, उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित/संविदा भार आदि के संबंध में श्रेणीवार तथा खण्डवार (Slabwise) वास्तविक आंकड़े उपयोग किये गये हैं। यह पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान वास्तविक विक्रय याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये विक्रय पूर्वानुमानों तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु टैरिफ आदेश में स्वीकार किये गये विक्रय पूर्वानुमानों से उल्लेखनीय रूप से भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण कम्पनियों ने निवेदन किया है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु विक्रय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2012–13 के वास्तविक आंकड़े के आधार पर प्रक्षेपित किये गये थे तथा चूंकि वित्तीय वर्ष 2013–14 के वास्तविक आंकड़े अब उपलब्ध हैं, अतएव यह उचित होगा कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के विद्युत विक्रय के अनुमानों को पुनरीक्षित कर दिया जाए। वित्तीय वर्ष 2014–15 के विद्युत विक्रय के अनुमान के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विक्रय के प्रक्षेपण तैयार किये गये हैं। इसके अन्तर्गत वह विधि जिसका अनुसरण किया गया है वह प्रत्येक श्रेणी तथा इसकी उपश्रेणियों हेतु शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं के संबंध में पृथक से संयुक्त वार्षिक विकास दरों (Compound Annual Growth Rates-CAGRs) का विश्लेषण किये जाने में निहित है। आंकड़ों के विश्लेषण के बाद, भविष्यगामी उपभोक्ता/विक्रय पूर्वानुमानों हेतु श्रेणी/उपश्रेणी की पूर्व संयुक्त वार्षिक विकास दरों के आधार पर उचित/युक्तियुक्त विकास दरें मानी गई हैं। पूर्वानुमान में अनुज्ञप्तिधारियों की पूंजीगत व्यय (Capex) योजनाएं/परियोजनाएं, जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY)/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY), घरेलू उपभोक्ताओं की भविष्यगामी मीटरीकरण योजना, कृषि एवं उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों हेतु संभरक पृथक्करण, ग्रामीण क्षेत्रों में भविष्य में विद्युत प्रदाय घंटों में संभावित वृद्धि के प्रभाव पर भी विचार किया गया है।

3.2 निवेदन किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत घरेलू खपत के प्रक्षेपण हेतु, प्रति उपभोक्ता औसत विद्युत खपत 75 यूनिट प्रति माह मानी गई है। विद्युत वितरण कम्पनियों ने यह निवेदन भी किया है कि उनके शहरी क्षेत्र में कोई भी अमीटरीकृत घरेलू संयोजन नहीं हैं।

3.3 श्रेणीवार विद्युत विक्रय के विवरण, जैसा कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रक्षेपित किये गये हैं, निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 7: विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रक्षेपित किये गये श्रेणीवार विक्रय (मिलियन यूनिट में)

उपभोक्ता श्रेणियों का विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रक्षेपण			
	पूर्व क्षेत्र विविकं	पश्चिम क्षेत्र विविकं	मध्य क्षेत्र विविकं	सम्पूर्ण राज्य हेतु
निम्न दाब (LT)				
एलवी–1 : घरेलू	4,234	3,966	4,318	12,518
एलवी–2 : गैर–घरेलू	1,001	897	901	2,799
एलवी–3.1: सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य	537	219	241	997
एलवी–3.2: पथ–प्रकाश	207	155	122	484
एलवी–4 : निम्न दाब औद्योगिक	345	549	285	1,179
एलवी–5.1 : कृषि सिंचाई पम्प	5,484	7,981	6,727	20,192
एलवी–5.3 : कृषि संबंधी उपयोग	6	2	19	27
निम्न दाब विक्रय (मिलियन यूनिट में)	**11,814**	**13,769**	**12,613**	**38,196**
एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	612	562	1,019	2,193
एचवी–2 : कोयला खदानें (कोल माईन्स)	474	0	39	513
एचवी–3.1 : औद्योगिक	2,199	2,070	2,008	6,277
एचवी 3.2 : गैर–औद्योगिक	240	371	396	1,007
एचवी 3.3 : शॉपिंग मॉल	7	62	12	81
एचवी 3.4 : गहन विद्युत उद्योग	66	587	139	792
एचवी–4 : मौसमी (सीजनल)	15	5	2	22
एचवी–5.1 : सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा सिंचाई	94	344	151	589
एचवी–5.3 अन्य कृषि उपयोग	13	6	5	24
एचवी–6 : थोक आवासीय प्रयोक्ता	363	21	151	535
एचवी–7 : समकालन/प्रारंभिक विद्युत	0	8	0	8
उच्च दाब विक्रय (मिलियन यूनिट में)	**4,083**	**4,036**	**3,922**	**12,041**
कुल निम्न दाब + उच्च दाब विक्रय (मिलियन यूनिट में)	**15,897**	**17,805**	**16,535**	**50,237**

विक्रय के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's analysis of Sale) :

3.4 विद्युत वितरण कम्पनियों ने अनुमान लगाया है कि रागांग्रावियो (RGGVY), दीदउग्राज्यो (DDUGY), संभरक पृथक्करण योजना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय के घंटों में वृद्धि के कारण आने वाले समय में विद्युत विक्रय में वृद्धि होगी। विद्युत वितरण कम्पनियों का कथन है कि उनके द्वारा राज्य के प्रत्येक परिवार को बढ़े हुए घंटों के अनुसार विद्युत प्रदाय किया जा रहा है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गतिवर्धित सामाजिक–आर्थिक विकास लाना है।

3.5 आयोग ने विद्युत विक्रय के पूर्वानुमानों की समीक्षा की है तथा इनकी तुलना पूर्व के रुझानों से की है। आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत विक्रय में प्रक्षेपित वृद्धि के बारे में दी गई विभिन्न प्रस्तुतियों को संज्ञान में लिया है। आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अपने समस्त उपभोक्ताओं को अबाधित विद्युत प्रदाय के लिये किये जा रहे प्रयासों की पुष्टि करता है। अतएव, आयोग याचिका में दाखिल किये गये विद्युत विक्रय के आंकड़ों को स्वीकृति प्रदान करने को युक्तिसंगत मानता है। तथापि, याचिका के अंतर्गत दाखिल किये गये विद्युत विक्रय के आंकड़ों का विश्लेषण प्रकट करता है कि उपभोक्ता श्रेणियों एलवी–1 घरेलू तथा एलवी–5.1 कृषि में दाखिल किये विद्युत विक्रय के आंकड़े इन दो श्रेणियों में उचित तौर पर प्रक्षेपित नहीं किये गये हैं। आयोग का मत है कि घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत विद्युत विक्रय का प्रक्षेपण तथ्यों की पुष्टि नहीं करता क्योंकि वर्तमान में संभरक पृथक्करण का कार्य बड़े पैमाने पर प्रगति पर है। इससे घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के विक्रय में वृद्धि होगी। दूसरी ओर, कृषि श्रेणी हेतु विद्युत विक्रय का प्रक्षेपण उच्च पक्षीय है, जब इसकी तुलना पूर्व वर्षों के दौरान पाये गये रूझान से की जाए। अतएव, आयोग ने उपयुक्त तौर पर विक्रयों के प्रक्षेपणों को संरेखित (realigned) किया है। आयोग ने श्रेणीवार विद्युत विक्रय को निम्न तालिका के अनुसार स्वीकार किया है :

तालिका 8 : आयोग द्वारा स्वीकार किये गये श्रेणीवार विद्युत विक्रय के आंकड़े (मिलियन यूनिट में)

उपभोक्ता श्रेणियों का विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रक्षेपण			
	पूर्व क्षेत्र विविकं	पश्चिम क्षेत्र विविकं	मध्य क्षेत्र विविकं	सम्पूर्ण राज्य हेतु
निम्न दाब : उपभोक्ता श्रेणियां				
एलवी–1 : घरेलू उपभोक्ता	4559	4696	4963	14218
एलवी–2 : गैर–घरेलू	1001	897	901	2799
एलवी–3.1: सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य	537	219	241	997

एलवी–3.2: पथ–प्रकाश	207	155	122	484
एलवी–4 : औद्योगिक	345	549	285	1179
एलवी–5.1 : कृषि	5158	7251	6082	18492
एलवी–5.3 : अन्य कृषि उपयोग	6	2	19	28
उच्च दाब उपभोक्ता श्रेणियां				
एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	612	562	1019	2193
एचवी–2 : कोयला खदानें (कोल माईन्स)	474	0	39	513
एचवी–3.1 : औद्योगिक	2199	2070	2008	6277
एचवी 3.2 : गैर–औद्योगिक	240	371	396	1007
एचवी 3.3 : शॉपिंग मॉल	7	62	11	81
एचवी 3.4 : गहन विद्युत उद्योग	66	587	139	792
एचवी–4 : मौसमी (सीजनल)	15	5	2	22
एचवी–5 : सिंचाई, सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य, अन्य कृषि उपयोग	107	349	156	612
एचवी–6 : थोक आवासीय प्रयोक्ता	363	21	151	535
एचवी–7 : समकालन/प्रारंभिक विद्युत	0	8	0	8
योग	**15897**	**17805**	**16535**	**50237**

3.6 आयोग याचिकाकर्ताओं को यह निर्देश भी देता है कि वे टैरिफ अवधि के दौरान उपभोक्ताओं की किसी भी श्रेणी हेतु अनुचित तौर पर विद्युत प्रदाय को प्रतिबंधित न करें।

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किये गये ऊर्जा संतुलन एवं विद्युत क्रय (Energy Balance and Power Purchase as Proposed by the Petitioners)

3.7 याचिकाकर्ताओं ने 50237 मिलियन यूनिट प्रक्षेपित विद्युत विक्रय हेतु तीन विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये 64793 मिलियन यूनिट की अधिप्राप्ति किया जाना दाखिल किया है। विद्युत वितरण कम्पनीवार विभाजन निम्नानुसार है :

तालिका 9 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.	सम्पूर्ण राज्य
निम्न दाब श्रेणी को विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिट में)	11,814	13,769	12,613	38,196
उच्च दाब श्रेणी को विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिट में)	4,083	4,036	3,922	12,041
कुल विक्रय (मिलियन यूनिट में)	**15,897**	**17,805**	**16,535**	**50,237**
वितरण हानियां (प्रतिशत में)	18.00%	16.00%	19.00%	18,14%

वितरण अन्तर्मुख पर आहरित यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	19,440	21,484	20,445	61,369
पारेषण हानि (प्रतिशत में)	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
मप्र राज्य बाह्य सीमा पर आहरण (मिलियन यूनिट में)	20,041	22,148	21,077	63,266
बाह्य हानि (मिलियन यूनिट में)	485	532	509	1,527
कुल क्रय किये गये यूनिटों की मात्रा (मिलियन यूनिट में)	**20,526**	**22,680**	**21,587**	**64,793**

3.8 याचिकाकर्ताओं ने प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी के पूर्व वर्षों के विक्रय के रूझान के प्रयोग द्वारा वार्षिक प्रक्षेपित विद्युत विक्रय को मासिक विक्रय में परिवर्तित किया है। निवेदन किया गया है कि राज्यान्तरिक पारेषण हानियों (एमपीपीटीसीएल हानियों) की गणना करते समय वास्तविक आंकड़ों की प्राप्ति मप्र–राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऑनलाईन पोर्टल से पूर्व की अवधि माह अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 तक (52 सप्ताह) हेतु प्राप्त की गई है तथा तद्नुसार इसे भविष्यगामी अवधि हेतु गणना किये गये 3.00 प्रतिशत के औसत के अनुसार माना गया है।

3.9 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियों की गणना पूर्वी क्षेत्र (Eastern Region-ER) तथा पश्चिमी क्षेत्र (Western Region-WR) के विद्युत–केन्द्रों (Stations) के लिये पृथक–पृथक की गई है। पश्चिमी क्षेत्र के लिये, दिनांक 4 नवम्बर 2013 से दिनांक 9 नवम्बर, 2014 तक के 52 सप्ताह के पूर्व आंकड़े, जैसा कि ये (POSOCO/NLDC) वैबसाईट पर उपलब्ध हैं, पर विचार किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु 3.83 प्रतिशत के औसत हानि स्तर का उपयोग किया गया है। पूर्वी क्षेत्र के प्रकरण में, मध्य प्रदेश राज्य को आवंटित विद्युत केन्द्रों की पारेषण हानियों पर विचार किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु 2.09 प्रतिशत के औसत हानि स्तर को माना गया है।

3.10 याचिकाकर्ताओं ने अपनी प्रक्षेपित ऊर्जा आवश्यकता का दावा, माहवार प्रक्षेपित की गई वितरण हानियों को संकलित करते हुए प्राक्कलित किया है। इस संबंध में दाखिल किये गये विवरण निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

तालिका 10 : दाखिल किये गये मासिक हानि प्रतिशत

सरल क्रमांक	माह	वित्तीय वर्ष 2015–16		
		पूर्व क्षेत्र विविकं	पश्चिम क्षेत्र विविकं	मध्य क्षेत्र विविकं.
1	अप्रैल	19.31%	19.15%	19.02%
2	मई	18.89%	21.47%	18.02%
3	जून	13.70%	15.59%	17.89%

4	जुलाई	15.18%	5.93%	17.25%
5	अगस्त	17.78%	4.28%	18.86%
6	सितम्बर	18.35%	8.10%	19.14%
7	अक्टूबर	19.15%	23.47%	20.51%
8	नवम्बर	19.07%	23.24%	20.13%
9	दिसम्बर	20.78%	20.75%	19.57%
10	जनवरी	19.59%	21.72%	20.55%
11	फरवरी	16.17%	16.00%	19.20%
12	मार्च	18.03%	12.29%	17.86%
13	**वर्ष हेतु दाखिल की गई औसत हानियां (अंकगणितीय औसत)**	**18.00%**	**16.00%**	**19.00%**
14	**विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार**	**18.00%**	**16.00%**	**19.00%**

याचिकाकर्ताओं द्वारा ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन (Assessment of Energy Availability by the Petitioners)

3.11 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि मध्यप्रदेश की ऊर्जा उपलब्धता का आकलन निम्न कारकों पर आधारित है :

(अ) मध्यप्रदेश राज्य की चालू दीर्घकालीन आवंटित विद्युत उत्पादन क्षमता

(ब) एमपी जनरेशन कम्पनी, केन्द्रीय क्षेत्र, संयुक्त उपक्रम, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के अन्तर्गत भविष्यगामी वर्षों के दौरान जुड़ने वाली नवीन विद्युत उत्पादन क्षमताएं (इकाईयां)

(स) पश्चिमी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र की उत्पादन क्षमता आवंटन का प्रभाव

(द) विद्युत उत्पादन संयन्त्र का पिछले तीन वर्षों का निष्पादन

3.12 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित किये गये केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों (Central Generating Stations-CGS) के भविष्यगामी प्रक्षेपण उनकी पिछले तीन वर्षों की औसत विद्युत उपलब्धता पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों की उपलब्धता के प्रक्षेपण हेतु पश्चिमी क्षेत्रीय पावर समिति (Western Regional Power Committee-WRPC) द्वारा उनके पत्र क्रमांक WRPC/ Comml-1/6/Alloc/2014/10874 दिनांक 3 दिसम्बर, 2014 तथा पूर्वी क्षेत्रीय पावर समिति (Eastern Regional Power Committee-ERPC) एनटीपीसी कहलगांव 2 हेतु मप्र शासन पत्र क्रमांक 5/31/2006/Th–2 दिनांक 21 फरवरी, 2007 को वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अन्तिम आवंटन को प्रक्षेपण हेतु माना गया है।

3.13 निम्न तालिका विद्यमान एमपीसीएमसीएल आवंटित केन्द्रों (Stations) तथा भविष्यगामी क्षमता वृद्धि केन्द्रों की सूची जिनका वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्त तक परिचालनयोग्य होना अपेक्षित है, प्रदर्शित करती है :

तालिका 11 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एमपीपीएमसीएल आवंटित विद्युत उत्पादक केन्द्रों (Generating Stations) की सूची

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादक स्टेशन	इकाई	क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट में)	मप्र राज्य का अंशदान (मेगावाट में)	वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि/अपेक्षित तिथि
1	एनटीपीसी कोरबा–III	इकाई–7	पश्चिमी क्षेत्र	500.00	77.00	प्रचालित की जा चुकी है
	एनटीपीसी सीपत चरण–I	तीन इकाइयां	पश्चिमी क्षेत्र	1,980.00	340.00	प्रचालित की जा चुकी है
3	एमपीजीसीएल–सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	इकाई क्रं.10	राज्य	250.00	250.00	प्रचालित की जा चुकी है
	एमपीजीसीएल–सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	इकाई क्रं.11	राज्य	250.00	250.00	प्रचालित की जा चुकी है
4	एमपीजीसीएल–श्री सिंगाजी एसटीपीएस–चरण–एक	इकाई–1	राज्य	600.00	600.00	प्रचालित की जा चुकी है
	एमपीजीसीएल–श्री सिंगाजी एसटीपीएस–चरण–एक	इकाई–2	राज्य	600.00	600.00	प्रचालित की जा चुकी है
5	एनटीपीसी–मौदा एसटीपीएस–चरण–1	इकाई–1	पश्चिमी क्षेत्र	500.00	92.70	प्रचालित की जा चुकी है
	एनटीपीसी–मौदा एसटीपीएस–चरण–1	इकाई–2	पश्चिमी क्षेत्र	500.00	78.00	प्रचालित की जा चुकी है
6	एनटीपीसी–विंध्याचल एसटीपीएस–चरण–4	इकाई–1	पश्चिमी क्षेत्र	500.00	143.00	प्रचालित की जा चुकी है
	एनटीपीसी–विंध्याचल एसटीपीएस–चरण–4	इकाई–2	पश्चिमी क्षेत्र	500.00	128.00	प्रचालित की जा चुकी है
7	डीवीसी–डीटीपीएस	इकाई–1	पूर्व क्षेत्र	500.00	50.00	प्रचालित की जा चुकी है
	डीवीसी–डीटीपीएस	इकाई–2	पूर्व क्षेत्र	500.00	50.00	प्रचालित की जा चुकी है
8	अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) सासन	इकाई–1	पश्चिमी क्षेत्र	660.00	247.00	प्रचालित की जा चुकी है
	अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) सासन	इकाई–2	पश्चिमी क्षेत्र	660.00	248.00	प्रचालित की जा चुकी है
	अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) सासन	इकाई–3 तथा 4	पश्चिमी क्षेत्र	1,320.00	495.00	प्रचालित की जा चुकी है
	अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) सासन	इकाई–5 तथा 6	पश्चिमी क्षेत्र	1,320.00	495.00	यूनिट 5 नवम्बर 14 एवं यूनिट–6 मार्च 15
9	जेपी बीना पावर	इकाई–1 तथा 2	राज्य	500.00	350.00	प्रचालित की जा चुकी है

10	जय प्रकाश पावर नीगरी	इकाई–1	पश्चिमी क्षेत्र	660.00	248.00	प्रचालित की जा चुकी है
	जय प्रकाश पावर नीगरी	इकाई–2	पश्चिमी क्षेत्र	660.00	247.00	फरवरी–15
11	एमबी पावर यूनिट–1	इकाई–1	पश्चिमी क्षेत्र	600.00	210.00	अप्रैल–15*
	एमबी पावर यूनिट–2	इकाई–2	पश्चिमी क्षेत्र	600.00	210.00	दिसम्बर 15
12	बीएलए पावर	इकाई–1	राज्य	45.00	16.00	प्रचालित की जा चुकी है
	बीएलए पावर	इकाई–2	राज्य	45.00	16.00	मई–15*
13	झाबुआ पावर	इकाई–1	पश्चिमी क्षेत्र	600.00	210.00	सितम्बर–15*
14	लैन्को अमरकंटक	इकाई–1	पश्चिमी क्षेत्र	300.00	300.00	प्रचालित की जा चुकी है
15	सुजेन टोरेंट	इकाई–2	पश्चिमी क्षेत्र	382.50	100.00	प्रचालित की जा चुकी है
16	नवकरणीय ऊर्जा–सौर	लागू नहीं	राज्य	-	370.25	–
17	नवकरणीय ऊर्जा (सौर से अन्य)	लागू नहीं	राज्य	-	847.05	–
	योग				**7,298.00**	

* *याचिकाकर्ताओं ने पत्र दिनांक 1 अप्रैल, 2015 द्वारा पुनरीक्षित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (COD) प्रस्तुत की है।*

3.14 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा नवीन केन्द्रों (स्टेशनों) से ऊर्जा की उपलब्धता वित्तीय वर्ष 2015–16 में इनके क्रियाशील किये जाने की तिथि से मानी गयी है जैसा कि इसे राज्य योजना प्रकोष्ठ ने आकड़ों के अनुसार प्रक्षेपित किया है। उपलब्धता का पूर्वानुमान वर्ष के दौरान प्रचालन महीनों के दौरान दिवस संख्या पर आधारित है।

3.15 दाखिल की गई वार्षिक उपलब्धता निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 12 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल की गई एक्स–बस ऊर्जा उपलब्धता (energy availability) (मिलियन यूनिट में)

विद्युत उत्पादक स्टेशन	**वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु**
केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन (CGS)	
एनटीपीसी – कोरबा	3,179
एनटीपीसी – विंध्याचल I	3,029
एनटीपीसी – विंध्याचल II	2,314
एनटीपीसी – विंध्याचल III	1,873
एनटीपीसी – कवास	442

एनटीपीसी – गंधार		399
काकरापार एटॉमिक पावर परियोजना (केएपीपी)		835
तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन (टीएपीएस)		1,505
एनटीपीसी – सीपत चरण–दो		1,217
एनटीपीसी – कहलगांव–2		289
द्विपक्षीय तथा संयुक्त उपक्रम स्टेशन (Bilateral and Joint Venture Stations)		
एनएचडीसी–इन्दिरा सागर		1,958
सरदार सरोवर		1,791
ओंकारेश्वर – जल विद्युत स्टेशन		1,156
दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी) (एमटीपीएस,सीटीपीएस)		2,347
एमपी जनरेशन कम्पनी स्टेशन (MP Genco Stations)		
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन–चचई–पीएच 1 तथा 2		1,189
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन–सारनी–पीएच 1, 2 तथा 3		3,901
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन–बिरसिंहपुर–पीएच 1 तथा 2		4,127
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन–बिरसिंहपुर–विस्तार		3,209
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन–चचई–विस्तार		1,498
केन्द्रीय जल विद्युत स्टेशन – गांधी सागर		189
केन्द्रीय जल विद्युत स्टेशन – राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर		325
पेंच जल विद्युत स्टेशन		210
बाण सागर टोंस–जल विद्युत स्टेशन		997
बाण सागर टोंस–जल विद्युत स्टेशन –सिलपारा		135
बाण सागर टोंस–जल विद्युत स्टेशन –देवलोन		86
बरगी – जल विद्युत स्टेशन		507
राजघाट – जल विद्युत स्टेशन		43
मढ़ीखेड़ा – जल विद्युत स्टेशन		74
अन्य (Others)		
केप्टिव		50
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (चम्बल, सतपुड़ा)		0
यूपीपीएमसीएल (रिहंद, माताटीला, राजघाट)		289
योग		**39,163**
एमपीएमसीएल को आवंटित (Allocated to MPPMCL)		
एनटीपीसी कोरबा–VII		757
एनटीपीसी सीपत चरण–एक	इकाई–1	2,264

सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना, विस्तार, बैतूल	इकाई–10	1703
(शतप्रतिशत अंशदान)	इकाई–11	1703
सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, चरण–एक खण्डवा	इकाई–1	4133
(शतप्रतिशत अंशदान)	इकाई–2	4133
एनटीपीसी मौदा एसटीपीएस, चरण–एक, नागपुर	इकाई–1	647
	इकाई–2	647
विंध्याचल मेगा परियोजना, चरण–चार, सीधी (एनटीपीसी)	इकाई–1	981
	इकाई–2	952
दामोदर वैली कार्पोरेशन–दुर्गापुर स्टील ताप विद्युत स्टेशन	इकाई–1	293
	इकाई–2	293
यूएमपीपी सासन, सीधी	इकाई–1	1,706
	इकाई–2	1,505
	इकाई–3 तथा 4	3,023
	इकाई–5 तथा 6	3,333
जे.पी. बीना पावर, सागर	इकाई–1	2320
	इकाई–2	
जयप्रकाश पावर, नीगरी	इकाई–1	1,662
	इकाई–2	1,656
एमबी पावर अनूपपुर	इकाई–1	1,408
	इकाई–2	280
बीएलए पावर, नरसिंहपुर	इकाई–1	104
	इकाई–2	73
झाबुआ पावर, सिवनी	इकाई–1	1,348
लैंको ताप विद्युत स्टेशन, अमरकंटक	इकाई–1	2,066
टोरेंट पावर जीपीपी		256
नवकरणीय ऊर्जा (सौर)		541
नवकरणीय ऊर्जा (पवन)		1,670
योग		**41,457**
महायोग		**80,620**

3.16 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि उपरोक्त दर्शाई गई ऊर्जा की उपलब्धता निम्न तथ्यों पर आधारित है :

- पश्चिमी क्षेत्रीय पावर समिति (Western Regional Power Comitteee-WRPC) के पत्र क्रमांक WRPC/Comml-1/6/Alloc/2014/10874 दिनांक 3 दिसम्बर, 2014 के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य को क्षमता का आवंटन ;
- राज्य को आवंटित विद्यमान क्षमताएं तथा प्रस्तावित क्रियाशील की जाने वाली भविष्यगामी क्षमताएं।
- मप्र शासन राजपत्र की अधिसूचना पर आधारित वैयक्तिक स्टेशनों के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य की तीन विद्युत वितरण कम्पनियों को क्षमता का आवंटन।

3.17 इसके अतिरिक्त, याचिकाकताओं ने माहवार सुयोग्यताक्रम प्रेषण सिद्धांत (Merit dispatch principle) वित्तीय वर्ष 2015–16 की परिवर्तनीय लागतों के आधार पर दोनों विद्युत वितरण कम्पनी आवंटित विद्युत उत्पादक केन्द्रों तथा एमपीपीएमसीएल आवंटित विद्युत उत्पादक केन्द्रों पर विचार करते हुए अनुप्रयोग किया है। याचिकाकर्ताओं ने इकाईयों/केन्द्रों द्वारा निवर्तन (backing down) जो सुयोग्यताक्रम प्रेषण (MOD) में उच्चतर है (higher up) हैं, इन अवधियों के दौरान जब इन्हें उक्त अवधि के दौरान मांग की पूर्ति हेतु संचालित किया जाना आवश्यक नहीं होता,; बाजार दरें उनकी निरन्तरता को न्यायेचित नहीं ठहराती। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने 76,836 मिलियन यूनिट विद्युत की उपलब्धता प्रस्तावित की है।

बचत ऊर्जा का प्रबन्धन (Management of Surplus Energy)

3.18 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि विद्युत प्रदाय की स्थिति के अनुसार अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान अधिकांश महीनों के दौरान राज्य के पास बचत या आधिक्य ऊर्जा (Surplus energy) उपलब्ध रहेगी। वर्तमान में, एमपीपीएमसीएल आधिक्य (बचत) ऊर्जा को विद्युत विनिमय केन्द्र (Power Exchange) के माध्यम से ऐसी लागत पर विक्रय करता है जिसका निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है।

3.19 याचिकाकर्ताओं ने यह भी निवेदन किया है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों ने समस्त उपलब्ध क्षमताओं हेतु सुयोग्यताक्रम प्रेषण का अनुप्रयोग किया है, अर्थात् विद्युत उत्पादक स्टेशनों से ऊर्जा की कार्यक्रमबद्धता (Scheduling) कुल प्रति यूनिट विद्युत क्रय लागतों पर आधारित। सुयोग्यताक्रम प्रेषण (MOD) के अनुप्रयोग के बाद याचिकाकर्ताओं ने आधिक्य या बचत की गई ऊर्जा को विद्युत विनिमय केन्द्र (power exchange) के माध्यम से विद्युत विनिमय केन्द्र (IEX) की

औसत दर पर W I क्षेत्र हेतु पूर्व के बारह माह हेतु माह फरवरी, 2014 से जनवरी, 2015 तक रू. 3.16 प्रति यूनिट की दर पर विक्रय किया जाना प्रस्तावित किया है। याचिकाकर्ता ने प्रत्येक यूनिट हेतु रू. 0.22 का व्यय राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (NLDC), राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC), केन्द्रीय पारेषण इकाई (CTU), राज्य पारेषण इकाई (STU) प्रभार के रूप में प्रस्तुत किया है तथा इस प्रकार रू. 2.94 प्रति यूनिट की शुद्ध वसूलीयोग्य दर (net realizable rate) प्रस्तुत की है।

3.20 इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि विद्युत वितरण कम्पनियों की कुल विद्युत क्रय लागतों की गणना करते समय इस राजस्व को एमपीपीएमसीएल के आवंटित केन्द्रों (स्टेशनों) हेतु परिवर्तनीय विद्युत क्रय लागतों में से घटा दिया गया है। विद्युत वितरण कम्पनियों की आधिक्य (बचत) ऊर्जा की आवश्यकता तथा आधिक्य (बचत) ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त राजस्व के विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 13 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों के पास उपलब्ध आधिक्य (बचत) ऊर्जा का प्रबन्धन

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2015–16
उपलब्ध एक्स–बस ऊर्जा	मिलियन यूनिट	76,836.00
विद्युत वितरण कम्पनियों की एक्स–बस ऊर्जा की आवश्यकता	मिलियन यूनिट	64.793.00
आधिक्य (बचत) ऊर्जा (Surplus Energy)	मिलियन यूनिट	12,043.00
विद्युत विनिमय केन्द्र (IEX) पर आधिक्य (बचत) ऊर्जा की विक्रय दर	रू. प्रति यूनिट	2.94
विद्युत विनिमय केन्द्र (IEX) के माध्यम से आधिक्य (बचत) ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त राजस्व	**करोड़ रूपये**	**3540.56**

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत क्रय लागत (स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत) का आकलन {Assesment of Power Purchase Cost (Fixed and Variable Cost) by the Petitioner}

3.21 याचिकाकर्ताओं ने विद्युत क्रय लागत का प्रक्षेपण स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों (Fixed and variable costs) के पिछले बारह माहों के देयकों अर्थात् माह अक्टूबर, 2013 से सितम्बर, 2014 के प्रक्षेपण के आधार पर विद्युत वितरण कम्पनी को आवंटित केन्द्रों (stations) तथा कुछ एमपीपीएमसीएल आवंटित स्टेशनों के आधार पर किये हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह निवेदन भी किया है कि कतिपय एमपीपीएमसीएल आवंटित स्टेशनों की स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों पर तत्संबंधी टैरिफ आदेशों के अनुसार विचार किया गया है। इनसे संबंधित विवरण निम्न तालिका में दर्शाए गये हैं :

तालिका 14 : एमपीपीएमसीएल आवंटित स्टेशनों के टैरिफ आदेश

स्टेशन	याचिका क्रमांक	आदेश दिनांक
एमपीपीजीसीएल–सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन विस्तार, इकाई–10	11, वर्ष 2013	8 अक्टूबर, 2013
एमपीपीजीसीएल–श्री सिंगाजी ताप विद्युत स्टेशन चरण–1, इकाई–1	05, वर्ष 2014	10 नवम्बर, 2014
जेपी बीना पावर (इकाई–1 तथा इकाई–2)	40, वर्ष 2012	26 नवम्बर, 2014
जय प्रकाश पावर नीगरी (इकाई–1 तथा इकाई–2)	03, वर्ष 2014	24 सितम्बर, 2014
बीएलए पावर, इकाई–1	28, वर्ष 2012	24 जुलाई, 2012

3.22 वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए विद्युत क्रय लागत के अवधारण हेतु निम्न तालिका समस्त विद्यमान संयंत्रों की लागतों के विवरणों, अर्थात् स्थाई लागतों तथा परिवर्तनीय लागतों को प्रदर्शित करती है :

तालिका 15 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विद्यमान स्टेशनों हेतु दाखिल की गई स्थाई लागत तथा परिवर्तनीय लागत

विद्युत उत्पादक स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु	
	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	परिवर्तनीय लागत (रूपये प्रति किलोवाट ऑवर में)
एनटीपीसी – कोरबा	200.83	1.01
एनटीपीसी – विंध्याचल I	208.45	1.73
एनटीपीसी – विंध्याचल II	150.83	1.64
एनटीपीसी – विंध्याचल III	199.81	1.64
एनटीपीसी – कवास	83.64	2.66
एनटीपीसी – गंधार	92.60	2.66
काकरापार एटॉमिक पावर परियोजना (केएपीपी)	-	2.38
तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन (टीएपीएस)	-	2.85
एनएचडीसी–इन्दिरा सागर	533.50	0.38
सरदार सरोवर	162.50	0.93
ओंकारेश्वर – जल विद्युत स्टेशन	421.56	0.31
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन–चचई, पीएच 1 तथा 2	81.67	1.56
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन–सारनी, पीएच 1, 2 तथा 3	259.45	2.00

संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन–बिरसिंहपुर, पीएच 1 तथा 2	346.40	2.73
केन्द्रीय जल विद्युत स्टेशन – गांधी सागर	17.94	-
केन्द्रीय विद्युत स्टेशन–राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर	48.89	-
पेंच जल विद्युत स्टेशन	22.28	-
बाण सागर टोंस–जल विद्युत स्टेशन	167.30	-
बाण सागर टोंस–जल विद्युत स्टेशन सिलपारा	15.93	-
बाण सागर टोंस–जल विद्युत स्टेशन देवलोन	31.87	-
बरगी – जल विद्युत स्टेशन	30.92	-
राजघाट – जल विद्युत स्टेशन	8.10	-
मढ़ीखेड़ा – जल विद्युत स्टेशन	36.23	-
यूपीपीसीएल (रिहंद, माताटीला, राजघाट)	5.00	-
एनटीपीसी–सीपत चरण–II	175.36	1.58
एनटीपीसी–कहलगांव चरण–II	62.18	2.61
डीवीसी (एमटीपीएस, सीटीपीएस)	440.80	2.28
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन बिरसिंहपुर–विस्तार	442.92	2.50
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन–चचई–विस्तार	209.11	1.41

एमपीपीएमसीएल को आवंटित विद्यमान तथा भविष्यगामी क्षमताओं की लागत संबंधी विस्तृत विवरण (Details of costs for existing and future capacities allocated to MPPMCL)

3.23 एमपीपीएमसीएल आवंटित स्टेशनों के बारे में याचिकाकर्ताओं ने माह अक्टूबर 2013 से माह सितम्बर 2014 के वास्तविक विद्युत क्रय देयकों के अनुसार लागत को माना गया है। एमपीपीएमसीएल आवंटित स्टेशनों की लागतों के विवरणों का उल्लेख निम्न तालिका में किया गया है :

तालिका 16 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत एमपीपीएमसीएल की स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतें

सरल क्रमांक	परियोजना का नाम	इकाई	मप्र राज्य की अंशदान	स्थाई प्रभार (करोड़ रूपये में)	अभ्युक्तियां	परिवर्तनीय प्रभार (रूपये प्रति किलोवाट ऑवर)	अभ्युक्तियां
1	एनटीपीसी कोरबा–VII	इकाई–1	77.00	90.04	माह अक्टूबर 13 से सितम्बर 14 के वास्तविक देयकों के अनुसार	1.00	माह अक्टूबर 13 से सितम्बर 14 के वास्तविक देयकों के अनुसार

2	एनटीपीसी सीपत–चरण I	3 इकाईयां	340.00	348.76	माह अक्टूबर 13 से सितम्बर 14 के वास्तविक देयकों के अनुसार	1.47	माह अक्टूबर 13 से सितम्बर 14 के वास्तविक देयकों के अनुसार
3	एमपीपीजीसीएल–सतपुड़ा टीपीएस विस्तार	इकाई–10	250.00	304.29	मप्रविनिआ के टैरिफ आदेश दिनांक 8.10. 2013 के अनुसार	1.78	मप्रविनिआ के टैरिफ आदेश दिनांक 8.10. 2013 के अनुसार
4		इकाई–11	250.00	304.29	इकाई–1 के अनुसार लिया गया है	1.78	इकाई–1 के अनुसार लिया गया है
5	एमपीपीजीसीएल–श्रीसिंगाजी एसटीपीएस विस्तार चरण–1	इकाई–1	600.00	684.40	मप्रविनिआ के टैरिफ आदेश दिनांक 10. 11.2014 के अनुसार	1.86	मप्रविनिआ के टैरिफ आदेश दिनांक 10.11. 2014 के अनुसार
6		इकाई–2	600.00	684.40	इकाई–1 के अनुसार लिया गया है	1.86	इकाई–1 के अनुसार लिया गया है
7	एनटीपीसी–मौदा एसटीपीएस चरण–1	इकाई–1	92.70	126.33	माह अक्टूबर 13 से सितम्बर 14 के वास्तविक देयकों के अनुसार	3.56	माह अक्टूबर 13 से सितम्बर 14 के वास्तविक देयकों के अनुसार
8		इकाई–2	78.00	126.33	इकाई–1 के अनुसार लिया गया है	3.56	इकाई–1 के अनुसार लिया गया है
9	एनटीपीसी–विन्ध्याचल एसटीपीएस चरण–4	इकाई–1	143.00	219.34	माह अक्टूबर 13 से सितम्बर 14 के वास्तविक देयकों के अनुसार	1.63	माह अक्टूबर 13 से सितम्बर 14 के वास्तविक देयकों के अनुसार
10		इकाई–2	128.00	219.34	इकाई–1 के अनुसार लिया गया है	1.63	इकाई–1 के अनुसार लिया गया है
11	डीवीसी–डीटीपीएस	इकाई–1 तथा इकाई–2	100	123.02	माह अक्टूबर 13 से सितम्बर 14 के वास्तविक देयकों के अनुसार	2.65	माह अक्टूबर 13 से सितम्बर 14 के वास्तविक देयकों के अनुसार
12	यूएमपीपी सासन	इकाई–1	247.00	28.98	स्वीकृत बोली में प्रस्तुत टैरिफ के अनुसार गणना की गई है	1.149	स्वीकृत बोली में प्रस्तुत टैरिफ के अनुसार गणना की गई है
13		इकाई–2	248.00	26.05	स्वीकृत बोली में प्रस्तुत टैरिफ के अनुसार गणना की गई है	1.149	स्वीकृत बोली में प्रस्तुत टैरिफ के अनुसार गणना की गई है
14		इकाई–इकाई 3 तथा 4	495.00	51.68	स्वीकृत बोली में प्रस्तुत टैरिफ के अनुसार गणना की गई है	1.149	स्वीकृत बोली में प्रस्तुत टैरिफ के अनुसार गणना की गई है
15		इकाई 5 तथा 6	495.00	57.04	स्वीकृत बोली में प्रस्तुत टैरिफ के अनुसार गणना की गई है	1.149	स्वीकृत बोली में प्रस्तुत टैरिफ के अनुसार गणना की गई है
16	जेपी बीना पावर	इकाई–1 तथा इकाई–2	350.00	518.58	मप्रविनिआ के टैरिफ आदेश दिनांक 26. 11.2014 के अनुसार	2.65	माह अक्टूबर 13 से सितम्बर 14 के वास्तविक देयकों के अनुसार
17	जय प्रकाश पावर, नीगरी	इकाई–1	248.00	313.16	मप्रविनिआ के टैरिफ आदेश दिनांक 26. 09.2014 के अनुसार	1.17	मप्रविनिआ के टैरिफ आदेश दिनांक 26.09. 2014 के अनुसार
18		इकाई–2	247.00	313.16	मप्रविनिआ के टैरिफ	1.17	मप्रविनिआ के टैरिफ

					आदेश दिनांक 26.09.2014 के अनुसार		आदेश दिनांक 26.09.2014 के अनुसार
19	एमबी पावर	इकाई–1	210.00	239.54	मप्रविनिआ के टैरिफ आदेश दिनांक 10.11.2014 के अनुसार सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की मेगावाट दर के अनुसार	1.61	लैंको अमरकंटक के अनुसार लिया गया है।
20		इकाई–2	210.00	59.89	मप्रविनिआ के टैरिफ आदेश दिनांक 10.11.2014 के अनुसार सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की मेगावाट दर के अनुसार 3 माह के लिये, अर्थात् 1/4 वर्ष हेतु	1.61	लैंको अमरकंटक के अनुसार लिया गया है।
21	बी.एल.ए. पावर	इकाई–1	16.00	19.01	मप्रविनिआ के टैरिफ आदेश दिनांक 24.07.2012 के अनुसार	2.37	माह अक्टूबर 13 से सितम्बर 14 के वास्तविक देयकों के अनुसार
22		इकाई–2	16.00	19.01	इकाई–1 के अनुरूप	2.37	इकाई–1 के अनुरूप
23	झाबुआ पावर	इकाई–1	210.00	239.54	मप्रविनिआ के टैरिफ आदेश दिनांक 10.11.2014 के अनुसार सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की एमडब्लू दर के अनुसार	1.61	लैंको अमरकंटक के अनुसार लिया गया है।
24	लैंकों अमरकंटक	इकाई–1	300.00	323.14	माह अक्टूबर 13 से सितम्बर 14 के वास्तविक देयकों के अनुसार	1.61	माह अक्टूबर 13 से सितम्बर 14 के वास्तविक देयकों के अनुसार
25	सुजेन टोरेंट	इकाई–2	100.00	86.23	माह अक्टूबर 13 से सितम्बर 14 के वास्तविक देयकों के अनुसार	6.42	माह अक्टूबर 13 से सितम्बर 14 के वास्तविक देयकों के अनुसार
26	नवकरणीय ऊर्जा–सौर	लागू नहीं	370.25	413.30	541.47 मिलियन यूनिट हेतु 7.6329 प्रति यूनिट माना गया	–	–
27	नवकरणीय ऊर्जा–सौर से अन्य	लागू नहीं	847.05	824.98	1670 मिलियन यूनिट हेतु 4.945 प्रति यूनिट माना गया	–	–

नवकरणीय क्रय आबद्धता लागत (Renewal Purchase Obligation cost)

3.24 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि आयोग ने मप्रविनिआ (ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण–I) विनियम 2010 दिनांक 19 नवम्बर, 2010 को अधिसूचित किया है। आयोग द्वारा नवकरणीय ऊर्जा

स्त्रोतों से ऊर्जा की अधिप्राप्ति के बारे में विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPA) अथवा लघु–अवधि विपणन द्वारा नवकरणीय क्रय आबद्धता (RPO) परिपालन सुनिश्चित करने हेतु विचार किया है।

3.25 मप्रविनिआ (ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण–I) विनियम 2010 के विनियम 4.1 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु विद्युत क्रय की न्यूनतम मात्रा सौर ऊर्जा हेतु 1 प्रतिशत तथा गैर–सौर ऊर्जा हेतु 6 प्रतिशत है। याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु भी नवकरणीय क्रय आबद्धता हेतु समकक्ष प्रावधान किया है।

3.26 तद्नुसार, याचिकाकर्ताओं ने नवकरणीय क्रय आबद्धता (RPO) अर्हता की गणना की है (जिसे पूर्व में ही विद्युत क्रय लागत में शामिल कर लिया गया है) को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 17 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु नवकरणीय क्रय आबद्धता

नवकरणीय क्रय आबद्धता की गणनाएं		**वित्तीय वर्ष 2015–16**
सौर ऊर्जा	%	1.00%
सौर ऊर्जा से अन्य	%	6.00%
योग	%	7.00%
नवकरणीय क्रय आबद्धता की पूर्ति हेतु एक्स–बस नवकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट)		
सौर ऊर्जा	(मिलियन यूनिट में)	648
सौर ऊर्जा से अन्य	(मिलियन यूनिट में)	3,888
योग	(मिलियन यूनिट में)	4,536
विद्यमान नवकरणीय स्त्रोतों से ऊर्जा की उपलब्धता		
सौर ऊर्जा	(मिलियन यूनिट में)	541
सौर ऊर्जा से अन्य	(मिलियन यूनिट में)	1,670
योग	(मिलियन यूनिट में)	2,211
कमी		
सौर ऊर्जा	(मिलियन यूनिट में)	106
सौर ऊर्जा से अन्य	(मिलियन यूनिट में)	2,218

नवकरणीय क्रय आबद्धता की गणनाएं		वित्तीय वर्ष 2015–16
योग	(मिलियन यूनिट में)	2,324
नवकरणीय क्रय आबद्धता की पूर्ति के बाद अतिरिक्त आधिक्य की उपलब्धता	(मिलियन यूनिट में)	2,324
विद्युत विनिमय केन्द्र दर (IEX Rate)	रूपये/यूनिट	2.94
नवकरणीय क्रय आबद्धता के कारण आधिक्य ऊर्जा के विक्रय से अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति	करोड़ रूपये	683.27
नवकरणीय ऊर्जा क्रय की दरे		
सौर ऊर्जा	रूपये/यूनिट	7.64
सौर ऊर्जा से अन्य	रूपये/यूनिट	4.94
नवकरणीय ऊर्जा क्रय आबद्धता के कारण अतिरिक्त लागत		
सौर ऊर्जा	करोड़ रूपये	81.34
सौर ऊर्जा से अन्य	करोड़ रूपये	1,095.49
नवकरणीय ऊर्जा क्रय आबद्धता की पूर्ति हेतु नवीन/अन्य स्त्रोतों से नवकरणीय ऊर्जा क्रय	करोड़ रूपये	1,176.83
आधिक्य यूनिटों के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति	करोड़ रूपये	(683.27)
नवकरणीय क्रय आबद्धता की पूर्ति हेतु नवीन/अन्य स्त्रोतों से शुद्ध नवकरणीय विद्युत क्रय	करोड़ रूपये	493.56

याचिकाकर्ताओं द्वारा विद्युत क्रय लागत के अन्य घटकों का आकलन (Assessment of Other Elements of Power Purchase Cost by the Petitioners)

विद्यमान क्षमताओं से संबद्ध अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभार (Inter-State Transmission Charges associated with existing capacities) :

3.27 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि देय अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों में पश्चिमी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली के प्रभार शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु वास्तविक अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों की राशि रू. 1,165 करोड़ थी, तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु यही राशि माह नवम्बर, 2014 तक रू. 855.76 करोड़ थी जबकि वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु माह नवम्बर 2013 तक के ऐसे प्रभार रू. 735.49 करोड़ थे। इस प्रकार, अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों में लगभग 16.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अतएव, वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों के प्रक्षेपण हेतु समकक्ष वृद्धि दर पर विचार किया गया है।

3.28 इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने यह निवेदन भी किया है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु पारेषण प्रभारों की अनुमानित राशि क्रमशः रू. 1356 करोड़ तथा रू. 1577 करोड़ है। इन लागतों को वास्तविक लागतों की पूर्व रूझान के आधार पर निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किया गया है।

तालिका 18 : पीजीसीआईएल लागतें : विद्युत वितरा कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये में)

विवरण	पीजीसीआईएल लागतें
पूर्व क्षेत्र विवि कम्पनी	4 87
पश्चिम क्षेत्र विवि कम्पनी	619
मध्य क्षेत्र विवि कम्पनी	471
योग	**1577**

राज्यांतरिक पारेषण प्रभार (Intra- State Transmission Charges)

3.29 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों की गणना के प्रयोजन से, एमपीपीटीसीएल लागतों (सेवान्त प्रसुविधाओं को छोड़कर) को ही माना गया है, जैसा कि आयोग द्वारा इसे मप्र ट्रांसमिशन कम्पनी हेतु वहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 2 अप्रैल, 2013 में स्वीकार किया गया है।

3.30 वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्थाई लागत, जैसा कि इसे मप्र ट्रांसमिशन कम्पनी हेतु वहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 2 अप्रैल, 2013 में स्वीकार किया गया है, माना गया है।

3.31 राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार (SLDC charges), रू. 7.79 करोड़, जैसा कि आयोग द्वारा इसे वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु मप्र ट्रांसमिशन कम्पनी के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 18 जून, 2014 में स्वीकार किया गया है, को माना गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु वार्षिक राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों की गणना विद्युत वितरण कम्पनियों की पारेषण क्षमता पर आधारित है तथा दीर्घ अवधि खुली पहुंच क्रेताओं हेतु दर को रू. 5933.54 प्रति मेगावाट माना गया है, जैसा कि इसे आयोग द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र के वित्तीय वर्ष 2014–15 के टैरिफ आदेश में स्वीकार किया गया है।

3.32 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि आयोग द्वारा अनुमोदित की गई सेवान्त प्रसुविधाएं राज्य विद्युत क्षेत्र की इकाईयों के वास्तविक रोकड़ बाह्य प्रवाह (cash

outflow), हेतु पर्याप्त नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 के 5 माह हेतु वास्तविक रोकड़ प्रवाह निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 19 : समस्त राज्य विद्युत क्षेत्र इकाईयों की सेवान्त प्रसुविधाओं हेतु वास्तविक रोकड़ बाह्य प्रवाह

	विवरण	एमपी जनको	एमपी ट्रांसको	पूर्वक्षेविविकं	मध्यक्षेविविकं.	पश्चिमी क्षेविविकं.	एमपीपीएमसीएल	योग
1	सेवान्त प्रसुविधाएं (रोकड़ बाह्य प्रवाह)–वित्तीय वर्ष 2014–वास्तविक आंकड़ों के अनुसार	91.64	83.72	226.42	196.15	270.68	71.33	939.94
	सेवान्त प्रसुविधाएं (रोकड़ बाह्य प्रवाह)–वित्तीय वर्ष 2015–5 माह हेतु वास्तविक आंकड़ों के अनुसार							
	अप्रैल–14	9.36	5.77	20.87	16.59	23.72	5.38	81.69
	मई–14	10.78	6.82	22.07	20.74	27.22	6.44	94.07
	जून–14	10.82	8.02	20.60	18.76	25.51	5.72	89.42
	जुलाई–14	11.21	6.32	20.33	19.11	23.95	5.34	86.26
	अगस्त–14	10.94	5.76	18.96	20.83	24.63	5.33	86.44
	योग– वित्तीय वर्ष 2015 के पांच माह हेतु	53.11	32.69	102.84	96.03	125.02	28.19	437.87
	औसत सेवान्त सुविधाएं (रोकड़ बाह्य प्रवाह) प्रति माह, वित्तीय वर्ष 2015 हेतु							87.57
2	सेवान्त प्रसुविधाएं (रोकड़ बाह्य प्रवाह)–वित्तीय वर्ष 2015–अनुमानित							**1,050.89**
3	सेवान्त प्रसुविधाएं (रोकड़ बाह्य प्रवाह)–वित्तीय वर्ष 2016–अनुमानित, वित्तीय वर्ष 2015 की तुलना में 10% की समग्र वृद्धि मानकर							**1,155.98**

3.33 वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु, सेवान्त प्रसुविधाएं प्रक्षेपित करने हेतु, 10 प्रतिशत की वृद्धि दर मानी गई है।

3.34 याचिकाकर्ताओं ने यह निवेदन भी किया है कि कुल पारेषण प्रभार, सेवान्त प्रसुविधाओं (रोकड़ बाह्य प्रवाह) को शामिल करते हुए तीनों वितरण कम्पनियों को पूर्व रूझान के अनुरूप आवंटित किया गया है जैसा कि इसे निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 20 : याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु दाखिल किये गये राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–16
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	682.78
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	882.65
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	718.87
योग	**2284.30**

एमपीपीएमसीएल संबंधी लागतें : विवरण तथा विद्युत वितरण कम्पनीवार आवंटन (MPPMCL Costs : Details and Discom wise Allocation)

3.35 याचिकाकर्ताओं ने एमपीपीएमसीएल संबंधी विवरण, मय वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु रू. 363.10 करोड़ के अनुमानित शुद्ध व्ययों के प्रस्तुत किये हैं तथा इन्हें तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य राज्य की सीमा पर कुल ऊर्जा की आवश्यकता पर आधारित आवंटित किया है। विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किये गये व्ययों तथा लागतों के वितरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 21 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु दाखिल किये गये एमपीपीएमसीएल के व्यय (करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–16
विद्युत क्रय	68.50
अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	133.85
अवक्षयण/अवमूल्यन व्यय	2.09
ब्याज तथा वित्त प्रभार	81.89
मरम्मत तथा संधारण व्यय	1.93
कर्मचारी व्यय	57.89
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	15.19
अन्य व्यय	1.76
योग	363.10
शुद्ध व्यय	**363.10**

तालिका 22 : विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित की गई एमपीपीएमसीएल लागतें

(करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–16
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	115.07
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	126.89
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	121.14
योग	**363.10**

3.36 याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई कुल विद्युत क्रय की लागत निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 23 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु दाखिल की गई कुल विद्युत क्रय लागत

(राशि करोड़ रूपये में)

विद्युत क्रय लागत संबंधी विवरण		पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	राज्य
ए	एक्सबस क्रय किये जाने वाली यूनिट संख्या (मिलियन यूनिट में)	20,526	22,680	21,587	64,793
बी	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	1,273.01	1,806.16	1,376.89	4,456.06
सी	परिवर्तनीय लागत (करोड़ रूपये में)	3,712.20	4,871.99	4,421.26	13,005.46
डी	एमपीपीएमसीएल लागतें (करोड़ रूपये में)	115.02	127.11	120.97	363.10
ई=बी+सी+डी	'एक्स–बस' कुल विद्युत क्रय लागत (करोड़ रूपये में)	5,100.23	6,805.27	5,919.12	17,824.62
इ/ए	**विद्युत क्रय की दर (रूपये/किलोवाट)**	**2.48**	**3.00**	**2.74**	**2.75**
एच	बाह्य हानियां (मिलियन यूनिट में)	485	532	509	1,527
आई	अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत (करोड़ रूपये में)	487.19	619.36	470.63	1,577.19
जे=(ए–एच)	राज्य सीमा पर क्रय की जाने वाली ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	20,041	22,148	21,077	63,266
के=(आई+ई)	राज्य सीमा पर विद्युत क्रय की कुल लागत (करोड़ रूपये में)	5,587.43	7,424.63	6,389.76	19,401.81
जे/के	**राज्य सीमा पर विद्युत क्रय की दर (रूपये/किलोवाट ऑवर)**	**2.79**	**3.35**	**3.03**	**3.07**
एल	राज्यान्तरिक पारेषण लागत–एमपीपीटीसीएल, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार को शामिल करते हुए (करोड़ रूपये में)	682.78	882.65	718.87	2,284.30
एम=(के+एल)	विद्युत वितरण कम्पनी अन्तर्मुख पर कुल विद्युत क्रय लागत (करोड़ रूपये में)	6,270.21	8,307.28	7,108.62	21,686.11
एन	राज्यान्तरिक पारेषण हानि (मिलियन यूनिट में)	601	664	632	1,898
ओ=(जे–एन)	विद्युत वितरण कम्पनी सीमा पर क्रय किये जाने वाले यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	19,440	21,484	20,445	61,368
ओ/एम	**विद्युत वितरण कम्पनी सीमा पर क्रय की दर (रूपये/किलोवाट आवर)**	**3.23**	**3.87**	**3.48**	**3.53**

ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Energy Balance and Power Purchase)

वितरण हानियां (Distribution Losses)

3.37 टैरिफ विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया वितरण हानि स्तर प्रक्षेपण (Trajectory) निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 24 : विनियमों के अनुसार हानि के लक्ष्य (प्रतिशत में)

हानि के लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	23%	20%	**18%**
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	20%	18%	**16%**
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	23%	21%	**19%**

3.38 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु वितरण हानियों को टैरिफ विनियमों में विनिर्दिष्टानुसार ध्यान में रखा है। यह पाया गया है कि विद्युत आहरण के संबंध में विद्युत की आवश्यकता की माहवार गणना करते समय, याचिकाकर्ताओं ने वार्षिक हानि स्तरों की गणना माहवार हानियों की अंकगणितीय औसतों (arthmetical averages) के आधार पर की है। इसे विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये हानि प्रक्षेप–वक्र (Loss trajectory) के अनुरूप नहीं पाया गया है। आयोग ने विनिर्दिष्ट हानिस्तरों के वार्षिक स्तर पर वार्षिक विक्रय का सकलीकरण आगे दर्शाये गये परिच्छेदों/तालिकाओं में दर्शायेनुसार किया है।

बाह्य (पीजीसीआईएल) हानियां [External (PGCIL) Losses]

3.39 पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र स्टेशनों हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियों की गणना पृथक–पृथक की गई है। पश्चिमी क्षेत्र के लिये 3.83% की औसत पारेषण हानियों की गणना पिछले 52 सप्ताह (नवम्बर, 2013 से नवम्बर, 2014 तक) वास्तविक हानियों के आधार पर की गई है। इसी प्रकार, पूर्वी क्षेत्र हेतु ये हानियां 2.09% मानी गयी हैं।

3.40 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल किये गये अनुसार राज्यान्तरिक पारेषण हानियों पर 3.00% अनुसार विचार किया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के स्वीकृत विक्रय (admitted sale) पर आधारित ऊर्जा संतुलन/विद्युत क्रय आवश्यकता निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है:

तालिका 25 : आयोग द्वारा की गई गणना के अनुसार विद्युत क्रय की आवश्यकता

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य हेतु
कुल विक्रय (मिलियन यूनिट में)	15,897	17,805	16,535	50,237
वितरण हानि (प्रतिशत में)	**18.00%**	**16.00%**	**19.00%**	**17.64%**
वितरण हानि (मिलियन यूनिट में)	3,490	3,391	3,879	10,760
पारेषण–वितरण अन्तर्मुख पर आहरण (मिलियन यूनिट में)	19,387	21,196	20,414	60,997
पारेषण हानि (प्रतिशत में)	**3.00%**	**3.00%**	**3.00%**	**3.00%**
पारेषण हानि (मिलियन यूनिट में)	600	656	631	1,887
उत्पादन–पारेषण अन्तर्मुख पर आहरण (मिलियन यूनिट में)	19,986	21,852	21,045	62,883
पीजीसीआईएल हानियां (प्रतिशत में)				
पश्चिमी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां (प्रतिशत में)	3.83%	3.83%	3.83%	3.83%
पूर्वी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां (प्रतिशत में)	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%
पीजीसीआईएल हानियां (मिलियन यूनिट में)	475	446	457	1,378
विद्युत क्रय आवश्यकता (Power Purchase Requirement) (मिलियन यूनिट में)	**20,462**	**22,298**	**21,502**	**64,261**

3.41 मध्य प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्र 2260–एफ–3–24–2009 दिनांक 19 मार्च, 2013 द्वारा राज्य भर में एक समान खुदरा विद्युत प्रदाय विद्युत–दर (टैरिफ) को कायम रखे जाने की दृष्टि से, तीन विद्युत कम्पनियों को तत्समय आवंटित विद्युत उत्पादक क्षमता को पुनरीक्षित किया गया था। यह अधिसूचना वर्तमान में भी लागू है। मध्य प्रदेश शासन ने अपने पत्र क्रमांक 2287/2015/13 दिनांक 1 अप्रैल, 2015 द्वारा आयोग को राज्य भर में एक ही श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये एक समान खुदरा विद्युत–दर (retail tariff) कायम रखे जाने हेतु परामर्श दिया है। तद्नुसार, मप्र शासन ने इस टैरिफ आदेश में तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्यमान विद्युत उत्पादक क्षमता का आवंटन किया है तथा एमपीपीएमसीएल को आगे विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित स्टेशनों की क्षमताओं/लागतों को आनुपातिक भी किया है ताकि राज्य भर में एक समान विद्युत–दर (टैरिफ) कायम रखी जा सके।

3.42 निम्न तालिका पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों की उत्पादन क्षमताओं का आवंटन प्रस्तुत करती है जिसमें बुन्देलखण्ड तथा अन्य क्षेत्रों हेतु 200 मेगावाट के विशिष्ट आवंटन को भी शामिल किया गया है :

तालिका 26 : विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्यमान दीर्घ अवधि स्त्रोतों का स्टेशनवार क्षमता आवंटन

(प्रतिशत में)

वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रस्तावित विद्युत वितरण कम्पनीवार आवंटन									
सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादक स्टेशन का नाम	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	राज्य को आवंटित (मेगावाट में)	बुन्देलखण्ड क्षेत्र को विशिष्ट आवंटन (मेगावाट में)	राज्य को आवंटित (विशेष आवंटन को छोड़कर) (मेगावाट में)	विद्युत वितरण कंपनीवार आवंटन (प्रतिशत में) (विशिष्ट आवंटन को छोड़कर)			
						पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	योग
ए. केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन									
1	पश्चिमी क्षेत्र–केएसटीपीएस	2,100.00	477.86	52.63	425.23	32%	37%	31%	100%
2	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–I	1,260.00	439.81	32.26	407.55	31%	32%	37%	100%
3	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–II	1,000.00	315.51	25.47	290.04	30%	35%	35%	100%
4	पश्चिमी क्षेत्र–कवास जीपीपी	656.20	140.00	0.00	140.00	35%	40%	25%	100%
5	पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	657.39	117.00	0.00	117.00	32%	38%	30%	100%
6	पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	440.00	110.44	11.21	99.23	25%	40%	35%	100%
7	पश्चिमी क्षेत्र–तारापुर एपीएस इकाई क्रं. 3 तथा 4	1,080.00	228.58	27.50	201.08	25%	40%	35%	100%
8	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–III	1,000.00	242.51	25.47	217.04	25%	40%	35%	100%
9	पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	1,000.00	184.66	25.47	159.19	30%	40%	30%	100%
10	पूर्वी क्षेत्र–फरक्का एसटीपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00	30%	40%	30%	100%
11	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव–एसटीपीएस–II	1,500.00	73.95	0.00	73.95	27%	53%	20%	100%
12	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव–एसटीपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00	27%	53%	20%	100%
13	पूर्वी क्षेत्र–तालचेर–एसटीपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00	25%	55%	20%	100%
14	पूर्वी क्षेत्र–डीवीसी (एमटीपीएस, सीटीपीएस)	1,000.00	400.00	0.00	400.00	33%	53%	14%	100%
	उप–योग	**11,693.59**	**2,730.32**	**200.01**	**2,530.31**				
बी. राज्य विद्युत उत्पादक स्टेशन									
I	**ताप विद्युत**								
1	अमरकंटक संकुल	240.00	240.00	0.00	240.00	27%	33%	40%	100%
2	अमरकंटक विस्तार	210.00	210.00	0.00	210.00	27%	33%	40%	100%
3	सतपुड़ा टीपीएस पीएच I, II, III	830.00	830.00	0.00	830.00	29%	32%	39%	100%
4	संजय गांधी टीपीएस विस्तार	500.00	500.00	0.00	500.00	28%	32%	40%	100%
5	संजय गांधी टीपीएस	840.00	840.00	0.00	840.00	28%	32%	40%	100%
	उप–योग	**2,620.00**	**2,620.00**	**0.00**	**2,620.00**				
II	**जल–विद्युत**								
अन्तर्राज्यीय									
1	गांधी सागर	115.00	57.50	0.00	57.50	23%	27%	50%	100%
2	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	271.00	135.50	0.00	135.50	20%	30%	50%	100%
3	पेंच	160.00	106.67	0.00	106.67	20%	40%	40%	100%

4	राजघाट	45.00	22.50	0.00	22.50	20%	40%	40%	100%
	उप–योग	**591.00**	**322.17**	**0.00**	**322.17**				
सम्पूर्ण मप्र राज्य को आवंटन									
1	बरगी	100.00	100.00	0.00	100.00	25%	50%	25%	100%
2	बिरसिंहपुर	20.00	20.00	0.00	20.00	30%	50%	20%	100%
3	बाण सागर– I	315.00	315.00	0.00	315.00	30%	40%	30%	100%
4	बाण सागर– II	30.00	30.00	0.00	30.00	30%	40%	30%	100%
5	बाण सागर– IIi	60.00	60.00	0.00	60.00	30%	40%	30%	100%
6	बाण सागर– Iv	20.00	20.00	0.00	20.00	30%	40%	30%	100%
7	मढ़ीखेड़ा	60.00	60.00	0.00	60.00	30%	50%	20%	100%
	उप–योग	605.00	605.00	0.00	605.00				
द्विपक्षीय एवं अन्य									
1	इंदिरा सागर	1,015.00	1,015.00	0.00	1,015.00	22%	53%	25%	100%
2	अपारंपरिक–पवन विद्युत उत्पादन	63.00	63.00	0.00	63.00	30%	40%	30%	100%
3	कैप्टिव	17.00	17.00	0.00	17.00	29%	41%	30%	100%
4	सरदार सरोवर	1,450.00	826.50	0.00	826.50	32%	43%	25%	100%
5	ओंकारेश्वर	520.00	520.00	0.00	520.00	30%	45%	25%	100%
	उप–योग	**3,065.00**	**2,441.50**	**0.00**	**2,441.50**				
6	राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (चम्बल, सतपुड़ा)	0.00	0.00	0.00	0.00	29%	38%	33%	100%
7	यूपीपीसीएल (रिहंद, माताटीला, राजघाट)	55.00	55.00	0.00	55.00	29%	38%	33%	100%
उप–योग		3,120.00	**55.00**	**0.00**	**55.00**				
महायोग		**21,694.59**	**8,773.99**	**200.01**	**8,573.98**				

3.43 मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) को आवंटित किये गये स्टेशन जिनमें ऐसे स्टेशनों के विवरण भी शामिल हैं जिन्हें पूर्व में क्रियाशील (commission) किया जा चुका है तथा वे जिन्हें वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान क्रियाशील किया जाना अपेक्षित है, के विवरण निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

तालिका 27 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु एमपीपीएमसीएल को आवंटित विद्युत उत्पादक स्टेशन

सरल क्रमांक	विवरण	एमपीपीएमसीएल को आवंटित (मेगावाट में)
1	पश्चिमी क्षेत्र–सीपत–I (तीन इकाईयां)	340
2	पश्चिमी क्षेत्र–एनटीपीसी कोरबा–7	77
3	सिंगाजी ताप विद्युत स्टेशन चरण– I –इकाई–1	600
	सिंगाजी ताप विद्युत स्टेशन चरण– I –इकाई–2	600
4	सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन विस्तार–इकाई–10	250

	सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन विस्तार–इकाई–11	250
5	पश्चिमी क्षेत्र–एनटीपीसी मौदा– ताप विद्युत स्टेशन–इकाई–1	93
	पश्चिमी क्षेत्र–एनटीपीसी मौदा– ताप विद्युत स्टेशन–इकाई–2	78
6	पश्चिमी क्षेत्र–विंध्याचल मेगा परियोजना, चरण–चार–इकाई–1	143
	पश्चिमी क्षेत्र–विंध्याचल मेगा परियोजना, चरण–चार–इकाई–2	137
7	पूर्वी क्षेत्र–डीवीसी दुर्गापुर स्टील ताप विद्युत स्टेशन–इकाई–1	50
	पूर्वी क्षेत्र–डीवीसी दुर्गापुर स्टील ताप विद्युत स्टेशन–इकाई–2	50
8	पश्चिमी क्षेत्र–यूएमपीपी सासन, सीधी इकाई–1	247
	पश्चिमी क्षेत्र–यूएमपीपी सासन, सीधी इकाई–2	248
	पश्चिमी क्षेत्र–यूएमपीपी सासन, सीधी इकाई–3 एवं 4	495
	पश्चिमी क्षेत्र–यूएमपीपी सासन, सीधी इकाई–5 एवं 6	495
9	जेपी बीना पावर सागर इकाई–1	175
	जेपी बीना पावर सागर इकाई–2	175
10	पश्चिमी क्षेत्र–जयप्रकाश पावर, नीगरी–इकाई–I	248
	पश्चिमी क्षेत्र–जयप्रकाश पावर, नीगरी–इकाई–2	248
11	पश्चिमी क्षेत्र–एमबी पावर, अनूपपुर इकाई–1	210
	पश्चिमी क्षेत्र–एमबी पावर, अनूपपुर इकाई–2	210
12	बीएलए पावर, नरसिहपुर इकाई–1	16
	बीएलए पावर, नरसिहपुर इकाई–2	16
13	पश्चिमी क्षेत्र–झाबुआ पावर, सिवनी	210
14	पश्चिमी क्षेत्र–लैंको ताप विद्युत स्टेशन, अमरकंटक	300
15	पश्चिमी क्षेत्र–टोरेंट पावर जीपीपी	100
16	पश्चिमी क्षेत्र–एस्सार पावर से रियायती ऊर्जा	30
17	नवकरणीय ऊर्जा	370
18	नवकरणीय गैर–सौर ऊर्जा	847
	योग	**7307**

3.44 प्रत्येक स्टेशन से वैयक्तिक रूप से ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से, ऊर्जा की उपलब्धता, जैसा कि इसे याचिकाकर्ताओं ने दाखिल किया है, की तुलना उपलब्धता के साथ, इसकी गणना विद्युत उत्पादन कम्पनियों के पूर्व के तीन वर्षों के निष्पादन के आधार पर करते हुए, की गई है। इसके अतिरिक्त आयोग ने राज्य को आवंटित विद्युत स्टेशनों के वास्तविक ऊर्जा उत्पादन के औसत पर विचार किया है जैसा कि इसे विद्यमान केन्द्रीय विद्युत उत्पादक केन्द्रों की ऊर्जा उपलब्धता के बारे में दाखिल किया गया है।

3.45 आयोग द्वारा मप्र जनको को मप्र जनको केन्द्रों (stations) से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु ऊर्जा उपलब्धता के प्रक्षेपण प्रस्तुत करने बाबत निर्देश दिये गये। मप्र जनको द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु ये प्रक्षेपण अपने पत्र क्रमांक 07–12/सीएस/एमपीपीजीसीएल/एमपीईआरसी/आरएसटीपी–15/101 दिनांक 15 जनवरी 2015 द्वारा प्रस्तुत किये गये। तद्नुसार, आयोग ने ताप विद्युत उत्पादक केन्द्रों हेतु ऊर्जा की उपलब्धता पर एमपी जनको द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रस्तुत किये गये अनुसार विचार किया है।

3.46 आयोग द्वारा नर्मदा हायड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएचडीसी), से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु इन्दिरा सागर पावर स्टेशन (आईएसपीएस) तथा ओंकारेश्वर (ओएसपी) की विद्युत उपलब्धता के प्रक्षेपण चाहे गये थे। एनएचडीसी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु माह दिसम्बर, 2014 तक की विद्युत उपलब्धता तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रक्षेपण अपने पत्र क्रमांक एनएचडीसी/1/ओ एण्ड एम/06/2015/528 दिनांक 15 जनवरी, 2015 द्वारा प्रस्तुत किये हैं।

3.47 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु मप्र जनको तथा अन्तर्राज्यीय जल विद्युत स्टेशनों की ऊर्जा उपलब्धता के प्रक्षेपण हेतु पिछले तीन वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2011–12, वित्तीय वर्ष 2012–13, वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 (माह दिसम्बर तक के) की औसत ऊर्जा उपलब्धता पर विचार किया है।

3.48 एमपीपीएमसीएल को आवंटित किये गये नवीन विद्युत उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की उपलब्धता के बारे में आयोग ने ऊर्जा की उपलब्धता का प्रक्षेपण केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की टैरिफ की निबन्धन तथा शर्तों से संबंधित विनियम, 'CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009 तथा मप्रविनिआ उत्पादन टैरिफ विनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट किये गये मानदण्डों तथा प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर किया है।

3.49 वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रक्षेपित किये गये माहवार विद्युत उपलब्धता के विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किये गये हैं :

तालिका 28 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु माहवार मिलियन यूनिट विद्युत उपलब्धता के प्रक्षेपण

स.क्रं.	विद्युत उत्पादक स्टेशन	अप्रैल 15	मई 15	जून 15	जुलाई 15	अगस्त 15	सितम्बर 15	अक्टूबर 15	नवम्बर 15	दिसम्बर 15	जनवरी 16	फरवरी 16	मार्च 16	योग
I विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित														
ए. केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन														
1	पश्चिमी क्षेत्र –केएसटीपीएस	277	286	230	238	267	277	286	277	267	267	268	238	3,179

2	पश्चिमी क्षेत्र–वीएस टीपीएस–I	230	238	230	270	270	230	238	261	270	270	253	270	3,029
3	पश्चिमी क्षेत्र–वी एसटीपीएस–II	196	202	196	202	130	196	202	196	202	202	189	202	2,314
4	पश्चिमी क्षेत्र– कवास जीपीपी	33	34	38	39	39	34	35	34	39	39	37	39	442
5	पश्चिमी क्षेत्र– गंधार जीपीपी	35	36	35	36	30	26	30	35	36	36	34	30	399
6	पश्चिमी क्षेत्र– काकरापार एपीएस	47	75	73	75	75	73	75	73	75	75	44	75	835
7	पश्चिमी क्षेत्र – तारापुर एपीएस इकाई 3 तथा 4	131	88	84	135	135	131	135	131	135	135	127	135	1,505
8	पश्चिमी क्षेत्र–वी एसटीपीएस–III	158	164	158	105	164	158	164	158	164	164	153	164	1,873
9	पश्चिमी क्षेत्र – सीपत–II	103	106	103	68	106	103	106	103	106	106	100	106	1,217
10	पूर्वी क्षेत्र– कहलगांव–II एसटीपीएस	24	25	24	25	25	24	25	24	25	25	22	25	289
11	दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस, सीटीपीएस)	192	199	192	199	199	192	199	192	199	199	186	199	2,347
	उप–योग	**1,426**	**1,453**	**1,363**	**1,392**	**1,440**	**1,444**	**1,495**	**1,484**	**1,517**	**1,517**	**1,414**	**1,484**	**17,429**
बी राज्य के विद्युत उत्पादन स्टेशन														
I	**ताप विद्युत**													
1	अमरकंटक संकुल	106	109	106	109	57	58	109	106	109	109	102	109	1,189
2	अमरकंटक विस्तार	133	137	133	137	137	8	137	133	137	137	129	137	1,498
3	सतपुड़ा टीपीएस पीएच I,II,तथा III	347	358	347	358	192	264	280	347	358	358	336	358	3,901
4	संजय गांधी टीपीएस विस्तार	285	294	285	294	294	18	294	285	294	294	277	294	3,209
5	संजय गांधी टीपीएस	360	371	360	196	286	360	371	360	371	371	349	371	4,128
	उप–योग	**1,231**	**1,269**	**1,231**	**1,094**	**967**	**708**	**1,191**	**1,231**	**1,269**	**1,269**	**1,193**	**1,269**	**13,924**
II	**जल विद्युत स्टेशन**													
	अन्तर्राज्यीय													
1	गांधी सागर	7	11	8	3	12	7	7	13	24	26	17	20	154
2	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	24	18	19	19	20	33	40	33	34	43	24	19	325
3	पेंच	12	11	11	11	19	42	52	30	16	16	24	14	260
4	राजघाट	0	0	4	2	4	3	3	8	7	2	2	1	37
	उप–योग	**44**	**39**	**42**	**35**	**55**	**85**	**102**	**84**	**80**	**88**	**67**	**54**	**776**
सम्पूर्ण मप्र राज्य को आवंटन														
1	बरगी	48	28	24	27	54	53	49	39	39	37	33	43	473
2	बिरसिंहपुर	0	0	1	6	8	8	3	5	1	0	0	0	33
3	बाण सागर–I	119	137	140	140	170	168	166	130	109	134	116	150	1,677
4	बाण सागर–II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बाण सागर–III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	बाण सागर–Iv	10	10	5	7	7	10	11	9	10	12	11	12	115
7	मढ़ीखेड़ा	5	3	0	7	27	15	14	11	11	12	7	7	120
	उप–योग	**182**	**178**	**170**	**187**	**266**	**253**	**243**	**193**	**170**	**195**	**167**	**213**	**2,417**
	द्विपक्षीय एवं अन्य													
1	इंदिरा सागर	218	158	132	256	462	485	263	277	250	235	174	225	3,133
2	कैप्टिव	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50

3	सरदार सरोवर	201	121	101	175	184	514	224	180	230	264	186	198	2,577
4	ओंकारेश्वर	99	76	68	114	156	192	107	114	105	103	80	102	1,317
	उप–योग	**523**	**359**	**305**	**549**	**806**	**1,195**	**599**	**575**	**589**	**605**	**444**	**529**	**7,077**
5	राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (चम्बल,सतपुड़ा)													
6	यूपीपीसीएल (रिहंद,माताटीला, राजघाट)	23	14	11	20	21	58	25	20	26	30	21	22	289
	उप–योग	**23**	**14**	**11**	**20**	**21**	**58**	**25**	**20**	**26**	**30**	**21**	**22**	**289**
	महायोग	**3,428**	**3,311**	**3,122**	**3,277**	**3,554**	**3,743**	**3,655**	**3,588**	**3,651**	**3,704**	**3,306**	**3,572**	**41,912**
2. एमपीपीएमसीएल को आवंटित														
1	पश्चिमी क्षेत्र– सीपत–I(3 इकाईयां)	190	196	190	196	148	190	196	190	196	196	183	196	2,264
2	पश्चिमी क्षेत्र– एनटीपीसी– कोरबा–7	66	68	19	68	68	66	68	66	68	68	64	68	757
3	श्री सिंगाजी ताप विद्युत स्टेशन चरण–I –इकाई–1	236	244	236	244	244	236	244	236	244	244	221	244	2,876
	श्री सिंगाजी ताप विद्युत स्टेशन चरण–I –इकाई–2	234	242	234	242	242	234	242	234	242	242	218	242	2,847
4	सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन विस्तार–इकाई–10	129	133	129	133	133	129	133	129	133	133	120	133	1,567
	सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन विस्तार–इकाई–11	129	133	129	133	133	129	133	129	133	133	120	133	1,567
5	पश्चिमी क्षेत्र– एनटीपीसी मौदा–ताप विद्युत स्टेशन–इकाई–1	57	59	57	59	59	57	59	57	59	59	53	59	692
	पश्चिमी क्षेत्र– एनटीपीसी मौदा–ताप विद्युत स्टेशन–इकाई–2	48	49	48	49	49	48	49	48	49	49	45	49	581
6	पश्चिमी क्षेत्र– विंध्याचल मेगा परियोजना, चरण चार –इकाई–1	88	90	88	90	90	88	90	88	90	90	82	90	1,065
	पश्चिमी क्षेत्र– विंध्याचल मेगा परियोजना, चरण –चार–इकाई–2	84	87	84	87	87	84	87	84	87	87	78	87	1,022
7	पूर्वी क्षेत्र– डीवीसी दुर्गापुर स्टील ताप विद्युत स्टेशन– इकाई–1	27	24	25	24	25	25	24	25	24	25	25	23	295
	पूर्वी क्षेत्र– डीवीसी दुर्गापुर स्टील ताप विद्युत स्टेशन –इकाई–2	27	24	25	24	25	25	24	25	24	25	25	23	295
8	पश्चिमी क्षेत्र– यूएमपीपी सासन सीधी इकाई–1	151	156	151	156	156	151	156	151	156	156	141	156	1,839
	पश्चिमी क्षेत्र– यूएमपीपी सासन सीधी इकाई–2	152	157	152	157	157	152	157	152	157	157	142	157	1,847
	पश्चिमी क्षेत्र– यूएमपीपी सासन, सीधी इकाई–3 तथा 4	303	313	303	313	313	303	313	303	313	313	283	313	3,686
	पश्चिमी क्षेत्र– यूएमपीपी सासन, सीधी इकाई–5 तथा 6	303	313	303	313	313	303	313	303	313	313	283	313	3,686

9	जेपी बीना पावर, सागर इकाई–1	108	112	108	112	112	108	112	108	112	112	101	112	1,319
	जेपी बीना पावर, सागर इकाई –2	108	112	108	112	112	108	112	108	112	112	101	112	1,319
10	पश्चिमी क्षेत्र– जयप्रकाश पावर, नीगरी –इकाई– I	157	162	157	162	162	157	162	157	162	162	146	162	1,908
	पश्चिमी क्षेत्र– जयप्रकाश पावर, नीगरी –इकाई–2	157	162	157	162	162	157	162	157	162	162	146	162	1,908
11	पश्चिमी क्षेत्र–एमबी पावर, अनूपपुर इकाई–1	0	136	132	136	136	132	136	132	136	136	123	136	1,471
	पश्चिमी क्षेत्र–एमबी पावर, अनूपपुर इकाई–1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	123	136	395
12	बीएलए पावर, नरसिंहपुर इकाई–1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	120
13	बीएल पावर, नरसिंहपुर इकाई–2	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	100
14	पश्चिमी क्षेत्र– झाबुआ पावर, सिवनी	0	0	0	0	0	0	136	132	136	136	123	136	799
15	पश्चिमी क्षेत्र–लैंको ताप विद्युत स्टेशन, अमरकंटक	184	190	184	190	190	184	190	184	190	190	171	190	2,234
16	पश्चिमी क्षेत्र–टोरेंट पावर जीपीपी	21	22	21	22	22	21	22	21	22	22	20	22	256
17	पश्चिमी क्षेत्र– एस्सार पावर से रियायती ऊर्जा	16	17	16	17	17	16	17	16	17	17	15	17	201
18	नवकरणीय ऊर्जा– सौर	46	51	50	49	47	46	44	43	41	41	40	43	541
19	नवकरणीय ऊर्जा– गैर–सौर	139	143	142	144	143	141	138	137	135	134	136	138	1,670
	डप–योग	**3,169**	**3,405**	**3,266**	**3,415**	**3,366**	**3,308**	**3,540**	**3,433**	**3,534**	**3,671**	**3,348**	**3,673**	**41,128**
	महायोग	**6,597**	**6,717**	**6,388**	**6,691**	**6,920**	**7,051**	**7,195**	**7,021**	**7,185**	**7,375**	**6,654**	**7,245**	**83,040**

3.50 विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित स्त्रोतों से 41912 मिलियन यूनिट की ऊर्जा उपलब्धता को विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य मप्र शासन, ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक 2254/13/13/02/भोपाल दिनांक 19 मार्च, 2013 द्वारा आवंटित किया गया है। तत्पश्चात्, एमपीपीएमसीएल स्त्रोतों का आवंटन विद्युत वितरण कम्पनियों की अवशेष आवश्यकता के आधार पर किया गया है। आयोग ने कुछ विद्युत उत्पादक केन्द्रों, जैसे कि एनटीपीसी मौदा टीपीएस इकाई क्रमांक–1 और 2 तथा एस्सार(ESSAR) से रियायती ऊर्जा की प्राप्ति को निरस्त कर दिया गया है ताकि उपगत परिवर्तनीय लागतों की बचत की जा सके क्योंकि उनको चालू रखा जाना उपरोक्त विद्युत की अनुसूचीबद्धता को युक्तिसंगत नही ठहराता है। एसपीपीएमसीएल को आवंटित स्त्रोतों से ऊर्जा की उपलब्धता 39,654 मिलियन यूनिट है। तद्नुसार, माहवार विद्युत वितरण कम्पनीवार आवश्यकता तथा अनुमानित उपलब्धता को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 29 : विद्युत की माहवार उपलब्धता तथा आवश्यकता

वित्तीय वर्ष 2015–16 (प्रक्षेपण)													
विद्युत क्रय आवश्यकता – एक्स विद्युत उत्पादक बस (मिलियन यूनिट में)													
विवरण	**अप्रैल**	**मई**	**जून**	**जुलाई**	**अगस्त**	**सितम्बर**	**अक्टूबर**	**नवम्बर**	**दिसम्बर**	**जनवरी**	**फरवरी**	**मार्च**	**योग**
पूर्व क्षेविविकं	1,429	1,638	1,639	1,638	1,636	1,634	1,635	1,844	2,046	2,047	1,638	1,636	20,462
पश्चिम क्षेविविकं	1,557	1,787	1,788	1,785	1,780	1,777	1,781	2,009	2,231	2,233	1,786	1,783	22,298
मध्य क्षेविविकं	1,501	1,721	1,722	1,722	1,720	1,719	1,718	1,937	2,150	2,152	1,721	1,719	21,502
राज्य हेतु योग	**4,487**	**5,146**	**5,150**	**5,145**	**5,136**	**5,130**	**5,135**	**5,791**	**6,427**	**6,432**	**5,146**	**5,137**	**64,261**
समस्त स्त्रोतों से उपलब्धता–एक्स विद्युत उत्पादक बस (मिलियन यूनिट में)													
दीर्घकालीन स्त्रोतों से आवश्यकता की पूर्ति	**3,428**	**3,311**	**3,122**	**3,277**	**3,554**	**3,743**	**3,655**	**3,588**	**3,651**	**3,704**	**3,306**	**3,572**	**41,912**
विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित स्त्रोतों के उपरान्त अवशेष आवश्यकता	1,059	1,835	2,028	1,868	1,582	1,388	1,480	2,202	2,775	2,728	1,839	1,566	22,349
एमपीपीएमसीएल स्त्रोत, जैसा कि वे उपलब्ध है	3,169	3,405	3,266	3,415	3,366	3,308	3,540	3,433	3,534	3,671	3,348	3,673	41,128
आवश्यकता जिसकी पूर्ति एमपीपीएमसीएल स्त्रोतों से की जाएगी	1,059	1,835	2,028	1,868	1,582	1,388	1,480	2,202	2,775	2,728	1,839	1,566	22,349
विद्युत वितरण कम्पनियों एवं एमपीपीएमसीएल आवंटित स्त्रोत के बाद आधिक्य (बचत) ऊर्जा की मात्रा	2,110	1,571	1,238	1,546	1,784	1,920	2,060	1,230	759	943	1,508	2,108	18,779
स्टेशनों से निरस्त (backing down) की गई विद्युत उपलब्धता	121	125	121	125	125	121	125	121	125	125	113	125	1,474
शुद्ध आधिक्य (बचत) उपलब्धता	1,989	1,446	1,117	1,421	1,659	1,799	1,935	1,109	633	818	1,395	1,982	17,305
कुल विद्युत उपलब्धता	**6,476**	**6,591**	**6,267**	**6,566**	**6,795**	**6,930**	**7,070**	**6,900**	**7,060**	**7,250**	**6,541**	**7,120**	**81,566**

3.51 राज्य की तीन विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार विद्युत आवंटन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 30 : मप्र शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन

(मेगावाट में)

सरल क्रमाक	विद्युत उत्पादक स्टेशन	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	राज्य को आवंटन (मेगावाट में)	राज्य को आवंटन (प्रतिशत में)	विद्युत वितरण कंपनीवार आवंटन (मेगावाट मे विशिष्ट आवंटन को शामिल करते हुए)			
	ए. केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन				पूर्व क्षेत्र विविकं	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	मध्य क्षेत्र विविकं	योग
1	पश्चिमी क्षेत्र–केएसटीपीएस	2,100	478	23%	189	157	132	478
2	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–I	1,260	440	35%	159	130	151	440
3	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–II	1,000	316	32%	112	102	102	316
4	पश्चिमी क्षेत्र–कवास जीपीपी	656	140	21%	49	56	35	140
5	पश्चिमी क्षेत्र–गंधार जीपीपी	657	117	18%	37	44	35	117
6	पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	440	110	25%	36	40	35	110
7	पश्चिमी क्षेत्र–तारापुर एपीएस इकाई 3 तथा 4	1,080	229	21%	78	80	70	229
8	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–III	1,000	243	24%	80	87	76	243
9	पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	1,000	185	18%	73	64	48	185
10	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस–II	1,500	74	5%	20	39	15	74
11	पूर्वी क्षेत्र–दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस, सीटीपीएस)	1,000	400	40%	132	212	56	400
	उप–योग	**11,694**	**2,730**	**23%**	**965**	**1,012**	**754**	**2,730**
बी.	**राज्य के विद्युत उत्पादक स्टेशन**							
I	**ताप विद्युत**							
1	अमरकंटक संकुल	240	240	100%	65	79	96	240
2	अमरकंटक विस्तार	210	210	100%	57	69	84	210
3	सतपुड़ा टीपीएस–पीएच I,II, III	830	830	100%	241	266	324	830
4	संजय गांधी टीपीएस विस्तार	500	500	100%	140	160	200	500
5	संजय गांधी टीपीएस	840	840	100%	235	269	336	840
	उप–योग	**2,620**	**2,620**	**100%**	**737**	**843**	**1,040**	**2,620**
II	**जल–विद्युत**							
	अन्तर्राज्यीय							
1	गांधी सागर	115	58	50%	13	16	29	58
2	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	271	136	50%	27	41	68	136
3	पेंच	160	107	67%	21	43	43	107
4	राजघाट	45	23	50%	5	9	9	23

	उप–योग	**591**	**322**	**55%**	**66**	**108**	**148**	**322**
	सम्पूर्ण मप्र राज्य को आवंटन							
1	बरगी	100	100	100%	25	50	25	100
2	बिरसिंहपुर	20	20	100%	6	10	4	20
3	बाण सागर–I	315	315	100%	95	126	95	315
4	बाण सागर–II	30	30	100%	9	12	9	30
5	बाण सागर–III	60	60	100%	18	24	18	60
6	बाण सागर–IV	20	20	100%	6	8	6	20
7	मढ़ीखेड़ा	60	60	100%	18	30	12	60
	उप–योग	**605**	**605**	**100%**	**177**	**260**	**169**	**605**
	द्विपक्षीय एवं अन्य							
1	इंदिरा सागर	1,015	1,015	100%	223	538	254	1,015
2	कैप्टिव	17	17	100%	5	7	5	17
3	सरदार सरोवर	1,450	827	57%	264	355	207	827
4	ओंकारेश्वर	520	520	100%	156	234	130	520
	उप–योग	**3,065**	**2,442**	**0%**	**649**	**1,134**	**595**	**2,379**
5	आरएसइबी (चम्बल, सतपुड़ा)	0	0	0%	0	0	0	0
6	यूपीपीसीएल (रिहंद, माताटीला, राजघाट)	55	55		16	21	18	55
	उप–योग	**3,120**	**55**	**2%**	**16**	**21**	**18**	**55**
	महायोग	**21,695**	**8,774**	**40%**	**2,610**	**3,378**	**2,724**	**8,711**

3.52 वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित स्टेशनों हेतु स्टेशनवार एक्स–बस उपलब्धता निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 31 : विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)

	विद्युत उत्पादक स्टेशन का नाम	उपलब्धता (एक्स बस)			सम्पूर्ण राज्य
		पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.	
ए. केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन					
1	पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	1,255	1,047	877	3,179
2	पश्चिमी क्षेत्र– वीएसटीपीएस– I	1,092	898	1,039	3,029
3	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–II	825	745	745	2,314
4	पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	155	177	110	442
5	पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	128	151	120	399

6	पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	272	300	263	835
7	पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस इकाई 3 तथा 4	512	530	463	1,505
8	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–III	616	671	587	1,873
9	पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	483	420	315	1,217
10	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस –II	78	153	58	289
11	पूर्वी क्षेत्र–दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस, सीटीपीएस)	774	1,244	329	2,347
	उप–योग	**6,190**	**6,335**	**4,904**	**17,429**
I	**ताप विद्युत**				
1	अमरकंटक संकुल	321	392	476	1,189
2	अमरकंटक विस्तार	404	494	599	1,498
3	सतपुड़ा टीपीएस–पीएच I, II, III	1,131	1,248	1,521	3,901
4	संजय गांधी टीपीएस विस्तार	899	1,027	1,284	3,209
5	संजय गांधी टीपीएस	1,156	1,321	1,651	4,128
	उप–योग	**3,911**	**4,483**	**5,531**	**13,924**
	जल विद्युत				
II	**अन्तर्राज्यीय**				
1	गांधी सागर	36	42	77	154
2	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	65	97	162	325
3	पेंच	52	104	104	260
4	राजघाट	7	15	15	37
	उप–योग	**160**	**258**	**358**	**776**
	सम्पूर्ण म प्र राज्य को आवंटन				
1	बरगी	118	236	118	473
2	बिरसिंहपुर	10	16	7	33
3	बाण सागर– I	503	671	503	1,677
4	बाण सागर– II	0	0	0	0
5	बाण सागर–III	0	0	0	0
6	बाण सागर– IV	34	46	34	115
7	मढ़ीखेड़ा	36	60	24	120
	उप–योग	**701**	**1,029**	**686**	**2,417**
	द्विपक्षीय एवं अन्य				
1	इंदिरा सागर	689	1,661	783	3,133
2	अपारंपरिक –पवन ऊर्जा	0	0	0	0

3	कैप्टिव	15	21	15	50
4	सरदार सरोवर	825	1,108	644	2,577
5	ओंकारेश्वर	395	593	329	1,317
	उप–योग	1,924	3,382	1,772	7,077
6	आरएसईबी (चम्बल, सतपुड़ा)	0	0	0	0
7	यूपीपीसीएल (रिहंद, माताटीला राजघाट)	83	110	95	289
	उप–योग	**83**	**110**	**95**	**289**
	महायोग	**12,970**	**15,597**	**13,346**	**41,912**

3.53 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मानदण्डीय हानि स्तरों के आधार पर ऊर्जा की उपलब्धता तथा विद्युत वितरण कम्पनियों की आवश्यकताओं में अन्तर आएगा। माहवार विद्युत वितरण कम्पनियों की माहवार आवश्यकता की पूर्ति उन्हें आवंटित क्षमताओं के अंशदान से नहीं की जाएगी। चूंकि विद्युत वितरण कम्पनियों की माहवार आवश्यकता उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आवंटित उपलब्धता से अधिक है, इसकी पूर्ति आगे एमपीपीएमसीएल आवंटित स्टेशनों से की जाएगी।

3.54 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु एमपीपीएमसीएल को आवंटित विद्युत उत्पादक स्टेशनों के लिए भी सुयोग्यता–क्रम प्रेषण (Merit Order Dispatch-MOD) के सिद्धान्त का अनुप्रयोग किया है। सुयोग्यता क्रम प्रेषण के आधार पर इन स्टेशनों से किया जाने वाला माहवार प्रेषण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 32 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु एमपीपीएमसीएल को आवंटित स्टेशनों से सुयोग्यताक्रम प्रेषण **(मिलियन यूनिट में)**

माह	एमपीपीएमसीएल को आवंटित स्टेशनों से प्रेषण (मिलियन यूनिट में)			
	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
अप्रैल	365	293	401	1,059
मई	603	586	645	1,835
जून	666	660	702	2,028
जुलाई	623	564	682	1,868
अगस्त	551	406	624	1,582
सितंबर	483	298	606	1,388
अक्टूबर	509	419	552	1,480
नवंबर	737	679	786	2,202
दिसंबर	916	883	976	2,775
जनवरी	901	866	960	2,728
फरवरी	608	579	652	1,839
मार्च	529	467	569	1,566
योग	**7,492**	**6,701**	**8,156**	**22,349**

3.55 विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा एक्स–बस विद्युत क्रय की आवश्यकता, विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित स्त्रोतों विद्युत की उपलब्धता, एमपीपीएमसीएल अवंटित स्त्रोतों से विद्युत के प्रस्तावित क्रय को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका 33 : आवश्यकता, उपलब्धता तथा कमी (मिलियन यूनिट में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	राज्य
एक्स–बस पर कुल आवश्यकता	20,462	22,298	21,502	64,261
स्थाई उपलब्धता के माध्यम से सुयोग्यता क्रम प्रेषण के विचारोपरांत कुल एक्स–बस उपलब्धता	12,970	15,597	13,346	41,912
अन्तर	7,492	6,701	8,156	22,349
अस्थाई उपलब्धता के माध्यम से सुयोग्यता क्रम प्रेषण पर आधारित एमपीपीएमसीएल आवंटित स्टेशनों से विद्युत का क्रय	7,492	6,701	8,156	22,349
वांछित शेष	0	0	0	0

3.56 एमपीपीएमसीएल स्टेशनों पर सुयोग्यता–क्रम प्रेषण के अनुपयोग के पश्चात् यह पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कुछ ऐसे माह भी होंगे जब विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा एमपीपीएमसीएल से विद्युत की उपलब्धता का आंशिक तौर पर उपयोग किया जा सकेगा। आयोग याचिकाकर्ताओं को निर्देश देता है कि वे बचत की गई विद्युत का उपयोग उनके उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ण आपूर्ति के पश्चात उनके द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार विद्युत विनिमय केन्द्रों (Power exchanges) या फिर बोली प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत का विक्रय करेंगे।

विद्युत क्रय लागतें (Power Purchase Costs)

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन (ताप विद्युत) {Central Generating Stations (Thermal)}

3.57 पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी के स्टेशनों के बारे में वैयक्तिक स्टेशन के स्थाई लागत अवधारण के प्रयोजन से आयोग द्वारा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) द्वारा एनटीपीसी तथा अन्य स्टेशनों हेतु जारी किये गये अन्तिम उपलब्ध टैरिफ आदेशों पर विचार किया गया है। इनके विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका 34 : ताप विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु स्थाई लागत आदेश संदर्भ (एमपीपीजीसीएल, विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किये गये को छोड़कर)

सरल क्रमांक	स्टेशन का नाम	स्थाई लागत आदेश का संदर्भ
1	पश्चिमी क्षेत्र–केएसटीपीएस	केविनिआ आदेश दिनांक 05.11.2014 याचिका क्रमांक 230 / जीटी / 2013
2	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–I	केविनिआ आदेश दिनांक 07.08.2014 याचिका क्रमांक 182 / जीटी / 2013
3	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–II	केविनिआ आदेश दिनांक 25.05.2012 याचिका क्रमांक 258 / 2009
4	पश्चिमी क्षेत्र–कवास जीपीपी	केविनिआ आदेश दिनांक 25.06.2014 याचिका क्रमांक 285 / 2009
5	पश्चिमी क्षेत्र–गंधार जीपीपी	केविनिआ आदेश दिनांक 25.06.2014 याचिका क्रमांक 226 / 2009
6	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपी–III	केविनिआ आदेश दिनांक 15.05.2014 याचिका क्रमांक 148 / जीटी / 2013
7	पश्चिमी क्षेत्र–सीपत–II	केविनिआ आदेश दिनांक 17.09.2014 याचिका क्रमांक 132 / जीटी / 2013
8	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस–II	केविनिआ का समीक्षा आदेश दिनांक 08.02.2013, याचिका क्रमांक 11 / आरपी / 2012
9	पश्चिमी क्षेत्र–सीपत–I (3 इकाईयां)	केविनिआ आदेश दिनांक 22.08.2013 याचिका क्रमांक 28 / 2011
10	एनटीपीसी कोरबा–VII	केविनिआ का समीक्षा आदेश दिनांक 09.04.2013 याचिका क्रमांक 16 / आरपी / 2012
11	आईपीपी टोरेन्ट	केविनिआ आदेश दिनांक 01.10.2013 याचिका क्रमांक 221 / जीटी / 2013

3.58 ताप विद्युत स्टेशनों के संबंध में स्थाई लागत की गणना केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulations 2009 के स्थाई लागत की वसूली संबंधी विनियमों, 'Recovery of Fixed Cost Regulations' के अनुसार की गई है।

3.59 वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु, आयोग ने एनटीपीसी, एमपीपीजीसीएल तथा अन्य विद्युत उत्पादकों द्वारा एमपीपीएमसीएल को माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 तक प्रस्तुत किये गये देयकों पर परिवर्तनीय लागत जैसा कि इसे वास्तविक देयकों में प्रभारित किया गया है, माना गया है।

केन्द्रीय तथा राज्य के विद्युत उत्पादक स्टेशन (जल विद्युत) [Central & State Generating Stations (Hydel)]

3.60 जल–विद्युत स्टेशनों के स्थाई प्रभारों की गणना हेतु आयोग द्वारा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा वैयक्तिक स्टेशनों हेतु जारी अंतिम टैरिफ आदेश को माना गया है। इसके अतिरिक्त, स्थाई लागतों की गणना केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा

जारी CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulations 2009 के स्थाई प्रभारों की वसूली से संबंधित विनियम 'Recovery of Fixed Charges Regulations' तथा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण हेतु निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 के अनुसार की गई है।

इन्दिरा सागर (एनएचडीसी) :

3.61 इन्दिरा सागर जल विद्युत संयंत्र हेतु प्रभार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु, याचिका क्रमांक 154/2010 से तत्संबंधी टैरिफ आदेश दिनांक 13 जून, 2012 के अनुसार स्वीकृत किये गये हैं।

सरदार सरोवरः

3.62 आयोग द्वारा वार्षिक स्थाई प्रभार आयोग द्वारा 6 अगस्त, 2013 को पारित टैरिफ आदेश के अनुसार स्वीकार किये गये हैं।

ओंकारेश्वरः

3.63 आयोग द्वारा ओंकारेश्वर हेतु, वार्षिक स्थाई प्रभार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 265/2010 के अन्तर्गत पारित टैरिफ आदेश दिनांक 9 जून, 2014 के अनुसार स्वीकार किये गये हैं।

ऊर्जा के नवकरणीय स्त्रोत (Renewable Sources) :

3.64 विद्युत वितरण कंपनियों ने नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से सौर तथा गैर–सौर ऊर्जा स्त्रोतों को शामिल करते हुए 2211 मिलियन यूनिट विद्युत क्रय किया जाना प्रस्तावित किया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु, सौर ऊर्जा की लागत रू. 7.63 प्रति किलोवाट ऑवर तथा गैर–सौर ऊर्जा हेतु रू. 4.95 प्रति किलोवाट ऑवर मानी गई है।

3.65 मध्य प्रदेश शासन ने दिनांक 19 नवम्बर, 2010 को मप्रविनिआ {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण–I) विनियम 2010 अधिसूचित किया था। आयोग ने नवकरणीय स्त्रोतों से ऊर्जा की अधिप्राप्ति क्रय अनुबन्ध (PPA) के माध्यम से अथवा लघु अवधि बाजार से नवकरणीय ऊर्जा क्रय आबन्ध (RPO) सुनिश्चित करने बाबत विचार किया है।

3.66 मप्रविनिआ {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण–I) विनियम 2010 की सुसंबद्ध धारा यहां उद्धरित की जा रही है :

"4.1 समस्त आबन्धित इकाईयों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से, विद्युत के सह–उत्पादन को सम्मिलित करते हुए, की न्यूनतम विद्युत की अधिप्राप्ति (Procure) की जाने वाली मात्रा जो उनकी कुल वार्षिक अधिप्राप्ति के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की जाएगी, निम्न वित्तीय वर्षों के दौरान निम्नानुसार होगी :–

वित्तीय वर्ष	*ऊर्जा का विद्युत सह–उत्पादन तथा अन्य नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोत*		
	सौर ऊर्जा प्रतिशत	*गैर–सौर प्रतिशत*	*कुल प्रतिशत*
2010–11	*–*	*0.80*	*0.80*
2011–12	*0.40*	*2.10*	*2.50*
2012–13	*0.60*	*3.40*	*4.00*
2013–14	*0.80*	*4.70*	*5.50*
2014–15	***1.00***	***6.00***	***7.00***

3.67 वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु, आयोग ने नवकरणीय ऊर्जा क्रय आबन्ध (RPO) का न्यूनतम प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2014–15 में किये गये प्रावधान ही के अनुरूप विनिर्दिष्ट किया है। तद्नुसार, आयोग ने सौर तथा गैर–सौर विद्युत क्रय आवश्यकता वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकृत कुल ऊर्जा की आवश्यकता के आधार पर गणना की है जैसा कि इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तलिका 35 : आयोग द्वारा की गई गणना के अनुसार नवकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	राज्य
नवकरणीय ऊर्जा क्रय आबन्ध–सौर ऊर्जा (RPO Solar)	1%	1%	1%	1%
नवकरणीय ऊर्जा क्रय आबन्ध–गैर–सौर ऊर्जा (RPO Non-Solar)	6%	6%	6%	6%
योग	**7%**	**7%**	**7%**	**7%**
नवकरणीय ऊर्जा क्रय आबंध की पूर्ति हेतु एक्स–बस नवकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट में)				
नवकरणीय ऊर्जा क्रय आबन्ध–सौर ऊर्जा (RPO Solar)	205	223	215	643
नवकरणीय ऊर्जा क्रय आबन्ध–गैर–सौर ऊर्जा (RPO Non-Solar)	1,228	1,338	1,290	3,856
योग (मिलियन यूनिट में)	1,432	1,561	1,505	4,498
विद्यमान नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से उपलब्ध ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)				
सौर (Solar)	172	188	181	541
सौर से अन्य (Other than Solar)	532	579	559	1,670
योग	704	767	740	2,211
कमी (Shortfall)				
सौर (Solar)	32	35	34	101
सौर से अन्य (Other than Solar)	696	758	731	2,186
योग	728	793	765	2,287

3.68 आयोग द्वारा नवकरणीय ऊर्जा क्रय की दरें याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये अनुसार स्वीकार कर ली गई हैं। आयोग ने नवकरणीय ऊर्जा आबन्ध के परिपालन हेतु नवकरणीय ऊर्जा विद्युत क्रय की गणना निम्न तालिका में दर्शायेनुसार की है :

तलिका 36 : आयोग द्वारा स्वीकार की गई नवकरणीय ऊर्जा क्रय लागत (मिलियन यूनिट में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	राज्य
विद्युत क्रय दर (रूपये/किलोवाट ऑवर)				
सौर (Solar)	7.63	7.63	7.63	7.63
गैर–सौर (Non-Solar)	4.95	4.95	4.95	4.95
अ – विद्यमान स्त्रोतों से नवकरणीय ऊर्जा की विद्युत क्रय लागत (करोड़ रूपये में)				
सौर (Solar)	131.60	143.41	138.29	413.30
गैर–सौर (Non-Solar)	262.95	286.55	276.32	825.81
उप–योग	**394.55**	**429.95**	**414.61**	**1,239.11**
ब – नवकरणीय ऊर्जा क्रय आबन्ध (RPO) के परिपालन हेतु नवीन/अन्य स्त्रोतों से नवकरणीय ऊर्जा की द्युित क्रय लागत				
सौर (Solar)	24.58	26.79	25.83	77.20
गैर–सौर (Non-Solar)	344.15	375.03	361.64	1,080.82
उप–योग	**368.73**	**401.82**	**387.48**	**1,158.02**
योग (अ+ब)	**763.28**	**831.77**	**802.09**	**2,397.14**

कैप्टिव विद्युत उत्पादन (Captive Generation) :

3.69 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से वर्ष 2015–16 के दौरान 50 मिलियन यूनिट की कुल विद्युत उपलब्धता दाखिल की गई है। आयोग ने कैप्टिव स्त्रोतों से 50 मिलियन यूनिट की विद्युत उपलब्धता स्वीकृत की है। इस आदेश में कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से विद्युत क्रय की दर वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु रू. 2.45 प्रति किलोवाट ऑवर ली गई है। इस आदेश के अंतर्गत कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से प्रदत्त विद्युत–दर पिछले बारह माह के देयकों से ली गई है। आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश देता है कि कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से विद्युत का क्रय दिनांक 31 जनवरी, 2009 को अधिसूचित मप्रविनिआ (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाए।

एमपीपीएमसीएल को आवंटित विद्युत उत्पादक स्टेशन से विद्युत की आपूर्ति (Generating Station assigned to MPPMCL) :

3.70 आयोग ने नवीन विद्युत उत्पादक स्टेशनों के बारे में सुसंबद्ध केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, मप्र विद्युत नियामक आयोग के आदेशों को माना है, जहां कहीं भी वे उपलब्ध हैं। जहां कहीं आदेश उपलब्ध न हों वहां आयोग द्वारा प्रकरण–दर–प्रकरण आधार पर स्थाई प्रभारों तथा परिवर्तनीय प्रभारों को माना गया है।

3.71 स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभारों के बारे में ऐसे नवीन स्टेशनों हेतु, जिनसे वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र से राज्य को विद्युत की आपूर्ति होने लगेगी, निम्न कार्यविधि (methodology) अपनाई गई है :

तालिका 37 : एमपीपीएमसीएल संयत्रों हेतु स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभारों का आधार

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादक स्टेशन	स्थाई लागत (राशि करोड़ रूपये में)	आधार	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर में)	आधार
1	पश्चिम क्षेत्र–सीपत चरण– I (तीन इकाईयां)	298.25	केविनि आदेश दिनांक 22.8.2013, याचिका क्रमांक 28/2011, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से दिनांक 31.3.2014 तक	144	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 के अनुसार
2	एनटीपीसी कोरबा–7	87.21	केविनि आदेश दिनांक 9.4.2013, याचिका क्रमांक 16/RP/ 2012, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से 31.3.2014 तक	102	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 के अनुसार
3	सिंगाजी ताप विद्युत स्टेशन चरण–I, इकाई–1	440.58	याचिका क्रमांक 05, वर्ष 2014 के अन्तर्गत मप्रविनिआ आदेश दिनांक 10.11.2014	221	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 के अनुसार
	सिंगाजी ताप विद्युत स्टेशन चरण–I, इकाई–2	420.80	मप्रविनिआ आदेश दिनांक 18.03.2015 के अनुसार	221	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 के अनुसार

4	सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन विस्तार– इकाई–10	256.15	याचिका क्रमांक 11, वर्ष 2013 के अन्तर्गत मप्रविनिआ आदेश दिनांक 8.10.2013	185	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 के अनुसार
	सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन विस्तार– इकाई–11	256.15	याचिका क्रमांक 11, वर्ष 2013 के अन्तर्गत मप्रविनिआ आदेश दिनांक 8.10.2013	186	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 के अनुसार
5	एनटीपीसी मौदा टीपीएस इकाई–1	99.85	याचिका क्रमांक 69/GT/ 2013, के अन्तर्गत केविनिआ आदेश दिनांक 2.7.2014	0	निवर्तन किया जा रहा है। (being backed down)
	एनटीपीसी मौदा ताप विद्युत स्टेशन इकाई–2	83.75	याचिका क्रमांक 69/GT/ 2013, के अन्तर्गत केविनिआ आदेश दिनांक 2.7.2014	0	निवर्तन किया जा रहा है। (being backed down)
6	विंध्याचल मेगा परियोजना चरण–4, इकाई–1	140.88	याचिका क्रमांक 70/GT/ 2013, के अन्तर्गत केविनिआ आदेश दिनांक 23.6.2014	161	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 के अनुसार
	विंध्याचल मेगा परियोजना चरण–4, इकाई–2	135.26	याचिका क्रमांक 70/GT/ 2013, के अन्तर्गत केविनिआ आदेश दिनांक 23.6.2014	161	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 के अनुसार
7	डीवीसी–दुर्गापुर स्टील, ताप विद्युत स्टेशन–इकाई–1	61.51	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह अक्टूबर 2013 से माह सितम्बर, 2014 तक के अनुसार	236	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 के अनुसार
	डीवीसी–दुर्गापुर स्टील, ताप विद्युत स्टेशन–इकाई–2	65.51	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह अक्टूबर 2013 से माह सितम्बर, 2014 तक के अनुसार	236	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 के अनुसार
8	यूएमपीपी, सासन, सीधी, इकाई–1	31.63	प्रस्तुत विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुसार	115	प्रस्तुत विद्युत दर (टैरिफ) के अनुसार
	यूएमपीपी, सासन, सीधी, इकाई–2	31.76	प्रस्तुत विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुसार	115	प्रस्तुत विद्युत दर (टैरिफ) के अनुसार

	यूएमपीपी, सासन, सीधी, इकाई–3 तथा 4	63.40	प्रस्तुत विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुसार	115	प्रस्तुत विद्युत दर (टैरिफ) के अनुसार
	यूएमपीपी, सासन, सीधी, इकाई–5 तथा 6	63.40	प्रस्तुत विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुसार	115	प्रस्तुत विद्युत दर (टैरिफ) के अनुसार
9	जेपी बीना पावर, सागर इकाई–1	246.61	याचिका क्रमांक 40, वर्ष 2012 के अन्तर्गत मप्रविनिआ आदेश दिनांक 26.11.2014	265	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 के अनुसार
	जेपी बीना पावर, सागर इकाई–2	246.61	याचिका क्रमांक 40, वर्ष 2012 के अन्तर्गत मप्रविनिआ आदेश दिनांक 26.11.2014	265	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 के अनुसार
10	जेपी पावर, नीगरी इकाई–1	313.17	याचिका क्रमांक 3, वर्ष 2014 के अन्तर्गत मप्रविनिआ आदेश दिनांक 26.9.2014	160	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 के अनुसार
	जेपी पावर, नीगरी इकाई–2	313.17	याचिका क्रमांक 3, वर्ष 2014 के अन्तर्गत मप्रविनिआ आदेश दिनांक 26.9.2014	160	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 के अनुसार
11	पश्चिमी क्षेत्र–एम बी पावर, अनूपपुर इकाई–1	188.44	अमरकंटक विस्तार के अनुसार	138	अमरकंटक विस्तार की प्रति यूनिट दर के अनुसार
	पश्चिमी क्षेत्र–एम बी पावर, अनूपपुर इकाई–2	50.63	अमरकंटक विस्तार के अनुसार	138	अमरकंटक विस्तार की प्रति यूनिट दर के अनुसार
12	बीएलए पावर, नरसिंहपुर इकाई–1	19.16	स्थाई लागत–मप्रविनिआ आदेश दिनांक 24 जुलाई, 2012 के अनुसार	242	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 के अनुसार
	बीएलए पावर, नरसिंहपुर इकाई–2	15.96	स्थाई लागत–मप्रविनिआ आदेश दिनांक 24 जुलाई, 2012 के अनुसार	242	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 के अनुसार
13	मे. झाबुआ पावर, सिवनी	102.38	अमरकंटक विस्तार के अनुसार	138	अमरकंटक विस्तार की प्रति यूनिट दर के अनुसार

14	लैंको ताप विद्युत स्टेशन, अमरकंटक	323.14	वास्तविक विद्युत क्रय देयक माह अक्टूबर, 2013 से माह सितम्बर 2014 के अनुसार	180	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 के अनुसार
15	टोरेंट पावर जीपीपी	42.49	केविनिआ आदेश दिनांक 29 मई, 2013 के अनुसार	662	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयक माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 के अनुसार
16	नवकरणीय ऊर्जा–सौर	413.30	दाखिल किये गये अनुसार	शून्य	
17	नवकरणीय ऊर्जा–गैर सौर	825.81	दाखिल किये गये अनुसार	शून्य	
	उप–योग	**5,632.97**			

3.72 एमपीपीएमसीएल को आवंटित उपरोक्त उल्लेखित विद्युत उत्पादक केन्द्रों (स्टेशनों) में से कुछ केन्द्रों की स्थाई तथा परिवर्तनीय दरों को देयक तैयार करने के प्रयोजन से अन्तरिम (provisional) माना गया है क्योंकि समुचित नियामक आयोगों द्वारा विद्युत उत्पादक स्टेशनों के संबंध में टैरिफ आदेश अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाये। विद्युत उत्पादक केन्द्रों के संबंध में समुचित आयोगों द्वारा तत्संबंधी आदेश जारी किये जाने के उपरान्त, उक्त आदेश के अन्तर्गत उक्त क्रम के अनुसार अनुमोदित विद्युत–दर (टैरिफ) को लागू किया गया मान लिया जाएगा। उक्त क्रम के अनुसार अन्तरिम अनुज्ञेय लागतों को तथा वास्तविक लागतों के अन्तर को वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु सत्यापन में मान्य किया जाएगा अथवा परिवर्तनीय प्रभारों के प्रकरण में इसकी वसूली ईंधन लागत समायोजन (Fuel Cost Adjustment-FCA) के माध्यम से अनुज्ञेय की जाएगी।

3.73 याचिकाकर्ता ने दिनांक 1.4.2015 से प्रभावशील किये जाने संबंधी ईंधन लागत समायोजन (FCA) की वसूली बाबत प्रस्ताव अवधि नवम्बर, 2014 से जनवरी, 2015 तक के लिये ताप विद्युत उत्पादक केन्द्रों (Thermal Power Generating Stations) हेतु परिवर्तनीय दरों में विषमता (variation of variable rates) के आधार पर प्रस्तावित किया है। इस टैरिफ आदेश के अन्तर्गत परिवर्तनीय दरों की गणना करते समय आयोग ने परिवर्तनीय दरों पर याचिकाकर्ताओं द्वारा अवधि फरवरी, 2014 से जनवरी, 2015 हेतु दायर की गई जानकारी का आधार माना है। अतएव, याचिकाकर्ताओं द्वारा माह नवम्बर, 2014 से माह जनवरी, 2015 हेतु पृथक से दाखिल किये गये ईंधन लागत समायोजन संबंधी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य के विद्युत उत्पादक स्टेशन (M.P. State Power Generating Stations)

3.74 मप्र जनको स्टेशनों हेतु स्थाई लागतें वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 की नियन्त्रण अवधि हेतु विद्युत उत्पादन बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के अनुसार मानी गई है। इन स्थाई लागतों को इस आदेश के अन्तर्गत विद्युत उत्पादक स्टेशनों से उपलब्धता के आधार पर तथा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण हेतु निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 में प्रदत्त वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभारों की वसूली [Recovery of Annual Capacity (fixed) charges] के अनुसार समायोजित किया गया है।

3.75 विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य स्थाई लागतों का आवंटन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 38 : विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य स्थाई लागत का आवंटन (करोड़ रूपये में)

विवरण	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)			
	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	राज्य
केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन (CGS)				
पश्चिमी क्षेत्र –काकरापार एपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस इकाई 3 तथा 4	0.00	0.00	0.00	0.00
गांधी सागर	3.01	3.53	6.54	13.09
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	6.42	9.62	16.04	32.08
पेंच	7.00	14.00	14.00	35.00
राजघाट	2.62	5.25	5.25	13.12
बरगी	5.32	10.63	5.32	21.26
बिरसिंहपुर	1.23	2.05	0.82	4.11
बाणसागर–I,	69.57	92.75	69.57	231.89
बाणसागर–II	0.00	0.00	0.00	0.00
बाणसागर–III	0.00	0.00	0.00	0.00
बाणसागर–IV	5.42	7.23	5.42	18.07
मढ़ीखेढ़ा	11.63	19.38	7.75	38.76
इंदिरा सागर	139.85	336.90	158.92	635.67
सरदार सरोवर	133.66	179.61	104.42	417.70
ओंकारेश्वर	134.09	201.13	111.74	446.96
रिहंद, माताटीला राजघाट (यूपीपीसीएल)	0.96	1.27	1.10	3.33

पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	62.33	51.97	43.54	157.84
अमरकंटक विस्तार	52.42	64.07	77.66	194.16
पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	58.48	50.85	38.14	147.47
पश्चिमी क्षेत्र –वीएसटीपीएस –III	62.38	67.92	59.43	189.73
पश्चिमी क्षेत्र –वीएसटीपीएस –II	50.71	45.76	45.76	142.24
अमरकंटक संकुल	27.65	33.79	40.96	102.41
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस– I	64.55	53.08	61.38	179.01
सतपुड़ा टीपीएस पीएच II, III	64.81	71.51	87.16	223.48
पूर्वी क्षेत्र (डीवीएस एमटीपीएस, सीटीपीएस)	82.93	133.19	35.18	251.30
कैप्टिव	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्वी क्षेत्र –कहलगांव एसटीपीएस–II	8.88	17.43	6.58	32.88
पश्चिमी क्षेत्र गांधार जीपीपी	12.39	14.71	11.61	38.71
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	100.98	115.41	144.26	360.64
पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	11.80	13.49	8.43	33.71
संजय गांधी टीपीएस	86.35	98.68	123.35	308.38
राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (चम्बल, सतपुड़ा)	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**1,267.42**	**1,715.24**	**1,290.33**	**4,272.99**

परिवर्तनीय लागत (Variable Cost)

3.76 विद्युत वितरण कम्पनियों बाबत विद्युत वितरा कम्पनी आवंटित स्टेशनों के बारे में परिवर्तनीय ऊर्जा प्रभार की गणना एक्स–बस पर क्रय हेतु मानी गई उपलब्धता के आधार पर की गई है जैसा कि इन्हें नीचे दर्शाई गई तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 39 : विद्युत वितरण कम्पनियों बाबत स्टेशनवार स्वीकृत की गई परिवर्तनीय लागत (करोड़ रूपये में)

विवरण	परिर्तनीय लागत (करोड़ रूपये में)				
	परिवर्तनीय दर (पैसे/यूनिट	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	राज्य
केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन (CGS)					
पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	231	63.04	69.47	60.79	193.30
पश्चिमी क्षेत्र–तारापुर एपीएस इकाई 3 तथा 4	280	143.47	148.38	129.83	421.68
गांधी सागर	0	0.00	0.00	0.00	0.00
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	0	0.00	0.00	0.00	0.00
पेंच	0	0.00	0.00	0.00	0.00

राजघाट	0	0.00	0.00	0.00	0.00
बरगी	0	0.00	0.00	0.00	0.00
बिरसिंहपुर	0	0.00	0.00	0.00	0.00
बाणसागर–I,	0	0.00	0.00	0.00	0.00
बाणसागर–II	0	0.00	0.00	0.00	0.00
बाणसागर–III	0	0.00	0.00	0.00	0.00
बाणसागर–IV	0	0.00	0.00	0.00	0.00
मढ़ीखेढ़ा	0	0.00	0.00	0.00	0.00
इंदिरा सागर	0	0.00	0.00	0.00	0.00
सरदार सरोवर	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ओंकारेश्वर	0	0.00	0.00	0.00	0.00
रिहंद, माताटीला राजघाट (यूपीपीसीएल)	0	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	102	127.89	106.63	89.34	323.87
अमरकंटक विस्तार	138	55.85	68.26	82.74	206.84
पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	149	71.84	62.47	46.85	181.15
पश्चिमी क्षेत्र –वीएसटीपीएस –III	158	97.51	106.17	92.90	296.58
पश्चिमी क्षेत्र –वीएसटीपीएस –II	161	133.06	120.08	120.08	373.22
अमरकंटक संकुल	164	52.54	64.22	77.84	194.60
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस– I	170	185.53	152.56	176.40	514.49
सतपुड़ा टीपीएस पीएच II, III	215	242.84	267.96	326.58	837.38
पूर्वी क्षेत्र डीवीएस एमटीपीएस, सीटीपीएस	229	177.17	284.55	75.16	536.88
कैप्टिव	245	3.55	5.02	3.68	12.25
पूर्वी क्षेत्र –कहलगांव एसटीपीएस–II	252	19.70	38.67	14.59	72.97
पश्चिमी क्षेत्र गांधार जीपीपी	267	34.07	40.45	31.94	106.46
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	275	247.26	282.58	353.23	883.07
पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	279	43.22	49.40	30.87	123.49
संजय गांधी टीपीएस	300	346.80	396.35	495.44	1,238.59
राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (चम्बल, सतपुड़ा)	419	0.00	0.00	0.00	0.00
योग		**2,045.34**	**2,263.23**	**2,208.25**	**6,516.82**

3.77 विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित केन्द्रों से प्रेषण को अनुज्ञेय करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2015–16 के विभिन्न महीनों के दौरान 22,349 मिलियन यूनिट विद्युत की व्यवस्था करना होगी। इस शेष आवश्यकता की पूर्ति एमपीपीएमसीएल को आवंटित

विद्युत उत्पादक स्टेशनों से की जाएगी। एमपीपीएमसीएल आवंटित विद्युत उत्पादक स्टेशनों को कुल मिलियन यूनिट प्रेषण तथा इसकी लागत निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 40 : एमपीपीएमसीएल आवंटित विद्युत उत्पादक केन्द्रों को कुल मिलियन यूनिट प्रेषण तथा इसकी लागत

एमपीपीएमसीएल स्टेशनों से प्रेषण	ऊर्जा की मात्रा यूनिट में				कुल लागत (करोड़ रूपये में)			
	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	योग	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	योग
सम्पूर्ण राज्य के लिये	**7,492**	**6,701**	**8,156**	**22,349**	**1,765**	**1,589**	**1,917**	**5,271**

3.78 आयोग ने समुचित रूप से राज्य को उपलब्ध कराई जा रही रियायती दर पर विद्युत क्रय लागत की गणना हेतु विद्युत की मात्रा तथा लागत पर विचार किया है।

3.79 विद्युत वितरण कम्पनियों तथा एमपीपीएमसीएल आवंटित विद्युत उत्पादक केन्द्रों (Generating Stations) से सुयोग्यता क्रम सिद्धान्त (merit order principle) के अनुसार दीर्घ अवधि क्रय को अनुज्ञेय किये जाने पर यह पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से 17,305 मिलियन यूनिट की बचत होगी। इसके अतिरिक्त, आयोग ने नवकरणीय ऊर्जा क्रय आबन्ध (RPO) की पूर्ति हेतु 2287 मिलियन यूनिट ऊर्जा का अतिरिक्त क्रय किया जाना अनुमोदित किया है। इस प्रकार, 2287 मिलियन यूनिट की अतिरिक्त ऊर्जा भी विद्युत वितरण कम्पनियों के पास राज्य के बाहर विक्रय हेतु उपलब्ध रहेगी। विद्युत वितरण कम्पनियों के पास वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु 19,592 मिलियन आधिक्य/यूनिट बचत की गई ऊर्जा उपलब्ध रहेगी।

3.80 याचिकाकर्ताओं ने आधिक्य/बचत की ऊर्जा का विक्रय विद्युत विनिमय केन्द्र (power exchange) से WI क्षेत्र हेतु लागू 'IEX' दर पर पिछले बारह माह हेतु माह फरवरी, 2014 से माह जनवरी, 2015 तक रू. 3.16 प्रति यूनिट की दर से किया जाना प्रस्तावित किया है। याचिकाकर्ताओं ने व्यय (NLDC, SLDC, CTU, STU प्रभारों के रूप में) रू. 0.22 की दर से प्रत्येक यूनिट के विक्रय हेतु प्रस्तुत किया है तथा इस प्रकार रू. 2.94 प्रति यूनिट की शुद्ध वसूलीयोग्य दर प्रस्तुत की है। आयोग द्वारा पाया गया है कि कलेण्डर वर्ष 2014 हेतु लघु अवधि औसत द्विपक्षीय दर (Short-term average bilateral rate) रू. 4.28 प्रति यूनिट है जबकि WI क्षेत्र हेतु 'IEX' तथा 'PXIL' औसत माह फरवरी 2014 से माह जनवरी, 2015 के पिछले बारह माह हेतु क्रमशः रू. 3.16 प्रति यूनिट तथा रू. 3.35 प्रति यूनिट है। आयोग का यह दृष्टिकोण है कि यदि

आधिक्य/बचत की गई ऊर्जा का विक्रय द्विपक्षीय अनुबन्धों के माध्यम से या फिर 'PXIL' के माध्यम से उच्चतर दर पर किया जा सकता हो तो याचिकाकर्ताओं को बचत की गई ऊर्जा के विक्रय का प्रबन्धन इस प्रकार करना चाहिए ताकि बचत की गई ऊर्जा से अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति की जा सके। इसके अतिरिक्त, आयोग ने 'IEX', 'PXIL, तथा द्विपक्षीय अनुबन्धों के माध्यम से रू. 3.16 प्रति यूनिट की दर से आधिक्य/बचत की गई विद्युत का विक्रय किया जाना प्रस्तावित किया है। तद्नुसार, आयोग ने विद्युत के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति की गणना की है।

3.81 विद्युत वितरण कम्पनियों की बचत ऊर्जा (Energy surplus) बनाम समग्र ऊर्जा उपलब्धता तथा ऊर्जा की आवश्यकता तथा ऊर्जा के विक्रय से अर्जित लाभ के विवरण, कुल मिलियन यूनिट प्रेषण तथा एमपीपीएमसीएल आवंटित विद्युत उत्पादक केन्द्रों की लागत के विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित किये गये हैं :

तालिका 41 : बचत की गई ऊर्जा (Surplus energy) के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति

सरल क्रमांक	विवरण	स्वीकृत
1	कुल ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	81,566
2	विद्युत वितरण कम्पनियों की कुल ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट में)	64,261
3	विद्युत के विक्रय हेतु बचत की गई ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	17,305
4	नवकरणीय ऊर्जा आबन्ध (RPO) की पूर्ति के परिपालन द्वारा क्रय के समायोजन उपरान्त अतिरिक्त उपलब्ध ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)	2,287
5	**बचत ऊर्जा की कुल उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)**	**19,592**
6	विद्युत क्रय की प्रति यूनिट लागत (रू. प्रति किलोवाट ऑवर)	3.16
7	**कुल अर्जित राजस्व (करोड़ रूपये में)**	**6,191**

3.82 आधिक्य/बचत की गई ऊर्जा के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति का उपयोग विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता को संतुलित करने में किया गया है। बचत की गई ऊर्जा से प्राप्त राजस्व के विद्युत वितरण कम्पनीवार विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 42 : बचत की गई ऊर्जा (Surplus energy) के विक्रय से प्राप्त राजस्व के विद्युत वितरण कम्पनीवार विवरण

विवरण	पूर्व क्षेत्र विविकं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	मध्य क्षेत्र विविकं.	योग
बचत की ऊर्जा से राजस्व की प्राप्ति	**2,755**	**1,542**	**1,894**	**6,191**

अन्तर्राज्यीय तथा अंतर्क्षेत्रीय पारेषण प्रभार (Inter-State and Inter-Regional Transmission charges)

3.83 मध्यप्रदेश राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) प्रभारों में पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली हेतु देय प्रभार शामिल हैं।

3.84 आयोग ने अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों की समीक्षा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु वास्तविक उपलब्ध देयकों, वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 के प्राक्कलित देयकों तथा याचिकाकर्ता द्वारा दायर किये गये दावों के आधार पर की है। आयोग द्वारा पाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान माह नवम्बर 2014–15 तक वास्तविक अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों की राशि का उल्लेख रू. 855.76 करोड़ किया है, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2013–14 के रू. 1165 करोड़ पर लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि। इसके अतिरिक्त, आयोग ने समकक्ष प्रतिशत वृद्धि, वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अन्तर्राज्यीय प्रभारों की गणना हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 की अनुमानित राशि पर 10 प्रतिशत वृद्धि का होना माना है। इन प्रभारों को आगे वास्तविक लागत के पूर्व रूझान के आधार पर विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किया गया है जैसा कि इसे याचिकाकर्ताओं ने निम्न तालिका में प्रस्तुत किया है :

तालिका 43 : विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुज्ञेय किये गये पीजीसीआईएल प्रभार (करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र विविकं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	मध्य क्षेत्र विविकं.	योग
अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	437	555	422	1,414

राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (Intra-state Transmission Charges)

3.85 आयोग द्वारा पारेषण प्रभार वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकार किये गये बहुवर्षीय पारेषण टैरिफ के अनुसार माने गये हैं। इसके अलावा, सेवान्त प्रसुविधाएं (Terminal Benefits) एमपीपीटीसीएल बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकार की गयी हैं। राभाप्रेके प्रभार (SLDC Charges) राभाप्रेके के वित्तीय वर्ष 2015–16 के टैरिफ आदेश दिनांक 31 मार्च, 2015 के अनुसार रू. 9.71 करोड़ माने गये हैं। तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों को राभाप्रके प्रभारों को शामिल करते हुए निम्न दर्शाई तालिका के अनुसार स्वीकार किया गया है :

तालिका 44 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकृत किये गये एमपीपीटीसीएल प्रभार मय राभाप्रेके प्रभारों के

(करोड़ रूपये में)

वार्षिक एमपीटीसीएल प्रभार, राभाप्रेके प्रभारों को सम्मिलित करते हुए	**वित्तीय वर्ष 2015–16**
मप्र पूर्व क्षेविवि कम्पनी	539
मप्र पश्चिम क्षेविवि कम्पनी	691
मप्र मध्य क्षेविवि कम्पनी	574
योग	**1804**

3.86 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (MPSEB)/इसकी उत्तराधिकारी इकाईयों के कर्मचारियों के संबंध में जो वित्तीय वर्ष 2015–16 में सेवानिवृत्त होंगे, के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान भुगतान की जाने वाली पेंशन राशि हेतु याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान प्रत्याशित नगद व्यय (cash outgo) के अनुसार अनुज्ञेय किये जाने का निवेदन किया है। उनके द्वारा रू. 1156 करोड़ की राशि का दावा राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों के अंतर्गत किया गया है। तत्कालीन मप्र राज्य विमं की समस्त उत्तराधिकारी कम्पनियों के कर्मचारियों की सेवान्त प्रसुविधाओं तथा पेंशन भुगतान के प्रावधान को राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों के अन्तर्गत शामिल किया जाता है। अतएव, इस मद के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु सेवान्त प्रसुविधाएं तथा पेंशन व्यय, प्रावधिक आधार पर देयता के अनुसार अर्थात् ''Pay as you go'' सिद्धांत के अनुसार मप्र ट्रांसमिशन कम्पनी को देय रू. 677 करोड़ की सीमा के अन्तर्गत किया है। यह राशि एमपीपीटीसीएल के वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु, बहुवर्षीय टैरिफ आदेश पर आधारित है। सेवान्त प्रसुविधाओं की वास्तविक राशि पर विचार आयोग द्वारा एमपीपीटीसीएल द्वारा दाखिल की जाने वाली सत्यापन याचिका के युक्तियुक्त परीक्षण के बाद किया जाएगा। इस बीच, आयोग ने ये निर्देश भी दिये हैं कि सेवान्त प्रसुविधाओं के भुगतान को रोका नहीं जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड लागत (MPPMCL Cost)

3.87 याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु रू. 363.10 करोड़ राशि के एमपीपीएमसीएल प्रभार दाखिल किये हैं। आयोग द्वारा यह पाया गया है कि एमपीपीएमसीएल लागत में सम्मिलित किये गये अधिकांश व्यय प्रस्तावित विद्युत क्रय से संबद्ध हैं। आयोग का मत है कि ऐसे व्यय विद्युत क्रय लागत (Power Purchase

Cost) के अन्तर्गत शामिल किये जाने चाहिए थे। अतएव, प्रचालन तथा संधारण प्रभार (O&M charges) के रूप में आयोग ने केवल रू. 75.01 करोड़ के व्ययों को ही स्वीकार किया है। विद्युत क्रय से संबंधित व्यय यदि वे एमपीपीएमसीएल द्वारा उपगत किये जाते हों, पर विचार वित्तीय वर्ष 2015–16 के सत्यापन के दौरान, युक्तियुक्त परीक्षण के उपरान्त किया जाएगा।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार (SLDC charges)

3.88 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र टैरिफ आदेश दिनांक 31 मार्च, 2015 के अनुसार रूपये 9.71 करोड़ की राशि को राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रभारों के रूप में माना गया है। इसे उपरोक्त दर्शाये गये पारेषण प्रभारों (Transmission Charges) में शामिल कर लिया गया है।

कुल विद्युत क्रय लागत (Total Power Purchase Cost)

3.89 आयोग द्वारा यह पाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने कुल विद्युत क्रय लागत का अवधारण करते समय बचत की गई ऊर्जा (Surplus energy) की परिवर्तनीय लागत पर विचार नहीं किया है। आयोग ने इस आदेश के अन्तर्गत इस पहलू पर समुचित तौर पर विचार किया है।

3.90 कुल विद्युत क्रय लागत, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है, को निम्न तालिका में संक्षेपबद्ध किया गया है :

तालिका 45 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकृत की गई कुल विद्युत क्रय लागत

(करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			सम्पूर्ण राज्य का योग
	पूर्व	पश्चिम	मध्य	
कुल स्थाई प्रभार (Fixed charges) बचत ऊर्जा प्रभारों की लागत को शामिल करते हुए (करोड़ रूपये में)	3,052	3,663	3,192	9,906
कुल परिवर्तनीय प्रभार (Variable charges) बचत ऊर्जा की लागत को शामिल करते हुए (करोड़ रूपये में)	4,024	4,478	4,310	12,812
कुल विद्युत क्रय लागत (करोड़ रूपये में)	**7,075**	**8,141**	**7,502**	**22,718**
अतिरिक्त नवकरणीय ऊर्जा लागत (करोड़ रूपये में)	369	402	387	1,158
घटायें : बचत ऊर्जा के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति	2,755	1,542	1,894	6,191
एमपीपीएमसीएल लागत (करोड़ रूपये में)	24	26	25	75
कुल विद्युत क्रय लागत (करोड़ रूपये में)	**4,713**	**7,027**	**6,020**	**17,760**

पीजीसीआईएल प्रभार (करोड़ रूपये में)	437	555	422	1,414
एमपीपीटीसीएल प्रभार (करोड़ रूपये में)	539	691	574	1,804
महायोग (करोड़ रूपये में)	**5,689**	**8,274**	**7,017**	**20,979**

समुच्चय विद्युत क्रय लागत (Pooled Power Purchase Cost)

3.91 केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित केविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र को अधिमान्य प्रदान करने तथा जारी करने के संबंध में निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2010 अर्थात् Central Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulation, 2010 में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों (Renewable Energy Certificates) के न्यूनतम तथा नियन्त्रण मूल्य (Floor and Forbearance Price) की गणना के प्रयोजन से विद्युत क्रय की समुच्चय लागत के अवधारण हेतु शर्तों के निर्धारण का प्रावधान किया गया है। विनियम में किये गये सुसंबद्ध उपबन्ध को निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

"5 पात्रता और प्रमाण पत्रों का पंजीकरण

(1)

:

:

ग. *वह उत्पादित विद्युत को या तो (1) पात्र अस्तित्व के अवस्थान के क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत क्रय की पूल्ड लागत से अनधिक कीमत पर बेचता है, या किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी को या खुली पहुंच उपभोक्ता को परस्पर सहमत कीमत पर या बाजार अवधारित कीमत पर विद्युत एक्सचेंज के माध्यम से बेचता है।*

स्पष्टीकरण :– इन विनियमों के प्रयोजन के लिए "क्रय की पूल्ड लागत" से ऐसी भारित औसत पूल्ड कीमत अभिप्रेत है, जिस पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने विद्युत क्रय की है, जिसमें, यथास्थिति, दीर्घकालिक और अल्पकालिक सभी ऊर्जा प्रदायकर्ताओं से पूर्व वर्ष में स्वउत्पादन, यदि कोई है, की लागत सम्मिलित है किन्तु नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित प्रदायकर्ता सम्मिलित नहीं है।"

3.92 तद्नुसार, समुच्चय विद्युत क्रय लागत की गणना, एक्स–बस विद्युत क्रय पर विचार करते हुए नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों को छोड़कर, निम्न तालिका में उल्लेख किये गये अनुसार की गई है :

तालिका 46 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु समुच्चय विद्युत क्रय लागत

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–16
विद्युत क्रय की आवश्यकता, नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों को छोड़कर एक्स–बस (मिलियन यूनिट में)	59,763
कुल विद्युत क्रय लागत, नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों को छोड़कर (करोड़ रूपये में)	16,661
समुच्चय विद्युत क्रय लागत (रूपये/किलोवाट ऑवर में)	**2.79**

नेटवर्क की लागत (Net Work Cost)

पूंजीगत व्यय योजनाएं/परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण (Capital Expenditure Plans/Capitalization of Assets)

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण (Petitioners Submissions)

पूंजी निवेश (Investments)

3.93 याचिकाकर्ताओं ने अपनी विभिन्न योजनाएं, जैसे कि संभरक पृथक्करण (Feeder Segregation), एशियाई विकास बैंक (ADB), आर–एपीडीआरपी (R-APDRP), प्रणाली सुदृढ़ीकरण (System Strengthening) यथा एसटी(एन), टीएसपी, एससीएसपी, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना (DDUGJY)/राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY), किसान अनुदान योजना (नवीन कृषि पम्पों हेतु), आदि के अन्तर्गत पूंजी निवेश योजना (Capital Investment Plan) प्रस्तुत की है। इस तथ्य से भी अवगत कराया गया है कि वर्तमान में याचिकाकर्ताओं ने अपना ध्यान नवीन 33/11 केवी उपकेन्द्रों के सृजन, अतिभारित 33 केवी फीडरों के द्विभाजन, संभरक द्विभाजन 11के वी स्तर के कृषि संभरक के रूप में 11केवी संभारक पृथक्करण, पावर ट्रांसफार्मरों में वृद्धि/आवर्धन करना (Addition/ Augmentation), वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना करना, अनावृत निम्न दाब लाईन (bare LT line) को एबी केबलों में परिवर्तन करना तथा सेवा तन्तुपथों (Service lines) को बदले जाने, आदि से संबंधित कार्यों पर केन्द्रित किया जा रहा है।

3.94 याचिकाकर्ताओं ने यह निवेदन भी किया है कि तकनीकी हानियां, जो प्रणाली की वितरण हानियों का भाग हैं, मुख्यतः असन्तोषजनक अधोसंरचना के कारण हैं जिन्हें लाईनों की क्षमता, उपकेन्द्रों तथा संबद्ध अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण (Strengthening),

नवीनीकरण (renovation) तथा उन्नयन (upgradation) की आवश्यकता है। विद्युत की चोरी के कारण होने वाली वाणिज्यिक हानियों को काफी हद तक प्रणाली पुनर्गठन (reengineering) द्वारा अत्यधिक कम किया जा सकता है जिसके लिये पूंजी निवेश तथा संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों को कम किये जाने हेतु निरन्तर प्रयासरत हैं तथा हाल ही के वर्षों के दौरान वितरण हानियां कम तो अवश्य हुई हैं परन्तु ये अभी मानदण्डीय हानि स्तरों तक पहुंच नहीं पाई हैं।

3.95 वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दाखिल की गई विद्युत वितरण कम्पनीवार पूंजी निवेश योजनाओं के विवरण निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

तालिका 47 : पूंजी निवेश योजना (राशि करोड़ रुपये में)

कम्पनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1,022.95	1,156.28
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	855.63	1,941.36
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	744.87	892.71
कुल राज्य हेतु	**2,623.45**	**3,990.35**

पूंजीकरण तथा निर्माण कार्य प्रगति पर (Capitalization and CWIP)

3.96 याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विद्युत वितरण कम्पनीवार पूंजीकरण योजना तथा निर्माण कार्य प्रगति पर (Capital Works in Progress-CWIP) की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है :

तालिका 48 : विद्युत वितरण कम्पनीवार तथा वर्षवार पूंजीकरण तथा निर्माण कार्य प्रगति पर का द्विभाजन (राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी		
निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का प्रारंभिक शेष	317	568
वर्ष के दौरान नवीन पूंजी निवेश की राशि	881	1197
ब्याज तथा पूंजीकृत किये गये व्यय	221	163
पूंजीकृत किया गया पूंजी निवेश	409	810

निर्माण कार्य प्रगति पर का अन्तिम शेष	**568**	**792**
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी		
निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का प्रारंभिक शेष	1312	1050
वर्ष के दौरान नवीन पूंजी निवेश की राशि	856	1941
ब्याज तथा पूंजीकृत किये गये व्यय	433	518
पूंजीकृत किया गया पूंजी निवेश	685	1553
निर्माण कार्य प्रगति पर का अंतिम शेष	**1050**	**921**
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी		
निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का प्रारंभिक शेष	505	204
वर्ष के दौरान नवीन पूंजी निवेश की राशि	883	1023
ब्याज तथा पूंजीकृत किये गये व्यय	814	370
पूंजीकृत किया गया पूंजी निवेश	370	439
निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का अंतिम शेष	**204**	**419**

परिसम्पत्ति/आस्ति के पूंजीकरण पर आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on Asset Capitalization)

3.97 टैरिफ विनियमों के अन्तर्गत वह विधि निर्दिष्ट की गई है जिसके अनुसार, पूंजीगत निवेश योजना प्रस्तुत की जाएगी। इन विनियमों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता संबंधी याचिका के अन्तर्गत, विभिन्न पूंजीगत व्यय योजनाओं के अन्तर्गत विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्तीय प्रबंधन योजना भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां दर्शाते हुए, भार में अभिवृद्धि, वितरण हानियों में कमी की जाने, विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरीकरण आदि अर्हता की पूर्ति हेतु करेगा।

3.98 पूंजीगत निवेश योजना में पृथक से निर्माणाधीन परियोजनाएं, जिनका कार्य विचाराधीन आगामी वर्ष के दौरान भी जारी रहेगा तथा इसके साथ नवीन परियोजनाएं (औचित्य दर्शाते हुए) जो टैरिफ अवधि में प्रारंभ की जाएंगी तथा जो टैरिफ अवधि के अंतर्गत अथवा उसके उपरांत पूर्ण की जा सकेंगी, दर्शाई जाएंगी।

3.99 याचिकाकर्ताओं ने निम्न तालिका में वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु, पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत की है

तालिका 49 : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–2015 से 2015–16 हेतु माना गया परिसम्पत्ति पूंजीकरण (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविक	मध्य क्षेविविकं
वित्तीय वर्ष 2014–15	631.00	1,117.00	1,184.00
वित्तीय वर्ष 2015–16	973.00	2,071.00	809.00

3.100 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12, वित्तीय वर्ष 2012–13 तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु परिसम्पत्ति वृद्धि संबंधी प्रगति यह प्रकट करती है कि सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (Gross Fixed Assets) में वृद्धि निम्नानुसार रही है :

तालिका 50 : वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान परिसम्पत्ति पूंजीकरण (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
वित्तीय वर्ष 2011–12	573.47	490.48	779.32
वित्तीय वर्ष 2012–13	1,095.24	661.50	1,171.82
वित्तीय वर्ष 2013–14	1072.52	466.33	1136.35

3.101 पूर्व तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, आयोग को यह उचित प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रक्षेपित पूंजीकरण पर विचार किया जाए। पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के बारे में आयोग ने यह पाया है कि उपलब्ध अकेक्षित लेखों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत वितरण कम्पनी के रू. 661 करोड़ के रूप में पूंजीकरण की मात्रा सर्वाधिक थी। वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान प्रक्षेपित पूंजीकरण के आंकड़े अत्यधिक आशावादी (Optimistic) हैं। अतएव, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रू. 661 के पूंजीकरण को स्वीकार किया है तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये भी समकक्ष पूंजीकरण को स्वीकार किया है जो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किया गया अधिकतम पूंजीकरण है। तद्नुसार, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु परिसम्पत्ति पूंजीकरण निम्न तालिका में दर्शायेनुसार अनुज्ञेय किया है:

तालिका 51 : वित्तीय वर्ष 2014–2015 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकार किया गया परिसम्पत्ति पूंजीकरण (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविक	मध्य क्षेविविकं
वित्तीय वर्ष 2014–15	631.00	661.50	1,184.00
वित्तीय वर्ष 2015–16	973.00	661.50	809.00

संचालन एवं संधारण लागतें (Operations and Maintenance Costs)
याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submissions)

3.102 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि प्रक्षेपित किये गये संचालन तथा संधारण व्यय विनियमों के सुसंबद्ध उपबन्धों पर आधारित हैं। घटकवार संचालन एवं संधारण व्ययों की चर्चा निम्न परिच्छेदों में की गई है :

कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)

3.103 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि कर्मचारी लागतों की गणना टैरिफ विनियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई है।

3.104 याचिकाकर्ताओं द्वारा कर्मचारी लागतों की गणना के बारे में निम्न अवधारणा की गई है:

(अ) मंहगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) की गणना हेतु मूल वेतन टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट स्तर के अनुरूप माना गया है। चालू मंहगाई भत्ते की दर प्रथम तिमाही, अर्थात् माह अप्रैल से जून तक मंहगाई भत्ते की गणना हेतु मानी गई है। द्वितीय तथा तृतीय तिमाही के लिये, अर्थात् जुलाई से दिसम्बर, 2014 हेतु मंहगाई भत्ते में 7 प्रतिशत वृद्धि मानी गई है। इसके अतिरिक्त, चतुर्थ तिमाही, अर्थात् जनवरी से मार्च, 2016 तक के लिये 7 प्रतिशत वृद्धि मानी गई है। उपरोक्त अवधारणाओं के आधार पर याचिकाकर्ताओं द्वारा मंहगाई भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में माना गया है जैसा कि इसे निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
प्रथम तिमाही हेतु–माह अप्रैल से जून तक, मंहगाई भत्ता प्रतिशत के रूप में	100%	114%
द्वितीय तथा तृतीय तिमाही हेतु–माह जुलाई से माह दिसम्बर तक, मंहगाई भत्ता प्रतिशत के रूप में	107%	121%
चतुर्थ तिमाही हेतु–माह जनवरी से माह मार्च तक, मंहगाई भत्ता प्रतिशत के रूप में	114%	128%

(ब) कर्मचारियों को देय प्रोत्साहन/बोनस की राशि अंकेक्षित लेखों के पूर्व रूझान के अनुसार मानी गयी है।

स) वेतन के निर्धारण के संबंध में, देय बकाया राशि जैसा कि इसका प्रावधान छठे वेतन आयोग में किया गया है, को इसे विनियमों में निर्दिष्ट किये गये अनुसार माना गया है।

(द) उपरोक्त घटकों के अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा अवकाश नगदीकरण तथा भविष्य निधि (PF)/सीएफए (CFA)/ जीटीआईएस (GTIS)/राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) का भुगतान कर्मचारियों को किया जाता है। अतएव, याचिकाकर्ताओं के कुल विद्युत क्रय में राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों के भाग के रूप में उनके द्वारा किये गये दावे के अलावा सेवांत प्रसुविधा व्ययों का दावा भी पृथक से किया गया है।

3.105 तद्नुसार, पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा क्रमशः रू. 834 करोड़, रू. 780 करोड़ तथा रू. 740 करोड़ के कर्मचारी व्ययों का दावा किया गया है।

प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G Expenses)

3.106 याचिकाकर्ताओं ने टैरिफ विनियमों के विनियम 34.1 के उपबन्ध के अनुसार प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों का दाबा रू. 135 करोड़, रू. 124 करोड़ तथा रू. 101 करोड़ क्रमशः पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु किया है। इनके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने यह निवेदन भी किया है कि टैरिफ विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों में मप्रविनिआ को भुगतान किये गये शुल्क तथा शासन को देय करों की राशि शामिल नहीं है। तद्नुसार, मप्रविनिआ को भुगतान की गई शुल्क की राशि तथा शासन को देय करों की राशि को टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट मानदण्डीय प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय से अतिरिक्त माना गया है।

मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (Repair & Maintenance Expenses)

3.107 याचिकाकर्ताओं ने निवदेन किया है कि विनियमों के सुसंबद्ध उपबन्धों के अनुसार मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (Repair & Maintenance Expenses) प्रारंभिक सकल स्थायी परिसिम्पत्तियों (GFA) की 2.3 प्रतिशत की दर से स्वीकारयोग्य हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु ये व्यय क्रमशः रू. 137 करोड़, रू. 125 करोड़, रू. 152 करोड़ प्रक्षेपित किये गये हैं।

3.108 याचिकाकर्ताओं के संचालन तथा संधारण व्ययों के संबंध में दावों को निम्न तालिका में संक्षेपबद्ध किया गया है :

तालिका 52 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु दावा किये गये संचालन तथा संधारण व्यय

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविक	मध्य क्षेविविकं
कर्मचारी लागत (Employee Cost) (बकाया राशि, मंहगाई भत्ता, तथा अन्य व्ययों को सम्मिलित कर)	834	780	740
प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A & G Expenses)	135	124	101
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (R & M Expenses)	137	125	152
मप्रविनिआ शुल्क (MPERC Fees)	1	1	1
संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	**1107**	**1030**	**993**

संचालन तथा संधारण व्ययों के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on O&M Expenses)

3.109 टैरिफ विनियमों में विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु मानदण्डीय संचालन एवं संधारण व्यय निर्दिष्ट किये गये हैं। संचालन एवं संधारण व्ययों में कर्मचारी व्ययों (Employee expenses), मरम्मत तथा अनुरक्षण (R&M) लागत तथा प्रशासनिक एवं सामान्य (A&G) व्ययों को शामिल किया गया है। विनियमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु कर्मचारी व्ययों, छठवें वेतन आयोग के विरूद्ध बकाया राशि का भुगतान तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों को निर्दिष्ट किया गया है। विनियमों में वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में 2.3% की दर से अनुज्ञेय किये गये हैं।

3.110 इन मानदंडों में कर्मचारियों को भुगतानयोग्य पेंशन, सेवान्त प्रसुविधाएं, शासन को देय कर, मप्रराविमं व्यय तथा मप्रविनिआ को भुगतानयोग्य शुल्क शामिल नहीं हैं।

3.111 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु टर्मिनल प्रसुविधाएं तथा पेंशन व्यय प्रावधिक आधार पर पारेषण प्रभारों के अन्तर्गत अनुज्ञेय किये गये हैं। अतएव, संचालन एवं संधारण व्ययों के अन्तर्गत पृथक प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं है।

3.112 जहां तक मंहगाई भत्ते का संबंध है, आयोग इसे वास्तविक रूझानों पर आधारित, सत्यापन के अध्यधीन मूल वेतन के 114 प्रतिशत की दर से माह अप्रैल से माह जून तक तथा 121 प्रतिशत की दर से माह मई से माह मार्च तक मान्य किया जाना उचित समझता है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु वेतन की बकाया देय राशि पर विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सत्यापन के अध्यधीन विचार किया है।

3.113 आयोग ने कर्मचारियों को देय प्रोत्साहन/बोनस को याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रक्षेपण किये गये अनुसार स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने वर्ष 2005 के उपरान्त भर्ती किये जा रहे कर्मचारियों की भविष्य निधि (PF)/राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) संबंधी देयता पर भी याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार विचार किया है।

3.114 आयोग द्वारा कर्मचारी व्ययों को निम्न तालिका में दर्शायेनुसार स्वीकार किया गया है :

तालिका 53 : वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु स्वीकार किये गये कर्मचारी व्यय (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविक	मध्य क्षेविविकं
कर्मचारी व्यय, बकाया राशि, मंहगाई भत्ते, सेवान्त प्रसुविधाओं तथा प्रोत्साहन को छोड़कर	365.00	344.00	322.00
मंहगाई भत्ता	435.26	410.22	383.99
बकाया राशि	14.17	10.00	12.30
कर्मचारियों को देय प्रोत्साहन/बोनस की राशि	0.29	0.52	0.43
राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS)/भविष्य निधि (PF)	7.00	6.00	6.00
योग	**821.72**	**770.74**	**724.72**

3.115 आयोग ने प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों (A&G expenses) को टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट किये गये अनुसार तथा आयोग को भुगतान की गई शुल्क (Fees) की राशि को याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किये गये अनुसार माना है। तथापि आयोग ने शासन को देय करों पर विचार नहीं किया है तथा इन पर विचार सत्यापन के समय किया जाएगा। स्वीकृत किये गये प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों तथा मप्रविनिआ को भुगतान किये गये शुल्क के विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 54 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकार किये गये प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	131.38	108.00	99.18
मप्रविनिआ शुल्क	0.58	0.64	0.61
कुल प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	**131.96**	**108.64**	**99.79**

3.116 मरम्मत तथा अनुरक्षण (R&M) व्ययों पर तत्संबंधी विद्युत वितरण कम्पनी के वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (GFA) के 2.3% की दर से निम्नानुसार विचार किया गया है :

तालिका 55 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकार किये गये मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विवि कम्पनी.		
	पूर्व	पश्चिम	मध्य
दिनांक 1 अप्रैल, 2014 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	5,341.45	4,314.87	5,404.74
वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान परिसम्पत्ति वृद्धि जिस पर विचार किया गया है	631.00	661.50	1,184.00
दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	5,972.45	4,976.37	6,588.74
टैरिफ विनियमों के अनुसार निर्दिष्ट की गई प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति की मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय की प्रतिशत दर	2.30%	2.30%	2.30%
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय का योग	**137.37**	**114.46**	**151.54**

3.117 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकार किये गये कुल संचालन एवं संधारण व्ययों को निम्न तालिका में संक्षेपबद्ध किया गया है :

तालिका 56 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकार किये गये संचालन एवं संधारण व्यय

(करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र विवि कंपनी	पश्चिम क्षेत्र विवि कंपनी	मध्य क्षेत्र विवि कंपनी	राज्य
कर्मचारी व्यय	821.72	770.74	724.72	2,317.18
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	131.96	108.64	99.79	340.39
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	137.37	114.46	151.54	403.36
कुल संचालन एवं संधारण व्यय	**1,091.05**	**993.84**	**976.05**	**3,060.93**

अवमूल्यन या अवक्षयण (Depreciation)

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण

3.118 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा अवक्षयण मॉडल (Deperclation Model) को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट टैरिफ विनियमों के परिशिष्ट–II की दरों पर आधारित विकसित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना निम्न तालिका में दर्शायी गई है :

तालिका 57 : याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई अवमूल्यन/अवक्षयण राशि

(करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं.		पश्चिम क्षेविविकं.		मध्य क्षेविविकं.	
	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
पट्टे के अन्तर्गत भूमि	0	0	0	0	0	0
भवन	2	2	3	3	2	3
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	0	0	0	0	1	1
अन्य सिविल कार्य	0	0	0	0	0	0
संयंत्र तथा मशीनरी	63	73	80	102	100	112
लाईन, केबल नेटवर्क, आदि	121	146	98	145	139	163
वाहन	0	0	0	0	0	0
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	0	0	0	0	0	0
कार्यालय उपकरण	4	4	1	1	7	8
परिसम्पत्तियां जो बोर्ड/राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्वामित्व में नहीं है	0	0	22	32	17	27
योग	**190**	**225**	**205**	**283**	**266**	**315**

अवमूल्यन के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on Depreciation)

3.119 टैरिफ विनियमों के अनुसार, विद्युत वितरण प्रणाली की ऐसी परिसम्पत्तियों के संबंध में जिन्हें, 31 मार्च, 2015 की स्थिति में वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष, ''सरल रेखा विधि (Straight Line Method)'' के आधार पर परिशिष्ट–2 (Appendix-II) में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत की जाएगी कि वर्ष की 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा।

3.120 विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरणों में, टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है कि दिनांक 1.4.2015 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन मूल्य की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2014 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यनयोग्य मूल्य में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम राशि को सम्मिलित कर, में से संचित अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी। अवमूल्यन दर को परिशिष्ट–2 में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक संचित अवमूल्यन 70% तक पहुंच नहीं जाता। तत्पश्चात्, अवशेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य के परिसम्पत्ति के अवशेष जीवनकाल के

अंतर्गत इस प्रकार विभाजित किया जाएगा ताकि अधिकतम अवमूल्यन की बढ़ोत्तरी 90% से अधिक न हो।

3.121 आयोग द्वारा यह पाया गया है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दावा की गई अवमूल्यन राशि का यथोचित रूप से विस्तृत परिसम्पत्तिवार पंजियों से यह सुनिश्चित करने हेतु कि ये दावे केवल ऐसी परिसम्पत्तियों के संबंध में किये गये हैं जिनका पूर्णतया अवमूल्यन नहीं किया जा सकता है, प्रमाणीकरण नहीं किया गया है।

3.122 अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना हेतु, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु सत्यापन आदेश की अन्तिम सकल स्थाई परिसम्पत्ति (opening GFA) को वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति (opening GFA) माना है। वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु पूंजीकरण को अनुज्ञेय करते समय, वित्तीय वर्ष 2012–13 तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु परिसम्पत्ति में वृद्धि (Asset Addition) को अंकेक्षित लेखे में वास्तविक पूंजीकरण के अनुसार माना गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति के आंकड़ों की गणना हेतु, तत्संबंधी वर्षों के दौरान पूंजीगत परिसम्पत्तियों की लागत के प्रति उपभोक्ता अंशदान, अनुदानों तथा प्रति सहायतानुदान (Subsidies) को स्थाई परिसम्पत्ति में से घटा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु उपभोक्ता अंशदान (consumer contribution), अनुदानों (Grants) तथा सहायतानुदानों (Subsidies) को वित्तीय वर्ष 2012–13 तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 की औसत राशि के अनुसार माना गया है। शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति को वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अवमूल्यन को अनुज्ञेय किये जाने बाबत वित्तीय वर्ष 2015–16 की प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति (opening GFA) में वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु औसत जमा की गई आधी राशि के रूप में जोड़कर, उपभोक्ता अंशदान के संयोजन (netting) द्वारा वर्ष के मध्य बिन्दु पर शुद्ध सकल स्थाई सम्पत्ति के आंकड़े की प्राप्ति हेतु किया गया है।

3.123 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के टैरिफ आदेश में माने गये अनुरूप वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु भी 2.44 प्रतिशत, 2.81 प्रतिशत तथा 2.44 प्रतिशत की अवमूल्यन दरें (depreciation rates) क्रमशः पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों बाबत मानी गई हैं। तथापि, आयोग यहां यह भी स्पष्ट कर देना चाहता है कि आयोग द्वारा इस टैरिफ आदेश के अंतर्गत अनुमोदित की गई अवमूल्यन में अंतर की राशि तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक अवमूल्यन को

वित्तीय वर्ष 2015–16 के सत्यापन आदेश के अन्तर्गत यथोचित विचार करते हुए सत्यापित किया जाएगा।

3.124 वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकृत किया गया अवमूल्यन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 58 : स्वीकार किया गया अवमूल्यन **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	पूर्व क्षेत्र विविकं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	मध्य क्षेत्र विविकं.
दिनांक 1 अप्रैल, 2012 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) (वित्तीय वर्ष 2011–12, हेतु सत्यापन आदेश की अन्तिम सकल स्थाई परिसम्पत्ति)	**2,408.84**	**2,467.16**	**2,478.34**
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान की गई वृद्धि	1,095.24	661.50	1,171.82
घटायें : वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान उपभोक्ता का अंशदान	193.62	191.59	177.68
दिनांक 1 अप्रैल, 2013 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	**3,310.46**	**2,937.07**	**3,472.48**
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान की गई वृद्धि	1,072.52	466.33	1,136.35
घटायें : वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान उपभोक्ता का अंशदान	114.88	240.96	242.66
दिनांक 1 अप्रैल, 2014 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA)	**4,268.10**	**3,162.44**	**4.366.16**
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान की गई वृद्धि	631.00	661.50	1,184.00
घटायें : वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान उपभोक्ता का अंशदान	154.25	216.28	210.17
दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	**4,744.85**	**3607.67**	**5339.99**
वृद्धि के औसत में से वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान उपभोक्ता का अंशदान घटा कर के	409.38	222.61	299.42
वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान अवमूल्यन हेतु मानी गयी सकल स्थाई परिसंपत्ति	**5154.22**	**3830.28**	**5639.41**
अवमूल्यन दर (%)	2.44%	2.81%	2.44%
वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकार किया गया अवमूल्यन	**125.76**	**107.63**	**137.60**

ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest and Finance Charges)

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण

3.125 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि टैरिफ विनियमों के विनियम 31 में ऋण–पूंजी (Loan Capital) पर ब्याज तथा वित्त प्रभारों की गणना की विधि प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये आयोग द्वारा परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त

प्रभारों की गणना हेतु, वित्तीय वर्ष 2014–15 के टैरिफ आदेश के समान विधि अपनाई गई है।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

3.126 पूर्व क्षेविवि कम्पनी ने पूंजीगत ऋणों पर ब्याज की गणना के संबंध में निम्नांकित विवरण दाखिल किये हैं :

तालिका 59 : दावा की गई ब्याज लागत **(करोड़ रूपये में)**

	पूर्व क्षेत्र विवि कम्पनी	
विवरण	**वित्तीय वर्ष 2014–15**	**वित्तीय वर्ष 2015–16**
सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) का प्रारंभिक शेष जिसे ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किये अनुसार चिन्हित किया गया है	1,688.70	1,935.07
वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि–(1)	630.56	973.06
वर्ष के दौरान उपभोक्ता अंशदान–(2)	48.03	50.43
वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शुद्ध वृद्धि–(1)–(2)	582.53	922.63
सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शुद्ध वृद्धि जिसे पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है, का 30 प्रतिशत	174.76	276.79
वर्ष के दौरान शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में अवशेष वृद्धि, जिसे ऋणों के माध्यम से निधीयन किया गया है	407.77	645.84
वर्ष के दौरान देय ऋण की अदायगी (अवमूल्यन दावे के बराबर)	190.27	224.77
सकल स्थाई परिसम्पत्ति का अन्तिम शेष जिसका ऋणों के माध्यम से निधीयन किया गया है।	1,935.07	2,385.28
अवशेष ऋणों का औसत	1,811.89	2,160.18
समस्त ऋणों पर भारित औसत प्रतिशत ब्याज की दर	7.25%	8.74%
परियोजना ऋणों पर कुल ब्याज	131.36	188.73
वित्त प्रभार (Finance Charge)	2.97	3.19
परियोजना ऋणों तथा वित्त प्रभारों पर कुल ब्याज	**134.32**	**191.93**

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

3.127 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने पूंजीगत ऋणों पर ब्याज की गणना के संबंध में निम्न विवरण दाखिल किये हैं :

तालिका 60 : दावा की गई ब्याज लागत **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	पश्चिम क्षेत्र विवि कम्पनी	
	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) का प्रारंभिक शेष जिसे ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किये अनुसार चिन्हित किया गया है	866.10	1,443.43
वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि–(1)	1,117.44	2,070.75
वर्ष के दौरान उपभोक्ता अंशदान/वर्ष के दौरान रागांग्रवियो के अन्तर्गत परिसम्पत्ति निर्माण – (2)	0.00	0.00
वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शुद्ध वृद्धि – (1)–(2)	1,117.44	2,070.75
सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शुद्ध वृद्धि जिसे पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है, का 30 प्रतिशत	335.23	621.23
वर्ष के दौरान शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में अवशेष वृद्धि, जिसका ऋण के माध्यम से निधीयन किया गया है	782.21	1,449.53
वर्ष के दौरान देय ऋण की अदायगी (अवमूल्यन दावे के बराबर)	204.88	282.76
सकल स्थाई परिसम्पत्ति का अन्तिम शेष जिसे ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किये अनुसार चिन्हित किया गया है	1,443.43	2,610.20
अवशेष ऋणों का औसत	1,154.76	2,026.81
समस्त ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर	8.10%	9.12%
परियोजना ऋणों पर कुल ब्याज	93.50	184.82
वित्त प्रभार (Finance Charge)	6.67	7.34
परियोजना ऋणों तथा वित्त प्रभारों पर कुल ब्याज	**100.17**	**192.16**

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

3.128 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने पूंजीगत ऋणों पर ब्याज की गणना हेतु, निम्न विवरण दाखिल किये हैं :

तालिका 61 : दावा की गई ब्याज लागत **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	मध्य क्षेत्र विवि कम्पनी	
	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) में वृद्धि–(1)	1,183.95	809.04
वर्ष के दौरान उपभोक्ता अंशदान–(2)	0	0
वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शुद्ध वृद्धि– (1)–(2)	1,183.95	809.04
सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शुद्ध वृद्धि जिसे पूंजी के माध्यम से	355.19	242.71

निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है, का 30 प्रतिशत		
वर्ष के दौरान शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में अवशेष वृद्धि, जिसका ऋण के माध्यम से निधीयन किया गया है	828.77	566.33
वर्ष के दौरान देय ऋण की अदायगी (अवमूल्यन दावे के बराबर)	266.08	315.42
अवशेष ऋणों का औसत	2,197.03	2,447.93
समस्त ऋणों पर भारित औसत प्रतिशत ब्याज की दर	9.33%	10.02%
परियोजना ऋणों पर कुल ब्याज	205.04	245.40
वित्त प्रभार (Finance Charge)	18.49	24.33
परियोजना ऋणों तथा वित्त प्रभारों पर कुल ब्याज	**223.52**	**269.73**

ब्याज तथा वित्त प्रभारों पर आयोग का विश्लेषण (***Commission's Analysis of Interest and Finance Charges***)

3.129 टैरिफ विनियम केवल उन्हीं ऋणों के ब्याज प्रभारों को अनुज्ञेय करते हैं जिन्हें सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से लिया गया हो तथा जिनके माध्यम से संबद्ध पूंजीगत कार्यों को पूर्ण किया जा चुका हो तथा परिसम्पत्तियों का उपयोग भी प्रारंभ किया जा चुका हो।

3.130 निर्माणाधीन कार्यों हेतु, ऋण पर ब्याज लागत को निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) माना गया है जिसे पूंजीकृत किया जाएगा तथा परिसम्पत्ति पूंजीकरण के समय इसे परियोजना लागत में जोड़ा जाएगा। अतएव, ऐसी ब्याज लागत को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से (pass through) अन्तरित किये जाने पर विचार नहीं किया गया है। उपगत पूंजीगत व्यय के स्थान पर पूंजीकरण पर विचार किये जाने की पृष्ठभूमि के अन्तर्गत अन्तर्निहित सिद्धांत यह है कि उपभोक्ता से केवल उन्हीं संपत्तियों की लागत से संबंधित ब्याज को वहन करने की अपेक्षा की जा सकती है जिनका उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जा रहा हो। परिसम्पत्ति जो निर्माणाधीन अवस्था में है, का उपयोग उपभोक्ता द्वारा नहीं किया जाता है। अतः, सम्पत्ति निर्माण के दौरान विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उपगत ब्याज लागत, प्रगति पर निर्माण कार्यों (CWIP) का एक भाग बन जाती है तथा इसे विद्युत–दरों के माध्यम से वसूली हेतु अनुज्ञेय नहीं किया गया है।

3.131 अतः आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु, ब्याज लागत की गणना निम्न विधि द्वारा की है :

(अ) वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के शुद्ध सकल योग की गणना तत्संबंधी वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में से उपभोक्ता अंशदान राशि को घटा कर की गयी है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान परियोजना में जोड़े गये उपभोक्ता अंशदान, अनुदानों तथा प्रतिराज्यनुदानों के औसत मूल्य पर विचार किया है।

(ब) वर्ष के दौरान, सकल स्थाई परिसम्पत्ति के 30 प्रतिशत का निधीयन वित्तीय व्यवस्था पूंजी के माध्यम से, सकल स्थाई परिसम्पत्ति हेतु शुद्ध वृद्धि के शेष को ऋण के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है तथा इसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति में जोड़ दिया गया है।

(स) तत्पश्चात्, ऋणों की अदायगी को उपरोक्तानुसार की गई गणना के अनुसार पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित कुल ऋण में से घटाया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान अदायगी उक्त वर्ष के दौरान अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन/अवक्षयण के बराबर मानी गई है।

(द) वर्ष के दौरान, परिसम्पत्ति में वृद्धि का वित्तीय प्रबन्धन 70% ऋण तथा 30% पूंजी के माध्यम से किया जाना माना गया है। परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभारों को अनुज्ञेय किये जाने हेतु आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा की गई गणना के अनुसार भारित औसत दर (Weighted average rate) मानी गई है।

(ई) आयोग द्वारा दीर्घ ऋणों हेतु ब्याज दर याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल किये गये अनुसार मानी गई है।

(फ) अन्य वित्त लागतें याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल किये गये अनुसार मानी गई हैं।

3.132 वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकार किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार निम्नानुसार हैं :

तालिका 62 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकार किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	**पूर्व क्षेत्र विविकं.**	**पश्चिम क्षेत्र विविकं.**	**मध्य क्षेत्र विविकं.**
वित्तीय वर्ष 2012–13			
दिनांक 01 अप्रैल, 2012 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित ऋण (वित्तीय वर्ष 2011–12 के सत्यापन आदेश को अंतिम किये जाने पर)	481.30	440.34	516.86
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधीयन (funded) किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70% प्रतिशत	631.13	328.94	695.90
ऋण की अदायगी	69.78	75.93	72.60
दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित ऋण	1,042.65	693.34	1,140.15

वित्तीय वर्ष 2013–14			
दिनांक 01 अप्रैल, 2013 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित ऋण	1,042.65	693.34	1,140.15
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधीयन (funded) किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70% प्रतिशत	670.35	157.76	625.58
ऋण की अदायगी	92.46	85.70	95.63
दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित कुल ऋण	1,620.55	765.40	1,670.10
वित्तीय वर्ष 2014–15			
दिनांक 01 अप्रैल, 2014 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित ऋण	1,620.55	765.40	1,670.10
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधीयन (funded) किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70% प्रतिशत	333.73	311.66	681.68
ऋण की अदायगी	109.96	95.12	118.42
दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित कुल ऋण	1,844.31	981.94	2,233.37
वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु ब्याज लागत			
दिनांक 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित ऋण	1,844.31	981.94	2,233.37
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधीयन (funded) किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70% प्रतिशत	573.13	311.66	419.18
ऋण की अदायगी	125.76	107.63	137.60
दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से संबद्ध कुल ऋण	2,291.68	1,185.97	2,514.95
वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अवशेष ऋण का औसत	2,067.99	1,083.96	2,374.16
ऋण का भारित औसत (%में) (परियोजना ऋणों पर ब्याज के अनुसार)	8.74%	9.12%	10.02%
ब्याज प्रभार	180.74	98.86	237.89
अन्य वित्त प्रभार	3.19	7.34	24.33
परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	**183.93**	**106.20**	**262.22**

कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण

3.133 याचिकाकर्ताओं का कथन है कि उन्होंने कार्यकारी पूंजी का प्राक्कलन विनियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर किया है। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना हेतु पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु ब्याज दर 13.50% मानी गई है।

3.134 इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण कम्पनियों ने आयोग को कार्यकारी पूंजी आवश्यकता की गणना बाबत प्रतिभूति निक्षेप (security deposit) पर केवल वर्ष के दौरान ही विचार किये जाने का अनुरोध किया है। विद्युत विवरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे निम्नानुसार हैं :

तालिका 63 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु दाखिल किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज

(करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	पूर्व क्षेत्र विविकं	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	मध्य क्षेत्र विविकं.
	चक्रण गतिविधि हेतु (For Wheeling Activity)			
1	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	9.46	7.24	8.56
2	संचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses)			
2.1	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (R&M Expenses)	137.36	124.94	151.54
2.2	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G Expenses)	135.61	124.88	101.44
2.3	कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)	833.30	780.21	740.41
2.4	संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	1,106.26	1,030.03	993.39
2.5	योग का बारहवां (1/12) भाग	92.19	85.84	63.32
3	प्राप्तियां	0.00		
3.1	चक्रण प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	0.00	2.58	0.00
3.2	चक्रण प्रभारों के दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	0.00	0.43	0.00
4	**कुल कार्यकारी पूंजी (1+2.5+3.2)**	**101.64**	**93.51**	**91.34**
5	ब्याज दर	13.5%	13.50%	13.50%
6	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	13.72	12.62	12.33
	खुदरा गतिविधि हेतु (For Retail Sale Activity)			
1	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	0.50	1.81	0.45
2	प्राप्तियां			
2.1	टैरिफ तथा प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	7,448.41	8,443.74	7,900.76
2.2	दो माह की औसत बिलिंग के बरावर प्राप्तियां	1,241.40	1,407.29	1,316.79
3	विद्युत क्रय संबंधी व्यय	6,251.65	6,805.27	5,919.12
3.1	विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां भाग	522.52	567.11	493.26
4	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	725.61	1,049.62	720.22
5	**कुल कार्यकारी पूंजी (1+2.2–3.1–4)**	**-6.23**	**-207.62**	**103.76**

6	ब्याज दर	13.50%	13.50%	13.50%
7	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	-0.84	-28.03	14.01
	चक्रण गतिविधियों से कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज	13.72	12.62	12.33
	खुदरा गतिविधियों से कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज	-0.84	-28.03	14.01
	कार्यकारी पूंजी पर शुद्ध ब्याज	**12.88**	**-15.41**	**26.34**

कार्यकारी पूंजी के ब्याज पर आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Interest on Working Capital)

3.135 टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है कि कार्यकारी पूंजी में केवल वे ही व्यय सम्मिलित होंगे जिनकी विद्युत प्रदाय गतिविधि तथा चक्रण गतिविधि हेतु आवश्यकता होती है। चक्रण तथा विद्युत प्रदाय गतिविधि हेतु कार्यकारी पूंजी की गणना के लिये मानदण्ड, जिन पर विचार किया जाएगा, विनिर्दिष्ट किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त उल्लेखित टैरिफ विनियमों के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर सुसंबद्ध वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर (Base Rate) + 3.5% रखी गई है।

3.136 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के प्रारंभ की स्थिति में सकल खण्ड (ग्रास ब्लाक) की राशि रू. 5972.45 करोड़ (पूर्व क्षेविविकं हेतु), रू. 4976.37 करोड़ (पश्चिम क्षेविविकं हेतु) तथा रू. 6588.74 करोड़ (मध्य क्षेविविकं हेतु) मानी है। इस राशि के एक प्रतिशत भाग की गणना, दो माह हेतु आनुपातिक किये गये अनुसार पूर्व क्षेविविकं हेतु रू. 9.95 करोड़, पश्चिम क्षेविविकं हेतु रू. 8.29 करोड़ तथा मध्य क्षेविविकं हेतु रू. 10.98 करोड़ होगी। इसे चक्रण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय गतिविधि हेतु, सामग्री आवश्यकता (Inventory Requirement) माना गया है। इसे, तत्पश्चात्, चक्रण तथा प्रदाय सामग्री हेतु, क्रमशः 80 : 20 के अनुपात में विभाजित किया गया है जैसा कि इसे पूर्व विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में अपनाया गया था। उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज को 'उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज' संबंधी भाग में की गई चर्चानुसार माना गया है। आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि हेतु, कार्यकारी पूंजी के अन्य घटकों के मूल्यों की पुनर्गणना इस आदेश के सुसंगत भागों के अंतर्गत की गई है।

3.137 आयोग अपने पूर्व के टैरिफ आदेशों के अंतर्गत चक्रण तथा खुदरा गतिविधि हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज पृथक–पृथक अनुज्ञेय करता चला आ रहा है। तथापि, वर्ष 2011–12 की सत्यापन प्रक्रिया के अन्तर्गत यह पाया गया कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा चक्रण तथा खुदरा गतिविधि के विवरणों का पृथक्करण नहीं किया जा सका है।

इसके अतिरिक्त, चूंकि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दोनों गतिविधियां एक साथ निष्पादित की जाती हैं, अतएव उपलब्ध संसाधन दोनों हेतु साझे होते हैं। अतएव, आयोग द्वारा चक्रण तथा खुदरा गतिविधियों हेतु कार्यकारी पूंजी आवश्यकता एक साथ मानी गई है।

3.138 टैरिफ विनियम विद्युत वितरण कम्पनियों को कार्यकारी पूंजी पर ब्याज को सुसंगत वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर + 3.5% के बराबर दर को अनुज्ञेय करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की वर्तमान आधार दर 10.00% है। तद्नुसार, विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु कार्यकारी पूंजी पर मानदण्डीय ब्याज दर 13.50% तक ही सीमित रखी जाएगी। आयोग द्वारा चक्रण तथा खुदरा विक्रय की संयोजित की गई गतिविधि हेतु अनुज्ञेय किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 64 : आयोग द्वारा स्वीकार किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (करोड़ रूपये में)

विवरण	माह संख्या	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.
चक्रण (Wheeling)				
सामग्री (इन्वेंटरी)	2	7.96	6.64	8.78
अनुमोदित संचालन तथा संधारण व्यय	1	90.92	82.82	81.34
चक्रण प्रभारों की दो माह की औसत बिलिंगके बराबर प्राप्तियां		0.00	0.43	0.00
कार्यकारी पूंजी की कुल आवश्यकता (करोड़ रूपये में)–चक्रण गतिविधि हेतु		98.88	89.88	90.12
ब्याज दर (%में)		13.50%	13.50%	13.50%
कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज (करोड़ रूपये में)		**13.35**	**12.13**	**12.17**
खुदरा (Retail)				
सामग्री (इन्वेंटरी)	2	1.99	1.66	2.20
राजस्व की प्राप्ति	2	1,202.17	1,569.44	1,365.90
घटायें : विद्युत क्रय लागत	1	392.76	585.59	501.69
घटायें : उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप		725.61	1,049.62	720.22
कुल कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता (करोड़ रूपये में) – खुदरा गतिविधि हेतु		85.79	-64.11	146.19
ब्याज दर (प्रतिशत में)		13.50%	13.50%	13.50%
कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज–(करोड़ रूपये में)		**11.58**	**-8.65**	**19.74**

कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता पर कुल ब्याज (करोड़ रूपये में)–चक्रण गतिविधि हेतु		13.35	12.13	12.17
कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता पर कुल ब्याज –खुदरा गतिविधि हेतु (करोड़ रूपये में)		11.58	-8.65	19.74
कार्यकारी पूंजी पर शुद्ध ब्याज		**24.93**	**3.48**	**31.90**
कार्यकारी पूंजी पर स्वीकृत किया गया कुल ब्याज (करोड़ रूपये में)		**24.93**	**3.48**	**31.90**

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (Interest on Consumer Security Deposit)

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण

3.139 विद्युत वितरण कम्पनियों ने निवेदन किया है कि उपभोक्ताओं को प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान सुसंगत विनियमों के अनुसार किया गया है। उनके द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप की गणना भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 01 अप्रैल, को लागू बैंक दर, अर्थात् 9 प्रतिशत के अनुसार की गई है।

तालिका 65 : विनियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज की राशि	65	94	65

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप के बारे में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Consumer Security Deposit)

3.140 आयोग ने उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप ब्याज की गणना टैरिफ विनियमों के मानदण्डों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की अंतिम लागू दर 8.5 प्रतिशत के अनुसार की है तथा इसे निम्न तालिका में दर्शायेनुसार स्वीकृत किया हैः

तालिका 66 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर स्वीकृत ब्याज (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	62	89	61

पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण

3.141 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि विचाराधीन अवधि हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ (RoE) की गणना टैरिफ विनियमों के अनुसार की गई है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा किये गये दावे निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 67 : पूंजी पर प्रतिलाभ **(करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	विवरण	पूर्व क्षेविविकं		पश्चिम क्षेविविकं		मध्य क्षेविविकं	
		वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
A	**वर्ष के प्रारंभ में कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, (उपभोक्ताओं के अंशदान की सकल राशि)**	**2,113.65**	**2,113.65**	**1,906.85**	**2,819.42**	**5,404.73**	**6,588.68**
A1	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिनका पूंजी के माध्यम से निधीयन (funded) किया गया है	984.15	984.15	1,040.76	1,375.99	1,621.42	1,976.61
A2	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिनका ऋण के माध्यम से निधीयन (funded) किया गया है	1,129.50	1,129.50	866.10	1,443.43	3,783.31	4,612.08
B	**पूंजी निवेश योजना के अनुसार परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि)**	**409.18**	**810.31**	**1,117.44**	**2,070.75**	**1,183.95**	**809.04**
B1	पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचिति में से पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का भाग	307.04	307.04	335.23	621.23	279.39	265.35
B2	परियोजना ऋणों से निधिबद्ध की गई पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अवशेष भाग (B–B1)	102.14	503.28	782.21	1,449.53	904.57	543.69
C1	मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (B का 30%)	122.75	243.09	0.00	0.00	355.19	242.71
C2	मानदण्डीय अतिरिक्त ऋण (B का 70%)	286.43	567.22	0.00	0.00	828.77	566.33
D1	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त पूंजी में आधिक्य/कमी (B1-C1)	184.28	63.94	335.23	621.23	-75.80	22.64
D2	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त ऋण में आधिक्य/कमी (B2-C2)	-184.28	-63.94	782.21	1,449.53	75.80	-22.64
E	**प्रतिलाभ हेतु अर्हता रखने वाली पूंजी {A1+(C1/2)] अथवा [A1+(B1/2)], इनमें जो भी कम हो**	**1,384.75**	**1,622.95**	**1,208.37**	**1,686.60**	**1,761.11**	**2,097.96**
	पूंजी पर प्रतिलाभ (E का 16%)	**221.56**	**259.67**	**193.34**	**269.86**	**281.78**	**335.67**

पूंजी पर प्रतिलाभ पर आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Return on Equity)

3.142 टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है कि पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना पूर्व–कर (Pre-Tax) आधार पर 16% की दर से की जाएगी। इस आदेश में आयोग द्वारा ब्याज

तथा वित्त प्रभार संबंधी परिच्छेद में किये गये विश्लेषण में स्पष्ट रूप से ऋण तथा पूंजी घटक की पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया की व्याख्या की गई है। यह क्रियाविधि (approach) वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्त की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के साथ चिन्हित की गई कुल पूंजी के रूप में परिणत होती है। तत्पश्चात्, पूंजी पर प्रतिलाभ का अवधारण चिन्हित की गई कुल पूंजी पर 16 प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय किया गया है जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति के अनुपात में आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु चिन्हित की गई कुल पूंजी को मय पूंजी पर प्रतिलाभ के निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 68 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
वित्तीय वर्ष 2012–13			
कुल पूंजी जिसे 31 मार्च 2012 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित किया गया है (वित्तीय वर्ष 2011–12 के सत्यापन आदेश में कुल अन्तिम पूंजी)	270.49	140.97	298.24
दिनांक 31 मार्च 2013 की स्थिति में कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित किया गया है	929.76	869.75	968.53
वित्तीय वर्ष 2013–14			
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है, का 30%	287.29	67.61	268.11
दिनांक 31 मार्च 2014 की स्थिति में कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित किया गया है	1,217.05	937.36	1,236.63
वित्तीय वर्ष 2014–15			
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है, का 30%	143.03	133.57	292.15
दिनांक 31 मार्च 2015 की स्थिति में कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित किया गया है	1,360.08	1070.93	1528.78
वित्तीय वर्ष 2015–16			
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है, का 30%	245.63	133.57	179.65
दिनांक 31 मार्च 2016 की स्थिति में कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित किया गया है	1,605.70	1204.50	1708.43
औसत पूंजी	1,482.89	1137.72	1618.61
वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ 16% की दर से	**237.26**	**182.03**	**258.98**

सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकताओं (एआरआर) की अन्य मदें

3.143 उपरोक्त चर्चित व्ययों के घटकों के अतिरिक्त, कुछ अन्य मदें भी हैं जो सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का भाग बनती हैं। इनमें शामिल हैं, डूबन्त ऋण, तथा अन्य (गैर–टैरिफ) आय। इनके विवरण निम्नानुसार दिये गये हैं :

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण (Bad and Doubtful debts)

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण

3.144 याचिकाकर्ताओं ने डूबन्त ऋणों के संबंध में दावे का प्रावधान कुल प्रक्षेपित विक्रय से प्राप्त राजस्व के 1% की दर से किया है। इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण कम्पनियों ने आगे आयोग को टैरिफ विनियमों के अनुसार राजस्व की एक प्रतिशत राशि की सम्पूर्ण राशि अनुज्ञेय करने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी निवेदन किया है कि उनका डूबन्त ऋणों के बारे में वास्तविक अपलेखन राजस्व की निर्दिष्ट राशि के एक प्रतिशत से अधिक है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध किया गया कि आयोग द्वारा टैरिफ विनियमों के अनुसार राजस्व की एक प्रतिशत राशि को डूबन्त ऋणों के रूप में अनुज्ञेय किया जाए।

तालिका 69 : विनियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों का विवरण
(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	74.48	84.44	79.01

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on Bad and Doubtful debts)

3.145 टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है कि सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अन्तर्गत, डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों को उक्त सीमा तक जिसके अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्व में अंतिम अंकेक्षित वित्तीय विवरण–पत्रों में वास्तविक रूप से अपलेखन किया गया हो, अनुज्ञेय किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें उपयुक्त समझा जाए तथा सुसंबद्ध वर्ष हेतु इनका सत्यापन, सत्यापन प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा जो वार्षिक राजस्व राशि की एक प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगा।

3.146 टैरिफ विनियमों में प्रावधान किया गया है विलंबित भुगतान अधिभार (delayed payment surcharge) को आय नहीं माना जा सकता है। अतएव, इस मद के विरूद्ध अपलेखित राशि को व्यय नहीं माना जाएगा। आयोग ने मूलधन की अपलेखित राशि को भी किसी योजना के अन्तर्गत नहीं माना है क्योंकि ऐसा बकाया राशि की वसूली हेतु उपभोक्ताओं को आकर्षित करने बाबत कम्पनी द्वारा जारी आदेश के अनुसार किया गया है।

3.147 विद्युत वितरण कम्पनियों ने अपनी याचिका में मूलधन की राशि की वसूली हेतु किये जाने वाले प्रयासों के बारे में न तो कोई उल्लेख किया है तथा न ही इसे अपलेखित करने बाबत ठोस कारण दर्शाये हैं। अतएव, आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अपलेखन संबंधी किन्हीं व्ययों को स्वीकार करने बाबत प्रवृत्त नहीं है क्योंकि नियमित रूप से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं पर इस मद के अन्तर्गत उन पर आर्थिक बोझ नहीं डाला जा सकता है।

3.148 आयोग प्रावधिक तौर पर प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के व्ययों की राशि के विरूद्ध रू. दो करोड़ की राशि इनके सत्यापन के अध्ययधीन अपलेखन करने का प्रावधान करता है।

अन्य व्यय (Other Income)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण

3.149 याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि गैर–टैरिफ आय के मुख्य घटक मापयन्त्र किराया (meter rent), चक्रण प्रभार (wheeling charges), पर्यवेक्षण प्रभार (Supervision charges), रद्दी माल (Scrap) का विक्रय तथा उपभोक्ताओं से प्राप्त किये जाने वाले विविध प्रभार हैं। मापयन्त्र भाड़ा (meter rent) तथा विविध प्रभारों को टैरिफ आय के प्रतिशत के रूप में प्रक्षेपित किया गया है।

3.150 वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल की गई अन्य आय को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका 70 : अन्य आय **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.
पूंजी निवेश (Investment), सावधिक जमा (Fixed deposit) तथा मांग जमा (Call deposits) राशियों से आय की प्राप्ति	9	13	37
ऋणों तथा कर्मचारियों को अग्रिम राशि से ब्याज की प्राप्ति	0	0	0
सामग्री प्रदायकों/ठेकेदारों को प्रदाय अग्रिम राशि से ब्याज की प्राप्ति	0	7	11
कर्मचारी कल्याण गतिविधियों के विरूद्ध आय/शुल्क /संग्रहण की राशि	0	0	0
विविध प्राप्तियां	71	54	147
उपभोक्ताओं से प्राप्त विविध प्रभार	39	50	0
लंबित आय (उपभोक्ताओं का अंशदान) {(Deferred Income) (Consumer contribution)}	14	0	258

चक्रण प्रभार (wheeling charges)	0	3	1
विद्युत के अलावा अन्य व्यापार से आय (जैसे कि रद्दी माल, निविदा प्रपत्रों का विक्रय)	18	37	0
मापयंत्र भाड़ा/अन्य	0	17	0
योग	**152**	**180**	**454**

अन्य आय के बारे में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on other Income)

3.151 अंकेक्षित लेखों के अनुसार पूर्व वर्षों हेतु वास्तविक आय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 71 : अकेक्षित लेखों के अनुसार कुल वास्तविक अन्य आय (राशि करोड़ रूपये में)

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	वित्तीय वर्ष 2011–12	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14
	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
पूर्व	139.51	162.45	152.02
पश्चिम	196.79	289.67	252.28
मध्य	293.94	231.20	378.43
कुल	**630.24**	**683.32**	782.73

3.152 उपरोक्त प्राप्त की गई अन्य वास्तविक आय के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार, अन्य आय जिनमें मापयन्त्र भाड़ा, विद्युत की चोरी/उसके अनधिकृत उपयोग के विरूद्ध बिलिंग से वसूली, विविध प्राप्तियां आदि शामिल हैं, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अन्य आय को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 72 : वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकृत की गई अन्य आय (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व	पश्चिम	मध्य	राज्य
अन्य आय	202.24	341.25	551.11	1,094.61

3.153 वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकृत की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है :

तालिका 73 : आयोग द्वारा स्वीकृत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			योग
	पूर्व	पश्चिम	मध्य	
विद्युत क्रय लागत, एमपीपीएमएल लागत को सम्मिलित करते हुए	4,713.09	7,027.10	6,020.24	17,760.42
पीजीसीआईएल प्रभार	436.78	555.16	422.43	1,414.36
ट्रांसको (एमपीपीटीसीएल) प्रभार, सेवान्त प्रसुविधाओं को सम्मिलित करते हुए	538.79	691.25	573.91	1,803.95
संचालन तथा संधारण लागत (O&M Cost)	1,091.05	993.84	976.05	3,060.93
अवक्षयण या अवमूल्यन (Depreciation)	125.76	107.63	137.60	371.00
परियोजना ऋणों पर ब्याज (Interest on Project Loans)	183.93	106.20	262.22	552.35
पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)	237.26	182.03	258.98	678.27
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)	24.93	3.48	31.90	60.31
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण (Bad and Doubtful Debts)	2.00	2.00	2.00	6.00
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (Interest on Consumer Security Deposit)	61.68	89.22	61.22	212.11
घटायें : अन्य आय–खुदरा तथा चक्रण (Retail & Wheeling)	202.24	341.25	551.11	1,094.61
वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	**7,213.03**	**9,416.65**	**8,195.43**	**24,825.10**

अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण (Segregation of approved ARR, between Wheeling and Retail Sale activities)

3.154 टैरिफ विनियमों में प्रावधान किया गया है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तीन भागों में दायर की जाएगी, यथा, विद्युत क्रय गतिविधि, चक्रण (वितरण) गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु। विनियमों में स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) की मदें पृथक से सूचीबद्ध की गई हैं जिन्हें चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुल विद्युत वितरण व्ययों को चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण का उद्देश्य चक्रण प्रभारों को संस्थापित करना है जिनकी वसूली खुली पहुंच उपभोक्ताओं से की जाएगी।

3.155 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा टैरिफ विनियमों का पालन उक्त सीमा तक किया गया है कि यह उनके द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के पृथक्कृत किये गये विद्युत क्रय, चक्रण गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के व्ययों हेतु दायर किये गये अनुसार है। विद्युत वितरण कम्पनियों ने केवल कार्यकारी पूंजी पर मानदण्डीय ब्याज, डूबन्त ऋणों हेतु प्रावधान तथा उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज को खुदरा विक्रय गतिविधि के अंतर्गत माना है। अन्य समस्त मदें पूर्णरूपेण चक्रण गतिविधि का भाग मानी गई हैं।

3.156 आयोग स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) का आवंटन निम्न विधि अनुसार करता है :

चक्रण गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(ए) संचालन तथा संधारण व्यय

(बी) अवमूल्यन

(सी) परियोजना ऋणों पर ब्याज

(डी) कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु, चक्रण गतिविधि के लिये

(ई) पूंजी पर प्रतिलाभ

(एफ) अन्य विविध व्यय

(जी) घटायें : अन्य आय, जिसका संबंध चक्रण विधि से है

खुदरा विक्रय गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(ए) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु, खुदरा विक्रय गतिविधि के लिये

(बी) उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज

(सी) डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

(डी) घटायें : अन्य आय, जिसका संबंध खुदरा विक्रय गतिविधि से है

वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आयोग द्वारा स्वीकार की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता [Annual Revenue Requirement (ARR) admitted by the Commission for FY 2015-16]

3.157 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों की चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता निम्नानुसार अनुमोदित की जाती है :

तालिका 74 : स्वीकृत की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (चक्रण तथा खुदरा गतिविधि हेतु)

(करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व	पश्चिम	मध्य	योग
विद्युत क्रय लागत (Power Purchase Cost) एमपीपीएमसीएल लागत को सम्मिलित करते हुए	4,713.09	7,027.10	6,020.24	17,760.42
पीजीसीआईएल प्रभार (PGCIL Charges)	436.78	555.16	422.43	1,414.36
एमपी ट्रांस्कों प्रभार (MPTransco Charges) सेवान्त प्रसुविधाओं को शामिल करते हुए	538.79	691.25	573.91	1,803.95

(ए) उप–योग –विद्युत क्रय लागत (Power Purchase Cost)	5,688.65	8,273.51	7,016.57	20,978.73
चक्रण गतिविधि (Wheeling Activity)				
संचालन एवं संधारण लागत (O&M Cost)	1,091.05	993.84	976.05	3,060.93
अवमूल्यन (Depreciation)	125.76	107.63	137.60	371.00
परियोजना ऋणों पर ब्याज (Interest on Project Loans)	183.93	106.20	262.22	552.35
पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)	237.26	182.03	258.98	678.27
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज–चक्रण (Interest on Working Capital - Wheeling)	24.93	3.48	31.90	60.31
(बी) वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अनुमोदित चक्रण सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का उप–योग ((B) Sub-Total Wheeling ARR for FY 2015-16 as approved)	1,662.94	1,393.18	1,666.75	4,722.86
खुदरा विक्रय गतिविधि (Retail Sale Activity)				
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण (Bad and Doubtful Debts)	2.00	2.00	2.00	6.00
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (Interest on CSD)	61.68	89.22	61.22	212.11
घटायें : अन्य आय – खुदरा तथा चक्रण	202.24	341.25	551.11	1,094.61
(सी) वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अनुमोदित खुदरा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का उप–योग ((C) Sub-Total Retail ARR for FY 2015-16 as approved)	-138.56	-250.04	-487.89	-876.49
महायोग–वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए+बी+सी) (Total ARR FY 2015-16) (A+B+C)	**7,213.03**	**9,416.65**	**8,195.43**	**24,825.10**

पुनरीक्षित विद्युत–दरों से राजस्व की प्राप्ति (Revenue from Revised Tariffs)

3.158 वित्तीय वर्ष 2015–16 की अनुमोदित विद्युत–दरों (टैरिफ) के अनुसार उपभोक्ता श्रेणीवार राजस्व निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 75 : वित्तीय वर्ष 2015–16 में पुनरीक्षित विद्युत–दरों (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति

उपभोक्ता श्रेणी	पूर्व क्षेविविकं		पश्चिम क्षेविविकं		मध्य क्षेविविकं		सम्पूर्ण राज्य	
	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये)
निम्न दाब श्रेणियां								
एलवी–1 : घरेलू	4,559	2,297	4,696	2,373	4,963	2,603	14,218	7,273
एलवी–2 : गैर–घरेलू	1,001	707	897	644	901	663	2,799	2,014
एलवी–3.1 : सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य	537	227	219	104	241	109	997	440

एलवी–3.2 : पथ–प्रकाश	207	95	155	129	122	60	484	284
एलवी–4 : औद्योगिक	345	231	549	365	285	190	1,179	786
एलवी–5.1 : कृषि	5,158	2,057	7,251	3,217	6,082	2,633	18,492	7,906
एलवी–5.2 : कृषि संबंधी अन्य उपयोग	6	3	2	1	19	8	28	12
उच्च दाब श्रेणियां								
एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	612	383	562	354	1,019	670	2,193	1,407
एचवी–2: कोयला खदानें (कोल माईन्स)	474	335	0	0	39	29	513	364
एचवी–3.1 : औद्योगिक	2,199	1,474	2,070	1,435	2,008	1,331	6,277	4,239
एचवी–3.2 : गैर–औद्योगिक	240	181	371	247	396	299	1,007	727
एचवी–3.3 : शॉपिंग मॉल	7	5	62	47	11	8	81	60
एचवी–3.4 : गहन विद्युत उद्योग	66	42	587	320	139	73	792	435
एचवी–4: मौसमी (सीजनल) तथा गैर मौसमी (नान–सीजनल)	15	9	5	3	2	1	22	14
एचवी–5.1: सिचाई, सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग	107	55	349	177	156	75	612	307
एचवी–6 : थोक आवासीय प्रयोक्ता	363	190	21	12	151	80	535	282
एचवी–7: समकालन/प्रारंभिक विद्युत प्रदाय	0	0	8	5	0	0	8	5
योग–	**15,897**	**8,289**	**17,805**	**9,434**	**16,535**	**8,832**	**50,237**	**26,555**

पुनरीक्षित विद्युत–दरों (टैरिफ) पर अन्तर/आधिक्य (Gas/Surplus at Revised Tariff)

3.159 आयोग द्वारा स्वीकृत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुसार राजस्व से आय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 76 : अन्तिम सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्यमान विद्युत–दरों से राजस्व की प्राप्ति

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए)	**7,213**	**9,417**	**8,195**	**24,825**
वित्तीय वर्ष 2010 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों के सत्यापन का प्रभाव	353	60	81	494
वित्तीय वर्ष 2011 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों के सत्यापन का प्रभाव	164	-139	293	318
वित्तीय वर्ष 2012 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों के सत्यापन का प्रभाव	545	78	309	932
वित्तीय वर्ष 2013 हेतु एमपी ट्रांसको के सत्यापन का प्रभाव	52	55	67	174
वित्तीय वर्ष 2012 हेतु एमपी जनको के सत्यापन का प्रभाव	-38	-37	-113	-188
सत्यापनों का कुल अन्तर (बी)	1,076	17	637	1,730
वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए+बी=सी)	**8,289**	**9,434**	**8,832**	**26,555**
विद्यमान विद्युत–दरों (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति (डी)	7,603	8,494	8,082	24,179
अपूरित (uncovered) अन्तर/आधिक्य (डी–सी=ई)	**-686**	**-940**	**-750**	**-2,376**
प्रस्तावित विद्युत–दरों से राजस्व की प्राप्ति (एफ)	8,289	9,434	8,832	26,555
अपूरित (uncovered) अन्तर/आधिक्य (एफ–सी=जी)	**0**	**0**	**0**	**0**

ए–4 : चक्रण प्रभार तथा प्रतिराज्यानुदान अधिभार (Wheeling Charges and Cross Subsidy Surcharge)

''चक्रण लागत'' का अवधारण (Determination of "Wheeling Cost")

4.1 आयोग द्वारा चक्रण गतिविधि के लिये चक्रण लागत के अवधारण के प्रयोजन हेतु, वितरण की स्थाई लागतों (Fixed costs) (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) को निम्नानुसार आवंटित किया जाता है :

चक्रण गतिविधि में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है :

(ए) संचालन एवं संधारण व्यय (O & M Expenses)

(बी) अवमूल्यन (Depreciation)

(सी) परियोजना ऋणों पर ब्याज (Interest on project loans)

(डी) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज – चक्रण गतिविधि हेतु मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी पर (interest on working capital loans-on normative working capital for wheeling activity)

(ई) पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)

(एफ) अन्य विविध व्यय (Other Miscellaneous expenses)

(जी) अन्य आय, जैसी कि वह चक्रण गतिविधि से संबद्ध है, को घटाकर के

4.2 वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के आधार पर समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों की चक्रण गतिविधि हेतु व्यय की गणना रू. 4722.86 करोड आंकी गई है।

वोल्टेज स्तरों पर लागतों का पृथक्करण (Segregation of Cost among Voltage Levels)

4.3 विद्युत वितरण गतिविधि से संबंधित लागतों को जिन्हें चक्रण गतिविधि से चिन्हांकित किया गया है, को आगे विद्युत वितरण के दो वोल्टेज स्तरों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात् 33 केवी तथा 33 केवी से निचले स्तर पर। यद्यपि अति उच्चदाब उपभोक्ता (अर्थात् जो 33 केवी से अधिक वोल्टेज से संबद्ध हैं) भी विद्युत वितरण कम्पनियों के उपभोक्ता हैं, विद्युत वितरण प्रणाली से सीधे संयोजित नहीं होते। कतिपय लागतों, जैसे कि मीटरीकरण, बिलिंग तथा संग्रहण से संबंधित को अति उच्चदाब उपभोक्ताओं से संबद्ध किया जाता है। तथापि, आयोग इस अवसर पर आंकड़ों की उपलब्धता के अभाव में इन विवरणों के विस्तार में जाने का इच्छुक नहीं है।

4.4 मध्यप्रदेश राज्य के विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी वर्तमान में अपनी लागतों से संबंधित लेखे वोल्टेज आधार पर संधारित नहीं करते। भारत के अन्य राज्यों में भी अधिकांश शासन के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों की भी लगभग समान स्थिति है।

4.5 यह पाया गया है कि मप्र राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों की वर्तमान लेखांकन पद्धतियां प्रत्यक्ष रूप से वोल्टेज स्तरों पर सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के पृथक्करण किये जाने को अनुज्ञेय नहीं करतीं। अतएव, आयोग 33/11 केवी तथा 11/0.4 केवी के अन्तर्मुखों (interfaces) पर रूपान्तरण क्षमता (transformation capacity) एमवीए में अपनाए जाने की पद्धति को यहां पर उचित मानता है।

4.6 इस प्रक्रिया के अन्तर्गत परिसम्पत्ति आधार के मूल्यांकन हेतु उपयोग किये गये आंकड़े निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

तालिका 77 : परिसम्पत्ति मूल्य का चिन्हांकन (Identification of Asset Value)

लाईनों का वोल्टेज स्तर	पूर्व क्षेत्र विविकं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं	मध्य क्षेत्र विविकं	लाईनों की संचयी लम्बाई (सर्किट किलामीटर में)	प्रति यूनिट लागत (लाख रूपये/सर्किट किलोमीटर में)	लाईनों की कुल लागत (करोड़ रूपये में)
33 केवी	17,341.00	14,846.00	14,980.50	47,167.50	12.92	6,094.04
33 केवी से कम						
(अ) 11 केवी	113,273.00	103,247.00	98,201.67	314,721.67	9.17	28,859.98
(ब) निम्न दाब	115,235.00	151,107.00	111,670.58	378,012.58	5.20	19,656.65
उप–योग	228,508.00	254,354.00	209,872.25	692,734.25		48,516.63
योग	**245,849.00**	**269,200.00**	**224,852.75**	**739,901.75**		**54,610.67**

तालिका 78 : ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्तर पर कुल लागत

ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्तर	पूर्व क्षेत्र विविकं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं	मध्य क्षेत्र विविकं	संचयी क्षमता (एमवीए में)	प्रति यूनिट लागत (लाख रूपये/एमवीए में)	कुल लागत (करोड़ रूपये में)
33/11 केवी ट्रांसफार्मर	7,698.00	9,903.00	8,730.00	26331.00	36.73	9671.38
11/0.4 केवी ट्रांसफार्मर	7,477.00	12,337.00	11,221.00	31035.00	2.52 प्रति 100 केवीए	7820.82
योग	**15,175.00**	**22,240.00**	**19,951.00**	**57366.00**		**17492.20**

4.7 परिपथों (lines) की लम्बाई तथा ट्रांसफार्मेशन क्षमता जिन्हें वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान जोड़ा जाना अपेक्षित है, याचिका में प्रस्तुत किये गये अनुसार माने गये हैं।

4.8 वोल्टेज के भिन्न–भिन्न स्तरों पर परिसम्पत्ति मूल्यों को चिन्हांकित किये जाने के उद्देश्य से दोनों वोल्टेज स्तरों पर अन्तर्मुख ट्रांसफार्मरों को ''निर्दिष्ट (assign)'' किया जाना आवश्यक है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आयोग वितरण ट्रांसफार्मरों (11/0.4 केवी) को 11 केवी नेटवर्क के एक भाग के रूप में सम्मिलित किया जाना उचित मानता है तथा 33/11 केवी पावर ट्रांसफार्मरों को 33 केवी नेटवर्क के एक भाग के रूप में। इस विधि के आधार पर, विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर परिसम्पत्ति मूल्यों की गणना निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 79 : वोल्टेज के प्रत्येक स्तर पर नेटवर्क के मूल्यांकन का चिन्हांकन (Identification of value of network at each voltage level)

वोल्टेज स्तर	परिपथों (लाईनों) की लागत (करोड़ रूपये में)	ट्रांसफार्मेशन की लागत (करोड़ रूपये में)	कुल लागत (करोड़ रूपये में)
33 केवी	6094.04	9671.38	15765.42
33 केवी से कम	48516.63	7820.82	56337.45
योग	**54610.67**	**17492.20**	**72102.87**

4.9 चक्रण गतिविधि संबंधी व्ययों की गणना परिसम्पत्ति मूल्य अनुपातों (asset value ratios) का उपयोग कर की गई है जैसा कि इसे उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 80: विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर नेटवर्क के व्ययों (चक्रण लागतों) की कुल लागत का चिन्हांकन

वोल्टेज स्तर	परिसम्पत्ति मूल्य (करोड़ रूपये में)	परिसम्पत्ति मूल्य (प्रतिशत में)	कुल चक्रण लागत (करोड़ रूपये में)	चक्रण लागत (करोड़ रूपये में)
33 केवी	15765.42	21.87%	4722.86	1032.66
33 केवी से कम स्तर पर	56337.45	78.13%		3690.20
योग	**72102.87**	**100.00%**		

चक्रण लागतों का परस्पर बंटवारा (Sharing of Wheeling Costs)

4.10 चक्रण लागत को पुनः उपभोक्ताओं को उक्त वोल्टेज स्तरों पर आवंटित किया जाना आवश्यक है क्योंकि 33 केवी नेटवर्क को 33 केवी तथा 33 केवी से कम वाले उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि 33 केवी से कम वाले नेटवर्क को 11 केवी तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं द्वारा भी उपयोग किया जाता है।

4.11 उपभोक्ताओं के लिये विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर चक्रण लागत का आवंटन विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर नेटवर्क के उपयोग (usage) के आधार पर किया जाता है। आयोग ने भिन्न–भिन्न वोल्टेज स्तरों पर 'विक्रित किये जाने वाले यूनिटों (units to be sold)'' को लागतों के आवंटन हेतु नेटवर्क उपयोग के उपाय के रूप में, अपनाए जाने का चयन किया है, जैसा कि इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 81 : वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं हेतु चक्रण लागत का आवंटन

	विवरण	(करोड़ रूपये में)
अ	33 केवी पर चक्रण लागत	1032.66
ब	33 केवी पर विक्रय (मिलियन यूनिट)	5910.75
स	कुल विक्रित यूनिट {132 केवी पर विक्रय को छोड़कर} (मिलियन यूनिट)	44823.63
द	33 केवी पर विक्रय तथा कुल विक्रय का अनुपात (%)	13.19%
	लागत आवंटन (Cost Allocation)	
इ	**33 केवी की चक्रण लागत जिसे केवल 33 केवी उपभोक्ताओं को ही आवंटित किया गया है {(अ)*(द)}**	**136.17**

4.12 इस प्रकार 33 केवी उपभोक्ताओं की चक्रण लागत की गणना रू. 136.17 करोड़ की गई है। इस आवंटन के आधार पर तथा 33 केवी पर की गई खपत पर विचार करते हुए रूपये प्रति यूनिट चक्रण प्रभारों का अवधारण निम्नानुसार किया गया है :

तालिका 82 : चक्रण प्रभार (Wheeling Charges)

वोल्टेज	आवंटित की गई चक्रण लागत (करोड़ रूपये में)	विक्रय (मिलियिन यूनिटों में)	चक्रण प्रभार (रूपये/यूनिट में)
अति उच्च दाब (EHT)	-	-	-
33 केवी	136.17	5910.75	0.23

विभिन्न परिदश्यों के अन्तर्गत चक्रण प्रभारों की प्रयोज्यता (Applicability of Wheeling Charges under different Scenarios)

4.13 खुली पहुंच उपभोक्ताओं तथा उनके उपभोक्ताओं की स्थिति के विभिन्न परिदृश्यों तथा पारेषण एवं चक्रण प्रभारों की अनुवर्ती प्रयोज्यता :

(अ) **परिदृश्य एक : विद्युत उत्पादक पारेषण (नेटवर्क) (अति उच्च दाब वोल्टेजों पर) से संयोजित हो, जबकि उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी 33 केवी पर वितरण प्रणाली (नेटवर्क) से संयोजित हो** : इस परिदृश्य के अन्तर्गत दोनों पारेषण तथा

चक्रण प्रभार लागू होंगे, क्योंकि खुली पहुंच उपभोक्ता द्वारा वांछित विद्युत ऊर्जा पारेषण नेटवर्क से नीचे की दिशा में वितरण नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ता के संयोजन तक प्रवाहित होगी।

(ब) **<u>परिदृश्य दो : विद्युत उत्पादक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के 33 केवी के वितरण नेटवर्क से संयोजित हो , जबकि उपभोक्ता पारेषण नेटवर्क से (132 केवी या इससे अधिक पर) संयोजित हो</u>** : इस परिदृश्य के अन्तर्गत, उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति केवल पारेषण नेटवर्क पर विद्युत ऊर्जा के प्रवाह के रूप में की जाएगी। खुली पहुंच विद्युत उत्पादक द्वारा उत्पादित की गई विद्युत ऊर्जा की खपत स्थानीय रूप से वितरण कम्पनी की परिसीमाओं के अन्तर्गत ही की जाएगी तथा यह ऊपर की दिशा में खुली पहुंच उपभोक्ता की ओर प्रवाहित नहीं होगी। अतएव, इस प्रकार के संव्यवहारों पर केवल पारेषण प्रभार ही लागू होंगे।

(स) **<u>परिदृश्य तीन : जब दोनों विद्युत उत्पादक तथा उपभोक्ता पारेषण नेटवर्क से (132 केवी या इससे अधिक पर) संयोजित हो</u>** : इस परिदृश्य के अन्तर्गत केवल पारेषण प्रभार ही लागू होंगे क्योंकि यहां पर वितरण नेटवर्क प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(द) **<u>परिदृश्य चार : जब दोनों विद्युत उत्पादक तथा उपभोक्ता किसी भी वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से 33 केवी पर संयोजित हो</u>** : खुली पहुंच विद्युत उत्पादक द्वारा उत्पादित विद्युत की खपत सम्पूर्ण म.प्र. राज्य में विद्युत वितरण कम्पनियों के अन्तर्गत एक समान खुदरा विद्युत दर की शर्तों के अन्तर्गत खपत की जाएगी, अतएव यह खुली पहुंच उपभोक्ता की मांग की आपूर्ति में अपना योगदान प्रदान करेगी। अतः, इस संव्यवहार में पारेषण नेटवर्क का अतिरिक्त उपयोग सन्निहित नहीं है। अतएव, इस प्रकार के संव्यवहारों में केवल चक्रण प्रभार ही लागू होंगे।

4.14 खुली पहुंच को प्रोत्साहित किये जाने की दृष्टि से आयोग द्वारा प्रभारों की उपरोक्त प्रयोज्यता का अवधारण किया गया है। उपरोक्त प्रतिपादन (formulations) इस सिद्धान्त के अनुरूप हैं कि नेटवर्क के अन्तर्गत विद्युत विस्थापन विधि (displacement method) द्वारा प्रवाहित होती है।

प्रति–राज्यानुदान अधिभार का अवधारण (Determination of Cross subsidy Surcharge)

4.15 टैरिफ नीति के अन्तर्गत, उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु प्रति–राज्यानुदान अधिभार के अवधारण हेतु निम्न सूत्र विनिर्दिष्ट किया गया है :

''8.5 खुली पहुंच हेतु प्रति राज्यानुदान अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार (Cross Subsidy Surcharge and additional Surchage for Open acess)

8.5.1 .....

अधिभार सूत्र (Surcharge formula) :

S =T [C(1+L/100) +D]

जहां

S = अधिभार है

T= उपभोक्ताओं की सुसंगत श्रेणी द्वारा भुगतानयोग्य विद्युत–दर (Tariff) है

C= उपान्त (margin) पर शीर्ष पांच प्रतिशत की भारित औसत लागत है जिसमें तरल ईंधन (liquid fuel) तथा नवकरणीय ऊर्जा (renewable power) आधारित विद्युत उत्पादन सम्मिलित नहीं है

D = चक्रण प्रभार है

L = प्रयोज्य वोल्टेज स्तर पर प्रणाली हानियां हैं, जिन्हें प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

''8.5.5. चक्रण प्रभारों को उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर अवधारित किया जाना चाहिए जैसा कि वे राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों (Intra-state transmission charges) हेतु निर्धारित किये गये हैं तथा अतिरिक्त तौर पर इसमें सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर औसत हानि की क्षतिपूर्ति सम्मिलित की जाएगी।''

4.16 टैरिफ नीति की कण्डिका 8.5.1 में कहा गया है कि *''राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार क्रास सब्सिडी और खुली पहुंच की अनुमति वाले उपभोक्ताओं से वसूल किया जाने वाला अतिरिक्त अधिभार इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि वह प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दे जो कि खुली पहुंच के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता के लिए विद्युत उत्पादन व आपूर्ति में विकसित की जानी है।''*

उपरोक्त कंडिका के प्रथम परन्तुक (Proviso) में कहा गया है कि *''.....उपभोक्ता खुली पहुंच की सुविधा तभी लेगा जब सभी प्रभारों का भुगतान करने पर भी उसे लाभ प्राप्त हो..... ।''*

उपरोक्त कंडिका के द्वितीय परन्तुक में कहा गया है कि *''.....(तद्नुसार इस प्रयोजनार्थ उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति लागत का आंकलन (क) संबंधित वोल्ट स्तर की औसत हानि प्रतिपूर्ति के लिए समायोजित और एसईआरसी द्वारा अनुमोदित मैरिट क्रम में तरल ईंधन आधारित उत्पादन को छोड़कर मार्जिन पर शीर्षतम 5% विद्युत की खरीद लागत का भारित औसत (स्थिर व परिवर्तनशील प्रभार समेत).....''*

उपरोक्त कंडिका के अन्तिम परन्तुक में यह कहा गया है कि ''यथासंभव क्रास सब्सिडी अधिभार को उत्तरोत्तर वित्तीय वर्ष 2010–11 तक इसके प्रारंभिक स्तर पर अधिकतम 20 प्रतिशत तक की रैखिक दर पर नीचे के स्तर पर लाया जाना चाहिए।''

4.17 जैसा कि पूर्व परिच्छेद में उल्लेख किया गया है, इस प्रयोजन हेतु उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय की लागत की गणना विद्युत प्रदाय की लागतों के शीर्ष 5 प्रतिशत उपान्त (margin) के योग (aggregate) के आधार पर की जा सकती है।

4.18 शीर्ष पांच प्रतिशत विद्युत उपान्त (margin) विद्युत क्रय की लागत की गणना निम्नानुसार की गई है :

वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु ऊर्जा की कुल आवश्यकता = 64,261 मिलियन यूनिट

तालिका 83 : शीर्ष पांच प्रतिशत अर्थात् 3213.07 मिलियन यूनिट विद्युत क्रय की लागत

स्टेशन	यूनिट संख्या (मिलियन यूनिट में)	लागत (रूपये/यूनिट)	कुल लागत (करोड़ रूपये में)
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन–विस्तार	3,208.98	3.88	1,243.71
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन	4.09	3.75	1.53
योग	**3,213.07**	**3.88**	**1,245.24**

4.19 इस प्रकार शीर्ष पांच प्रतिशत की भारित औसत विद्युत क्रय लागत की गणना रू. 1245.24 करोड़/ 3213.07 मिलियन यूनिट = रू. 3.88 प्रति यूनिट की गई है।

4.20 टैरिफ नीति के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर हानि स्तर (पारिभाषिक शब्द 'L' के अनुसार) की गणना पृथक–पृथक की जानी चाहिए। इस प्रयोजन हेतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में, प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर हानि स्तरों को निम्नानुसार माना गया है :

तालिका 84 : वोल्टेजवार हानिस्तर (Voltage-wise loss levels)

वोल्टेज स्तर	हानि स्तर (एल)
अति उच्च दाब (पारेषण प्रणाली) बाह्य हानियों को शामिल करते हुए	5.32%
33 केवी (केवल 33 केवी प्रणाली)	5.83%

4.21 पारेषण की लागत प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर समस्त उपभोक्ताओं को एक समान रूप से प्रसारित की जाएगी, क्योंकि पारेषण नेटवर्क का उपयोग समस्त उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। अतएव, चक्रण लागतों की भांति, वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अनुमोदित पारेषण प्रभारों की गणना निम्नानुसार की गई है :

तालिका 85 : पारेषण प्रभार (Transmission charges)

विवरण	योग
पीजीसीआईएल (PGCIL) प्रभार (करोड़ रूपये में)	1,414.36
एमपीपीटीसीएल (MPPTCL) प्रभार (करोड़ रूपये में)	1,803.95
कुल प्रभार (करोड़ रूपये में)	**3,218.31**
एमपीटीसीएल द्वारा हथालन किये जाने वाले यूनिटों की संख्या	64,261.36
प्रति यूनिट पारेषण प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	0.50

4.22 अन्ततः, टैरिफ नीति सूत्र के अन्तिम पारिभाषिक शब्द 'T', अर्थात् प्रत्येक श्रेणी हेतु औसत विद्युत–दर (टैरिफ) की गणना वित्तीय वर्ष 2015–16 के अपेक्षित राजस्व से प्राप्त की गयी है।

4.23 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबन्धन तथा शर्तों) विनियम, 2005 के अनुसार एक मेगावाट या इससे अधिक संविदा मांग वाले उपभोक्ताओं को दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 से खुली पहुंच अनुज्ञेय की गई है। इन उपभोक्ताओं को मप्र विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया गया है, 33 केवी या इससे अधिक क्षमता वाली प्रणाली से संयोजित किया जाएगा।

4.24 उपरोक्त की गई चर्चा के अनुसार, विभिन्न परिदृश्यों के अन्तर्गत 132 केवी/33 केवी पर एक मेगावाट या इससे अधिक संविदा मांग वाले उच्चदाब उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु कुल लागत (रू. प्रति यूनिट) की गणना शीर्षक ''परिदृश्यवार लागत (scenariowise cost)'' ''के अन्तर्गत निम्न तालिका में दर्शाई गई है। विशिष्ट वोल्टेज पर, प्रति राज्यानुदान अधिभार (cross subsidy surcharge) की गणना विशिष्ट श्रेणी हेतु औसत विद्युत–दर (average tariff) तथा कुल लागत (रूपये प्रति यूनिट) के अन्तर के रूप में होगी। वित्तीय वर्ष 2015–16 के टैरिफ आदेश के अनुसार ''श्रेणीवार औसत विद्युत–दर (categorywise average tariff) नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है। उदाहरण के तौर पर, वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु, 132 केवी पर रेलवे कर्षण के लिये औसत विद्युत–दर की गणना रू. 6.41 पैसे प्रति यूनिट की गई है तथा कुल लागत की

गणना रू. 4.59 प्रति यूनिट आती है। इस प्रकार, सहायतानुदान प्रभार रू. 6.41 रू. 4.59 = रू. 1.82 प्रति यूनिट होगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में (जैसे कि लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग को छोड़कर, थोक आवासीय प्रयोक्ताओं, छूट प्राप्तिकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय, आदि) जहां उपरोक्त पद्धति के आधार पर प्रतिसहायतानुदान अधिभार की गणना ऋणात्मक आती हो, वहां बिलिंग के प्रयोजन हेतु इसे शून्य माना जाएगा।

4.25 उपरोक्त उल्लेखित चक्रण प्रभार तथा प्रति राज्यानुदान प्रभार ऐसे उपभोक्ताओं को लागू नहीं होंगे जो ऊर्जा के नवकरणीय स्त्रोतों से खुली पहुंच (Open access) प्राप्त करते हैं।

तालिका 86 : परिदृश्यवार लागत (रूपये प्रति यूनिट में)

परिदृश्य	5% सीमांत पर विद्युत की लागत	विद्युत की लागत जिसे वितरण हानियों (5.83% पर) बाबत सकलबद्ध किया गया है	विद्युत की लागत जिसे पारेषण हानियों (5.22% पर) बाबत सकलबद्ध किया गया है	पारेषण प्रभार	चक्रण प्रभार	कुल लागत {C(1+L/100)+D}
1	3.88	4.12	4.35	0.50	0.23	5.08
2	3.88		4.09	0.50		4.59
3	3.88		4.09	0.50		4.59
4	3.88	4.12	4.35		0.23	4.58

तालिका 87 : श्रेणीवार औसत विद्युत–दर (रूपये प्रति यूनिट में)

उच्च दाब/अति उच्च दाब उपभोक्ताओं की श्रेणी	औसत विद्युत–दर (टैरिफ)
HV-1 : रेलवे कर्षण (Railway Traction)	6.41
HV-2 : कोयला खदानें (Coal Mines)	7.10
HV-3.1 : औद्योगिक (Industries)	6.75
HV-3.2 : गैर–औद्योगिक (Non-Industrial)	7.21
HV-3.3 : शापिंग मॉल (Shopping Malls)	7.48
HV-3.4 : गहन विद्युत उद्योग (Power Intensive Industries)	5.48
HV-4 : मौसमी (Seasonal)	6.26
HV-5.1 : सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य (Public Water Works)	5.02
HV-5.2 : सिंचाई के अलावा (Other than Irrigation)	5.27
HV-6 : थोक आवासीय प्रयोक्ता (Bulk Residential Users)	5.27
HV-7 : विद्युत उत्पादकों हेतु ग्रिड से संयोजित प्रारंभिक ऊर्जा (Start-up Power for Generators connected to grid)	6.25

ए–5 : ईंधन लागत समायोजन प्रभार (Fuel Cost Adjustment Charge)

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submissions)

5.1 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि वर्तमान ईंधन लागत समायोजन सूत्र में धनात्मक विद्युत क्रय लागत (Incremental Power Purchase Cost) की वसूली को शामिल नहीं किया गया है जिसके अन्तर्गत विद्युत का क्रय ऐसे कारकों के अन्तर्गत किया जाता हो जो उनके नियन्त्रण से परे हैं तथा जिनमें शामिल हैं टैरिफ आदेश के अन्तर्गत चिन्हित स्त्रोतों से विद्युत आपूर्ति में कमी जिसके अनुसार उन्हें विद्युत बाजार अथवा अन्य स्त्रोतों से मांग की आपूर्ति हेतु विद्युत का क्रय उच्चतर दरों पर करना होता है।

5.2 उनके द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया है कि विद्युत क्रय की मात्रा को मानदण्डीय हानि स्तरों के आधार पर नियंत्रित नहीं किया जाना संभव नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को विद्युत अधिनियम, 2003 में अधिदेशित आपूर्ति आबंधों के अनुसार विद्युत मांग की आपूर्ति करनी होती है। यह निवेदन भी किया गया कि विद्युत प्रणाली की प्रदत्त प्रचालन परिस्थितियों के अन्तर्गत ऊर्जा की मात्रा तथा विद्युत मांग न्यूनाधिक अनियंत्रणीय परिवर्तनीय कारक (uncontrollable variables) होते हैं। निवेदन किया गया कि विद्युत–दर के अवधारण के प्रयोजन हेतु, युक्तियुक्त लागत पर आधारित औसत विद्युत क्रय लागत प्रति यूनिट पर विचार किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने यह व्याख्या भी प्रस्तुत की है कि मानदण्डीय हानि पर आधारित, विद्युत की मात्रा पर औसत विद्युत क्रय लागत प्रति यूनिट पर आधारित लागत को उपभोक्ता को अन्तरित किया जाना चाहिए तथा इससे अधिक कोई भी लागत याचिकाकर्ता द्वारा वहन की जाएगी। यह दृढ़कथन भी किया गया कि उपभोक्ताओं को विद्युत क्रय लागत के पूर्ण स्थाई लागत तत्व पर अन्तरण की क्रियाविधि, एक युक्तियुक्त लागत के रूप में उपभोक्ताओं तथा याचिकाकर्ताओं के हितों के मध्य उचित सन्तुलन कायम करेगी क्योंकि यह समग्र रूप से औसत विधि पर आधारित है तथा वार्षिक चक्र (annual cycle) के अंतर्गत समस्त कारकों को सम्मिलित किया गया है तथा बराबर रूप से वितरित भी किया गया है।

5.3 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा विनियमों के अनुसार, ईंधन लागत समायोजन प्रभार के साथ–साथ धनात्मक विद्युत क्रय लागत (Incremental Power Purchase Cost) की वसूली हेतु एकल सूत्र

को रूपांकित किया जाना अधिक उपयुक्त होगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित सूत्र को निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

बिलिंग त्रैमास हेतु F & IPPCA $\frac{P}{u} = \frac{\text{APPC (करोड़ रूपये में) x 100}}{\text{मानदण्डीय विक्रय (मिलियन यूनिट में)}}$

जहां,

APPC (Average Power Purchase Cost) अर्थात् औसत विद्युत क्रय लागत निम्न का योग होगा = (अ) प्रत्येक विद्युत उत्पादक स्त्रोत/स्त्रोतों द्वारा वास्तविक रूप से बिल की गई प्रति यूनिट औसत लागत में अन्तर जैसा कि इसे टैरिफ आदेश में अनुज्ञेय किया गया है तथा (ब) पिछले त्रैमास के दौरान प्रत्येक विद्युत उत्पादक स्टेशन से प्राप्त किये गये यूनिटों की संख्या का गुणनफल;

पिछला त्रैमास (Preceding Quarter) का तात्पर्य पिछले तीन माह की अवधि से है, जिसमें बिलिंग त्रैमास के ठीक दो माह की पूर्व कालावधि शामिल नहीं की जाएगी ;

बिलिंग त्रैमास (Billing Quarter) का तात्पर्य तीन माह की कालावधि से है, जिसके लिये F&IPPCA की बिलिंग की जाएगी तथा यह अवधि किसी त्रैमास को प्रारंभ होने वाली प्रथम दिवस से प्रारंभ होकर उक्त त्रैमास की अन्तिम दिवस को समाप्त होने वाली अवधि है, जैसे कि एक अप्रैल से प्रारंभ होकर तीस जून तक समाप्त होने वाली अवधि, आदि आदि।

मानदण्डीय विक्रय (Normative Sale) का तात्पर्य वास्तविक सकल विद्युत विक्रय से है जिसकी प्राप्ति पिछले त्रैमास के दौरान समस्त स्त्रोतों (विद्युत उत्पादकों + अन्य स्त्रोतों) से वास्तविक एक्स–बस आहरण के आधार पर पीजीसीआईएल, पारेषण, वितरण हानियों के आधार पर पिछले त्रैमास के महीनों के दौरान, जैसा कि इसका प्रावधान टैरिफ आदेश में किया गया है, की जाएगी।

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

5.4 आयोग ने याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण पर विचार किया है। सुसंबद्ध विनियमों में ईंधन लागत समायोजन (FCA) के उद्ग्रहण के अतिरिक्त धनात्मक विद्युत क्रय लागतों को भी अनुज्ञेय किये जाने का प्रावधान भी किया गया है। तथापि, आयोग का इस स्थिति में यह मत है कि वर्तमान में केवल ईंधन लागत समायोजन (FCA) की वसूली को ही अनुज्ञेय किया जाए तथा चालू टैरिफ अवधि के दौरान उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाला जाना उचित न होगा। इस मद के अन्तर्गत, किन्ही भी अतिरिक्त

लागतों पर विचार सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, विधिवत युक्तियुक्त जांच के उपरांत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विद्युत क्रय लागतों में वृद्धि के कारण इसके समुचित भाग को ईंधन लागत समायोजन के उद्ग्रहण द्वारा ध्यान में रखा गया है। अतएव, आयोग ने केवल त्रैमासिक ईंधन लागत समायोजन प्रभार को ही निम्न परिच्छेदों में दर्शाये गये विवरणों के साथ जारी रखे जाने के बारे में निर्णय लिया है।

5.5 टैरिफ विनियमों के विनियम 9 को दृष्टिगत रखते हुए आयोग, एतद् द्वारा निम्न परिच्छेदों में दर्शाये गये विवरणों के साथ केवल ईंधन लागत समायोजन सूत्र को मय इससे संबद्ध क्रियाविधि/औपचारिकताओं के लघु संशोधनों के साथ जारी रखे जाने का निर्णय लेता है।

5.6 ईंधन लागत समायोजन (FCA) की गणना किये जाने के संबंध में विद्युत उत्पादक संयंत्रों हेतु कोयला, खनिज तेल तथा गैस हेतु ईंधन की लागत में किसी वृद्धि या कमी के कारण अनियन्त्रणीय लागतों को नियन्त्रण किये जाने बाबत निम्न सूत्र निर्दिष्ट किया गया है :

$$\text{बिलिंग त्रैमास हेतु ईंधन लागत समायोजन (FCA for billing Quarter) (पैसे/यूनिट में)} = \frac{\text{IVC (करोड़ रूपये में) x 1000}}{\text{मानदण्डीय विक्रय (Normative Sale) (मिलियन यूनिट में)}}$$

जहां,

"IVC" अर्थात् परिवर्तनीय लागत में वृद्धि से तात्पर्य निम्न के योग से है – (अ) प्रत्येक दीर्घ अवधि कोयला या गैस आधारित विद्युत उत्पादक द्वारा वास्तविक रूप से बिल की गई परिवर्तनीय लागत (Variable Cost) का अन्तर जैसा कि इसे टैरिफ में अनुज्ञेय किया गया है तथा (ब) पिछले त्रैमास के दौरान प्रत्येक विद्युत उत्पादक स्टेशन से प्राप्त की गई यूनिट संख्या का गुणनफल। जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों से परिवर्तनीय लागतों को विद्युत क्रय की परिवर्तनीय लागत में वृद्धि की गणना के प्रयोजन हेतु माना नहीं जाएगा।

पिछला त्रैमास (Preceding Quarter) से तात्पर्य पिछले तीन माह की अवधि से है, जिसमें बिलिंग त्रैमास के ठीक पूर्व दो माह की कालावधि शामिल नहीं की जाएगी।

बिलिंग त्रैमास (Billing Quarter) का तात्पर्य तीन माह की कालावधि से है, जिसके लिये ईंधन लागत समायोजन की बिलिंग की जाना है तथा यह अवधि किसी त्रैमास को प्रारंभ होने वाली प्रथम दिवस से प्रारंभ होकर उक्त त्रैमास की अन्तिम दिवस को

समाप्त होने वाली अवधि है, जैसे कि एक अप्रैल से प्रारंभ होकर तीस जून तक की अवधि, आदि, आदि।

मानदण्डीय विक्रय (Normative) का तात्पर्य वास्तविक सकल विद्युत विक्रय से है जिसकी प्राप्ति पिछले त्रैमास के दौरान समस्त स्त्रोतों (विद्युत उत्पादकों + अन्य स्त्रोतों) से पीजीसीआईएल, पारेषण, वितरण हानियों के आधार पर पिछले त्रैमास के महीनों के दौरान, जैसा कि इसका प्रावधान टैरिफ आदेश में किया गया है, वास्तविक एक्स–बस आहरण के आधार पर की जाती है।

5.7 ईधन लागत समायोजन (FCA) की गणना मानदण्डीय मापदण्डों के आधार पर तत्संबंधी समुचित आयोगों द्वारा जारी विद्युत उत्पादन टैरिफ आदेश के अनुसार की जाएगी। आगे किये जाने वाले किसी परिवर्तन के संबंध में आयोग का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5.8 ईंधन लागत समायोजन प्रभार की गणना पैसे प्रति यूनिट (किलोवाट ओवर) के रूप में की जाएगी जिसे निकटतम पैसे तक पूर्णांक किया जाएगा। इस प्रयोजन से 0.50 तक के अंश की अवहेलना की जाएगी तथा 0.50 से अधिक अंश को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा। इस प्रभार को, प्रत्येक उपभोक्ता को बिल की गई ऊर्जा हेतु विद्यमान टैरिफ के अनुसार ऊर्जा प्रभारों में जोड़ा जाएगा, या उसमें से घटाया जाएगा, जैसा कि वह लागू हो तथा इसे उपभोक्ताओं को जारी किये गये विद्युत देयकों में पृथक से दर्शाया जाएगा तथा इसे ऊर्जा प्रभार (energy charge) का एक भाग माना जाएगा।

5.9 ईंधन लागत समायोजन प्रभार (FCA Charge) राज्य की समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों की समस्त उपभोक्ता श्रेणियों को एक समान लागू होगा।

5.10 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) के उपभोक्ताओं को खुदरा विद्युत विक्रय हेतु प्राधिकृत किया गया है। त्रैमास के दौरान, ईंधन लागत समायोजन का उत्तरदायित्व एमपीपीएमसीएल का होगा।

5.11 एमपीपीएमसीएल द्वारा दीर्घ अवधि कोयला, गैस आधारित विद्युत उत्पादकों से पिछले त्रैमास के दौरान उनके द्वारा प्राप्त किये गये बिलों के आधार पर विद्युत क्रय की परिवर्तनीय लागत में परिवर्तन की गणना की जाएगी। इस जानकारी को ''पिछले

त्रैमास'' के प्रत्येक माह के लिये निम्न विधि के अनुसार तैयार किया जाएगा तथा तत्पश्चात् उक्त त्रैमास हेतु इसे संकलित किया जाएगा :

तालिका 88 : ईंधन लागत समायोजन प्रभार हेतु प्रपत्र

माह/त्रैमास	विद्युत उत्पादक केन्द्र/अन्य स्त्रोत का नाम	एक्सबस से आहरित विद्युत की मात्रा	वास्तविक परिवर्तनीय प्रभारों पर आधारित उपगत की गई परिवर्तनीय लागत		टैरिफ आदेश में प्रावधानित की गई दरों के अनुसार परिवर्तनीय लागत		विद्युत क्रय की लागत में वृद्धि
		(मिलियन यूनिट में)	दर (पैसे/यूनिट में)	लागत (करोड़ रूपये में)	दर (पैसे/यूनिट में)	लागत (करोड़ रूपये में)	लागत (करोड़ रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

5.12 एमपीपीएमसीएल द्वारा ''मानदण्डीय विक्रय (normative sale)'' की गणना की जाएगी। इस प्रयोजन से पिछले त्रैमास के महीनों के लिये मानदण्डीय पीजीसीआईएल, पारेषण, वितरण हानि (प्रतिशत/मात्रा), जैसा कि इसका प्रावधान टैरिफ आदेश के अन्तर्गत किया गया है, पिछले त्रैमास के दौरान कुल एक्स–बस पावर में से घटाया जाएगा, जिसके अनुसार मानदण्डीय विक्रय की मात्रा प्राप्त की जाएगी।

5.13 एमपीपीएमसीएल द्वारा ईंधन लागत समायोजन की गणना पूर्व में प्रदत्त सूत्र के आधार पर की जाएगी तथा आवश्यक विवरण आयोग को बिलिंग त्रैमास प्रारंभ होने से न्यूनतम 15 दिवस पूर्व प्रस्तुत किये जाएंगे। आयोग के अनुमोदन पश्चात् ईंधन लागत प्रभार आगामी त्रैमास के लिये प्रभारणीय होगा।

5.14 राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा ईंधन लागत समायोजन प्रभार की बिलिंग, उक्त बिलिंग त्रैमास के प्रथम दिवस से प्रारंभ कर दी जाएगी।

5.15 ईंधन लागत समायोजन की दर तथा कुल राशि उपभोक्ता देयकों में पृथक से दर्शाई जाएगी।

5.16 इसे समझने के प्रयोजन से निम्न उदाहरण (Illustration) प्रस्तुत किया जा रहा है :

5.17 यदि ''बिलिंग त्रैमास'' माह ''जुलाई से सितम्बर'' माना जाए तो ''पिछले त्रैमास (preceding quarter)'' का तात्पर्य माह ''फरवरी से अप्रैल'' से होगा तथा मई तथा जून के महीनों की अवधि को आंकड़े/विवरणों को एकत्र करने तथा ईंधन लागत समायोजन प्रभार को अंतिम करने हेतु अनुज्ञेय किया जाएगा।

5.18 पीजीसीआईएल प्रणाली तथा एमपीपीटीसीएल प्रणाली हेतु मानदण्डीय हानियों से संबंधित विवरण तथा आयोग के टैरिफ आदेशों के अनुसार मानदण्डीय हानियों के विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 89 : मानदण्डीय हानियां–पीजीसीआईएल, प्रणाली एमपीटीसीएल प्रणाली तथा वितरण हानियों के संबंध में

माह / वर्ष	पीजीआईएल हानियां *		एमपीटीसीएल हानियां**	वितरण हानियां***
	क्षेत्र	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
जनवरी, 2015	पश्चिम क्षेत्र	2.28%	3.00%	19.59%
	पूर्व क्षेत्र	2.50%		
फरवरी, 2015	पश्चिम क्षेत्र	2.28%	3.00%	19.59%
	पूर्व क्षेत्र	2.50%		
मार्च, 2015	पश्चिम क्षेत्र	2.28%	3.00%	19.59%
	पूर्व क्षेत्र	2.50%		
अप्रैल, 2015	पश्चिम क्षेत्र	3.83%		
	पूर्व क्षेत्र	2.09%	3.00%	17.64%
मई, 2015	पश्चिम क्षेत्र	3.83%	3.00%	17.64%
	पूर्व क्षेत्र	2.09%		
जून, 2015	पश्चिम क्षेत्र	3.83%	3.00%	17.64%
	पूर्व क्षेत्र	2.09%		
जुलाई, 2015	पश्चिम क्षेत्र	3.83%	3.00%	17.64%
	पूर्व क्षेत्र	2.09%		
अगस्त, 2015	पश्चिम क्षेत्र	3.83%	3.00%	17.64%
	पूर्व क्षेत्र	2.09%		
सितम्बर, 2015	पश्चिम क्षेत्र	3.83%	3.00%	17.64%
	पूर्व क्षेत्र	2.09%		
अक्टूबर, 2015	पश्चिम क्षेत्र	3.83%	3.00%	17.64%
	पूर्व क्षेत्र	2.09%		
नवम्बर, 2015	पश्चिम क्षेत्र	3.83%	3.00%	17.64%
	पूर्व क्षेत्र	2.09%		
दिसम्बर, 2015	पश्चिम क्षेत्र	3.83%	3.00%	17.64%
	पूर्व क्षेत्र	2.09%		

जनवरी, 2016	पश्चिम क्षेत्र	3.83%	3.00%	17.64%
	पूर्व क्षेत्र	2.09%		
फरवरी, 2016	पश्चिम क्षेत्र	3.83%	3.00%	17.64%
	पूर्व क्षेत्र	2.09%		
मार्च, 2016	पश्चिम क्षेत्र	3.83%	3.00%	17.64%
	पूर्व क्षेत्र	2.09%		

टीप : *पीजीसीआईएल हानियां (PGCIL Losses) : प्रतिशत पीजीसीआईएल हानि पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र द्वारा पृथक से प्रदान की गई जानकारी पर आधारित हैं।

**पारेषण हानियां : प्रतिशत मध्यप्रदेश पारेषण हानियां राज्य सीमा पर किये गये विद्युत आहरण पर आधारित हैं।

***वितरण हानियां : प्रतिशत वितरण हानियां विद्युत वितरण कम्पनियों की सीमा पर विद्युत के आहरण पर आधारित हैं।

ए–6 : सार्वजनिक आपत्तियां तथा अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाओं पर टिप्पणियां (Public Objections and Comments on Licensees' Petitions)

6.1 तीन विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किये गये सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दर प्रस्तावों को सुनवाई के लिये स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त इनकी प्रमुख विशिष्टताएं समाचार पत्रों में प्रकाशित की गईं। याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई टैरिफ याचिका को आयोग के साथ–साथ याचिकाकर्ताओं की वैबसाईट पर भी अपभारित (upload) किया गया। आयोग ने याचिकाकर्ताओं को विभिन्न हितधारकों से उनकी टिप्पणियां/आपत्तियां/सुझावों को आमंत्रित किये जाने बाबत उनके टैरिफ आवेदनों तथा प्रस्तावों की संक्षेपिका प्रकाशित किये जाने हेतु निर्देश दिये तथा इस हेतु अन्तिम तिथि 13 फरवरी, 2015 निर्धारित की तथा प्रस्तुतिकरण की अन्तिम तिथि 9 मार्च, 2015 निर्धारित की। आयोग ने सार्वजनिक सुनवाईयों की तिथि तक प्राप्त की गई समस्त टिप्पणियों पर विचार किया है। आपत्तिकर्ताओं की सूची जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ प्रस्तावों पर टिप्पणियां/आपत्तियां दाखिल की थीं, **परिशिष्ट–1** में संलग्न की गई हैं।

6.2 आयोग ने तत्पश्चात् एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके माध्यम से इच्छुक हितधारकों को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दर (टैरिफ) प्रस्तावों के संबंध में उनके सुझाव/आपत्तियों व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष जन–सुनवाईयों के दौरान प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया। सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ प्रस्तावों पर प्राप्त की गई टिप्पणियों की संख्या निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 90 : प्राप्त की गई आपत्तियों की संख्या

स. क्रं.	विद्युत वितरण कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों पर प्राप्त किये गये सुझाव/टिप्पणियां की संख्या
1	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि., इंदौर	**64**
2	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., भोपाल	**36**
3	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., जबलपुर	**29**
	योग	**129**

6.3 आयोग द्वारा निम्न कार्यक्रम के अनुसार जन–सुनवाईयां आयोजित की गईं :

तालिका 91 : आयोजित की गई जन–सुनवाईयां

स.क्र	विद्युत वितरण कम्पनी का नाम	जन सुनवाई की तिथि	सुनवाई स्थल
1.	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि, इंदौर	17 मार्च, 2015	संतोष सभागृह, फिल्म भवन, रानी सती गेट के समीप, यशवन्त निवास मार्ग, इंदौर
2.	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., भोपाल	20 मार्च, 2015	प्रशासन अकादमी सभागृह, 1100 क्वार्टर, भोपाल
3.	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., जबलपुर	24 मार्च, 2015	''तरंग आडिटोरियम'' शक्ति भवन, जबलपुर

6.4 सुनवाई के दौरान, अधिकांश प्रतिवादियों ने विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित की गई विद्युत–दर (टैरिफ) में वृद्धि का विरोध किया। अधिकतर प्रतिवादियों का मत था कि समग्र रूप से तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के असन्तोषजनक निष्पादन का मुख्य कारण उच्च वितरण हानियां थीं जिनमें शामिल थे विद्युत की चोरी तथा घरेलू एवं कृषि श्रेणियों में अमीटरीकृत संयोजनों को मीटरीकृत न किया जाना। अनेक प्रतिवादियों ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में घरेलू तथा कृषि संयोजनों के प्रकरणों में मीटरीकरण की प्रगति के बारे में अपनी–अपनी चिन्ताएं व्यक्त कीं। उनका मत था कि विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों से संरेखित उपभोक्ताओं की समस्त श्रेणियों के लिये शत प्रतिशत मीटरीकरण के क्रियान्वयन हेतु एक सुनिश्चित योजना लागू की जाए।

6.5 उद्योग/औद्योगिक संघों/संगठनों के प्रतिनिधियों ने पूर्व अवधि के दौरान सत्यापन के कारण लगभग रू. 1730 करोड़ की वसूली का विरोध किया। जबकि कुछ आपत्तिकर्ताओं द्वारा सत्यापन लागत के उद्ग्रहण को एक न्यायालय के विचाराधीन (subjudice) का विषय होने के कारण इसका विरोध किया गया, दूसरी ओर कुछ आपत्तिकर्ताओं ने इसे तीन वर्षों के दौरान राशि की वसूली द्वारा या फिर इसे विनियामक परिसम्पत्तियों (regulatory assets) के अन्तर्गत परिवर्तन किये जाने का अनुरोध किया गया। आपत्तिकर्ताओं द्वारा यह निवेदन भी किया गया कि सत्यापन लागत की वसूली पृथक शीर्ष के अन्तर्गत की जाए ताकि विद्युत–शुल्क (Electricity duty) के उद्ग्रहण से बचा जा सके। अधिकांश प्रतिवादियों द्वारा टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में प्रस्तावित परिवर्तन का विरोध किया गया।

6.6 राज्य में बचत से उपलब्ध ऊर्जा (surplus power) के प्रबन्धन के बारे में अधिकांश आपत्तिकर्ताओं का मत था कि बचत ऊर्जा के विषय को युक्तियुक्त विधि के माध्यम से

वैकल्पिक क्रियाविधियों का अन्वेषण किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा बचत की गई ऊर्जा को रू. 2.94 प्रति यूनिट की दर से विक्रय किये जाने का विरोध किया तथा इसे उच्चतर दर पर विक्रय करने की संभावना का पता लगाये जाने का अनुरोध किया। उनका यह भी मत था कि विद्युत के क्रय हेतु सुयोग्यता क्रम प्रेषण (merit order despatch) विधि का अनुसरण किया जाए। कुछ आपत्तिकर्ताओं ने यह अनुरोध भी किया कि आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण कुछ इस प्रकार किया जाए कि बचत ऊर्जा की खपत राज्य के भीतर ही हो सके।

6.7 विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण प्रक्रिया के एक भाग के अन्तर्गत राज्य सलाहकार समिति (State Advisory Committee) की बैठक आयोग कार्यालय में अनुज्ञप्तिधारियों के सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR)/विद्युत–दर (टैरिफ) संबंधी प्रस्तावों पर उनके विचार जानने हेतु दिनांक 3.3.2015 को आयोजित की गई। आयोग ने राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों के सुझावों तथा उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों पर यथोचित विचार किया है।

6.8 जबकि आयोग ने काफी बड़ी संख्या में सुझाव/आपत्तियों तथा टिप्पणियां प्राप्त की हैं आयोग ने सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ याचिका से संबंधित प्राप्त की गई प्रमुख प्रतिक्रियाओं/आपत्तियों पर यथोचित विचार भी किया है। आपत्तियों का समूहीकरण टिप्पणियों/आपत्तियों की प्रकृति के अनुसार किया गया है तथा इन्हें इस अध्याय में निम्न परिछेदों के अंतर्गत संक्षेप में दिया जा रहा है :

विषय क्रमांक 1 : रेलवे कर्षण (Railway Traction)

<u>आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

- पश्चिम मध्य रेलवे ने निवेदन किया कि विद्युत वितरण कम्पनियों ने कर्षण विद्युत–दर (traction tariff) के अंतर्गत ऊर्जा प्रभारों (energy charges) में 20 प्रतिशत तथा मांग प्रभारों (demand charges) में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की है। यह वृद्धि अयुक्तियुक्त रूप से उच्च है जिससे प्रतिराज्यानुदान भार में + 25.34 प्रतिशत की वृद्धि होगी जो राष्ट्रीय टैरिफ नीति, वर्ष 2006 द्वारा विनिर्दिष्ट ± 20% प्रतिशत सीमा से कहीं अधिक है।

- रेलवे कर्षण में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह मामला वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में व्यवहार अपील क्रमांक 10079, वर्ष 2014 के अन्तर्गत आयोग के टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2012–13 के विरूद्ध विचाराधीन है।

- इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधि ने ऊर्जा कारक शास्ति (power factor penalty)के उद्ग्रहण संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया तथा अनुरोध किया कि विद्यमान प्रावधान को जारी रखा जाना चाहिए।

- औसत टैरिफ (average tariff) तथा प्रतिराज्यानुदान (cross subsidy) की गणना के प्रयोजन से किये जाने पर 0.25 प्रतिशत का प्रोत्साहन तथा नवीन विद्युतीकृत सेक्शनों आदि हेतु प्रोत्साहन में कटौती नहीं की जानी चाहिए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार प्रतिराज्यानुदान (Cross Subsidy) को कम किये जाने के बारे में एक मार्गदर्शिका (road map) पूर्व में ही अपनायी जा चुकी है। तथापि, विद्युत वितरण कम्पनी यहां पर इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहती है कि रेलवे कर्षण हेतु विद्युत प्रदाय उच्चतम गुणवत्ता का होता है तथा विद्युत प्रवाह में व्यवधान (disruptions)/अवरोध (break down) यदि कोई हों, की दिशा में विद्युत व्यवस्था की पुनर्स्थापना हेतु विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाती है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि वोल्टेजवार विद्युत लागत की गणना ऐसी विधि द्वारा की गई है जैसा कि आयोग द्वारा इस पर वित्तीय वर्ष 2014–15 के टैरिफ आदेश के अन्तर्गत विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, वोल्टेजवार विद्युत प्रदाय की लागत की गणना हेतु क्रियाविधि माननीय एप्टेल (APTEL) की अपील क्रमांक 103, वर्ष 2010 में प्रसारित निर्णयों के अनुसार अपनाई गई है।

- प्रस्तावित विद्युत–दर (टैरिफ) विद्युत अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय टैरिफ नीति, सुसंबद्ध विनियमों, विद्युत प्रदाय की औसत लागत तथा प्रतिराज्यानुदान मार्गदर्शिका से संरेखित है।

- सांविधिक प्रावधानों (Statutory provisions) के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों की चिन्ता मुख्य रूप से विद्युत प्रदाय की लागत की वसूली तक हीं सीमित है।

- माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण में न तो किसी प्रकार के दिशा–निर्देश जारी किये हैं तथा न ही रेलवे द्वारा उठाये गये मुद्दों पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी किया है।

- प्रणाली के किसी भाग के अन्तर्गत या उसके किसी तत्व के बारे में प्रतिक्रिया विद्युत प्रवाह (reactive flows) भले ही वे अग्रणी (leading), हों या फिर पश्चातवर्ती (lagging), का प्रणाली क्षमता (System Capacity) की हानियों तथा इसे अवरूद्ध करने पर एक सा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अग्रणी प्रतिक्रिया कारक विद्युत प्रवाह का परिणाम इसकी स्थिर दर (steady rate) तथा पारगमन आधिक्य वोल्टेज (transient over voltage) के रूप में समक्ष आता है जो प्रणाली की सुरक्षा तथा परिचालन के लिये जोखिमकारी होता है। अतएव, अग्रणी प्रतिक्रियात्मक विद्युत प्रवाह (leading reative flow) को नियन्त्रित करना आवश्यक होता है। स्थैतिक वार क्षतिपूर्ति (Static Var Compensation) संधारित्र आधिक्य क्षतिपूर्ति (capacitive over compensation) से बचने के लिये हल हो सकता है क्योंकि यह निकटता से भार वक्र (load curve) का अनुसरण करता है तथा निरन्तरतापूर्वक क्षतिपूर्ति को वांछित स्तर तक समायोजित करता है।

- विद्युत वितरण कम्पनियों ने निवेदन किया है कि औसत विद्युत–दर (average tariff) तथा प्रति सहायतानुदान (cross subsidy) की गणना बाबत टैरिफ नीति में प्रोत्साहन की कटौती के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। शब्द ''औसत (average)'' का प्रावधान विद्युत प्रदाय तथा विद्युत–दर की गणना हेतु किया गया है जिसका तात्पर्य यह है कि समस्त घटक (components) तथा विशेषताएं (attributes) जिनका प्रभावी विद्युत–दर (effective tariff) पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो, को औसत विद्युत–दर के अवधारण हेतु लेखांकित किया जाना चाहिए जिसके अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा सम्पूर्ण वैध लागत की वसूली की जा सकती है। प्रोत्साहनों को शामिल न किये जाने से सर्वश्रेष्ठ व्यवहारों तथा ऊर्जा के दक्ष उपयोग हेतु अनुज्ञप्तिधारी पर दोहरा भार आ जाएगा।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

- आयोग ने रेलवे कर्षण विद्युत–दर (railway traction tariff) का अवधारण विद्युत अधिनियम 2003, टैरिफ नीति 2006 तथा समस्त सुसंबद्ध विनियमों के अनुसार किया है।

- आयोग ने इस विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में विद्युत कारक मापन की वर्तमान प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

  आयोग ने विद्यमान विद्युत–दर संरचना को कायम रखा है। रेलवे की चिन्ताओं को समुचित रूप से ध्यान में रखा गया है।

विषय क्रमांक 2 : विद्युत प्रदाय की श्रेणीवार लागत तथा प्रति सहायतानुदान का अवधारण (Determination of category-wise cost of supply and cross subsidy)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

उद्योगों/औद्योगिक संघों तथा संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा निम्न आपत्तियों/सुझाव प्रस्तुत किये गये :

- विद्युत प्रदाय की श्रेणीवार लागत की गणना की जाए।
- सिंचाई श्रेणी के अंतर्गत उपभोक्ताओं के संबंध में प्रतिराज्यानुदान हेतु आवंटित 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत काल्पनिक (notional) वृद्धि की जाए।
- अन्य उपभोक्ताओं पर प्रतिराज्यानुदान का भार कम करने हेतु कृषि विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण को विद्युत प्रदाय की लागत का 90 प्रतिशत माना जाए।
- उपभोक्ताओं की अनुदानित श्रेणी के लिये विद्युत–दर में विद्युत प्रदाय की औसत लागत (ACoS) में 85 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाए।
- प्रतिराज्यानुदान कमी किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका (road map) तैयार की जाए। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान प्रतिराज्यानुदान को ± 10 प्रतिशत के अन्तर्गत सीमित रखा जाए तथा आगामी दो तीन वर्षों के दौरान प्रतिराज्यानुदानों को समाप्त किया जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

- विद्युत वितरण कम्पनियों ने निवेदन किया है कि प्रस्तावित विद्युत–दर (टैरिफ) विद्युत–अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय टैरिफ नीति, राष्ट्रीय विद्युत नीति, सुसंबद्ध विनियमों, विद्युत प्रदाय की औसत लागत तथा प्रतिराज्यानुदान मार्गदर्शिका से संरेखित है।
- विद्युत वितरण कम्पनियों ने निवेदन किया है कि विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत की गणना आयोग द्वारा पूर्व में वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु अनुमोदित विद्युत–दर आदेश के अनुसार की गई है। इसके अतिरिक्त, वोल्टेजवार विद्युत प्रदाय की लागत की गणना की विधि माननीय एप्टेल द्वारा अपील क्रमांक 103, वर्ष 2010 में प्रसारित किये गये निर्णयों के अनुसार की गई है।

आयोग का दृष्टिकोण

- विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण विद्युत अधिनियम, 2003 तथा सुसंबद्ध विनियमों के प्रावधानों से संरेखित किया गया है।

- वांछित आंकड़ों के अभाव में केवल निर्देशात्मक (indicative) वोल्टेजवार विद्युत प्रदाय की लागत (VCoS) प्रतिसहायतानुदान प्रतिशतों की गणना उपलब्ध जानकारी के आधार पर की गई है। वांछित आंकड़े/जानकारी उपलब्ध होने पर आने वाले समय में इन्हें वैधीकृत (validated) किये जाने की आवश्यकता होगी।

विषय क्रमांक 3 : आधिक्य मांग सीमा को विद्यमान 105 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत करने के प्रस्ताव का विरोध किया गया (Opposed change in proposed reductin in excess demand limit from existing 105% to 100% of contract demand)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

प्रतिवादियों द्वारा निम्नानुसार निवदेन किया गया :

- विद्युत वितरण कम्पनियों के किसी भी माह के दौरान संविदा मांग से 5 प्रतिशत आधिक्य के बारे में अधिकतम अभिलेखित मांग की वापसी के बारे में प्रस्ताव पर विचार न किया जाए।

- राज्य में विद्युत आधिक्य/बचत (Power Surplus) की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में 15 प्रतिशत तक की आधिक्य मांग को प्रोत्साहित किया जाए तथा मांग में 15 प्रतिशत वृद्धि होने पर कोई भी अतिरिक्त प्रभार अधिरोपित न किये जाएं।

- मांग आधारित विद्युत–दर उपभोक्ताओं के बारे में लागू विद्यमान दाण्डिक प्रभार, जहां अधिकतम मांग स्वीकृत संविदा मांग से अधिक हो, को भी कम किये जाने की आवश्यकता है।

- मांग के संबंध में किसी भी वृद्धि पर ध्यान दिये बिना ऊर्जा प्रभारों पर किसी भी प्रकार के दाण्डिक प्रभार अधिरोपित न किया जाए।

- 105 प्रतिशत से अधिक संविदा मांग तथा अस्थाई मांग की बिलिंग सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) के 1.2 गुना पर की जाए तथा तत्संबंधी आधिक्य ऊर्जा प्रभार सामान्य ऊर्जा दरों पर ही लागू किये जाएं।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

टैरिफ आदेश के अनुसार आधिक्य मांग की गणना अभिलेखित अधिकतम मांग (recorded maximum demand) तथा संविदा मांग के 105 प्रतिशत के अन्तर के आधार पर की जाती है। यह स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि संविदा मांग से अधिक मांग तथा संविदा मांग के 105 प्रतिशत तक को आधिक्य मांग के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है तथा उपभोक्ताओं की बिलिंग सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर की जाती है तथा इस मात्रा पर अतिरिक्त प्रभार देय नहीं होता तथा ऐसा किये जाने पर इसे अनुबंध (agreement) की शर्तों का उल्लंघन माना जाता है। इसका तात्पर्य यह होगा कि संविदा मांग के शब्द अनुबन्ध (Contract) की अनुबन्ध से कोई सुसंबद्धता नहीं है। इस विसंगति (anomaly) की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है तथा इसमें सुधार किये जाने की भी आवश्यकता है। ऐसे में, आधिक्य मांग (excess demand) की परिभाषा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। संविदा मांग में वृद्धि के किसी भी प्रकरण के अन्तर्गत सीताराम राईस मिल प्रकरण {2012 (2) Sec 108} में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय लागू होता है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने इस संबंध में विद्यमान संरचना को जारी रखा है।

विषय क्रमांक 4 : समयानुपाती प्रोत्साहन/अधिभार के संबंध में (Regarding Time of Day (ToD) incentive/surcharge)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

- समयानुपाती अधिभार (ToD Surcharge) को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तथा बाह्य–शीर्ष घंटा (Off-Peak hour) छूट को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाए।
- आधिक्य/बचत ऊर्जा तथा मांग परक प्रबन्धन में सुधार की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में बाह्य–शीर्ष प्रोत्साहन को 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की जाने की आवश्यकता है। आधिक्य/बचत ऊर्जा की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में तथा लघु–अवधि विद्युत विद्युत क्रय की आवश्यकता के अभाव में भी शीर्ष घंटों के दौरान अधिभार को समाप्त किये जाने की आवश्यकता है।
- शीर्ष घंटा अधिभार (Peak hour surcharge) के प्रावधान को समाप्त किया जाए।
- 7.5 प्रतिशत अधिभार के स्थान पर शीर्ष भार घंटों के दौरान छूट प्रदान की जाए।

- दिन के समय तथा शीर्ष घंटों के दौरान भी उपभोक्ताओं को संविदा मांग के 10 प्रतिशत तक तथा विद्युत–दर न्यूनतम खपत (tariff minimum consumption), कार्यालयीन कार्यों, मरम्मत कार्यों आदि के निष्पादन हेतु भी अनुमति प्रदान की जाए।
- आधिक्य/बचत ऊर्जा की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में बाह्य–शीर्ष घंटों के प्रोत्साहन में 15 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी जाए।
- शीर्ष घंटा छूट में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी जाए।
- रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए तथा अधिभार को समाप्त किया जाए।
- उद्योगों/औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों द्वारा रात्रि विद्युत–दर (night tariff) को लागू किये जाने का भी अनुरोध किया गया।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

समयानुपाती विद्युत–दर (ToD tariff) का उद्देश्य विद्युत का मितव्ययी उपयोग है। सामान्यतः शीर्ष घंटो के दौरान, प्रणाली में विद्युत मांग अधिकतम होती है; इसे शीर्ष घंटों के दौरान विद्युत–दर में परिवर्तन के रूप में प्रतिबिंबित किया जाता है। वित्तीय भार को कम करने या फिर शीर्ष घंटों में विद्युत क्रय बाबत भी, समयानुपाती अधिभार (ToD Surcharge) उपभोक्ताओं को शीर्ष घंटों के दौरान विद्युत के आहरण को हतोत्साहित करने के लिये लागू किया जाता है।

रात्रि विद्युत–दर (night tariff) के बारे में, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निवेदन किया गया कि आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के टैरिफ आदेश में समयानुपाती अधिभार/छूट अनुमोदित की जा चुकी है। इस समयानुपाती विद्युत–दर (ToD tariff) में अधिभार/छूट के प्रतिशत को दो पृथक अवधियों में प्रदान किया गया है, यथा (1) सांय शीर्ष भार अवधि (सांय 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक), मय ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर के 7.5 प्रतिशत के साथ अधिभार के रूप में तथा (2) बाह्य शीर्ष भार अवधि (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक) मय 15 प्रतिशत सामान्य विद्युत–दर के छूट के रूप में। इस प्रकार, रात्रि विद्युत–दर (night tariff) उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत लागू की जा चुकी है।

आयोग का दृष्टिकोण

शीर्ष घंटों के दौरान समयानुपाती अधिभार (ToD surcharge) को घटा कर 5 प्रतिशत स्तर पर लाया गया है, जबकि बाह्य शीर्ष घंटों की अवधि के दौरान इसे 15 प्रतिशत रखा गया है।

विषय क्रमांक 5 : घरेलू विद्युत–दर श्रेणी की समीक्षा (Review of domestic tariff category)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

घरेलू उपभोक्ता तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत विद्युत–दर में प्रस्तावित वृद्धि का विरोध किया। उनके द्वारा यह सुझाव दिया गया कि केवल 0–30 यूनिट तक की श्रेणी को छोड़कर, खपत के अन्य स्तरों हेतु एकल स्लैब (single slab) का सृजन किया जाए। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को एक समान विद्युत–दर लागू की जाए। इसके अतिरिक्त, घरेलू श्रेणी के लिये अधिकृत भार को स्पष्टतया परिभाषित किया जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निवेदन किया गया कि विद्युत–दर प्रस्ताव सैद्धान्तिक तौर पर न केवल उनके वाणिज्यिक हितों वरन् उपभोक्ताओं के हितों के बारे में भी अनुज्ञप्तिधारी का विशेषाधिकार होना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारियों ने विद्युत–दरों (टैरिफ) तथा निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ के संबंध में परिवर्तन प्रस्तावित किये हैं। निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ में प्रस्तावित किये गये विद्युत–दर परिवर्तन यथोचित अध्ययन उपरान्त ही तथा विद्युत अधिनियम, 2003 तथा टैरिफ विनियमों के परिपालन में ही प्रस्तावित किये गये हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

घरेलू विद्युत–दर संरचना (domestic tariff structure) के समीक्षा संबंधी प्रस्ताव के बारे में आयोग ने खपत खण्डों (consumption slabs) को समुचित रूप से पुनर्व्यस्थित किया है।

विषय क्रमांक 6 : शून्य से 150 अश्वशक्ति भार हेतु निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये एकल विद्युत–दर श्रेणी (Single tariff catagory in LT Industrial consumers for 0-150 HP load) के 75 प्रतिशत तक कम करना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये 0–150 अश्वशक्ति (HP) हेतु केवल एक ही विद्युत दर श्रेणी होनी चाहिए। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु, विद्युत–दर में प्रथम 1000 यूनिट खपत हेतु में कमी की जानी चाहिए। मांग आधारित विद्युत–दर के संबंध में विद्यमान क्रियाविधि के अन्तर्गत इस तथ्यात्मक स्थिति के बावजूद कि विद्युत–दर अनुसूची (tariff schedule) तथा विद्युत प्रदाय संहिता के उपखण्ड 7.26 में दाण्डिक प्रावधान विद्यमान है, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 को लागू किया जा रहा है।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता ने निम्न दाब औद्योगिक विद्युत–दर (LT-Industrial tariff Category) की विद्युत–दर संरचना में कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं किया है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा माननीय एप्टेल की अपील क्रमांक 158, वर्ष 2014 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के श्री सीताराम मिल्स के संबंध में निर्णयों का हवाला दिया गया है तथा निवेदन किया है कि धाराओं 126 तथा 127 को स्वयेंव सम्पूर्ण संहिता के रूप में वर्णित किया गया है। उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में, विद्युत वितरण कम्पनियों ने निवेदन किया है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धाराओं 126 तथा 127 के अन्तर्गत आने वाले विषयों के बारे में किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती है तथा इसका निराकरण विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के माध्यम से ही किया जा सकता है।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निवेदन किया गया कि याचिका में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव न्यायोचित तथा युक्तिसंगत हैं तथा उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार से अत्यधिक आर्थिक बोझ भी नहीं हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने समुचित तौर पर एलवी–4 श्रेणी की विद्युत–दर संरचना (tariff structure) को पुनरीक्षित किया है।

*विषय क्रमांक 7 : घरेलू स्वीकृत भार के 10 प्रतिशत भाग को गैर–घरेलू प्रयोजन हेतु अनुमति प्रदान करना (**Permitting use of 10% of domestic sanctioned load for non-domestic purpose**)*

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न्न औद्योगिक संगठनों द्वारा अनुरोध किया गया कि घरेलू श्रेणी के बारे में, स्वीकृत भार के दस प्रतिशत भाग को गैर–घरेलू उपयोग के लिये अनुमति प्रदान की जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निवेदन किया गया कि विद्युत–दर प्रस्ताव सैद्धान्तिक तौर पर न केवल उनके वाणिज्यिक हितों वरन् उपभोक्ताओं के हितों के बारे में भी अनुज्ञप्तिधारी का विशेषाधिकार होना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारियों ने विद्युत–दरों (टैरिफ) तथा निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ के संबंध में परिवर्तन प्रस्तावित किये हैं। निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ में प्रस्तावित किये गये विद्युत–दर परिवर्तन यथोचित अध्ययन उपरान्त ही तथा विद्युत अधिनियम, 2003 तथा टैरिफ विनियमों के परिपालन में ही प्रस्तावित किये गये हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि ये मुद्दे पूर्व में भी विद्युत–दर अवधारण प्रक्रिया के दौरान उठाये जा चुके हैं। आयोग आपत्तिकर्ता द्वारा चाहे गये प्रावधान को न्यायोचित नहीं मानता।

विषय क्रमांक 8 : ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा में परिवर्तन किया जाना (Change in definition of rural area)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न औद्योगिक संगठनों तथा उद्योगों के प्रतिनिधियों ने विद्युत वितरण कम्पनी की निम्न दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों से संबद्ध ''ग्रामीण क्षेत्र'' संबंधी परिभाषा के परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव का विरोध किया।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की अवधारणा अत्यन्त भिन्न है जो व्यापक रूप से आम जनता के हित के साथ–साथ उपभोक्ता जो शहरी संभरक से शहरी व्यवस्था के अन्तर्गत विद्युत प्राप्त रहे हैं तथा एक समान रूप से सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, से जुड़ी है जिसके अनुसार उनकी बिलिंग शहरी विद्युत–दर पर ही की जानी चाहिए। चूंकि विद्युत वितरण कम्पनियां, केवल कृषि संभरक को छोड़कर, चौबीसों घंटे विद्युत प्रदाय कर रही है, अतः विद्युत वितरण कम्पनियों ने आयोग को ग्रामीण क्षेत्र को विद्युत प्रदाय घंटों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र को परिभाषित किये जाने बाबत अनुरोध किया है। राज्य सरकार का ग्रामीण क्षेत्र घोषित किये जाने का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के प्रयोजन से जुड़ा है। विद्युत वितरण कम्पनियों का तथाकथित ''ग्रामीण क्षेत्र'' घोषित किये जाने संबंधी अनुरोध बिलिंग के प्रयोजन से है जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अन्तर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना से पूर्णतया अलग है।

आयोग का दृष्टिकोण

इस मुद्दे को विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा पूर्व में भी बारंबार उठाया जा चुका है। आयोग का वर्तमान में भी दृष्टिकोण पूर्ववत है। अतएव, इस प्रावधान में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

विषय क्रमांक 9 : दूरसंचार सेवा प्रदायकों हेतु विद्युत–दर (Tariff for Telecom service Providers)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

दूरसंचार सेवा प्रदायकों के प्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्र के लिये रू. 0.25 प्रति यूनिट की दर से छूट जारी रखे जाने का अनुरोध किया तथा मोबाइल सेवाओं हेतु विद्युत–दर में वृद्धि न किये

जाने का अनुरोध भी किया। प्रतिनिधियों ने अधोसंरचना सेवाओं (infrastructure service) के लिये पृथक श्रेणी रखे जाने का भी अनुरोध किया। उनके द्वारा यह अनुरोध भी किया कि समस्त संयोजनों के लिये एकल बिन्दु पर ही भुगतान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

तथापि, पूर्व क्षेत्र विद्युत कम्पनी क्षेत्र के एक आपत्तिकर्ता द्वारा इस आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत छूट दिये जाने का विरोध भी किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित अधोसंरचना शहरी क्षेत्रों में भी सेवाएं प्रदान करती है। आपत्तिकर्ता ने प्रदान की जा रही छूट को समाप्त करने का अनुरोध करते हुए विद्युत–दर में वृद्धि का भी अनुरोध किया।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निवेदन किया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के टैरिफ आदेश के अनुसार एलवी 2.2 (गैर–घरेलू टैरिफ श्रेणी) तथा एचवी–3 (औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग माल) टैरिफ श्रेणी के उपभोक्ताओं को ग्रामीण संभरक (feeder) के प्रोत्साहन प्रदान किये गये थे। विद्युत प्रदाय के वर्तमान परिदृश्य के अन्तर्गत, समस्त विद्युत संभरकों को कृषि संभरक को छोड़कर 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। अतएव, ग्रामीण संभरकों से संयोजित उपभोक्ताओं की इन श्रेणियों के लिये प्रोत्साहन को समाप्त किया जाना उचित होगा।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा आपत्तिकर्ताओं के प्रस्तुतिकरणों को संज्ञान में लिया गया है। आयोग का मत है कि अधोसंरचना सेवाओं के लिये पृथक श्रेणी के गठन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार अधोसंरचना के विस्तार को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु, ऊर्जा प्रभारों में समुचित छूट प्रदान की गई है।

विषय क्रमांक 10 : न्यूनतम खपत प्रभारों के प्रावधान को समाप्त करना (Abolition of provision of minimum consumption charges)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पर्याप्त स्थाई प्रभारों के निर्धारण उपरान्त न्यूनतम प्रभारों को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया।

एक आपत्तिकर्ता द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि एचवी–3 (औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग मॉल) टैरिफ श्रेणी के लिये 220/132 केवी (अन्यों के लिये) पर विद्युत प्रदाय हेतु टैरिफ श्रेणी की वसूली वोल्टेज श्रेणी के संबंध में प्रतिलोम अनुपात (inverse proportion) में की जानी चाहिए तथा इसे सुसंगत रूप से मांग में वृद्धि तथा ऊर्जा प्रभार में वृद्धि के तत्संबंधी कम किया

जाना चाहिए। अतएव, 1800 यूनिट प्रति केवीए के टैरिफ न्यूनतम को घटा कर 900 यूनिट प्रति केवीए किया जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों ने निवेदन किया कि उपभोक्ताओं पर न्यूनतम प्रभार अधिरोपित किये जाते हैं क्योंकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपगत स्थाई लागत की स्थाई प्रभारों के माध्यम से पूर्ण रूप से वसूली नहीं की जाती है क्योंकि स्थाई प्रभार न्यून स्तर पर हैं, अतएव इस हेतु कोई भी ऐसा विकल्प नहीं बचता, सिवाय इसके कि न्यूनतम प्रभारों को अधिरोपित किया जाए ताकि राजस्व सन्तुलन को कायम रखा जा सके। विद्युत वितरण कम्पनियों ने इस बात का उल्लेख भी किया कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में न्यूनतम प्रभारों को अधिरोपित किये जाने की पुष्टि भी की है।

टैरिफ श्रेणी एचवी–3 हेतु सुझाव के संबंध में, विद्युत वितरण कम्पनियों ने इस विषय पर वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश का संदर्भ प्रस्तुत किया तथा इस बात का भी उल्लेख किया कि उन्हें विद्युत वितरण कम्पनियों के राजस्व पर प्रतिलोम अनुपात में टैरिफ न्यूनतम की वसूली के प्रभाव का अध्ययन करना होगा।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्यमान प्रावधान में कोई किसी परिवर्तन करना उचित नहीं मानता।

विषय क्रमांक 11 : नवीन टैरिफ खण्डों की संरचना हेतु अनुरोध (Request for new tariff slabs)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

कृषि आधारित उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा आटा चक्की, हलर, विद्युत करघा उद्योगों हेतु 25 अश्वशक्ति के स्थान पर 10 अश्वशक्ति का नवीन खण्ड गठित करने का अनुरोध किया गया।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों ने निवेदन किया है कि उनके टैरिफ प्रस्तावों में प्रस्तावित टैरिफ श्रेणी के संबंध में विद्यमान संरचना में कोई परिवर्तन किये जाने का सुझाव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने एलवी–4 टैरिफ श्रेणी की टैरिफ संरचना को समुचित तौर पर पुनरीक्षित किया है।

विषय क्रमांक 12 : उच्च तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–कारक प्रोत्साहन/अर्थदण्ड (Power factor incentives/penalty for HT and LT consumers)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

उद्योग/औद्योगिक संघों/संगठनों ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा विद्युत–कारक (Power factor) में सुधार हेतु संधारित्र अधिकोषों (capacitor banks) की स्थापना हेतु भारी मात्रा में पूंजी निवेश किया गया है जिससे प्रणाली में सुधार के अलावा विद्युत वितरण कम्पनियों को उल्लेखनीय मात्रा में बचत भी होती है। उपरोक्त प्रावधान से होने वाले लाभ के प्रतिफल में, उनके द्वारा निवेदन किया गया कि औसत टैरिफ तथा प्रतिराज्यानुदान की गणना हेतु विद्युत कारक प्रोत्साहन में कटौती की अनुमति प्रदान न की जाए।

इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधियों ने यह भी निवेदन किया है कि उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु 90 प्रतिशत तथा इससे अधिक विद्युत कारक पर प्रोत्साहन प्रदान किये जाएं जबकि विद्यमान 90 प्रतिशत विद्युत कारक के स्थान पर 80 प्रतिशत विद्युत कारक पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाए। कुछ प्रतिनिधियों ने निवेदन किया है कि निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत कारक प्रोत्साहन 85 प्रतिशत तथा इससे अधिक के स्थान पर 80 प्रतिशत पर प्रदान किया जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों ने निवेदन किया है कि ग्रिड संहिता के प्रावधान के अनुसार उन्हें विद्युत कारक (power factor) 95 प्रतिशत के स्तर पर संधारित करना होता है, अन्यथा ऐसा न करने पर उन्हें अर्थदण्ड का भुगतान करना होता है। इसके अलावा, कम्पनी के व्यापारिक हितों के संवर्धन हेतु तथा उपभोक्ताओं तथा आमजन के मध्य सौहार्द का वातावरण निर्मित करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना अनुज्ञप्तिधारी का विशेषधिकार है तथा इसकी अधिकार के रूप में व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण से प्रोत्साहन के प्रस्तावित खण्ड न्यायोचित हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्यमान प्रावधान में कोई परिवर्तन करना उचित नहीं मानता।

विषय क्रमांक 13 : किलोवाट ऑवर से किलोवोल्ट एम्पीअर ऑवर बिलिंग व्यवस्था में परिवर्तन (Switchover from kWh to kVAh billing)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

विद्यमान क्रियान्वयन के लम्बित रहने तक, किलोवाट ऑवर से किलोवोल्ट एम्पीयर ऑवर बिलिंग में परिवर्तन द्वारा, आयोग को विद्युत कारक (power factor) को समाप्त किये जाने पर विचार करना चाहिए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत कारक में किसी प्रकार का सुधार किये जाने पर अधिकतम मांग में कमी होती है जिससे उपभोक्ता के देयक में कमी होती है। 95 प्रतिशत से अधिक विद्युत कारक संधारित किये जाने का प्रावधान अतिरिक्त आवश्यक वांछित उपकरण की लागत की क्षतिपूर्ति हेतु प्रणाली में सुधार हेतु किया गया था। प्रस्तावित किया गया प्रोत्साहन अत्यन्त न्यायोचित तथा युक्तियुक्त है।

इसके अलावा भी, कम्पनी के व्यापारिक हितों के संबंर्धन हेतु तथा उपभोक्ताओं तथा आमजन के मध्य सौहार्द का वातावरण निर्मित करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना अनुज्ञप्तिधारी का विशेषधिकार है तथा इसकी अधिकार के रूप में व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण से प्रोत्साहन के प्रस्तावित खण्ड न्यायोचित हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने आपत्तिकर्ता के सुझावों पर विचार किया है तथा उसका मत है कि प्रस्तुत किया गया सुझाव स्वीकार्य नहीं है।

विषय क्रमांक 14 : उच्च दाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय (Temporary supply at HT)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया है कि उच्च दाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय को 1.1 गुना दर पर अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रभारित किया जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निवेदन किया गया कि विद्युत–दर प्रस्ताव सैद्धान्तिक तौर पर न केवल उनके वाणिज्यिक हितों वरन् उपभोक्ताओं के हितों के बारे में भी अनुज्ञप्तिधारी का विशेषाधिकार होना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारियों ने विद्युत–दरों (टैरिफ) तथा निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ के संबंध में परिवर्तन प्रस्तावित किये हैं। निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ में प्रस्तावित किये गये विद्युत–दर परिवर्तन यथोचित अध्ययन उपरान्त ही तथा विद्युत अधिनियम, 2003 तथा टैरिफ विनियमों के परिपालन में ही प्रस्तावित किये गये हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग अभी भी इस दृष्टिकोण पर कायम है कि वर्तमान प्रावधान में परिवर्तन किया जाना आवश्यक नहीं है। इस विषय को पूर्व टैरिफ आदेशों में भी सव्यवहारित किया जा चुका है।

विषय क्रमांक 15 : अस्थाई विद्युत संयोजनों हेतु अग्रिम भुगतान हेतु समयावधि में कमी करना (Reduction in period for advance payment for temporary agriculture connections)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

कृषि संघों के प्रतिनिधियों ने वित्तीय वर्ष 2014–15 से कृषि उपभोक्ताओं के बारे में टैरिफ आदेश के अन्तर्गत श्रेणी एलवी–5 (कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां) के पैरा 1.4 के अन्तर्गत विद्यमान प्रावधान का विरोध किया जिसके अन्तर्गत अस्थाई विद्युत प्रदाय की सुविधा की प्राप्ति तीन माह की राशि अग्रिम रूप से भुगतान जमा कर की जा सकती है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया है कि ये प्रभार मासिक आधार पर अधिरोपित किये जाएं।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

आयोग से इस विषय में आवश्यक विचार कर उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया गया।

आयोग का दृष्टिकोण

पूर्ण प्रक्रिया के अध्ययन के उपरान्त, आदेश द्वारा पूर्व में निर्णय लिया गया था कि सेवाकृत अस्थाई कृषि प्रदाय संयोजनों हेतु तीन माह के बराबर राशि का अग्रिम प्राप्त किया जाए। तथापि, ऐसे प्रकरण में जहां उपभोक्ता तीन माह से कम अवधि के दौरान विद्युत प्रदाय विच्छेदित करता हो वहां अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत राशि के प्रत्यार्पण (refund) की व्यवस्था करे। इस प्रावधान में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं हाता।

विषय क्रमांक 16 : शीत गृह विद्युत–दर में छूट (Rebate in Cold Storage Tariff)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

शीत–गृह संघों के प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया है कि शीत–गृह को कृषि श्रेणी के अन्तर्गत माना जाए तथा कृषि हेतु प्रयोज्य विद्युत–दर इस श्रेणी पर भी लागू की जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

उल्लेखनीय है कि शीत–गृहों का संचालन वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है क्योंकि ये अपने उपभोक्ताओं को प्रदाय की जा रही सेवा हेतु उन्हें प्रभारित करते हैं। अतएव, श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग अभी भी इस दृष्टिकोण पर कायम है कि वर्तमान प्रावधान में परिवर्तन किये जाना आवश्यक नहीं है। इस विषय को पूर्व टैरिफ आदेशों में भी सव्यवहारित किया जा चुका है।

विषय क्रमांक 17 : वितरण हानियां (Distribution Losses)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के एक आपत्तिकर्ता द्वारा सुझाव दिया गया कि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये हानियों को एक ही स्तर पर निर्दिष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा टैरिफ नीति, वर्ष 2006 के प्रावधानों के अनुसार पारेषण हानियों से संबंधित तथा वितरण हानियों के बारे में भी तृतीय पक्षकार अंकेक्षण पर एक अध्ययन संचालित करने पर भी विचार किया जा सकता है। एक अन्य आपत्तिकर्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि स्थाई प्रभारों में कमी की जाए तथा श्रेणीवार हानियों का अवधारण किया जाए जिससे अन्य श्रेणी की हानियां प्रत्येक टैरिफ श्रेणी पर भारित न होने पायें।

मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के एक आपत्तिकर्ता द्वारा 400, 220 तथा 132 किलोवोल्ट वौल्टेज स्तरों पर वाणिज्यिक हानियों के बारे में आपत्ति दर्ज की गई तथा इस ओर ध्यान दिलाया कि इन वोल्टेज स्तरों पर विद्युत की चोरी की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। एक अन्य आपत्तिकर्ता द्वारा निवेदन किया गया कि पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी किये जाने संबंधी मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर विशिष्ट समयावधि के भीतर निराकरण किये जाने की आवश्यकता है। आपत्तिकर्ता ने आयोग को इस बारे में आवश्यक पहल कर कार्यवाही करने का अनुरोध किया है क्योंकि जारी किये गये दिशा–निर्देशों से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाये हैं। विभिन्न अक्षमताओं के कारण हानियों के भार को उपभोक्ताओं पर डालना औचित्यपूर्ण नहीं है।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के संबंध में विद्युत वितरण की हानियों का एक ही स्तर पर समविभाजन आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय है।

विद्युत वितरण कम्पनियों ने निवेदन किया है कि हानियों की रोकथाम के साथ–साथ मीटरीकरण के बारे में उनके द्वारा विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। उनके द्वारा टैरिफ याचिका को सदैव विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही दाखिल किया जाता है। इन विनियमों में मानदण्डीय हानि स्तर निर्दिष्ट किये जाते हैं। विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा मानदण्डीय हानि में किसी वृद्धि का परिणाम वित्तीय हानि के रूप में आता है क्योंकि बढ़े हुए हानि स्तर पर आयोग

द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जाती है। ऐसे में मानदण्डीय हानि से अधिक दर्शायी गई हानियों के बारे में उपभोक्ता विद्युत–दर पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ता।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण हानियों के वार्षिक मानदण्डीय स्तर के आधार पर किया जाता है। मानदण्डीय हानि से अधिक हानियों के कारण वित्तीय भार को उपभोक्ताओं को अन्तरित नहीं किया जाता। ऐसे में आधिक्य हानियों को अनुज्ञप्तिधारी को ही वहन करना होता है।

विषय क्रमांक 18 : सेवान्त प्रसुविधाएं (Terminal Benefits)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल अभियन्ता संघ के प्रतिनिधियों द्वारा आयोग को स्वप्रेरणा (suo-motu) याचिका कार्यवाही के माध्यम से सेवान्त प्रसुविधा न्यास (terminal benefit trust) हेतु उपयुक्त राशि को अंशदान के रूप में अनुज्ञेय किये जाने का अनुरोध किया गया।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ताओं ने हितधारकों (Stake holders) के दावे से सहमति व्यक्त की।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने इस विषय में संव्यवहार हेतु पृथक से विनिमय जारी किये हैं तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) में पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं हेतु रोकड़ बाह्य प्रवाह (cash out go) के रूप में पृथक व्यय भी अनुज्ञेय किये हैं।

विषय क्रमांक 19 : अमीटरीकृत संयोजनों के संबंध में मानदण्ड (Norms for unmetered connections)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न संगठनों के अनेक प्रतिनिधियों तथा व्यक्तियों द्वारा कृषि पम्पों को अमीटरीकृत व्यवस्था द्वारा तदर्थ रूप से तथा मनमाने मानदण्डों (arbitrary norms) के आधार पर विद्युत प्रदाय करने पर आपत्ति उठाई गई। एक आपत्तिकर्ता ने इस बात का भी उल्लेख किया कि कृषि अमीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु मानदण्ड टैरिफ नीति वर्ष 2006 के अनुच्छेद 8.3 (3) के अनुसार होने चाहिए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

मध्य प्रदेश शासन के अटल ज्योति अभियान के तत्वाधान में तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों ने ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय की अवधि एक दिवस में 10 घंटे के गुणवतायुक्त विद्युत प्रदाय (quality power supply) के रूप में कर दी गई है जो पूर्व वर्षों की तुलना में जब विद्युत प्रदाय की अवधि 8 घंटे हुआ करती थी, से 25 प्रतिशत अधिक है। इस वृद्धि के आधार पर, आयोग द्वारा उचित प्रकार से कृषि उपभोक्ताओं के मानदण्डों में वृद्धि कर दी गई है। पुनरीक्षित मानदण्ड बढ़ी हुई विद्युत प्रदाय अवधि तथा विस्तृत अध्ययनों पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण कम्पनियां आयोग द्वारा मीटरीकरण के बारे में प्रदत्त दिशा निर्देशों से आबद्ध हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अतिशेष घरेलू उपभोक्ताओं तथा कृषि ट्रांसफार्मरों (DTRs) हेतु शतप्रतिशत मीटरीकरण किये जाने के भरसक प्रयास किये जाने चाहिए ताकि वास्तविक विद्युत खपत का उचित तौर पर लेखांकन किया जा सके।

विषय क्रमांक 20 : आंशिक भार को पूर्णांक किये जाने संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया गया (Opposed proposal for rounding off of fractional load)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

अनेक आपत्तिकर्ताओं ने विद्युत वितरण कम्पनियों के आंशिक भार से संबंधित निबन्धन तथा शर्तों के अन्तर्गत इस में आगामी उच्च पूर्णांक (next higher integer) में परिवर्तन किये जाने संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निवेदन किया गया कि विद्युत नेटवर्क के संधारण हेतु आंशिक भार के उच्च मूल्य (में परिवर्तित किये जाने) के बारे में प्रस्तावित परिवर्तन वाणिज्यिक सिद्धान्तों तथा विद्युत अभियान्त्रिकी के सिद्धान्तों से संरेखित है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने इस बारे में विद्यमान प्रावधानों को जारी रखा है।

विषय क्रमांक 21 : भार कारक को पूर्णांक करना (Rounding off of load factor)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

अनेक आपत्तिकर्ताओं द्वारा भार कारक (load factor) को सन्निकट निम्न पूर्णांक (nearest lower integer) किये जाने संबंधी विद्यमान क्रियाविधि का विरोध किया गया।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत–दर टैरिफ (tariff) की निबन्धन तथा शर्तों में कतिपय परिवर्तन किया जाना आयोग के विशेषाधिकार का विषय है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने इस बारे में विद्यमान प्रावधानों को जारी रखा है।

विषय क्रमांक 22 : उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु भार कारक प्रोत्साहन (Load factor incentive for HT consumers)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

- जबकि कुछ आपत्तिकर्ताओं द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्रोत्साहन 50 प्रतिशत तथा इससे अधिक के भार कारक के लिये लागू कर दिये जाएं, एक अन्य आपत्तिकर्ता ने अनुरोध किया कि लघु उद्योगों के लिये चूंकि 50 प्रतिशत भार कारक की उपलब्धि कठिन है, उनके लिये इसकी सीमा को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।
- तथापि एक अन्य आपत्तिकर्ता ने निवेदन किया कि ऊर्जा प्रभारों में यथोचित समायोजन के क्रियान्वयन पश्चात भार कारक प्रोत्साहन को समाप्त कर दिया जाए।
- कुछ आपत्तिकर्ताओं ने भार कारक की गणना हेतु आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु आयोग के टैरिफ आदेश में अपनाए गए सूत्र में परिवर्तन किये जाने का सुझाव भी प्रस्तुत किया।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

भार कारक प्रदान करने का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को भार के अनुकूलतम उपयोग किये जाने हेतु प्रोत्साहित करने से है। अनुज्ञप्तिधारी की औसत विद्युत क्रय लागत तथा उपभोक्ता की औसत विद्युत–दर (टैरिफ) स्वतः ही कम हो जायेगी यदि उपभोक्ता एक ही संविदा मांग के अन्तर्गत अधिकतम विद्युत का आहरण करता है। अतएव, औसत विद्युत क्रय लागत में कमी किये जाने के कारण लाभ को भार कारक प्रोत्साहन के माध्यम से उपभोक्ता को अन्तरित कर

दिया जाएगा। ऐसे में उपभोक्ता दोहरा लाभ प्राप्त करता है, प्रथमतः उसकी औसत विद्युत–दर में कमी किये जाने के रूप में तथा द्वितीय भार कारक प्रोत्साहन के माध्यम से भी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सामान्यतः, स्थापित किये गये संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के अनुसार प्रोत्साहन उपभोक्ताओं के मध्य एक प्रभेदी कारक (distingushing factor) होता है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु जारी किये गये विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में इस दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की है कि भार कारक प्रोत्साहन को उत्तरोत्तर कम किया जाना चाहिए जैसा कि उसके द्वारा पूर्व में जारी टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत किया जाता रहा है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने आपत्तिकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण तथा विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया को संज्ञान में लिया है तथा इस संबंध में विद्यमान संरचना में आगे किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना आवश्यक नहीं समझता।

विषय क्रमांक 23 : पूर्व अवधि से संबंधित सत्यापन लागत की वसूली (Recovery of true-up cost pertaining to past period)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

अनेक आपत्तिकर्ताओं ने पूर्व अवधि से संबंधित रू. 1730 करोड़ की सत्यापन लागत की वसूली के संबंध में प्रस्ताव का विरोध किया। उनके द्वारा प्रस्तुत सुझाव निम्नानुसार हैं :

- विद्युत वितरण कम्पनियों को सत्यापन लागतों की वसूली हेतु अनुमति प्रदान न की जाए क्योंकि प्रकरण में न्यायालयीन प्रक्रिया अभी जारी है।
- यह कि सत्यापन लागत के प्रभाव की वसूली तीन वर्षों में पूरी की जाए।
- विद्युत शुल्क (electricity duty) के भार से बचने के लिये सत्यापन लागत की वसूली पृथक शीर्ष के अन्तर्गत की जाए।
- सत्यापन लागत की वसूली हेतु क्रियाविधि तैयार की जाए तथा इसे देयक में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।
- सत्यापन लागत को विनियामक परिसम्पत्तियों (regulatory assets) में परिवर्तित कर इसकी वसूली तीन से चार किस्तों में की जाए।
- सत्यापन लागत की वसूली उत्तरोत्तर अनुवर्ती वर्षों में की जाए।

- वित्तीय वर्ष 2009–10 के बाद के वर्षों की सत्यापन लागतें सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का भाग होना आवश्यक नहीं है तथा इनकी पूर्ति वित्तीय संसाधनों की पुर्नसंरचना के माध्यम से की जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

- सत्यापन लागतों की वसूली की विधि आयोग के विशेषधिकार का विषय है। तथापि, इसकी वसूली सत्यापन अभ्यास को अन्तिम किये जाने के तुरन्त बाद कर दी जानी चाहिए ताकि भविष्यगामी उपभोक्ताओं पर पूर्व अवधि से संबंधित लागतों का अनुचित वित्तीय प्रभाव न पड़े जिनमें उत्तरोत्तर बढ़ी हुई धारित की जा रही लागतें शामिल हैं।

- मामले में आयोग को सत्यापन लागतों की वसूली की विधि के संबंध में एक उचित दृष्टिकोण अपनाए जाने का अनुरोध किया गया।

आयोग का दृष्टिकोण

सत्यापन लागत टैरिफ आदेश के अन्तर्गत स्वीकृत की गई लागतों तथा वास्तविक व्यय जिन्हें विद्युत वितरण कम्पनी के अंकेक्षित लेखों के अनुसार युक्तियुक्त माना गया हो, का अन्तर है। यह टैरिफ संरचना का एक भाग भी है तथा इसकी वसूली केवल विद्युत–दर (टैरिफ) के माध्यम से ही की जा सकती है।

विषय क्रमांक 24 : विक्रयों का अनुमान (Estimation of Sales)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

- घरेलू उपभोक्ताओं के खपत के प्रक्षेपण के संबंध में 8 से 10 प्रतिशत तक की सीमा के अन्तर्गत ही वास्तविक अनुमानों पर विचार किया जाना चाहिए।

- कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत विक्रय के संबंध में प्रक्षेपण अत्यधिक हैं तथा ये वास्तविक भी नहीं हैं।

- निम्न दाब की मांग में वृद्धि के बारे में उच्च प्रक्षेपण ने उच्च दाब (HT) : निम्न दाब (LT) अनुपात को विकृत (distort) कर दिया है जो उच्च पारेषण तथा वितरण हानियों (T&D Losses) का निमित्त हो सकती है। यदि वित्तीय स्थायित्व को प्राप्त किया जाना अपेक्षित हो तो विद्युत वितरण कम्पनियों को उच्च दाब/निम्न दाब अनुपात में सुधार करना चाहिए।

- जल प्रदाय कार्यों (water works) के बारे में विक्रय के प्रक्षेपण यथार्थपूर्ण नहीं हैं।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों ने निवेदन किया है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के विक्रय उपभोक्ताओं की संख्या के वास्तविक आंकड़ें, संयोजित भार तथा पूर्व के चार वर्षों के दौरान विद्युत की खपत तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 के पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर प्रक्षेपित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत दृष्टिकोण जिसका अनुसरण किया गया है वह त्रिवर्षीय तथा द्विवर्षीय संयुक्त वार्षिक विकास दरों (Compound Annual Growth Rates-CAGRs), शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं के बारे में पृथक–पृथक प्रत्येक श्रेणी तथा उसकी उप श्रेणी के संबंध में वर्ष–दर वर्ष वृद्धि का विश्लेषण करना है। आंकड़ों के विश्लेषण के बाद तीन विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी के बारे में पूर्व संयुक्त वार्षिक विकास दरों के पूर्व आंकड़ों के आधार पर भविष्यगामी उपभोक्ता पूर्वानुमानों के बारे में उपयुक्त/युक्तियुक्त वृद्धि दरों की अवधारणा की गई है।

प्रत्येक श्रेणी/उप–श्रेणी से संबंधित संयोजित भार का पूर्वानुमान करते समय विक्रय प्रति उपभोक्ता/विक्रय प्रति किलोवाट तथा संयोजित भार पर पूर्व संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) को अनुप्रयोग किया गया है। विशिष्ट खपत के उपयोग, अर्थात् प्रति उपभोक्ता खपत और/अथवा खपत प्रति यूनिट भार, मूलभूत पूर्वानुमान परिवर्तनीय कारक (variable) है तथा भार एवं ऊर्जा विक्रय पूर्वानुमानों में इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस प्रतिदर्श (मॉडल) के उपयोग में मूलभूत अभिप्राय यह है कि विशिष्ट खपत प्रति उपभोक्ता और या खपत प्रति यूनिट भार वृद्धि चक्र पर अधिक सूक्ष्म तौर पर विद्युत के उपयोग में प्रवृत्तियों तथा विषमताओं (trends and variations) का अभिग्रहण (capture) करते हैं। इस विधि की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने भी अनुशंसा की है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने इस आदेश के अन्तर्गत शीर्षक ''विक्रय के संबंध में आयोग का विश्लेषण'' संबंधी भाग में की गई व्यवस्था के अन्तर्गत समुचित रूप से विचार किया है।

विषय क्रमांक 25 : आधिक्य/बचत की गई ऊर्जा का प्रबन्धन (Management of surplus power)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न उद्योगों/संघों तथा संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा आधिक्य/बचत ऊर्जा के प्रबन्धन हेतु प्रस्तावित क्रियाविधि का विरोध किया गया। उनके द्वारा इस संबंध में निम्न सुझाव प्रस्तुत किये गये :

- विद्युत वितरण कम्पनियों को आधिक्य/बचत की गई विद्युत का विक्रय कमी वाले राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली आदि के साथ ट्रेडिंग कम्पनियों तथा अनुबन्धों (agreement) के माध्यम से किया जाना चाहिए।

- ट्रेडिंग कम्पनी/परामर्शदाता की सेवाओं का उपयोग आधिक्य/बचत की गई विद्युत की रू. 3.50 प्रति यूनिट की दर से विक्रय करने तथा इसे निरस्त करने से बचने के लिये (avoiding back down) किया जाना चाहिए।

- बचत की गई ऊर्जा का विक्रय खुली बोली प्रक्रिया (opening bidding) के माध्यम से ही किया जाना चाहिए।

- घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत की खपत करने से हतोत्साहित किया जा रहा है जबकि विद्युत का विक्रय सस्ती दरों पर बचत की गई ऊर्जा के नाम पर किया जा रहा है। इस प्रकार विद्युत वितरण कम्पनियों को हानि वहन करनी पड़ रही है तथा इसकी क्षतिपूर्ति उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालकर की जा रही है। अतएव, बचत की गई ऊर्जा का उपभोग घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा उच्चतर खपत हेतु उच्च विद्युत–दर प्रभारित किये बिना अनुज्ञेय किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी, राज्य के उद्योगों को भी विद्युत–दर में उपयुक्त समायोजन द्वारा ऐसी क्रियाविधि अपना कर जिसके अनुसार उद्योग बचत ऊर्जा के उपयोग के लिये प्रोत्साहित हो, बचत की गई ऊर्जा के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- आयोग को विद्युत–दर के अवधारण करने का अनुरोध किया जाता है ताकि बचत ऊर्जा का क्रय राज्य के कैप्टिव विद्युत संयंत्रों तथा खुली पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा किया जा सके।

- विद्युत विनिमय दरें (power exchange rates) अधिकतम दरें नहीं होती जिन पर विद्युत का निपटान किया जाता है। किसी गुंजायमान बाजार व्यवस्था (vibrant market) के अन्तर्गत, विद्युत का मूल्य, मांग, प्रदाय तथा निपटारे के समय पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, विद्युत के क्रय से और अधिक राजस्व को भी अर्जित किया किया जाना संभव है। आयोग से अनुरोध किया गया कि उसके द्वारा आधिक्य/बचत की गई विद्युत के संबंध में इस विषय पर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसी विद्युत के बारे में विशिष्ट दिशा–निर्देश प्रदान किये जाएं।

- आधिक्य/बचत की गई विद्युत का निपटारा व्यापारियों (traders) या बिचौलियों (intermediaries) के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस विधि द्वारा व्यापारिक

गुंजाइश (trading margin) के रूप में उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार में वृद्धि होती है।

- बचत की गई विद्युत को रू. 3.50/यूनिट की दर से विक्रय पर विचार किया जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

- रू. 2.94 प्रति यूनिट की प्रस्तावित दर पूर्व वर्ष हेतु एमपीपीएमसीएल द्वारा बचत की गई विद्युत के वास्तविक विक्रय की प्रस्तावित दर है तथा इसी दर को आगामी वर्ष के लिये भी बचत ऊर्जा के विक्रय हेतु प्रस्तावित किया गया है।

- बचत ऊर्जा के विक्रय हेतु उचित दर का आगे भी अवधारण किया जाना उचित होगा जैसा कि आयोग द्वारा उचित समझा जाए जिस हेतु विभिन्न विद्युत विक्रय विकल्पों जैसे कि लघु अवधि विक्रय, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया, अन्य राज्यों के लिये विद्युत अधिकोष, आदि पर विचार करना होगा।

- बचत की गई विद्युत की मात्रा का प्रक्षेपण प्रावधिक आधार पर किया गया है तथा राज्य की वास्तविक मांग तथा विभिन्न विद्युत उत्पादक केन्द्रों से विद्युत की वास्तविक मात्रा के आधार पर यह मात्रा कम भी हो सकती है।

- बचत की गई विद्युत के विक्रय से वास्तविक वसूल की गई राजस्व की राशि तथा उत्तरवर्ती विद्युत क्रय लागतों को आयोग के समक्ष प्रक्षेपणों में किसी घटत–बढ़त के संबंध में भी प्रस्तुत किया जाएगा।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा आपत्तिकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण को संज्ञान में ले लिया गया है तथा इस विषय के बारे में संव्यवहार टैरिफ आदेश के अन्तर्गत भाग ''विद्युत क्रय लागतों (Power Purchase Costs)'' के अन्तर्गत किया गया है।

विषय क्रमांक 26 : ईंधन लागत समायोजन (Fuel Cost Adjustment)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न उद्योगों/संघों तथा संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा निवेदन किया गया कि ईंधन लागत समायोजन प्रभारों की वसूली घाटा यूनिटों (deficit units) (टैरिफ न्यूनतम) पर न किया जाकर वास्तविक खपत के आधार पर किया जाना चाहिए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

ईंधन लागत समायोजन (Fuel Cost Adjustment-FCA) का उद्देश्य ईंधन जैसे कि कोयला, तेल, गैस जिसका उपयोग केवल विद्युत उत्पादक संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, के मूल्य में होने वाली किसी वृद्धि या कमी के बारे में अनियन्त्रणीय लागतों (un-controllable costs) की वसूली/समायोजन करना है।

विद्युत वितरण कम्पनियों ने आगे यह भी निवेदन किया है कि ईंधन लागत समायोजन, आयोग के विनियमों तथा माननीय एप्टेल (APTEL) के प्रकरण क्रमांक ओपी–1, वर्ष 2011 के निर्णय से संरेखित है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा इस बात का भी उल्लेख किया गया कि ईंधन लागत समायोजन की वर्तमान गणना का भलीभांति निराकरण वित्तीय वर्ष 2013–14 के टैरिफ आदेश के अन्तर्गत कर लिया गया है। यही राशि ऊर्जा प्रभारों से प्राप्त किये गये राजस्व का भाग भी है।

आयोग का दृष्टिकोण

ईंधन लागत अधिभार को विद्युत–दर में प्रदत्त विद्युत उत्पादकों की परिवर्तनीय लागत के अन्तर की वसूली के उद्देश्य से अधिरोपित किया जाता है। परिवर्तनीय प्रभार मूलभूत रूप से विद्युत उत्पादकों द्वारा उत्पादन की परिवर्तनीय लागत की वसूली हेतु बिल की गई ऊर्जा प्रभार की दरें होती हैं। इस प्रकार, ईंधन लागत अधिभार ऊर्जा प्रभार का भी भाग है तथा तद्नुसार आदेश के सुसंबद्ध भाग में प्रावधानों के अनुसार इसकी व्याख्या की गई है। अतएव, प्रस्तुत सुझावों को स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया है।

विषय क्रमांक 27 : उच्च दाब श्रेणी के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से कम तथा 50 प्रतिशत से अधिक भार कारक हेतु खण्ड विद्युत–दर को समाप्त करना (Abolition of slab tariff of load factor below 50% and above 50% in HT category)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

- कुछ आपत्तिकर्ताओं द्वारा अनुरोध किया गया है कि उच्च दाब के उपभोक्ताओं हेतु विद्यमान द्वि–खण्डीय विद्युत दरों का संविलियन कर इसे एकल बना दिया जाए।
- आपत्तिकर्ता द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं के संबंध में जो ऊर्जा का आहरण दो भिन्न–भिन्न स्त्रोतों अर्थात् अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ खुली पहुंच के माध्यम से भी करते हैं, ऊर्जा लेखांकन की विधि का विरोध किया गया।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

- यह विषय सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता याचिका से संबंधित न होकर आयोग के खुली पहुंच विनियमों से संबद्ध है।

- आयोग से विषय पर उचित दृष्टिकोण अपनाए जाने का अनुरोध किया गया।

आयोग का दृष्टिकोण

- आयोग ने उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिये विद्यमान टैरिफ संरचना को जारी रखा है क्योंकि इस परिस्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का परिणाम कुछ उपभोक्ताओं, विशेष रूप से उच्च भार कारक (high load factor) धारित करने वालों के लिये विद्युत–दर आघात (tariff shock) के रूप में सामने आ सकता है।

- आयोग खाली पहुंच का लाभ प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं के प्रकरण में उनकी बिलिंग प्रक्रिया के बारे में प्रस्तावित परिवर्तन की विधि को स्वीकारयोग्य नहीं पाता।

विषय क्रमांक 28 : विद्युत–दर की निबन्धन तथा शर्तों में परिवर्तन (Change in terms and conditions of tariff)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

- कुछ आपत्तिकर्ताओं ने निवेदन किया कि विद्युत–दर की निबन्धन तथा शर्तों की समीक्षा बहु–वर्षीय विद्युत–दर (multi-year tariff) का निर्धारण करते समय की जाए। इस मध्य, विद्यमान निबन्धन तथा शर्तों में कोई परिवर्तन न किये जाएं।

- कुछ आपत्तिकर्ताओं ने यह सुझाव भी दिया कि निबन्धन तथा शर्तों में कोई भी परिवर्तन पृथक सार्वजनिक सुनवाई के आयोजन उपरान्त ही किया जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निवेदन किया गया कि विद्युत–दर प्रस्ताव सैद्धान्तिक तौर पर न केवल उनके वाणिज्यिक हितों वरन् उपभोक्ताओं के हितों के बारे में भी अनुज्ञप्तिधारी का विशेषाधिकार होना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारियों ने विद्युत–दरों (टैरिफ) तथा निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ के संबंध में परिवर्तन प्रस्तावित किये हैं। निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ में प्रस्तावित किये गये विद्युत–दर परिवर्तन यथोचित अध्ययन उपरान्त ही तथा विद्युत अधिनियम, 2003 तथा टैरिफ विनियमों के परिपालन में ही प्रस्तावित किये गये हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

विद्युत–दर की निबन्धन तथा शर्तों में परिवर्तन की वित्तीय तथा अन्य विवक्षाएं (पहलू) (implication) सन्निहित होती हैं। आयोग इसे उचित समझता है कि विद्युत–दर अनुसूची की निबन्धन तथा शर्तों में परिवर्तन पर विचार सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR)/टैरिफ याचिका के साथ ही किया जाए।

विषय क्रमांक 29 : एचवी–7 विद्युत–दर श्रेणी (ग्रिड से संयोजित विद्युत–उत्पादकों हेतु समकालन तथा प्रारंभिक विद्युत) संबंधी प्रावधान को जारी रखा जाए {HV-7 Tariff category (Synchronization and Start-up Power for Generators Connected to the Gird) be continued}

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

कुछ आपत्तिकर्ताओं ने निवेदन किया है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु ग्रिड से संयोजित विद्युत–उत्पादकों हेतु समकालन तथा प्रारंभिक विद्युत से संबद्ध विद्युत–दर में निर्दिष्ट निबन्धन तथा शर्तों में परिवर्तन न किया जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों का यह दृष्टिकोण है प्रारंभिक/सहायक विद्युत संबंधी विषय का संव्यवहार विद्युत प्रदाय संहिता (Supply Code) तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्र (Captive Power Plant-CPP) के अन्तर्गत ही किया जाना चाहिए तथा यह खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश का भाग भी नहीं होना चाहिए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्यमान प्रावधानों में किसी परिवर्तन को न्यायोचित नहीं मानता है।

विषय क्रमांक 30 : पूंजी निवेश योजना तथा परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण (Investment plan and capitalization of assets)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

कुछ आपत्तिकर्ताओं द्वारा यह निवेदन किया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु पूंजीकरण के प्रक्षेपण हेतु आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 की विद्युत–दर में अपनाए गये दृष्टिकोण का ही अनुसरण किया जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों ने निवेदन किया है कि पूंजीकरण योजना तथा परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण का प्रक्षेपण करते समय आयोग के दिशा निर्देशों का परिपालन किया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने इस विषय का संव्यवहार समुचित रूप से इस आदेश के सुसंबद्ध अध्याय के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी के पूर्व निष्पादन तथा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रक्षेपणों के आधार पर किया है।

विषय क्रमांक 31 : एचवी–3 (औद्योगिक गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग मॉल) श्रेणी की समीक्षा ***{Review of HV-3 (Industrial, Non-Industrial and Shopping Mall) tariff category}***

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

उद्योगों/औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों ने निवेदन किया है कि उद्योगों, गैर–उद्योगों तथा गहन विद्युत उद्योगों (Power intensive Industries) हेतु विद्युत–दर एक समान हो।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निवेदन किया गया कि विद्युत–दर प्रस्ताव सैद्धान्तिक तौर पर न केवल उनके वाणिज्यिक हितों वरन् उपभोक्ताओं के हितों के बारे में भी अनुज्ञप्तिधारी का विशेषाधिकार होना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारियों ने विद्युत–दरों (टैरिफ) तथा निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ के संबंध में परिवर्तन प्रस्तावित किये हैं। निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ में प्रस्तावित किये गये विद्युत–दर परिवर्तन यथोचित अध्ययन उपरान्त ही तथा विद्युत अधिनियम, 2003 तथा टैरिफ विनियमों के परिपालन में ही प्रस्तावित किये गये हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने उद्योगों, गैर–उद्योगों तथा गहन विद्युत उद्योगों हेतु विद्युत–दर का विभेदीकरण इनसे संबंधित उपयोग, भार आदि के आधार पर विद्युत अधिनियम, 2003 तथा सुसंगत विनियमों के उपबन्धों के आधार पर किया है।

विषय क्रमांक 32 : एचवी–3.4 (गहन विद्युत उद्योगों) की विद्युत श्रेणी की समीक्षा ***{Review of HV-3.4 (Power Intensive Industries) tariff category}***

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

- गहन विद्युत उद्योगों के प्रतिनिधियों ने विद्युत वितरण कम्पनियों के उक्त प्रस्ताव का विरोध किया है जिसमें प्रस्तावित टैरिफ में अधिमान्य दर (Preferential rate) का निरस्तीकरण

प्रस्तावित किया गया है।

- इसके अतिरिक्त, औद्योगिक संघों के एक प्रतिनिधि ने आयोग को गहन विद्युत उद्योगों को भार कारक प्रोत्साहन (load factor incentives) जैसा कि वे अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी लागू होते हैं, अनुज्ञेय किये जाने का भी अनुरोध किया है।

<u>विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया</u>

प्रस्तावित विद्युत–दर को अत्यधिक वैज्ञानिक विधि तथा राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अन्तर्गत निर्धारित किये गये सिद्धान्तों के अनुसार अन्तिम किया गया है।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग विद्यमान विद्युत–दर संरचना में किसी परिवर्तन को न्यायोचित नहीं समझता।

विषय क्रमांक 33 : एचवी–4 मौसमी विद्युत–दर (HV-4 Seasonal Tariff)

<u>आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

- उद्योगों/औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया है कि उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार बाह्य–मौसम काल (off season period) 4 से 6 माह का होना चाहिए।

- इसके अतिरिक्त, उद्योग के एक प्रतिनिधि द्वारा यह अनुरोध भी किया गया कि मौसमी विद्युत–दर (seasonal tariff) को सूक्ष्म/मिनी तथा लघु जल विद्युत संयंत्रों हेतु समकालन, प्रारंभिक तथा संयंत्र एवं कालोनी संधारण हेतु भी लागू कर दिया जाए।

<u>विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया</u>

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निवेदन किया गया कि विद्युत–दर प्रस्ताव सैद्धान्तिक तौर पर न केवल उनके वाणिज्यिक हितों वरन् उपभोक्ताओं के हितों के बारे में भी अनुज्ञप्तिधारी का विशेषाधिकार होना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारियों ने विद्युत–दरों (टैरिफ) तथा निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ के संबंध में परिवर्तन प्रस्तावित किये हैं। निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ में प्रस्तावित किये गये विद्युत–दर परिवर्तन यथोचित अध्ययन उपरान्त ही तथा विद्युत अधिनियम, 2003 तथा टैरिफ विनियमों के परिपालन में ही प्रस्तावित किये गये हैं।

जल विद्युत संयंत्रों के लिये मौसमी विद्युत–दर के संबंध में, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा इस विषय पर उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाए जाने का अनुरोध किया गया।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने इस संबंध में विद्यमान विद्युत संरचना को जारी रखने का निर्णय लिया है।

विषय क्रमांक 34 : पृथक विद्युत–दर श्रेणी (Separate tariff category)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

उद्योगों/औद्योगिक संघों/संगठनों के प्रतिनिधियों ने पृथक विद्युत–दर श्रेणियों (tariff categories) की संरचना बाबत निम्नानुसार अनुरोध किया :

- उच्च दाब उद्योगों के लिये विद्युत सह उत्पादन (cogeneration) हेतु पृथक श्रेणी

- कैप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों से खुली पहुंच के माध्यम से विद्युत प्राप्ति के स्थान पर विद्युत वितरण कम्पनियों से विद्युत की प्राप्ति हेतु पृथक विद्युत–दर की

  श्रेणी लागू करना

- स्वतंत्र संभरक के माध्यम से विद्युत प्रदाय प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के लिये पृथक विद्युत–दर श्रेणी। कथित श्रेणी के लिये, विशिष्ट तन्तुपथ हानि (specific line loss) को विद्यमान क्रियाविधि के अन्तर्गत माना जाए क्योंकि सामान्यकृत तन्तुपथ हानि के अनुसार मान कर ऐसे उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दण्डित किया जा रहा है। आपत्तिकर्ता द्वारा ऐसे उपभोक्ता जो स्वतंत्र संभरक के माध्यम से कतिपय क्षेत्रों में विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ) हेतु प्रचलित क्रियाविधि के अनुसार विद्युत प्राप्त कर रहे हैं, हेतु रियायती विद्युत–दर पर इसे उपलब्ध कराये जाने का भी अनुरोध किया गया।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

- आयोग द्वारा विभिन्न विनियमों के माध्यम से उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के हितों के संरक्षण हेतु उपबन्ध निर्दिष्ट किये गये हैं तथा तद्नुसार समस्त उपभोक्ता श्रेणियों के लिये खुदरा विद्युत–दर का अवधारण किया है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को ऊर्जा को कार्यक्रमबद्ध करना होता है तथा अपने विद्युत–तन्त्र (नेटवर्क) का संधारण भी करना होता है। अतएव, नवीन विद्युत श्रेणी की कोई आवश्यकता नहीं है।

- विद्युत वितरण कम्पनियों का दृष्टिकोण है कि प्रारंभिक/सहायक विद्युत के संबंध में विषय का संव्यवहार विद्युत प्रदाय संहिता (Supply Code) तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्र (CPP) विनियमों के अनुसार संव्यवहारित किया जाना चाहिए तथा यह खुदरा विद्युत–प्रदाय टैरिफ आदेश का भाग नही होना चाहिए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा वर्तमान विद्युत–दर की संरचना समस्त पहलुओं पर विचार करते हुए भार की प्रकृति तथा समस्त सुसंबद्ध कारकों के आधार पर की गई है। आयोग उपभोक्ताओं द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को गुणात्मक आधार पर विचार योग्य नहीं पाता।

विषय क्रमांक 35 : कतिपय श्रेणियों को घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत लाये जाने बाबत अनुरोध

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

अनेक संघों/संगठनों के प्रतिनिधियों ने कतिपय विद्युत–दर श्रेणियों को घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत निम्नानुसार शामिल किये जाने का अनुरोध किया है :

- चूंकि छात्रावासों में कमरों को छात्रों के लिये घरेलू उपयोग के लिये भाड़े पर प्रदान किया जाता है, अतएव छात्रावास गैर–घरेलू श्रेणी के स्थान पर घरेलू श्रेणी में शामिल होने चाहिए। आपत्तिकर्ता द्वारा विद्युत–दर में सहायतानुदान प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया क्योंकि विद्यार्थी प्रत्येक शासकीय योजना में प्रोत्साहन तथा सहायतानुदान राशि प्राप्त कर रहे हैं।

- चुंकि रक्त बैंक (blood bank) अत्यावश्यक सेवाएं (essential services) हैं, अतएव इनके लिये घरेलू विद्युत–दर श्रेणी लागू होनी चाहिए।

- भारतीय दन्तचिकित्सक संघ (Indian Dental Association) के प्रतिनिधि ने आयोग से बाह्य रोगी विभाग (OPD) तथा चिकित्सा औषधालयों (medical clinics) (न कि नर्सिंग होम) को गैर–वाणिज्यिक गतिविधि माने जाने का अनुरोध किया।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

- निजी पक्षकारों/व्यक्तियों द्वारा सहायता की अपेक्षा रखने वाले विद्यार्थियों (needy students) को छात्रावास की व्यवस्था प्रदान करना एक व्यावसायिक गतिविधि है। अतएव, इस गतिविधि को गैर–घरेलू गतिविधि के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

- श्रेणी में परिवर्तन किये जाने संबंधी अनुरोध पर विचार करना, आयोग के क्षेत्राधिकार का विषय है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने विद्यमान विद्युत–दर संरचना को ही जारी रखा है क्योंकि वह आपत्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सुझावों को गुणात्मक आधार पर विचारयोग्य नहीं मानता है।

विषय क्रमांक 36 : पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

कुछ आपत्तिकर्ताओं ने आयोग को पूंजी पर प्रतिलाभ (ROE) पर उसी दशा में अनुज्ञेय किये जाने का अनुरोध किया यदि पूंजी का वास्तविक रूप से निवेश किया जाए तथा इसका उपयोग वास्तविक परिसम्पत्तियों (tangible assets) के सृजन में किया जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

कंपनी की पूंजी को खंभों (Poles) तथा निम्न दाब तन्तुपथों (LT lines), उच्च दाब तन्तुपथों (HT lines), 33/11 केवी उपकेन्द्रों तथा ट्रांसफार्मरों, आदि की स्थापना में उपयोग किया जाता है जो शुद्ध रूप से वास्तविक परिसम्पत्तियां हैं। अतएव, पूंजी पर प्रतिलाभ सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) के मुख्य भाग का गठन करता है।

आयोग का दृष्टिकोण

पूंजी पर प्रतिलाभ का अवधारण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही किया गया है।

विषय क्रमांक 37 : डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण (Bad and Doubtful Debts)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

कुछ आपत्तिकर्ताओं द्वारा निवेदन किया गया कि डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों की गणना वास्तविक आधार पर की जानी चाहिए न कि किसी अनुभवजन्य सूत्र (empirical formula) के आधार पर, जो संग्रहीत राजस्व राशि का एक प्रतिशत भाग होता है। इसके अतिरिक्त, एक आपत्तिकर्ता द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि डूबन्त ऋणों के मुद्दों के निराकरण के प्रयोजन से ऐसे उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन जो प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि) (Security Deposit) से अधिक राशि की विद्युत का आहरण करते हैं उनके संयोजनो ंको विच्छेदित किया जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों की राशि का दावा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अनुमानित राजस्व राशि की एक प्रतिशत की उच्चतम

सीमा के अध्यधीन किया है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2015–16 की वास्तविक राजस्व राशि के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2015–16 के समाप्त होने पर तथा अंकेक्षित लेखे तैयार करने के बाद ही उपलब्ध हो पायेंगे, अतएव डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों की वास्तविक राशि का अवधारण सत्यापन के समय किया जाएगा।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के विरूद्ध व्ययों का प्रावधान विनियमों के उपबन्धों के आधार पर किया है।

***विषय क्रमांक 38 : एक समान विद्युत–दर संरचना* (uniform tariff structure)**

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

कुछ आपत्तिकर्ताओं ने तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों से संबंधित एक समान विद्युत–दर संरचना के अवधारण पर आपत्ति प्रकट की गई। जबकि एक आपत्तिकर्ता द्वारा निवेदन किया गया कि एक समान विद्युत–दर का अवधारण किया जाना इस तथ्य के कारण संभव नहीं है कि प्रत्येक विद्युत विवरण कम्पनी की विद्युत क्रय हानियां तथा अन्य व्यय अलग–अलग होते हैं, एक अन्य आपत्तिकर्ता ने आयोग से एक समान संरचना (uniform structure) की समीक्षा किये जाने तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा की अनुमति प्रदान करने तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाओं का अनुरोध किया।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने एक समान विद्युत–दर की संरचना विद्युत अधिनियम 2003 के सुसंबद्ध प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार के परामर्श अनुसार की है।

विषय क्रमांक 39 : निर्यात महत्व के उद्योगों हेतु रियायती विद्युत–संरचना (Concessional tariff for industries with export status)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

कपड़ा/वस्त्र उद्योग (textile industry) के प्रतिनिधि द्वारा निवेदन किया गया कि शासन द्वारा निर्यात आबद्धता से प्रतिबद्ध ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत शामिल की गई निर्यात महत्व की इकाइयों हेतु रियायती विद्युत–दर की सुविधा प्रदान की जाए। प्रतिनिधि द्वारा इस उद्योग के निर्यात महत्व के कारण विद्युत–दर पर अतिरिक्त प्रभार से छूट प्रदान करने का भी अनुरोध किया गया।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क ऐसे ही अन्य अनेक प्रकार के उद्योगों को भी लागू होता है। आयोग द्वारा पूर्व में ही विद्युत गहन उद्योगों हेतु निम्न विद्युत–दर लागू की जा चुकी है जिनमें केवल मिनी इस्पात उद्योग, इस्पात रोलिंग मिलें तथा स्पोंज लौह संयंत्र (sponge iron plants) शामिल हैं। उपरोक्त उल्लेखित उद्योगों की तुलना में कपड़ा/वस्त्र उद्योगों में विद्युत की खपत काफी कम है, अतएव इस पर पृथक (निम्न) विद्युत–दर के अन्तर्गत विचार नहीं किया गया है। विद्युत वितरण कम्पनियों का यह दृष्टिकोण है कि कपड़ा/वस्त्र उद्योग की विद्युत–दर अन्य उद्योगों के साथ ही एचवी–3.1 श्रेणी के अन्तर्गत रखी जाए जिनकी विद्युत खपत इनके समकक्ष है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग प्रस्तुत सुझाव को गुणात्मक आधार पर विचारयोग्य नहीं मानता है।

विषय क्रमांक 40 : ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के लिये पृथक विद्युत–दर को समाप्त करना (Abolition of different tariff for rural and urban areas)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

कुछ आपत्तिकर्ताओं ने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भिन्न–भिन्न विद्युत–दरों के प्रावधान को समाप्त करने का अनुरोध किया।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

आयोग द्वारा इस विषय पर उचित दृष्टिकोण अपनाया जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

यद्यपि संभरक पृथक्करण योजना (feeder separation scheme) का कार्य वर्तमान में पूर्ण प्रगति पर है, यह पाया गया है कि विद्युत प्रदाय के घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्ता की तुलना अभी भी शहरी क्षेत्रों से नहीं की जा सकती है। ऐसे में वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में विभेदी विद्युत–दर (differential tariff) को समाप्त नहीं किया जा रहा है।

विषय क्रमांक 41 : विशिष्ट खपत की समीक्षा (Review of Specific consumption)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

एक आपत्तिकर्ता द्वारा निवेदन किया गया कि कृषि श्रेणी के अन्तर्गत विशिष्ट विद्युत प्रदाय की अवधि में परिवर्तन तथा फसल के प्रतिदर्शी (Crop Pattern) के अनुरूप समीक्षा की जाने की आवश्यकता है।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

आयोग द्वारा इस विषय पर उचित दृष्टिकोण अपनाया जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा यथोचित विचार–विमर्श तथा पूर्व में प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के परीक्षण उपरान्त वित्तीय वर्ष 2014–15 में अमीटरीकृत कृषि संयोजनों के बारे में आकलन के मानदण्डों को पुनरीक्षित कर दिया गया है तथा इस विषय पर और आगे समीक्षा किये जाने को उचित नहीं समझता।

विषय क्रमांक 42 : घरेलू विद्युत–दर श्रेणी में स्थाई प्रभार (Fixed charges is domestic tariff category)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

- आपत्तिकर्ता द्वारा निवेदन किया गया कि स्थाई प्रभारों (fixed charges) को खपत से संयोजित करने के बजाय इन्हें निर्धारित की जाने की आवश्यकता है, जैसा कि यह गैर–घरेलू श्रेणी को भी लागू होता है। इसके अतिरिक्त, आपत्तिकर्ता ने यह उल्लेख भी किया कि स्थाई प्रभारों के निर्धारण हेतु मानदण्ड समस्त उप श्रेणियों हेतु एक समान होने चाहिए।

- घरेलू तथा गैर–घरेलू श्रेणियों हेतु स्थाई प्रभारों का एक समान होना आवश्यक है। इसके अलावा, घरेलू तथा वाणिज्यिक श्रेणियों का संविलियन कर दिया जाना चाहिए तथा खण्ड या स्लैब विद्युत–दर (Slab tariff) के प्रावधान को समाप्त कर दिया जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

घरेलू उपभोक्ताओं के प्रकरण में, स्थाई प्रभार विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के पांचवे संशोधन से संरेखित उपभोक्ताओं के प्राधिकृत भार पर आधारित होते हैं। यह उचित होगा कि प्रति यूनिट औसत विद्युत दर की तुलना में समग्र रूप से स्थाई तथा ऊर्जा प्रभारों के आधार पर की जाए न कि पृथक–पृथक स्थाई या ऊर्जा प्रभारों के आधार पर। इसके अतिरिक्त, एक विशिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिराज्यानुदान (cross Subsidy) के बारे में कोई दिशा–निर्देश नहीं हैं। यदि किसी विशिष्ट श्रेणी की उपश्रेणी के अन्तर्गत प्रतिराज्यानुदान में किसी कमी पर विचार किया जाता है तो कम या मध्यम खपत वाले उपभोक्ताओं की विद्युत में वृद्धि किया जाना आवश्यक होगा, जो न तो युक्तिगत है तथा न ही न्यायोचित।

विद्युत वितरण कम्पनियों ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(3) का संदर्भ प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि घरेलू तथा गैर–घरेलू श्रेणियों को विद्युत प्रदाय का उद्देश्य अलग–अलग है। अतएव, दोनों श्रेणियों का संविलियन विद्युत अधिनियम, 2003 के अभिप्राय के विपरीत होगा।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों के दृष्टिकोण से सहमत है।

विषय क्रमांक 43 : नगरपालिक ठोस अपशिष्ट संयंत्रों को प्रोत्साहन {Incentive to Municipal Solid Waste (MSW) Plants}

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

- एस्सेल जबलपुर एमएसडब्लू प्रायवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु नवकरणीय क्रय आबन्ध (RPO) लक्ष्य में वृद्धि की जाए। इसके अतिरिक्त, आपत्तिकर्ता ने आयोग द्वारा गैर–सौर श्रेणी के अन्तर्गत नगरपालिक ठोस अपशिष्ट संयंत्रों हेतु आबद्ध इकाईयों के द्वारा अधिप्राप्त की गई विद्युत के एक प्रतिशत अनन्य लक्ष्य को प्रतिपादित किये जाने बाबत अनुरोध किया गया।

- प्रतिवादी ने विभिन्न प्रोत्साहनों, जैसे कि खुली पहुंच प्रभारों के अधिरोपण से छूट प्रदान करने, शून्य संविदा मांग प्रभारों, आंशिक विद्युत क्रय अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने, प्रारंभिक (Start-up) से आहरित ऊर्जा को नेट मीटरिंग, प्रदाय विच्छेद (Shut-down) तथा तृतीय पक्षकार विक्रय, अनिवार्य रूप से चालू रखने संबंधी स्थिति (must-Run) की स्वीकृति तथा शीघ्र भुगतान किये जाने पर छूट अनुज्ञेय न किये जाने (non-allowance of discount on early payment) के लिये अनुरोध किया।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

आपत्तिकर्ता द्वारा उठाये गये मुद्दे टैरिफ याचिका से संबद्ध न होकर नवकरणीय ऊर्जा विनियमों से संबद्ध हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों के दृष्टिकोण से सहमत है।

विषय क्रमांक 44 : एचवी–6 थोक आवासीय प्रयोक्ता श्रेणी की प्रयोज्यता के बारे में अनुरोध (Request for applicability of HV-6 (Bulk Residential Users) tariff category)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

अनेक प्रतिनिधियों द्वारा विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एस–798 (ई) दिनांक 9 जून, 2005 में निर्दिष्ट समूह गृह निर्माण सोसायटियों के अलावा पंजीकृत समूह गृह निर्माण समितियों, व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ताओं, धर्मस्व न्यासों द्वारा संचालित वृद्धावस्था आवास गृहों (Old age houses) तथा सुधारालयों (rescue houses), आदि को विद्युत–दर श्रेणी एचवी–6 (थोक आवसीय प्रयोक्ताओं) की प्रयोज्यता को पुनरीक्षित किये जाने का अनुरोध किया गया।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निवेदन किया गया कि विद्युत–दर प्रस्ताव सैद्धान्तिक तौर पर न केवल उनके वाणिज्यिक हितों वरन् उपभोक्ताओं के हितों के बारे में भी अनुज्ञप्तिधारी का विशेषाधिकार होना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारियों ने विद्युत–दरों (टैरिफ) तथा निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ के संबंध में परिवर्तन प्रस्तावित किये हैं। निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ में प्रस्तावित किये गये विद्युत–दर परिवर्तन यथोचित अध्ययन उपरान्त ही तथा विद्युत अधिनियम, 2003 तथा टैरिफ विनियमों के परिपालन में ही प्रस्तावित किये गये हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा टैरिफ अनुसूची में समुचित तौर पर भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एस 798 (ई) दिनांक 9 जून, 2005 के प्रावधानों को शामिल किया जा चुका है, अतएव वर्तमान में और कोई परिवर्तन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

विषय क्रमांक 45 : विद्युत मांग के संबंध में समाकलन चक्र को 15 मिनट के स्थान पर 30 मिनट माना जाए (Integration cycle for calculation of demand be considered as 30 minutes in place of 15 minutes)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

उद्योग के प्रतिनिधि द्वारा निवेदन किया गया कि 'स्लाईडिंग विंडो' सिद्धान्त के अनुसरण में '15 मिनट' के स्थान पर '30 मिनट' के समय अन्तराल पर विचार किया जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

इस मुद्दे को पूर्व में भी अनेक बार उठाया जा चुका है तथा इस पर यथोचित रूप से विचार किया जा चुका है। इस व्यवस्था में वर्तमान में परिवर्तन किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

*विषय क्रमांक 46 : समस्त श्रेणियों हेतु स्थाई प्रभार एक समान हों (**Fixed charges to be the same for all categories**)*

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र के एक आपत्तिकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि समस्त टैरिफ श्रेणियों हेतु स्थाई प्रभार एक समान रखा जाकर इनकी संरचना प्रति यूनिट आधार पर की जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

खपत आधार पर स्थाई प्रभार केवल घरेलू श्रेणी को ही लागू होते हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग प्रस्तुत सुझाव को गुणात्मक आधार पर विचार योग्य नहीं मानता है।

*विषय क्रमांक 47 : बाह्य मौसमी ऊर्जा खपत (**Off-Seasonal energy consumption**)*

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

एचवी–4 (मौसमी टैरिफ श्रेणी) तथा एलवी–4 (औद्योगिक टैरिफ श्रेणी) से संबद्ध प्रतिनिधियों द्वारा आयोग से अनुरोध किया गया कि मासिक बाह्य–मौसमी ऊर्जा खपत को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया जाए क्योंकि अधिकतम मांग को मौसम–बाह्य (off-season) के दौरान संविदा मांग के 30 प्रतिशत तक अनुज्ञेय किया जाता है, इस तथ्यात्मक स्थिति के कारण कि इस अवधि के दौरान संधारण कार्यों का निष्पादन किया जाता है ।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि इस संबंध में विद्यमान विद्युत–दर संरचना में परिवर्तन किया जाना आवश्यक नहीं है।

*विषय क्रमांक 48 : नवकरणीय विद्युत क्रय आबंध का परिपालन (**Compliance of Renewable Purchase Obligation RPO**)*

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

नवकरणीय ऊर्जा संघ के प्रतिनिधियों ने निवेदन किया है कि विद्युत वितरण कम्पनियों ने नवकरणीय विद्युत क्रय आबंध के परिपालन से संबद्ध कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्रतिनिधि द्वारा आयोग को नवकरणीय विद्युत क्रय आबंध से संबद्ध वास्तविक निष्पादन की

समीक्षा करने तथा विनियमों के अनुसार प्रयोज्य दिशा–निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया।

इसके अतिरिक्त, सौर नवकरणीय ऊर्जा क्रय आबंध तथा इसके परिपालन के संबंध में, एक आपत्तिकर्ता का कथन है कि सौर नवकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों (Renewal Energy Certificates-REC) के मूल्य में कमी किये जाने के कारण तथा न्यूनतम मूल्य (floor price) पर विपुल उपलब्धता के कारण भी सौर नवकरणीय विद्युत क्रय विकल्प के परिपालन हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये यह मितव्ययी विकल्प है। अतएव, आयोग से अनुरोध किया गया कि वह सुसंगत विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों को वैध लिखतों (valid instruments) के आधार पर उनके अनिवार्य आबंध (mandatory obligations) के परिपालन हेतु प्रभावी उपाय करे।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने विद्युत–दर आदेश (tariff order) में नवकरणीय विद्युत क्रय आबंध के परिपालन के प्रयोजन से ऊर्जा की मात्रा का अवधारण किया है। जहां तक विद्युत वितरण कम्पनियों के वास्तविक निष्पादन का संबंध है, इस विषय की विवेचना, सत्यापन अभ्यास के दौरान की जायेगी क्योंकि वास्तविक आंकड़े केवल उक्त निर्दिष्ट समय पर ही उपलब्ध हो पायेंगे।

विषय क्रमांक 49 : पूर्व भुगतान ऊर्जा मापयंत्र (Prepaid meters)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

आयोग से पूर्व भुगतान मापयन्त्रों की स्थापना हेतु अनुरोध किया गया क्योंकि इनका संचालन देश के अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है। आपत्तिकर्ताओं ने निवेदन किया कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप राजस्व की दक्ष वसूली बिना चोरी की समस्या के की जा सकेगी तथा गतिविधि के संचालन हेतु मापयन्त्र वाचक (meter reader) की आवश्यकता भी नहीं होगी।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग की अभ्युक्ति है कि विद्युत–वितरण कम्पनियों ने अपने टैरिफ प्रस्तावों में एलवी–1.3 (घरेलू विद्युत–दर श्रेणी) तथा एलवी–2.3 (गैर घरेलू विद्युत–दर श्रेणी हेतु) विद्युत–दर श्रेणियों के लिये पूर्व भुगतान मीटरीकरण प्रक्रिया लागू करने हेतु प्रस्तावित किया है। आयोग हितधारकों तथा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत सुझाव से सहमत है। आयोग द्वारा इस संबंध में उपयुक्त रूप से टैरिफ अनुसूची एलवी–1 तथा एलवी–2 उपभोक्ता श्रेणियों हेतु उचित प्रावधान भी कर लिया गया है।

ए–7: खुदरा विद्युत–दर रूपांकन (Retail Tariff Design)

कानूनी स्थिति (Legal Position)

7.1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 तथा धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, आयोग ने याचिकाकर्ताओं की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण किया है। आयोग द्वारा याचिकाकर्ताओं, आपत्तिकर्ताओं तथा अन्य समस्त सुसंगत सामग्री (अभिलेखों) पर यथोचित ध्यान दिया गया है। विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों की विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण करते समय, आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय टैरिफ नीति तथा सुसंगत विनियमों पर भी यथोचित विचार किया है।

विद्युत–दर अवधारण हेतु आयोग की कार्यपद्धति (Commission's Approach to Tariff Design)

7.2 आयोग द्वारा राज्य शासन के पत्र क्रमांक 2287/2015/13 दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के परामर्शानुसार एक–समान खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ पद्धति वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु भी जारी रखी जाएगी।

7.3 सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का अवधारण टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट वितरण हानि स्तर प्रक्षेप वक्र (trajectory) के स्तर अनुसार किया गया है।

विद्युत प्रदाय की औसत लागत से संबद्धता (Linkage to Average Cost of Supply)

7.4 आयोग ने अपने पत्र क्रमांक एमपीईआरसी/आरई/2013/2780 दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 द्वारा माननीय एप्टेल (Appelate Tribunal for Electricity-APTEL) के अपील क्रमांक 103, वर्ष 2010 तथा आईए क्रमांक 137 तथा 138, वर्ष 2010 के अन्तर्गत पारित निर्णय में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के परिपालन में विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत का अवधारण करने संबंधी निर्देश दिये। विद्युत वितरण कम्पनियों ने विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत की गणना माननीय एप्टेल द्वारा निर्दिष्ट की गई क्रियाविधि के अनुसार प्रस्तुत की है।

7.5 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि टैरिफ विनियम तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों के बारे में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु वोल्टेजवार मानदण्डीय हानियों का पृथक्करण किये जाने का प्रावधान नहीं करते। याचिकाकर्ताओं ने यह निवेदन भी किया

है कि वोल्टेजवार हानियों का अवधारण किये जाने के लिये वितरण तंत्र (disribution network) का विस्तृत तकनीकी अध्ययन किये जाने की आवश्यकता होगी। अतएव, विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत की निदर्शी गणना हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा वोल्टेजवार हानियों की अवधारणा की गई है ; ऐसे में इसके अन्तर्गत आंकड़ों का यथोचित रूप से सत्यापन नहीं किया गया है। ऐसे में इस पर निर्भर नहीं किया जाना चाहिए।

7.6 उपरोक्त वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में आयोग ने प्रतिबन्धों के बाबजूद हानियों की वोल्टेजवार लागत के पृथक्करण तथा पूंजीगत व्यय संबंधी लागतों के बारे में विद्युत प्रदाय वोल्टेजवार लागत पर आधारित अनुमानित श्रेणीवार प्रतिराज्यानुदान (Cross Subsidy) की गणना का प्रयास किया है। जैसा कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर देखा जा सकता है, माननीय एप्टेल का निष्कर्ष है कि टैरिफ नीति का यह अधिदेश प्रतिराज्यानुदानों को विद्युत प्रदाय की समग्र लागत के (+/–) 20 प्रतिशत के अन्तर्गत रखा जाए, का अनुप्रयोग श्रेणीवार खुदरा विद्युत–दर के अवधारण हेतु किया जा सकता है। तथापि, विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत के अवधारण की आवश्यकता आयोग को विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर उसे चालू प्रतिराज्यानुदानों का मूल्यांकन करने में समर्थ बनाने में निहित है। ऐसे में, आयोग को विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत का मार्गदर्शन उसे विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर शनैः–शनैः प्रतिराज्यानुदानों को कम करने हेतु प्राप्त होता है।

वांछित आंकड़ों के अभाव में, माननीय एप्टेल द्वारा यह भी परामर्श दिया गया है कि विद्युत क्रय लागत जो विद्युत वितरण कम्पनियों की लागत का मुख्य घटक है, को तत्संबंधी वोल्टेज स्तरों पर विक्रय तथा हानियों के अनुपात में विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है। जहां तक अन्य लागतों, जैसे कि पूंजी पर प्रतिलाभ, ऋण पर ब्याज, अवमूल्यन, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज तथा प्रचालन एवं संधारण लागतों का संबंध है, इन लागतों को समेकित (pooled) किया जा सकता है तथा इनका समस्त वोल्टेज स्तरों पर बराबर अनुपात में आनुपातिक विभाजन किया जा सकता है।

7.7 आयोग याचिकाकर्ताओं के इस आग्रह से सहमत है कि वोल्टेजवार हानियों के अवधारण के लिये वितरण नेटवर्क के विस्तृत तकनीकी अध्ययनों की आवश्यकता होगी। ऐसे में विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत पर आधारित श्रेणीवार प्रतिराज्यानुदान की गणना हेतु, आयोग ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित विधि के आधार पर इसके अवधारण का प्रयास किया है। इस प्रकार गणना किये गये श्रेणीवार प्रतिराज्यानुदान प्रकृति से

निर्देशात्मक (indicative) है तथा परिशुद्ध नहीं है क्योंकि इस हेतु आधार आंकड़ों को यथोचित रूप से वास्तविक आधार पर चुने जाने की आवश्यकता होगी। आयोग द्वारा विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत के अवधारण हेतु निम्न क्रियाविधि अपनाई गई है :

(i) विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत की गणना 33 केवी से अधिक तथा 33 केवी से कम एवं 11 केवी (निम्न दाब को शामिल करते हुए) श्रेणियों के लिये की गई है।

(ii) 33 केवी तथा 33 केवी से कम तथा 11 केवी (निम्न दाब को शामिल करते हुए) श्रेणियों के विद्युत विक्रय के आंकड़े जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, माने गये हैं।

(iii) याचिकाकर्ताओं की समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियां वही मानी गई हैं जैसा कि वे वित्तीय वर्ष 2015–16 के टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट की गई है।

(iv) आयोग द्वारा स्वीकृत की गई समग्र हानियों को उपरोक्त दर्शाये 33 केवी से अधिक, 33 केवी तथा 11 केवी (निम्न दाब को शामिल करते हुए) को उसी अनुपात में वोल्टेजवार पृथककृत किया गया है जैसा कि इसे याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है।

(v) विद्युत वितरण कम्पनी की सीमा पर उपरोक्त 33 केवी से अधिक, 33 केवी तथा 11 केवी (निम्न दाब को शामिल करते हुए) विद्युत क्रय लागतों का वोल्टेजवार निवेश ऊर्जा (input energy) के अनुसार माना गया है। विद्युत वितरण कम्पनी की अन्य समस्त लागतों को वोल्टेजवार स्तर पर विक्रय के आधार पर आवंटित किया गया है।

(vi) विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत की गणना हेतु प्राप्त की गई वोल्टेजवार कुल लागत को वोल्टेजवार विक्रय से विभाजित किया गया है।

7.8 उपरोक्त क्रियाविधि के आधार पर, आयोग ने निर्देशात्मक वोल्टेजवार (indicative voltage wise) विद्युत प्रदाय की लागत तथा समरूप प्रतिराज्यानुदान की गणना की है जिसे निम्न दर्शायेनुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 92 : राज्य हेतु विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत की गणना

राज्य संबंधी	इकाई	अति उच्च दाब प्रणाली (400 केवी, 220 केवी, 132 केवी तथा 66 केवी)	33 केवी प्रणाली	11 केवी + निम्न दाब प्रणाली	योग
विद्युत विक्रय (sales)	मिलियन यूनिट	5,414	5,911	38,913	50,237
हानि (Loss %)	प्रतिशत	5.32%	5.83%	16.65%	21.23%

प्रस्तुत किया गया ऊर्जा आहरण (Energy input submitted)	मिलियन यूनिट	5,718	6,630	52,445	64,793
स्वीकृत किया गया ऊर्जा आहरण (Energy input admitted)	मिलियन यूनिट	5,682	6,567	52,012	64,261
ऊर्जा की हानि (तकनीकी 33 केवी तक और 11 केवी + निम्न दाब तकनीकी तथा वाणिज्यिक)	मिलियन यूनिट	269	656	13,099	14,024
वाणिज्यिक हानि जिसे 11 केवी तथा निम्न दाब समग्र हानियों का 50% के रूप में माना गया है	मिलियन यूनिट			6,550	6,550
समस्त वोल्टेज हेतु अवशेष 50 प्रतिशत वाणिज्यिक हानियां, विद्युत विक्रय के अनुपात में	मिलियन यूनिट	706	771	5,073	6,550
स्वीकृत की गयी शुद्ध ऊर्जा की हानि	मिलियन यूनिट	975	1,427	11,623	14,024
ऊर्जा का शुद्ध निवेश	मिलियन यूनिट	6,388	7,337	50,536	64,261
विद्युत क्रय लागत–वोल्टेजवार हानियों पर आधारित आवंटित	करोड़ रूपये में	1,873	2,248	16,857	20,979
अन्य लागतें–वोल्टेजवार विद्युत विक्रयों के आधार पर आवंटित	करोड़ रूपये में	552	568	3,821	4,941
घटायें : अन्य आय–वोल्टेजवार विक्रय के आधार पर आवंटित	करोड़ रूपये में	115	131	849	1,095
पूर्व अवधि की वसूलियां	करोड़ रूपये में	237	169	1,323	1,730
कुल लागतें (सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता)	करोड़ रूपये में	2,548	2,855	21,152	26,555
विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत	रूपये/यूनिट	**4.71**	**4.83**	**5.44**	**5.29**

7.9 वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु उपभोक्ता श्रेणीवार अनुमानित प्रतिराज्यानुदान की राशि निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है :

तालिका 93 : सम्पूर्ण राज्य के संबंध में वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु वोल्टेजवार लागत पर आधारित प्रतिराज्यानुदान

श्रेणी	विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत (रूपये प्रति यूनिट में)	औसत बिलिंग दर (रूपये प्रति यूनिट में)	औसत बिलिंग दर तथा विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत का अनुपात
निम्न दाब श्रेणियां (LV)			
एलवी–1 : घरेलू	5.44	5.12	94%
एलवी–2 : गैर–घरेलू	5.44	7.20	132%
एलवी–3.1 : सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य	5.44	4.41	81%
एलवी–3.2 : पथ–प्रकाश	5.44	5.87	108%
एलवी–4 : औद्योगिक	5.44	6.67	123%
एलवी–5.1 : कृषि	5.44	4.28	79%
उच्च दाब श्रेणियां **(HT)**			

एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	4.71	6.41	136%
एचवी–2: कोयला खदानें (कोल माईन्स)	4.79	7.10	148%
एचवी–3.1 : औद्योगिक	4.81	6.75	141%
एचवी–3.2 : गैर–औद्योगिक	5.01	7.21	144%
एचवी–3.3 : शॉपिंग मॉल	4.85	7.48	154%
एचवी–3.4 : गहन विद्युत उद्योग	4.83	5.48	114%
एचवी–4: मौसमी (सीजनल) तथा गैर मौसमी (नान–सीजनल)	4.94	6.26	127%
एचवी–5.1: सिचाई सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग	4.80	5.02	105%
एचवी–6 : थोक आवासीय प्रयोक्ता	4.89	5.27	108%
एचवी–7: समकालन तथा प्रारंभिक विद्युत प्रदाय	4.71	6.25	133%
योग–	**5.29**	**5.29**	**100%**

7.10 वित्तीय वर्ष 2015–15 की विद्युत दरों के अवधारण में, आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की इस अर्हता पर यथोचित विचार किया है कि उपभोक्ता विद्युत–दरों (टैरिफ) में विद्युत प्रदाय की लागत प्रतिबिंबित होनी चाहिये। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु विद्युत प्रदाय की औसत लागत रू. 4.84 प्रति यूनिट के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2015–16 में यह लागत रू. 5.29 पैसे प्रति यूनिट आती है। निम्न तालिका आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के टैरिफ आदेश में अवधारित लागत संव्यवहार (Cost coverage) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु टैरिफ आदेश में अवधारित लागत संव्यवहार प्रदर्शित करती है :

तालिका 94 : विद्युत–दर (टैरिफ) बनाम विद्युत प्रदाय की औसत लागत का तुलनात्मक अध्ययन

श्रेणी / उपश्रेणी	**औसत वसूली, विद्युत प्रदाय की औसत लागत के प्रतिशत के रूप में**	
	वित्तीय वर्ष 2014–15 (टैरिफ आदेश के अनुसार)	**वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु (इस टैरिफ आदेश के अनुसार निष्पादित)**
निम्न दाब श्रेणियां		
घरेलू	100%	97%
गैर–घरेलू	136%	136%
सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा पथ–प्रकाश	88%	92%
औद्योगिक	122%	125%
कृषि	77%	81%
उच्च दाब श्रेणियां		

रेलवे	121%	121%
कोयला खदानें (कोलमाईन्स)	135%	134%
औद्योगिक	123%	125%
गैर–औद्योगिक	137%	137%
सिंचाई, जलप्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग	88%	95%
थोक आवासीय प्रयोक्ता (बल्क रेसिडेंशियल यूजर्स)	99%	100%

7.11 जैसा कि इस आदेश के पूर्व अध्यायों में व्याख्या की गई है, वर्ष के दौरान लागत संरचना में परिवर्तन हुआ है। आयोग संज्ञानपूर्वक पिछले अनेक वर्षों से समस्त उपभोक्ता श्रेणियों हेतु प्रति राज्यानुादान (Cross Subsidy) स्तरों को कम करने के निरन्तर प्रयास करता चला आ रहा है। तथापि, ऐसा करते समय उसके द्वारा यह संज्ञान में रखा गया है कि उपभोक्ताओं की कोई भी श्रेणी अचानक तीव्रवृद्धि के माध्यम से विद्युत–दर आघात (tariff shock) से प्रभावित न हो। यहां यह भी देखा जा सकता है कि यद्यपि उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी हेतु विद्युत–दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तथापि प्रतिशत प्रतिराज्यानुदान बनाम समग्र विद्युत प्रदाय की औसत लागत में मामूली परिवर्तन हुआ है। ऐसा विद्युत विक्रय बनाम उक्त श्रेणी के कुल भार तथा श्रेणियों /उप श्रेणियों के विक्रय मिश्र में परिवर्तन के कारण हुआ है।

7.12 आपत्तिकर्ताओं के सुझावों पर यथोचित विचार करते हुए तथा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत सुझावों के आधार पर आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विद्युत–दर रूपांकन में कतिपय परिवर्तन किये हैं। इन परिवर्तनों का उल्लेख निम्न अनुच्छेदों में किया गया है :

(i) **एलवी–1 घरेलू श्रेणी की प्रयोज्यता में संशोधन (Modification in applicability of LV 1 Domestic Category)** : आयोग द्वारा घरेलू श्रेणी की प्रयोज्यता में ''गौशालाओं'' को भी शामिल कर लिया गया है।

(ii) **घरेलू श्रेणी की विद्युत–दर संरचना का सरलीकरण (Simplification in the tariff structure of Domestic Category)** : घरेलू श्रेणी में विद्युत–दर संरचना के सरलीकरण तथा खण्डों (Slabs) की संख्या को कम किये जाने के मुद्दे को आपत्तिकर्ता द्वारा उठाया गया है। आयोग का भी यही दृष्टिकोण है। तथापि, ऐसा किये जाने में अनेक कठिनाईयां भी हैं। आयोग ने अपने पहले कदम के रूप में 500 यूनिट से अधिक के खण्ड को समाप्त कर दिया है। आगे

से एलवी–1.2 श्रेणी के अन्तर्गत 5 के स्थान पर केवल 4 खपत खण्ड (consumption slabs) ही होंगे।

(iii) **पूर्व भुगतान विद्युत–दर का प्रावधान (Provision for Pre-paid tariff)** : आयोग ने एलवी–1 (घरेलू श्रेणी) तथा एलवी–2 (गैर–घरेलू श्रेणी) उपभोक्ता श्रेणियों हेतु तत्संबंधी विद्युत–दर अनुसूची (tariff schedule) में पूर्व भुगतान विद्युत–दर लागू कर दी है।

(iv) **निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी की विद्युत–दर संरचना में संशोधन (Modification in tariff structure of LT industrial category)** : विभिन्न उद्योगों/संगठनों/संघों/उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों ने संयोजित भार पर आधारित उप श्रेणियों को हटाने का अनुरोध किया है। उनके अनुरोध को स्वीकारयोग्य पाया गया है। अतएव, आयोग ने समस्त निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये मांग–आधारित विद्युत–दर (demand based tariff) का प्रावधान किया है। ऐसे उपभोक्ता जो वर्तमान में संयोजित भार, विद्युत–दर श्रेणी (connected load tariff category) के अन्तर्गत है, वहां विद्युत वितरण कम्पनियों को आदेश जारी होने के दो माह के भीतर संविदा मांग पर आधारित अनुबन्ध का निष्पादन करने हेतु, निर्देश दिये जाते हैं। उपभोक्ताओं द्वारा संविदा मांग के घोषित होने तक तथा अनुबन्ध के उत्तरोत्तर निष्पादन तक, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं की बिलिंग उनके स्वीकृत भार को मांग आधारित विद्युत–दर के अन्तर्गत संविदा मांग मानकर की जा सकती है।

निम्न दाब औद्योगिक विद्युत–दर की तीनों विद्यमान उप श्रेणियों का इनके सरलीकरण के उद्देश्य से संविलियन कर दिया गया है, तथापि ऐसे उपभोक्ता जिनके भार 25 अश्वशक्ति तक के हैं, को टैरिफ आघात (tariff shock) से बचाने के लिये न्यून विद्युत–दर लागू की गई है।

(v) **विद्युत–दर अनुसूची एलवी–5 कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां (Tariff schedule LV 5 Agriculture and Allied Activities)** : विद्युत अधिनियम, 2003 तथा तत्पश्चात् लागू की गई टैरिफ नीति में उपभोक्ताओं के लिये प्रदाय की गई ऊर्जा हेतु प्रभारों के अलावा स्थाई प्रभार (fixed charge) को अधिरोपित करने का प्रावधान किया गया है। अभी तक कृषि संयोजनों पर स्थाई प्रभार

अधिरोपित नहीं किये जा रहे थे। विधिक प्रावधानों के अनुपालन में कृषि श्रेणी हेतु उपयुक्त स्थाई प्रभार अधिरोपित किये गये हैं।

(vi) **समयानुपाती अधिभार तथा छूट में परिवर्तन (Change to TOD Surcharge and Rebate)** : आयोग ने राज्य में आधिक्य/बचत की जा रही विद्युत (surplus power) स्थिति को संज्ञान में लिया है तथा सांय शीर्ष भार अधिभार (evening peak load surcharge) को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। बाह्य शीर्ष भार छूट (off peak load rebate) को 15 प्रतिशत के स्तर पर कायम रखा गया है।

ए 8 : वित्तीय वर्ष 2014–15 के टैरिफ आदेश में जारी किये गये दिशा–निर्देशों का परिपालन (Compliance of Directives issued in Tariff Order For FY 2014-15)

वित्तीय वर्ष 2014–15 के खुदरा विद्युत–प्रदाय टैरिफ आदेश के अन्तर्गत आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के परिपालन में विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया तथा आयोग की अभ्युक्तियां तथा दिशा–निर्देश निम्नानुसार दर्शाए गये हैं :

8.1 वितरण हानियां (Distribution Losses) :

आयोग के दिशा–निर्देश (Commission's Directives)

यद्यपि समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा हानियों को कम किये जाने का रूझान प्रस्तुत किया गया है, हानियों को कम किये जाने हेतु इन्हें कम किये जाने के प्रयासों की आवश्यकता है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा न केवल मापदण्डों की प्राप्ति के प्रयास किये जाने चाहिए वरन् हानि में कमी की जाने तथा प्रणाली में सुधार हेतु निवेशित पूंजी को न्यायोचित ठहराने हेतु आगे और अधिक सुधार भी किये जाने चाहिए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि हानियों को कम किये जाने बाबत निम्न कदम उठाये जा रहे है :

(अ) प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य/वितरण क्षमता का आवर्धन (System Strengthening Work/Augmentation of Distribution Capacity) :

तकनीकी हानियों को कम करने के उद्देश्य से, वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/आवर्धन किया जा रहा है। माह अक्टूबर, 2014 तक प्रणाली में निम्न परिवर्धन किये गये हैं :

सरल क्रमांक	विवरण	इकाई	माह मार्च 2013 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष 2013–14 में परिवर्धन	माह मार्च 2014 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष 2014–15 में परिवर्धन (माह अक्टूबर, 2014 तक) (समग्र) रूप से)
1	33/11केवी उपकेन्द्र	संख्या	922	25	947	9
2	पावर ट्रांसफार्मर	संख्या	1463	134	1597	45

3	पावर ट्रांसफार्मर क्षमता	एमवीए	5914.8	861.85	6776.65	349.25
4	33 केवी तन्तुपथ (लाईन)	किलो मीटर	15288	757	16045	431
5	11 केवी तन्तुपथ (लाईन)	किलो मीटर	95985	9557	105542	4735
6	निम्न दाब तन्तुपथ (लाईन)	किलो मीटर	110614	2391	113005	1218
7	वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	116651	15350	132001	6701
8	वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता	एमवीए	6430.62	614.93	7045.55	272.06

(ब) गैर–आरएपीडीआरपी योजना का क्रियान्वयन (Implementation of Non-RAPDRP Scheme) :

वितरण हानियां कम करने के उद्देश्य से, गैर–आरएपीडीआरपी योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों का निष्पादन चयनित गैर–आरएपीडीआरपी नगरों में किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण में 21 नगरों का चयन किया गया था। इन नगरों में औसत हानि स्तर जो माह मार्च, 2010 में 47.28 प्रतिशत था, माह सितम्बर, 2014 में घट कर 16.17 प्रतिशत रह गया। योजना के द्वितीय चरण में 27 नगरों का चयन किया गया। इन नगरों में औसत हानि स्तर जो माह सितम्बर, 2014 में 53.26 प्रतिशत था, घटकर 18.96 प्रतिशत रह गया। योजना के तृतीय चरण में 35 नगरों का चयन किया गया है। इन–नगरों में कार्य का निष्पादन एशियाई विकास बैंक (ADB) की सहायता से रू. 67.44 करोड़ की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। इन नगरों में हानि स्तर 57.66 प्रतिशत से घट कर सितम्बर, 2014 में 21.33 प्रतिशत रह गया है। आगे योजना के चतुर्थ चरण में, 35 नगरों का चयन रू. 49.58 करोड़ की अनुमानित लागत की योजना के अन्तर्गत किया गया है। इन नगरों में भी कार्य प्रगति पर है। इन नगरों में औसत हानि स्तर 50 प्रतिशत से घटकर सितम्बर, 2014 में 26.46 प्रतिशत हो गया है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के कार्यों का निष्पादन 98 ग्राम पंचायतों (ग्रामीण वितरण केन्द्र मुख्यालय) में कार्य रू. 27.57 करोड की अनुमानित लागत से किया गया है।

(स) संभरक पृथक्करण योजना (Feeder Separation Scheme) :

संभरक पृथक्करण योजना के अन्तर्गत 1645 की संख्या में 11 केवी संभरकों के पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। अपेक्षा की गई है कि परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर वित्तीय वर्ष 2009–10 के स्तर पर वितरण हानियों में लगभग 3 प्रतिशत की कमी होगी। वित्तीय वर्ष 2009–10 में पारेषण तथा

वितरण हानियां (T&D losses) 33.45 प्रतिशत थी जो माह मार्च, 2013 में घट कर 26.02 प्रतिशत तथा आगे माह नवम्बर, 2013 में 23.94 प्रतिशत रहगई है। वितरण हानि में कमी की होना संभरक पृथक्करण योजना के लक्ष्य से संरेखित है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, वे पूर्ण समर्पित होकर तन्तुपथ हानियों को कम करने की दिशा में मानदण्डीय स्तर पर लाये जाने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है।

विद्युत वितरण कम्पनी ने हानिस्तर संबंधी अपनी उपलब्धियों के बारे में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी माह अप्रैल से जुलाई तक समयावधि के दौरान निम्न तालिका में दर्शायेनुसार तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया है :

वित्तीय वर्ष 2013–14		**वित्तीय वर्ष 2014–15**	
माह	**हानि प्रतिशत**	**माह**	**हानि प्रतिशत**
अप्रैल 2013	23.61	अप्रैल 2013	14.58
मई 2013	39.88	मई 2013	35.74
जून 2013	37.97	जून 2013	33.96
जुलाई 2013	18.01	जुलाई 2013	23.04
औसत	29.87	**औसत**	26.83

निवेदन किया गया कि विद्युत प्रदाय घंटों में वृद्धि तथा विपरीत मैदानी वास्तविकताओं के कारण कम्पनी को आयोग द्वारा परिभाषित हानि प्रक्षेप वक्र के अनुसार हानि स्तर की प्राप्ति में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कम्पनी द्वारा अपने सतर्कता प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण किया जाकर बिजली चोरी की रोकथाम का गहन जांच अभियान भी प्रारंभ किया है। विद्युत वितरण कम्पनी के सर्तकता प्रकोष्ठ द्वारा नियमित छापों का आयोजन किया गया है। माह अप्रैल, 2014 से माह अक्टूबर, 2014 तक के विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

जांच किये गये संयोजनों की संख्या	**ऐसे प्रकरणो की संख्या जिनमें अनियमितता/ चोरी का पता लगाया गया**			**बिल की गई दण्ड राशि (करोड़ रूपये में)**			**वसूल की गई दण्ड राशि (करोड़ रूपये में)**		
	प्रत्यक्ष चोरी	**कदाचार के प्रकरण**	**योग**	**प्रत्यक्ष चोरी**	**कदाचार के प्रकरण**	**योग**	**प्रत्यक्ष चोरी**	**कदाचार के प्रकरण**	**योग**
101254	10259	7912	18171	38.87	32.90	71.78	32.06	29.30	61.36

संभरक पृथक्करण तथा अन्य योजना (Feeder Separation and other Scheme) : विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा संभरक पृथक्करण योजना दो चरणों में प्रारंभ की गई है। प्रथम चरण में इन्दौर, धार, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर तथा रतलाम जिले शामिल किये गये हैं जबकि योजना के द्वितीय चरण में उज्जैन, देवास, मन्दसौर, नीमच, अलीराजपुर, झाबुआ तथा शाजापुर जिले शामिल किये गये हैं।

विद्युत वितरण कम्पनी ने प्रणाली सुदृढ़ीकरण की विभिन्न योजनाओं मध्य प्रदेश शासन/टीएसपी, एससीएसपी, संभरक् द्विभाजन, नवीन कृषि पम्प, एडीबी द्वितीय (टीआर 4 तथा 5), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (दसवीं तथा ग्यारहवीं योजना), जेबीआईसी प्रथम तथा द्वितीय योजना के अन्तर्गत प्रारंभ की हैं।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान विद्युत वितरण प्रणाली में निम्न परिवर्धन (additions) किये गये हैं :

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013–14		
		वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के अंत में
1	परिपथ की लम्बाई (सर्किट किलोमीटर में			
	– 33 केवी	13,577	365	13,942
	– 11 केवी	84,238	11365	95603
	– निम्न दाब	145878	1743	147621
	योग	243693	13473	257166
2	33/11 केवी के उपकेन्द्रों की संख्या	1,091	49	1140
3	पावर ट्रांसफार्मरों की संख्या	1,805	222	2027
	पावर ट्रांसफार्मरों की संख्या की एमवीए क्षमता का योग	7,693	1010	8703
4	वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या	123805	22963	114768
	वितरण ट्रासफार्मरो ंकी संख्या की एमवीए क्षमता का योग	**9,957**	**1027**	**10984**

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :

विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान वितरण हानियां लगभग 29 प्रतिशत थीं जो 30 सितम्बर, 2014 की स्थिति में घटा कर के 26.74 प्रतिशत स्तर पर ला दी गई हैं।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश (Commission's Observations/Directives)

यद्यपि विद्युत वितरण कम्पनियों ने हानियों का घटता हुआ रूझान प्रकट किया है, हानियां कम किये जाने के प्रयासों में और अधिक तेजी लाये जाने की आवश्यकता है। विद्युत वितरण कम्पनियों को न केवल मानदण्डों को प्राप्त करने के लिये प्रयास करने की आवश्यकता है वरन इनमें और आगे भी सुधार लाया जाना जरूरी है। विद्युत वितरण कम्पनियों को हानि कम किये जाने संबंधी उपयुक्त रणनीतियां तथा योजनाएं तैयार करने तथा क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये गये हैं जिसका केन्द्र बिन्दु विद्युत चोरी की रोकथाम है। आयोग द्वारा यह पाया गया कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने हानि में कमी लाये जाने के बारे में किये गये प्रयासों बाबत वांछित विवरण प्रस्तुत करने पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे महत्वपूर्ण संव्यवहार में अत्यंत लापरवाही बरती गई है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग के दिशा–निर्देशों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जा रहा है। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को वर्ष 2014–15 के दौरान उठाये गये कदमों के बारे में एक विस्तृत प्रतिवेदन एक माह के भीतर कारण दर्शाते हुए प्रस्तुत करना चाहिए कि सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता याचिका के अन्तर्गत उनके द्वारा अपूर्ण जानकारी क्यों प्रस्तुत की गई ?

8.2 अमीटरीकृत संयोजनों का मीटरीकरण किया जाना (Meterization of unmetered connections) :

आयोग के दिशा–निर्देश (Commission's Directives)

प्रमुख सचिव (ऊर्जा), मप्र शासन, विद्युत वितरण कम्पनियों तथा मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध संचालकों के साथ 23 अप्रैल, 2014 को आयोजित बैठक में संभरकों, कृषि वितरण ट्रांसफर्मरों की मीटरीकरण प्रक्रिया में विलंब तथा अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं के बारे में चर्चा की गई। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा आयोग को आश्वस्त किया गया कि संभरकों, कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों तथा अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं के मीटरीकरण पर चर्चा की प्रक्रिया आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार पूर्ण कर ली जाएगी। आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों को अद्यतन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश देता है। प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर समुचित तौर पर वस्तुस्थिति की समीक्षा की जाएगी।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों, कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों तथा उच्च दाब संभरकों के मीटरीकरण की अद्यतन स्थिति तथा योजना निम्नानुसार हैः

(अ) संभरक मीटरीकरण (Feeder Meterisation) 33 केवी संभरकों तथा 11 केवी संभरकों के समस्त मीटरीकरण बिन्दुओं पर मापयन्त्र स्थापित किये जा चुके हैं।

(ब) अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों का मीटरीकरण (Meterisation of un-metered domestic connections) : शहरी क्षेत्रों में समस्त अमीटरीकृत संयोजनों पर मापयन्त्रों की स्थापना की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में ग्रामीण क्षेत्रों के अमीटरीकृत संयोजनों पर 3,49,845 मापयन्त्र उपलब्ध कराये गये हैं। इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत घरेलू बत्ती तथा पंखों (DLF) के संयोजन माह मार्च, 2013 की स्थिति में 941,085 से घट कर माह मार्च, 2014 में 591,240 रह गये हैं। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, माह सितम्बर, 2014 की स्थिति में 2,11,615 मापयन्त्र अमीटरीकृत बत्ती तथा पंखों (DLF) के संयोजनों पर उपलब्ध कराये जा चुके हैं। इस प्रकार, माह सितम्बर, 2014 की स्थिति में 3,79,625 बत्ती तथा पंखों के संयोजन ऐसे हैं जो अमीटरीकृत हैं। माह मार्च, 2015 तक शेष बचे हुए अमीटरीकृत संयोजनों पर मापयन्त्र स्थापित करने की योजना है।

(स) कृषि वितरण ट्रांसफर्मरों का मीटरीकरण (Meterisation of Agricultural DTRs) – माह सितम्बर, 2014 की स्थिति में विद्युत वितरण कम्पनी के अन्तर्गत कृषि वितरण ट्रांसफर्मरों (agricultural DTRs) की संख्या 65,511 है जिनमें से 3,555 पर कृषि वितरण ट्रांसफार्मर मापयन्त्र स्थापित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 34859 वितरण ट्रांसफार्मरों पर 1,24,269 मापयन्त्र उनके वितरण बक्सों (distribution boxes) में व्यक्तिगत उपभोक्ताओं हेतु, प्रदान किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014–15 में शेष वितरण ट्रांसफार्मरों के मीटरीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2015–16 तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा शहरी घरेलू श्रेणी के संबंध में शत प्रतिशत मीटरीकरण उपलब्ध कराया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रो में 14 वृत्तों में से 7 द्वारा मीटरीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इस प्रकार 8.63 प्रतिशत ग्रामीण उपभोक्ता अमीटरीकृत श्रेणी में शेष बचे हैं जिन्हें वर्ष 2015 में मीटरीकृत कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि वह मीटरीकरण योजना के लिये प्रदान की गई समय सीमा का पालन करेगी तथा इस संबंध में आयोग को वस्तुस्थिति से अवगत करायेगी।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा मीटरीकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार प्रतिवेदित की गई है :

सकल क्रमांक	श्रेणी	माह जून 2014 की स्थिति में संयोजनों की कुल संख्या	माह जून 2014 की स्थिति में अमीटरीकृत संयोजनों की संख्या
1	घरेलू (ग्रामीण)	1135272	232251
2	संभरक मापयन्त्र 33/11 केवी	5193	503
3	वितरण ट्रांसफार्मर मापयन्त्र (DTR Meter)	149985	106518

विद्युत वितरण कम्पनियों ने यह निवेदन भी किया है कि समस्त शहरी उपभोक्ताओं का मीटरीकरण किया जा चुका है तथा अवशेष ग्रामीण अमीटरीकृत उपभोक्ताओं का मीटरीकरण वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान संभरकों (Feeders) के साथ किया जा रहा है। केन्द्र सरकार की शत प्रतिशत मीटरीकरण संबंधी एक योजना प्रारंभ होने जा रही है जिसके अन्तर्गत समस्त अमीटरीकृत कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों का मीटरीकरण किया जाएगा।

आयोग की अभियुक्ति/दिशा–निर्देश :

आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को संभरक मीटरीकरण (feeder meterization) तथा वितरण ट्रांसफार्मर (DTR) मीटरीकरण के कार्य में प्राथमिकता के आधार पर गति लाये जाने के निर्देश दिये गये। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा इस संबंध में एक विस्तृत योजना 31 मई, 2015 तक दाखिल कर दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आयोग की अभ्युक्ति है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा ग्रामीण घरेलू संयोजनों का शत प्रतिशत मीटरीकरण 31 मार्च, 2015 सम्पन्न किये जाने बाबत वचनबद्धता प्रस्ततु की है। इस संबंध में वस्तुस्थिति संबंधी एक प्रतिवेदन 31 मई, 2015 तक दाखिल कर दिया जाए। तदनुसार, आयोग द्वारा स्थिति की समीक्षा माह जून 2015 में की जाएगी।

8.3 तकनीकी हानियों को कम किये जाने संबंधी पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan for reduction of Technical Losses)

आयोग के दिशा–निर्देश (Commission's directives) :

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पूंजीगत व्यय योजनाओं (Capex Plans) के क्रियान्वयन की प्रगति का ध्यानपूर्वक अनुश्रवण किया जाए ताकि किसी चूक से बचा जा सके। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा पूंजीगत व्यय योजना के अन्तर्गत योजनाओं के निष्पादन बाद इनसे प्राप्त होने वाले लाभों का अनुश्रवण किया जाकर यह भी सुनिश्चित किया जाए

कि अतिरिक्त पूंजीगत व्यय योजना में वास्तविक रूप से की गई अवधारणाओं के अनुरूप वाणिज्यिक तथा तकनीकी निबन्धनों के अनुसार अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के वास्तविक लाभ प्राप्त किये जा रहे हैं।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कंपनी ने निवेदन किया कि उनके द्वारा पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) के अंतर्गत योजनाओं के निष्पादन उपरान्त प्राप्त की जा रही प्रसुविधाओं (benefits) का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है। वर्षवार पूंजी निवेश तथा तकनीकी तथा वितरण हानियों में कमी की उपलब्धि को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

विवरण	पूंजी निवेश (करोड़ रूपये में)	पारेषण तथा वितरण हानियां (प्रतिशत)
2012–13	857.63	26.02
2013–14	1016.47	23.68

इस प्रकार किये गये पूंजी निवेश का परिणाम योजना के अनुसार हानियों में कमी के रूप में प्राप्त किया जा रहा है जो यूनिटों की बचत के रूप में परिलक्षित हो रहा है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) का क्रियान्वयन प्रगति पर है। निष्पादित की जा रही योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभसुधरी हुई विद्युत प्रदाय व्यवस्था तथा निरन्तर विद्युत प्रदाय के रूप में सुस्पष्ट हैं। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणाम हानियों में कमी के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कंपनी ने निवेदन किया कि है कि आयोग के दिशा–निर्देशों का परिपालन किया जा रहा है।

आयोग की अभियुक्ति/दिशा–निर्देश : अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पूंजीगत व्यय योजनाओं (Capex Plans) के क्रियान्वयन की प्रगति का ध्यानपूर्वक अनुश्रवण किया जाए ताकि किसी चूक से बचा जा सके। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा पूंजीगत व्यय योजना के अन्तर्गत योजनाओं के निष्पादन बाद इनसे प्राप्त होने वाले लाभों का अनुश्रवण किया जाकर यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अतिरिक्त पूंजीगत व्यय योजना में वास्तविक

रूप से की गई अवधारणाओं के अनुरूप वाणिज्यिक तथा तकनीकी निबन्धनों के अनुसार अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के वास्तविक लाभ प्राप्त किये जा रहे हैं।

8.4 **ग्रामीण संभरकों को कृषि तथा अन्य श्रेणियों में पृथक्करण किया जाना** (Segregation of rural feeders into agricultural and others) :

आयोग के दिशा–निर्देश : (Commission's Directries) : *आयोग को विषयान्तर्गत प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि योजना के अन्तर्गत अधिकांश संभरकों का कार्य पूर्ण हो चुका है। तथापि, योजना के अन्तर्गत अन्य प्रावधान, जैसे कि वितरण ट्रांसफार्मरों, मापयंत्रों की स्थापना निम्न दाब केबलों आदि की स्थापना का कार्य पिछड़ रहा है। स्पष्ट है कि क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ताओं को इन योजनाओं के अन्तर्गत समस्त कार्य शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करने के निर्देश दिये जाते हैं।*

विद्युत वितरण कम्पनियो की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप संभरक पृथक्करण का प्रतिवेदन प्रस्तुत नियमित रूप से किया जा रहा है। संभरक पृथक्करण का अवशेष कार्य, जैसे कि केबल, मापयन्त्र स्थापना, आदि का कार्य भी प्रगति पर है। विद्युत वितरण कम्पनी ने आगे यह निवेदन भी किया कि ऐसे टर्न–की ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है जो लक्ष्यों के अनुसार प्रगति प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। निगमित कार्यालय (Corporate office) द्वारा भी संभरक पृथक्करण कार्यक्रम की प्रगति का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है तथा कार्य को गति प्रदान करने तथा पूर्ण करने के संबंध में समुचित रूप से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कम्पनी का संभरक पृथक्करण कार्य त्वरित गति से प्रगति पर है। इस कार्य को दो–चरणों में प्रारंभ किया गया था। प्रथम चरण के अन्तर्गत इन्दौर, धार, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर तथा रतलाम जिलों के कार्य जबकि द्वितीय चरण में उज्जैन, देवास, मन्दसौर, अलिराजपुर, झाबुआ तथा शाजापुर जिलों के कार्य शामिल किये गये हैं। इन जिलों में संभरक पृथक्करण (feeder separation) का कार्य प्रगति पर है। विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश में निर्देशित किये गये अनुसार ऐसे क्षेत्रों में जहां पृथक्करण

योजना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है न्यूनतम दैनिक विद्युत प्रदाय के औसत से कहीं अधिक मात्रा में विद्युत का प्रदाय किया गया है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 का प्रगति प्रतिवेदन तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु लक्ष्य निम्न तालिकाओं में दर्शायेनुसार प्रस्तुत किये गये हैं :

विवरण	संविदा राशि (Contract Price)				11 केवी तन्तु पथ (11 kv line)				11 केवी बे मय वीसीबी के (11 kv Bay with VCB)			
	संभरक पृथक्करण	रागाग्राविया	एशियाई विकास बैंक	योग	संभरक पृथक्करण	रागाग्राविया	एशियाई विकास बैंक	योग	संभरक पृथक्करण	रागाग्राविया	एशियाई विकास बैंक	योग
	करोड़ रूपये में				किलो मीटर				संख्या			
वित्तीय वर्ष 2013–14	143	66	37	246	3271	2115	144	5530	112	0	0	112
वित्तीय वर्ष 2014–15 (माह सितम्बर 2014 की स्थिति में)	57	20	21	98	674	194	35	903	29	0	0	29

विवरण	वितरण ट्रांसफार्मर (DTR's)				केबल स्थापना (Cabling)				सेवाकृत संयोजन (connection served)			
	संभरक पृथक्करण	रागाग्राविया	एशियाई विकास बैंक	योग	संभरक पृथक्करण	रागाग्राविया	एशियाई विकास बैंक	योग	संभरक पृथक्करण	रागाग्राविया	एशियाई विकास बैंक	योग
	संख्या				किलो मीटर				संख्या			
वित्तीय वर्ष 2013–14	3878	1463	1963	7304	2173	510	340	3023	68582	30852	8898	1084322
वित्तीय वर्ष 2014–15 माह सितम्बर 2014 की स्थिति में	1282	147	1737	3166	613	103	63	779	29934	22689	4322	56945

सरल क्रमांक	विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु लक्ष्य
1	वित्तीय (करोड़ रूपये) में (Financial in CR)	करोड़ रूपये में	150
2	11 केवी संभरक (11 kV Feeder)	संख्या	126
3	ग्राम (Villages)	संख्या	1742
4	11 केवी अतिरिक्त बे (11 kV Add. Bay)	संख्या	130

5	11 केवी तन्तुपथ (11 kV Line)	किलोमीटर	2200
6	नवीन वितरण ट्रांसफार्मर (New DTR)	संख्या	4000
7	निम्न दाब केबल की स्थापना (LT Cabling)	किलोमीटर	2500
8	सेवाकृत संयोजन (connections served)	संख्या	50000
9	नवीन सेवा संयोजन (NSC)	संख्या	50000
10	सेवा संयोजनों का नवीनीकरण (Renovation of service connections)	संख्या	50000

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश (Commission's observations/directions) : आयोग को विषयान्तर्गत प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि योजना के अन्तर्गत अधिकांश संभारकों का कार्य पूर्ण हो चुका है। तथापि, योजना के अन्तर्गत अन्य प्रावधान, जैसे कि वितरण ट्रांसफार्मरों, मापयंत्रों की स्थापना निम्न दाब केबलों आदि की स्थापना का कार्य पिछड़ रहा है। स्पष्ट है कि क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ताओं को इन योजनाओं के अन्तर्गत समस्त कार्य शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करने के निर्देश दिये जाते हैं।

8.5 **प्रथम विद्युत देयक के साथ नवीन विद्युत–दर (टैरिफ) आधारित टैरिफ कार्ड जारी करना (Issue of tariff card with first bill based on new tariff)** :

आयोग के दिशा–निर्देश : *आयोग द्वारा निर्देश दिये जाते हैं कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के टैरिफ आदेश हेतु भी उपभोक्ताओं को टैरिफ कार्ड प्रदान करने की प्रक्रिया को जारी रखा जाए।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिये टैरिफ कार्डों के मुद्रण की व्यवस्था कर ली गई थी तथा इन्हें उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया गया।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु टैरिफ संबंधी जानकारी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निम्न दाब उपभोक्ताओं को टैरिफ कार्ड जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, टैरिफ अनुसूची पुस्तिकाएं समस्त उच्च दाब उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई हैं।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश (Commission's Observations/ Directions) : आयोग द्वारा निर्देश दिये जाते हैं कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के टैरिफ आदेश हेतु भी उपभोक्ताओं को टैरिफ कार्ड प्रदान करने की प्रक्रिया को जारी रखा जाए।

8.6 **सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों को हिन्दी भाषा में दायर किया जाना (Filing of ARR and tariff proposals in Hindi language)** :

आयोग के दिशा–निर्देश (Commission's Direction) : *सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तक टैरिफ प्रस्तावों को अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा इनका हिन्दी रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है जिसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया गया। सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/विद्युत दर प्रस्ताव भविष्य में दोनों हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किये जाएं।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया (Discoms' response) :

अंग्रेजी भाषा में मुख्य याचिका दाखिल करने के पश्चात् इसका हिन्दी संस्करण भी प्रस्तुत किया गया।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश (Commission's observations/ Direction) : सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ याचिका अंग्रेजी भाषा में दाखिल करने के उपरान्त, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा इसका हिन्दी संस्करण प्रस्तुत किया गया जिसे हितधारकों को उपलब्ध कराया गया। आगामी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ प्रस्ताव भी हिन्दी तथा अंग्रेजी में दाखिल किये जाएं। इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे आपत्तिकर्ताओं की आपत्तियों के उत्तर उसी भाषा में प्रस्तुत करें जिसके अन्तर्गत इन्हें दाखिल किया गया है।

8.7 **छूट/प्रोत्साहनों/अधिभारों का लेखांकन** (Acounting of rebates/incentives/ surcharge) :

आयोग के दिशा निर्देश (Commission's observations/ Direction) : *विद्युत वितरण कम्पनियों को उच्च दाब उपभोक्ताओं के संबंध में वांछित विवरणों का संकलन जारी रखे जाने तथा आगामी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं। उन्हें निम्न दाब उपभोक्ताओं के बारे में विवरण एकत्र करने तथा आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये जाते हैं।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि उच्च दाब उपभोक्ताओं के बारे में वांछित जानकारी सॉफ्ट प्रति (soft copy) में प्रस्तुत की जा रही है। तथापि, निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में उक्त जानकारी अत्यन्त भारी भरकम (voluminous) है तथा इसकी प्राप्ति दो, पृथक प्रणालियों, यथा 'RMS' 'CC&B" सॉफ्टवेयर से की जाना है। चूंकि, अधिकांश नगरों की बिलिंग व्यवस्था को 'RMS' से 'CC&B' प्रणाली में परिवर्तित की जा चुकी है, अतः दोनों 'सॉफ्टवेयर प्रकोष्ठों' को वांछित जानकारी उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। ऐसे में जानकारी को उद्धरित करने तथा उसी रूप में समेकित करने में कुछ समय लगेगा। अतएव, निम्न दाब उपभोक्ताओं से संबंधित जानकारी पृथक से यथा समय प्रस्तुत की जाएगी।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उच्च दाब उपभोक्ताओं के बारे में आयोग के दिशा–निर्देशों का परिपालन किया जा चुका है। तथापि, निम्न दाब उपभोक्ताओं के बारे में विद्युत वितरण कम्पनी आर–एपीडीआरपी परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है जिसके अन्तर्गत मेसर्स टीसीएस द्वारा बिलिंग सॉफ्टवेयर' विकसित किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर में मे.टीसीएस द्वारा पृथक से छूट/प्रोत्साहन/ अधिभार जैसी विशिष्टताएं भी शामिल की गई हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आयोग के दिशा–निर्देशों का परिपालन किया जाएगा।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश (Commission's observations/ Direction) : विद्युत वितरण कम्पनियों को उच्च दाब उपभोक्ताओं के संबंध में वांछित विवरणों का संकलन जारी रखे जाने तथा आगामी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं। उन्हें निम्न दाब उपभोक्ताओं के बारे में विवरण एकत्र करने तथा आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये जाते हैं।

8.8 एक समान लेखों का संधारण (Maintaining uniform accounts) :

आयोग के दिशा निर्देश (Commission's Directives) : *आयोग पुनः दोहराता है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अतिशीघ्र लेखों के संधारण में समानता लाई जाए। एमपीपीएमसीएल जो समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों की नियंत्रक कम्पनी (holding*

company) है, को निर्देश दिये जाते हैं कि वह लेखा प्रक्रिया में समानता लाये जाने की दृष्टि से समन्वयन की कार्यवाही करे।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निवेदन किया गया कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 से कम्पनी अधिनियम, 1956 की पुनरीक्षित अनुसूची छः के अनुसार वार्षिक लेखे तैयार किये जा रहे हैं।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निम्नानुसार प्रतिवेदित किया गया :

कम्पनी को कम्पनी अधिनियम 1956 (वर्तमान में कम्पनी अधिनियम, 2013) के अन्तर्गत दिनांक 31 मई, 2002 को निगमित (incorporate) किया गया था, तथापि कम्पनी का वाणिज्यिक प्रचालन मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र 226 दिनांक 31 मई, 2005 के अनुसरण में दिनांक 1 जून, 2005 से ही किया जा सका है। कम्पनी अधिनियम 1956, (वर्तमान में कंपनी अधिनियम, 2013) की अनुसूची छः में उक्त विधि को निर्दिष्ट किया गया है जिसके अनुसार प्रत्येक कम्पनी द्वारा अपने तुलन–पत्र (Balance Sheet), लाभ–हानि की विवरणिका (Statement of Profit and Losses), तथा संबंधित टीपें (notes) तैयार की जाएंगी।

भारत सरकार के निगमित मामले मन्त्रालय (MCA) ने पुनरीक्षण अधिसूचना दिनांक 30 मार्च, 2011 द्वारा अनुसूची छः का पुनरीक्षित प्रपत्र जारी किया है।

पुनरीक्षित अनुसूची छः की अर्हताएं ऐसी कम्पनियों को लागू नहीं होतीं जैसा कि इन्हें कम्पनी अधिनियम की धारा 211(1) तथा धारा 211(2) के परन्तुक (Provision) में संदर्भित किया गया है, अर्थात् कोई बीमा कम्पनी अथवा बैंकिंग कम्पनी, अथवा कोई भी कम्पनी जो विद्युत के उत्पादन अथवा विद्युत प्रदाय की गतिविधि में संलग्न हो अथवा कम्पनी का कोई अन्य वर्ग जिसके अन्तर्गत तुलन–पत्र (बेलेंस शीट) तथा लाभ तथा हानि लेखा का प्ररूप निर्दिष्ट किया गया हो अथवा ऐसी वर्गीकृत कम्पनी के किसी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया हो।

तथापि, इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊन्टेंटस ऑफ इण्डिया द्वारा जारी मार्गदर्शक टीप में यह स्पष्ट भी किया गया है कि विद्युत के उत्पादन तथा आपूर्ति में संलग्न कम्पनियों के संबंध में न तो विद्युत अधिनियम, 2003 तथा न ही उसके अन्तर्गत संरचित नियम

किसी विद्युत कम्पनी के लिये कोई विशिष्ट प्रपत्र वित्तीय विवरणिकाओं की प्रस्तुति हेतु निर्दिष्ट करते हैं। यह उल्लेख भी किया गया है कम्पनी अधिनियम की धारा 616 (सी) में निर्दिष्ट किया गया है कि विद्युत कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम उसी सीमा तक लागू होगा, जहां वह विद्युत अधिनियम, 2003 का अर्हताओं के विपरीत न हो। ऐसी कम्पनियों द्वारा पुनरीक्षित अनुसूची छः का अनुसरण ऐसे समय तक किया जाए जब तक किसी सुसंबद्ध संस्थापित अधिनियम (Relevent Statute) द्वारा कोई अन्य प्रपत्र (format) इस हेतु निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता है।

ऐसे में, वित्तीय वर्ष 2011–12 के बाद कम्पनी अधिनियम 1956 की पुनरीक्षित अनुसूची छः के अनुसार वित्तीय विवरणिकाएं (financial statements) तैयार की जा रही हैं जिसके अनुसार समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों के लेखों का एक समान प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय विवरण–पत्र वास्तविक लागत आधार पर (historical cost basis) सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (Generally Accepted Accounting Principles-GAAP) तथा कम्पनियों के लेखांकन मानकों से संबंधित, Companies (Accounting Standard) Rules 2006 में अधिसूचित किये गये अनुसार तैयार किये जाते हैं।

यह निवेदन भी किया गया कि मप्र पश्चिम क्षेविवि कम्पनी इन्दौर के उद्यम संसाधन नियोजन से संबंधित Enterprise Resource Planning (ERP) परियोजना को अधिप्राप्ति (procurement), प्रथागत करने (customization), क्रियान्वयन (implementation), के लिये प्रस्तावित किया गया है क्योंकि वित्त, मानव संसाधन, सामग्री प्रबन्धन (material management), तथा परियोजना प्रबन्धन मापदण्ड (module), हेतु ईआरपी अनुप्रयोग प्रणाली के अनुवर्ती आलंबन (subsequent support), क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं तथा यह ईआरपी क्रियान्वयन प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ लेखांकन संव्यवहारों तथा विनियामक परिपालन को सुनिश्चित करेगी।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया है कि एमपीपीजीसीएल को एक समान लेखे संधारित करने हेतु क्रियाविधि को अंतिम रूप दिये जाने बाबत समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश : आयोग पुनः दोहराता है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अतिशीघ्र लेखों के संधारण में समानता लाई जाए। एमपीपीएमसीएल जो

समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों की नियंत्रक कम्पनी (holding company) है, को निर्देश दिये जाते हैं कि वह लेखा प्रक्रिया में समानता लाये जाने की दृष्टि से समन्वयन की कार्यवाही करे।

8.9 **विनियमों का परिपालन (Compliance of Regulations)** :

आयोग के दिशा–निर्देश (Commission Directives) : *दिशा–निर्देशों का परिपालन भविष्य में भी सुनिश्चित किया जाए।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि प्रस्तुत की गई याचिका मप्रविनिआ विनियमों के प्रचलित उपबंधों के अनुरूप है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि विद्युत वितरण कम्पनी आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुसरण किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि उनके द्वारा आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : दिशा निर्देशों का परिपालन भविष्य में भी सुनिश्चित किया जाए।

8.10 **ऐसे समस्त गैर–घरेलू निम्न दाब उपभोक्ता, जिनका भार 25 अश्वशक्ति से अधिक है, उनके लिये क्वालिटी मापयन्त्र वाचन (AMR) मापयंत्रों की स्थापना करना (Installation of AMR meters for Non-domestic LV consumers havingload in excess of 25 HP) :**

आयोग के दिशा–निर्देश : *आयोग मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को अवशेष स्थापनाओं पर स्वचालित मापयन्त्र वाचन (AMR) मीटरों की स्थापना में गति बढ़ाये जाने के निर्देश देता है।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया है कि जारी किये गये दिशा–निर्देश उन्हें लागू नहीं होते।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया है कि जारी किये गये दिशा–निर्देश उन्हें लागू नहीं होते।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि समस्त उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व में ही स्वचालित मापयंत्र वाचन की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। विद्युत वितरण कम्पनी वर्तमान में अवशेष निम्न दाब उच्च मूल्य उपभोक्ताओं की मापयंत्र स्थापना, डाऊन लोडिंग तथा बिलिंग व्यवस्था का निष्पादन कर रही है।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश : आयोग मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को अवशेष स्थापनाओं पर स्वचालित मापयन्त्र वाचन (AMR) मीटरों की स्थापना में गति बढ़ाये जाने के निर्देश देता है।

8.11 उपभोक्ताओं की बिलिंग हेतु आकलित खपत (Assessment consumption for billing to consumers) :

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा निर्देश (Commission's observations/Directions)

सार्वजनिक सुनवाई के दौरान कुछ हितधारकों द्वारा प्रकरणों के आकलन से संबंधित ऐसे मुद्दे उठाये गये थे जहां मापयन्त्र सही विधि से कार्य तो कर रहा है, परन्तु इनमें अन्य किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाई गई है। आयोग इस विषय में विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देशित करता है कि वे प्रकरण में विनियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा जहां मामले में अपरिपालन किया जाना पाया जाए वहां उनके द्वारा कड़ाई से कार्यवाही की जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया (Discoms' response) :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा दिशा–निर्देशों का कड़ाई से परिपालन किया जा रहा है तथा समस्त संबंधित कार्यालयों को निर्देश दिये गये हैं कि बिलिंग का आकलन केवल विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 तथा टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाए।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा दिशा–निर्देशों का कड़ाई से परिपालन किया जा रहा है तथा ऐसे प्रकरणों में जहां परिसर में मापयंत्र त्रुटिपूर्ण (defective)/अकार्यरत (dysfunctional) या छेड़–छाड़ युक्त (tampered) या फिर जहां विद्युत की चोरी का साक्ष्य पाया जाना

स्थापित किया जा चुका हो वहां किसी भी उपभोक्ता की बिलिंग, ऐसी खपत को छोड़कर जहां खपत का अभिलेखन मापयंत्र में अभिलेखित किया गया हो, खपत के किसी प्रकार के आकलन के आधार पर की जाती है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा आयोग के दिशा–निर्देशों का परिपालन किया जा रहा है।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा निर्देश (Commission's observations/Directions)

सार्वजनिक सुनवाई के दौरान कुछ हितधारकों द्वारा प्रकरणों के आकलन से संबंधित ऐसे मुद्दे उठाये गये थे जहां मापयन्त्र सही तरीके से कर्य कर रहा है, परन्तु इसमें किसी प्रकार विसंगति नहीं पाई गई है। आयोग इस विषय में विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देशित करता है कि वे प्रकरण में विनियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा जहां मामले में अपरिपालन किया जाना पाया जाए वहां उनके द्वारा कड़ाई से कार्यवाही की जाए।

नवीन दिशा–निर्देश (Fresh Directives)

8.12 **विद्युत प्रदाय की वोल्टेजवार लागत का मूल्यांकन करने हेतु विद्युत वितरण नेटवर्क का तकनीकी अध्ययन ।**

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा निर्देश (Commission's observations/Directions)

आयोग याचिकाकर्त्ताओं को वोल्टेजवार हानियों की गणना के संबंध में आवश्यक विद्युत वितरण तन्त्र (distribution network) का विस्तृत तकनीकी अध्ययन संचालित करने के निर्देश देता है।

परिशिष्ट–1 (आपत्तिकर्ताओं की सूची)

वित्तीय वर्ष 2015–16 : पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र के आपत्तिकर्त्ताओं की सूची	
सरल क्रमांक	आपत्तिकर्त्ताओं के नाम एवं पते
1	श्री एच.पी. अग्रवाल, चीफ इलेक्ट्रीकल डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इंदिरा मार्केट, जी.एम. ऑफिस, जबलपुर–482001
2	श्री आर.के. राम 67, सिविल वार्ड क्रमांक 9, दमोह म.प्र.
3	श्री रमेश कुमार रामवानी, मकान नं. 784, रीवा हाउस, गनियारी, जिला सिंगरौली
4	डॉ. एकनाथ ज्योतिषी, अधिवक्ता, पोस्ट बैग 38, मुख्य पोस्ट ऑफिस सिविल लाइन, जबलपुर
5	श्री राजेन्द्र अग्रावाल, 1995/1, ज्ञान विहार कालोनी, नर्मदा रोड, जबलपुर
6	श्री डी. खण्डेलवाल, अधिवक्ता, 960, नेपियर टाउन, जबलपुर
7	श्री सी.एल. स्वर्णकार, सेवा निवृत्त प्रमुख अभियंता, म.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड, रचना मेडिकल स्टोर के पास, नेहानगर, मकरौनिया, सागर
8	श्री पवन तिवारी, एजीएम मेसर्स एस्सेल जबलपुर एमएसडब्ल्यू प्रा.लि. के–9, कचनार सिटी, विजय नगर, जबलपुर
9	श्री जबीर खान, मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लि. मनकाहारी, सतना
10	श्री शंकर नागदेव एवं श्री रवि गुप्ता, उपाध्यक्ष, मेसर्स महाकौशल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, चैम्बर भवन सिविक सेंटर, मढ़ाताल जबलपुर
11	श्री आनन्द अग्रवाल, मेसर्स इलेक्ट्रीकल्स मर्चेन्ट एसोसिएशन, सुपर मार्केट जयस्तम्भ चौक, सतना
12	श्री व्ही.पी. सिंह, अध्यक्ष एम.पी.ई.बी. पेंशनर्स ऐसोसिएशन शाखा रीवा एवं किसान प्रतिनिधि श्री बी.एल. गुप्ता 24/134, द्वारिका नगर, रीवा कार्यालय पता : 39, सत्यानन्द विहार, रामपुर, जबलपुर
13	डॉ. आर. जेसवानी, मेसर्स महाकौशल उद्योग संघ, औद्योगिक क्षेत्र, रिछाई जबलपुर
14	इं. व्ही.के.एस. परिहार, महासचिव, म.प्र. विद्युत मंडल अभियंता संघ, शेड नं. 13, विद्युत नगर, पोओ. रामपुर, जबलपुर
15	श्री के.के. अग्रवाल, संभागीय अध्यक्ष, भारत कृषक समाज, श्री शांतिलाल शाह किसान कार्यालय गंगोत्री अपार्टमेंट, गोल बाजार, जबलपुर
16	श्री सौरभ जैन, संस्थापक सदस्य, मेसर्स हिन्दू सेवा परिषद्, 2022 गुप्तेश्वर रोड, रतन नगर, जबलपुर
17	श्री एल.के. मिश्रा, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, 16/620, पी.के. स्कूल के सामने, गली नं. 1, उरहट, जिला रीवा
18	डॉ. पी.जी. नाजपाण्डे, क्षेत्रीय सचिव, 6/47, राम नगर, आधारताल जबलपुर
19	श्री अजय पोरवाल, मेसर्स आइडिया सेल्यूलर लि. 139–140 इलेक्ट्रानिक्स काम्पलेक्स, परदेशीपुरा, इंदौर
20	श्री आनन्द नेमा, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, खेरमायी, मंदिर परिसर, राइट टाउन, जबलपुर म.प्र.
21	श्री मनोज बदरिया, 252, कमला नेहरू नगर, जबलपुर
22	श्री पारस दादा सकलेचा, पूर्व विधायक, 19, शांति नगर, रतलाम 457001
23	श्री राधेश्याम अग्रवाल, 142/1, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल–462001
24	श्री रामरतन यादव, आदर्श नगर, जबलपुर
25	श्री थडेश्वर महावर, 30, आजाद चौक, रामपुर, जबलपुर (शिव सेना)
26	श्री राकेश अग्रवाल, बालाजी पोरबाइलिंग उद्योग बालाघाट, अध्यक्ष राईस मिल एसोसिएशन, बालाघाट

27	..... मेसर्स जबलपुर इंटरटेनमेंट प्रा.लि. साउथ एवेन्यू मॉल, नर्मदा रोड, परफेक्ट पॉट्री के बाजू में, जबलपुर
28	श्री भागवत सिंह, ग्राम बेलवा, जिला रीवा
29	श्री जगतनाथ यादव, जयभीम नगर, जबलपुर
30	श्री सुभाष चन्द्र, सीटीजन वेलफेयर एसोसिएशन पी–46, जवाहर नगर, आधारतल, जबलपुर म.प्र.
31	श्री शोभनाथ कुशवाहा, भारती किसान संघ, जिला रीवा, ग्राम बिसार, पोस्ट अटरिया, रीवा
32	श्री रमेश पटेल, भारतीय किसान यूनियन, सीहोरा, जिला जबलपुर
33	श्री सौरभ शर्मा, श्री संजय यादव, म.प्र. कांग्रेस कमेटी, 1786, गोविन्द कुंज कालोनी, रसल चौक, नेपियर टाउन, जबलपुर
34	श्री अमोल चौरसिया, म.प्र. युवा कांग्रेस, झण्डा बाजार, सीहारा, जबलपुर
35	श्री शरद खरे, अधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
36	श्री रवि दत्त सिंह, प्रदेश महामंत्री, भारतीय किसान संघ, सिरमौर रोड, कुटेची ब्लॉक कार्यालय के पास, पंचवटी पेट्रोल पम्प, सिरमौर रोड, रीवा

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र के आपत्तिकर्त्ताओं की सूची	
सरल क्रमांक	**आपत्तिकर्त्ताओं के नाम एवं पते**
1	श्री राकेश सिंह, आयुक्त, इंदौर नगरपालिक निगम, इंदौर
2	श्री हरिशंकर सूयवंशी एवं श्री राकेश पंचोली, मेसर्स इंदौर बिजली ठेकेदार संघ, 236, सेक्टर–बी, स्लाइस 2, स्कीम नं. 78, उजाला इलेक्ट्रीक के पास, इंदौर
3	श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, मेसर्स मानव सेवा समिति (बल्ड बैंक), कॉलेज रोड, रतलाम
4	श्री सतीश वर्मा, मेसर्स अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान उत्तम संगठन म.प्र. आल इण्डिया कन्स्यूमर प्रोटेक्शन आर्गेनाईजेशन 5, दत्त गली, रसमंडल, धार 454001
5	श्री अशोक मित्तल, अध्यक्ष, अग्रवाल परिषद्, 18, वैभव चैम्बर, प्रथम तल, 7/1, उषागंज, इंदौर–452001
6	श्री किशोर गोयल, अध्यक्ष श्री अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति, 410–411, चेतक सेंटर, 12/2, एन.आर.टी. मार्ग, इंदौर
7	सचिव, मेसर्स बिजली उपभोक्ता जागृति समिति, 23/2, शंकू मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन
8	डॉ. गौतम कोठारी, मेसर्स राष्ट्र क्षेत्र कर्मनिष्ठा संघ, ''रक्षक'' साकेत नगर, इंदौर–452018
9	डॉ. गौतम कोठारी, मेसर्स पीथमपुर औद्योगिक संगठन, 231, साकेत नगर, इंदौर 452018
10	श्री पी.एल. नेने, डॉ. गौतम कोठारी, मेसर्स इलेक्ट्रीसिटी कंस्यूमर सोसायटी, द्वारा ए. आई.एम.ओ. (एमपीएसबी), औद्योगिक क्षेत्र, पोलोग्राउन्ड, इंदौर–452015
11	श्री महेश मित्तल, अध्यक्ष, मेसर्स ऑल इंडिया मेन्यूफैक्चरिंग संगठन, औद्योगिक क्षेत्र, पोलोग्राउन्ड, इंदौर–452015
12	श्री पी.एल. नेने, मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीस लि. बिरलाग्राम, नागदा 456331
13	श्री एम.सी. रावत, सचिव, म.प्र. टेक्सटाइल्स मिल्स संघ, जल सभागृह, 56/1, साउथ तुकोगंज, इंदौर–452001
14	श्री मनजीत चावला, मेसर्स हर्मन कोटेक्स, बिस्तान रोड, डेजला देवड़ा कालोनी के सामने, खरगोन 451001
15	श्री मनजीत सिंह चावला, मंडी व्यापारी संघ, व्यापारी विश्रांति भवन, कृषि उपज मंडी परिसर, बिस्तान रोड, खरगोन, जिला खरगोन 451001

16	श्री कैलाशचन्द्र खण्डेलवाल, मेसर्स विकाश कॉटन फाईवर प्रा.लि. वेरला रोड, सेंधवा, जिला बड़वानी 451666
17	श्री कैलाशचन्द्र खण्डेलवाल, मेसर्स विकाश कॉटन प्रोसेसर एंड ट्रैडर्स संघ, मेसर्स विकाश कॉटन फाईवर प्रा.लि. वेरला रोड, सेंधवा, जिला बड़वानी 451666
18	श्री कैलाशचन्द्र खण्डेलवाल, मेसर्स एमपी कॉटन प्रोसेसर्स एण्ड ट्रेडर्स एसासिएशन द्वारा मेसर्स विकाश कॉटन फाईनर प्रा.लि. वेरला रोड, सेंधवा, जिला बड़वानी 451666
19	श्री संजय मित्तल, मेसर्स मित्तल ऑयल इंडस्ट्रीज, पनसेमल रोड, खेटिया 451881 जिला बड़वानी
20	श्री दिलीप जैन, मेसर्स महावीर कॉटन फाइबर्स, पनसेमल रोड, खेटिया तहसील पनसेमल, जिला बड़वानी
21	श्री मनीष श्रीमाली, मेसर्स तिरूपति फाइबर्स, जुलवानिया रोड, खरगोन
22	श्री महेश गुप्ता, मेसर्स लघु उद्योग भारती, द्वारा रोहित ऑफसेट प्रा.लि. 99, पोलोग्राउन्ड, इंदौर, 452015
23	श्री आर.सी. सोमानी, मेसर्स कश्यप स्वीटनर्स लिमिटेड चेतन्य ग्राम, बदनावर, जिला धार म.प्र. 454660
24	श्री आर.सी. सोमानी, मेसर्स दिव्य ज्योति इंडस्ट्री लि., 92/3, सपना संगीता मेन रोड, इंदौर–452001
25	श्री आर.सी. सोमानी, ओआसिस डिस्टीलरीज लि., मकान नं. 102, बी–2 मेट्रो टॉवर, विजय नगर, इंदौर
26	श्री आर.सी. सोमानी, धनलक्षमी सॉलवेक्स प्रा.लि. देवास, 201, बंसी प्लाजा 581 एम.जी. रोड, इंदौर
27	श्री आर.सी. सोमानी, धनलक्षमी सॉलवेक्स प्रा.लि. शाजापुर, 201, बंसी प्लाजा 581 एम. जी. रोड, इंदौर
28	श्री अशोक खंडेलिया, अध्यक्ष, मेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, देवास, 1/बी/1, 1बी/2ए, आई.एस. गजरा इंडस्ट्रीज एरिया कं. 1 ए.बी. रोड, देवास 455001
29	श्री मालीराम गोयल, नर्मदा एग्रो इंस्ट्रीज, तेजाजी चौक पालदा, इंदौर
30	श्री प्रमोद डाफरिया, मान. सचिव, श्री सुनील व्यास, मेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज म.प्र. 96, उद्योग भवन, पोलोग्राउन्ड, इंदौर
31	श्री हंसमुख जैन गांधी, अध्यक्ष, म.प्र. कोल्ड स्टोरेज संघ, 211, देवधर काम्पलेक्स, छावनी, इंदौर 452001
32	श्री एस.एम. जैन, अध्यक्ष, म.प्र. चैप्टर, मेसर्स ऑल इंडिया इंडक्शन फरनेंस म.प्र. चैप्टर, द्वारा वीनस अलायज प्रा.लि. 67, औद्योगिक क्षेत्र, मंदसौर, 458001 म.प्र.
33	श्री एस.एम. जैन, डायरेक्टर, मेसर्स वीनस अलायज प्रा.लि. 67, औद्योगिक क्षेत्र, मंदसौर, 458001 म.प्र.
34	श्री पंकज बंसल, मेसर्स शिवांगी रोलिंग मिल्स प्रा.लि. 305–306, तृतीय तल, एयरेन हाइटस पाकीजा के पास ए.बी. रोड, इंदौर
35	श्री पवन सिंघानिया, डायरेक्टर, मेसर्स राठी आइरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लि. 103, लक्ष्मी टॉवर, 576, एम.जी. रोड, इंदौर
36	श्री संदीप जैन, मेसर्स जयदीप इस्पात एण्ड अलायज प्रा.लि. इकाई–2, 103, लक्ष्मी टॉवर, एम.जी. रोड, इंदौर
37	श्री विमल टोडी, मेसर्स भारती इनगॉट लि. लक्ष्मी टॉवर, 576, एम.जी. रोड, इंदौर
38	श्री नारंग, मेसर्स सरदार इस्पात प्रा.लि., तेजपुर ब्रिज, ए.बी. रोड, पोस्ट राजेन्द्र नगर, इंदौर 452012
39	श्री आर डी. कीरतानी, श्री के.के. कनानी, मेसर्स गजरा डिफरेनशियल गियर्स लि. लोहार पिपलिया, क्षिप्रा, देवास

40	श्री एक.के. पोरवाल, मेसर्स नेशनल स्टील एण्ड एग्रो इंडस्ट्रीज, 401, महाकोश हाउस, 7/5, साउथ तुकोगंज, नाथ मंदिर रोड, इंदौर 452001
41	श्री महेश वरूण, मेसर्स महेश इलेक्ट्रीकल्स, संजय चौक, महाकाल मार्ग, उज्जैन
42	किशोर दीपक कोडवानी, विकास मित्र दृष्टि, पुष्पदीप अपार्टमेंट, 14, सर्वोदय नगर, सपना संगीता रोड, इंदौर 452001
43	श्री देव कुमार राय, इंदौर
44	श्री प्रवीण कुमार जैन, 23/2, शंकू मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन
45	श्री एम.एस. खान बी.ई. 375, जवाहर मार्ग, इंदौर
46	श्री आर.सी. सोमानी, 67 सीएच स्कीम नं. 74 सी, विजय नगर इंदौर 452001
47	श्री आर.एस. गोयल, 51, प्रकाश नगर, नेमावर रोड, इंदौर 452001
48	श्री नरेन्द्र सिंह यादव, महा सचिव, जिला कांग्रेस कमेटी, 157 एल.आई.जी., विकास नगर, देवास
49	श्री रूद्रपाल यादव, सचिव, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, इंदौर जिला परिषद्, शहीद भवन, 64, न्यू देवास रोड, इंदौर 452003
50	श्री गोविन्द शर्मा, महामंत्री, शहर कांग्रेस महू, जिला इंदौर
51	श्री राजेन्द्र अग्रवाल, समता पाटी, कार्यालय, आबकारी कम्पाउन्ड, रतलाम
52	श्री संजय अग्रवाल, मेसर्स उपभोक्ता हित प्रहरी, 970, मानक चौक, मउ, इंदौर
53	श्री कैलाश अग्रवाल, म.प्र. एसोसिएशन ऑफ कॉटन प्रोसेर्स एवं ट्रेडर्स, इंदौर
54	श्री श्याम सुन्दर, मेसर्स राधा कृष्णा मथुरालाल, खरगोन
55	श्री धीरज मोहनिया, आर.टी.आई. एक्टीविस्ट, इंदौर
56	श्री कल्याण मूंदड़ा, मेसर्स राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद्, इंदौर
57	श्री दिनेश दांगी, मेसर्स आईरन एंड स्टील री–रोलर्स एसोसिएशन मे.प्र. इंदौर
58	हाजी सालिम अहमद, इंदौर
59	श्री रंजन मिमानी, मेसर्स मिमानी वायर्स प्रा.लि. इंदौर
60	श्री पंकज वाधवानी, अधिवक्ता, इंदौर
61	श्री दिनेश गुप्ता, रैनबैक्सी, इंदौर
62	श्री युवराज सिंह एवं अन्य, आम आदमी पार्टी, इंदौर
63	श्री लक्ष्मीचंद गुप्ता, म.प्र. कॉटन सीड क्रशर संघ, 14, स्टेशन रोड, बड़वाह
64	श्री दिनेश सिंह महाबरिया, इंदौर

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र के आपत्तिकर्त्ताओं की सूची	
सरल क्रमांक	**आपत्तिकर्त्ताओं के नाम एवं पते**
1	श्री दीदयाल, अधिवक्ता, बी–7, अलकापुरी, हबीबगंज, भोपाल
2	श्री विशाल चौहान, अधिवक्ता, 53, सरिता काम्पलेक्स, शिवाजी नगर, भोपाल
3	श्री आर. मित्रा, चैप्टर–15, ए सेक्टर, बरखेड़ा, भोपाल 462021
4	श्री एन.के. जैन, अधिवक्ता, बी–6, अलकापुरी, भोपाल
5	श्री भरत जैन, जवाहर गंज, डबरा, जिला ग्वालियर
6	श्री सुहास विरानी, ए–66, शाहपुरा, भोपाल
	मेसर्स भोपाल ओनर्स एसोसिएशन रजि. कार्या. द्वारा विद्याश्री गर्ल्स हॉस्टल, 50 जोन–2, एम.पी. नगर, भोपाल
7	श्री जयकिशन चंदेल, वर्कशॉप संचालक लघु उद्योग वेलफेयर संघ मुलताई, समिति मुलताई
8	निवासी–ब्रह्मपुरी कालोनी, नीलबड, भोपाल के रहवासी

9	श्री श्याम वैद्य, मेसर्स बारना हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रा.लि. प्लाट नं. 302, प्लाट छव. 75–बी, कस्तूरबा नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल
10	श्री एस. पाल, मेसर्स वर्धमान टेक्सटाईल्स लि. ए1–ए6, औद्योगिक क्षेत्र 2 मंडीदीप जिला रायसेन
11	कार्यालय निदेशक, मेसर्स सागर मेन्यूफैक्चरिंग प्रा.लि., सागर, ई–2/4, अरेरा कालोनी, हबीब रेलवे स्टेशन के पीछे, भोपाल
12	संचालक, मेसर्स के.जी. आयरन एंड स्टील कॉस्टिंग प्रा.लि. पूर्व सुचिता (इंडिया) अलायज एंड स्टील्स प्रा.लि. 64–जी, सेक्टर–ए, औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप होशंगाबाद रोड, भोपाल
13	श्री अतीत अग्रवाल, मेसर्स लघु उद्योग भारती, 7 हमीदिया रोड, भोपाल
14	श्री के.एन. माथुर, मेसर्स एच.ई.जी. लि. मंडीदीप जिला रायसेन
15	डॉ. प्रवीण अग्रवाल, मेसर्स म.प्र. चैम्बर ऑफ कामर्स एवं इंडस्ट्री, चैम्बर भवन, सनातन धर्म, मंदिर मार्ग, ग्वालियर
16	श्री पूर्णेंदु शुक्ला, फ्रेन्डस सोसायटी, ई–4/53, अरेरा कालोनी, भोपाल
17	श्री एम.सी. बंसल, द जस्टिसिज फार पब्लिक काज फाऊंडेशन, ई–5, प्रथम तल, अरेरा कालोनी, भोपाल
18	श्री आलोक अग्रवाल एवं डॉ कल्पना पारूलकर, श्री पारस सक्लेचा, श्री अक्षय हुनका, श्री संजीव शर्मा, श्री अवधेश पुरोहित एवं अन्य — आम आदमी पाटी म.प्र. हाउसिग बोर्ड काम्पलेक्स, पुराना सुभाष नगर, भोपाल
19	डॉ. सुरेन्द्र अग्रवाल, अध्यक्ष मेसर्स इंडियन डेंटल एसोसिएशन म.प्र. राज्य शाखा, 38–39, महेश कालोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल
20	श्री रविदत्त सिंह, प्रदेश महामंत्री, भारतीय किसान संघ, सिरमौर रोड, खुटेही ब्लॉक कार्यालय के पास, पंचवटी पेट्रोल पम्प, सिरमौर रोड, रीवा
21	श्री विपिन कुमार जैन, श्री अनिल कुमार, म.प्र. लघु उद्योग संगठन ई–2/30, अरेरा कालोनी, भोपाल
22	श्री शषांक पाण्डेय, टूलीप ग्रीन ग्रुप हाउसिंग मेन्टेन्नेस एवं वेलफेयर का–ऑपरेटिव सोसायटी, कार्यालय डी–18, टुलीप ग्रीन ग्राम महाबड़िया मदर टेरेसा स्कूल के पास कोलार रोड, भोपाल
23	श्री के.के. मिश्रा, श्री जे.पी. धनोपिया, श्री रवि सक्सेना, श्रीमती संगीता शर्मा, श्रीमती विभा पटेल, श्री आनंद तारन, श्री योगेन्द्र एस. परिहार, श्री जितेन्द्र मिश्रा, श्री राकेश जैन, म.प्र. कांग्रेस कमेटी, इंदिरा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल
24	श्री अजय गोंड, राष्ट्रीय जागरण मंच म.प्र. मंदिर, श्री धर्नीचर पच्चीसा घाट, फतेहगढ़, भोपाल
25	श्री आशु गुप्ता, ग्रीन इनर्जी एसोसिएशन, सरगम, 143, तकदीर टैरेस सिरोड़कर हाई स्कूल के पास डॉ. ई बोरजेश रोड, परेल (ईस्ट), मुम्बई
26	श्री संजय अग्रवाल, खाई का बाजार भाण्डेर, दतिया
27	श्री पवन कबदे, ई–4/48 अरेरा कालोनी, भोपाल
28	श्री लालाजी वशिष्ठ, भोपाल
29	श्रीमती तपेश्वरी देवी, जुनियर एम.आई.जी. ई–8, आकाशगंगा कालोनी, शाहपुरा, भोपाल

टैरिफ अनुसूचियां

परिशिष्ट –2 निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां

वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

निम्न दाब (लो टेंशन–एलटी) उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां

अनुक्रमणिका

विद्युत–दर अनुसूचियां (**Tariff Schedules**)	पृष्ठ क्रमांक
एलवी–1 घरेलू (LV-1 Domestic)	194
एलवी–2 गैर–घरेलू (LV-2 Non- Domestic)	197
एलवी–3 सार्वजनिक जल–प्रदाय कार्य एवं पथ–प्रकाश (LV-3 Public Water works and Steel Lights)	201
एलवी–4 निम्न दाब औद्योगिक–गैर मौसमी तथा मौसमी, (LV-4 LT Industrial-Non-Seasonal and Seasonal)	203
एलवी–5 कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां (LV-5 Agricultural and Allied Activities)	206
निम्न दाब विद्युत–दर की सामान्य निबन्धन एवं शर्तें (General Terms and Conditions of Low Tension Tariff)	212

———————

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–1

घरेलू (Domestic) :

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) केवल आवासीय उपयोग के लिये बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु लागू होगी। इस श्रेणी के अंतर्गत धर्मशालाएं, गौशालाएं, वृद्धावस्था आवास गृह (ओल्ड एज होम्स), वरिष्ठ नागरिकों हेतु दिवा–देखभाल केन्द्र (डे केयर सेंटर्स) सुधारालय (रेसक्यू हाऊसेज), अनाथालय, पूजा–स्थल, तथा धार्मिक संस्थाएं, भी शामिल होंगे।

विद्युत–दर (टैरिफ) (Tariff) :

एलवी 1.1 [100 वॉट (0.1 किलोवाट) से अधिक स्वीकृत भार के उपभोक्ताओं हेतु जिनकी खपत 30 यूनिट प्रति माह से अधिक नहीं है]

(ए) ऊर्जा प्रभार (Energy Charge) तथा स्थाई प्रभार (Fixed charge) – मीटरीकृत संयोजन (connection) हेतु

मासिक खपत (यूनिट में)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)
30 यूनिट तक	290	शून्य

(बी) न्यूनतम प्रभार (minimum charges) – इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को न्यूनतम प्रभारों के रूप में रूपये 40 प्रति संयोजन प्रति माह लागू होंगे।

एल वी 1.2

(i) **ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार–** मीटरीकृत संयोजनों हेतु

मासिक खपत के खण्ड (Slabs) (यूनिट में)	ऊर्जा प्रभार मय दूरबीनी (टेलिस्कोपिक) प्रसुविधा के (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
50 यूनिट तक	340	40 प्रति संयोजन	25 प्रति संयोजन
51 से 100 यूनिट तक	405	70 प्रति संयोजन	45 प्रति संयोजन
101 से 300 यूनिट तक	520	प्रति आधा किलोवाट अधिकृत भार पर रूपये 80 की दर से	प्रति आधा किलोवाट अधिकृत भार पर रूपये 60 की दर से
300 यूनिट से अधिक	570	प्रति आधा किलोवाट अधिकृत भार पर रूपये 85 की दर से	प्रति आधा किलोवाट अधिकृत भार पर रूपये 80 की दर से

न्यूनतम प्रभार : उपरोक्त श्रेणियों हेतु <u>रू. 60 प्रति संयोजन प्रति माह</u> के न्यूनतम प्रभार ऊर्जा प्रभारों हेतु लागू होंगें।

टीप : अधिकृत भार वही होगा जैसा कि इसे मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 (समय–समय पर यथासंशोधित) में परिभाषित किया गया है (प्रत्येक 75 यूनिट प्रति माह की खपत अथवा उसके किसी अंश को आधा किलोवाट के अधिकृत भार के समतुल्य माना जाएगा। उदाहरण : यदि किसी माह के दौरान खपत 125 यूनिट हो तो अधिकृत भार को एक किलोवाट माना जाएगा। इसी प्रकार, यदि किसी माह में खपत 350 यूनिट हो तो अधिकृत भार को 2.5 किलोवाट माना जाएगा) ।

अस्थाई/वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत संयोजन	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी क्षेत्र/ग्रामीण श्रेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी	ग्रामीण
स्वयं के गृह निर्माण हेतु अस्थाई संयोजन (अधिकतम एक वर्ष की अवधि हेतु),	730	प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से भी सर्वाधिक हो, के लिए रू. 330	प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से भी सर्वाधिक हो, के लिए रू. 250
सामाजिक/वैवाहिक प्रयोजन तथा धार्मिक समारोहों हेतु अस्थाई संयोजन	730	प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से भी सर्वाधिक हो, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु रू. 50	प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से भी सर्वाधिक हो, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु रू. 35
वितरण ट्रांसफार्मर मीटर द्वारा, झुग्गी–झोपड़ी समूह हेतु जब तक व्यक्तिगत मीटर उपलब्ध नही करा दिये जाते	300	शून्य	शून्य

न्यूनतम प्रभार : अस्थाई संयोजन हेतु, ऊर्जा प्रभारों हेतु 1000/– प्रति संयोजन प्रति माह के प्रभार लागू होंगे तथा झुग्गी–झोपड़ी समूहों हेतु वितरण ट्रांसफार्मर मीटर द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु कोई भी न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे।

(ii) अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों हेतु ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार (Energy Charge and Fixed charge for un-metered domestic connections) :

विवरण	अमीटरीकृत संयोजनों हेतु प्रतिमाह बिल किये जाने वाले यूनिट तथा ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)
शहरी क्षेत्र में अमीटरीकृत संयोजन हेतु	100 यूनिट हेतु, 470 पैसे प्रति यूनिट की दर से	85 प्रति संयोजन
ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत संयोजन हेतु	75 यूनिट हेतु, 375 पैसे प्रति यूनिट की दर से	40 प्रति संयोजन

न्यूनतम प्रभार – इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये किसी प्रकार के न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे।

एलवी–1 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

(ए) बिलिंग के प्रयोजन से, वितरण ट्रांसफार्मर मीटर में अभिलिखित किये गये ऊर्जा प्रभारों के तत्संबंधी ऊर्जा प्रभारों को उक्त वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं के मध्य बराबर–बराबर विभाजित किया जाएगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार बिलिंग हेतु ऐसे उपभोक्ताओं की सहमति प्राप्त की जाएगी ।

(बी) ऐसे प्रकरण में जहां वास्तविक खपत हेतु ऊर्जा प्रभार न्यूनतम प्रभारों से कम हों, वहां ऊर्जा प्रभारों के प्रति न्यनूतम प्रभारों की बिलिंग की जाएगी। अन्य समस्त प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य है, की बिलिंग भी की जाएगी।

(सी) अन्य निबन्धन तथा शर्ते वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(डी) पूर्व भुगतान उपभोक्ताओं (Prepaid consumers) के प्रकरण में, मूलभूत ऊर्जा (basic energy) तथा स्थाई प्रभारों (Fixed Charges) पर मासिक आधार पर एक प्रतिशत की छूट (rebate) लागू होगी तथा अन्य समस्त प्रभारों की गणना प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर छूट के बाद की जानी चाहिए। एक उपभोक्ता जो पूर्व भुगतान मापयंत्र से विद्युत प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करता हो, उसे ऊर्जा प्रभार (energy charge) पर कोई प्रतिभूति निक्षेप (security deposit) भुगतान करने की आवश्यकता न होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–2

गैर–घरेलू (Non-Domestic) :

एलवी 2.1

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर शैक्षणिक संस्थाओं मय अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निकों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) (जो किसी शासकीय निकाय अथवा किसी विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत/से संबद्ध/द्वारा मान्यता प्राप्त हैं) स्थित कर्मशालाओं (वर्कशाप) तथा प्रयोगशालाओं को, विद्यार्थियों अथवा कामकाजी महिलाओं अथवा खिलाड़ियों हेतु छात्रावासों (हॉस्टल) (शासन द्वारा अथवा वैयक्तिक रूप से संचालित) को बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

विद्युत–दर निम्न तालिका के अनुसार होगी :

उप–श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
स्वीकृत भार आधारित विद्युत –दर (केवल 20 किलोवाट तक के संयोजित भार के लिये)	540	100 प्रति किलोवाट	70 प्रति किलोवाट
वैकल्पिक (Optional) मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) (केवल 10 किलोवाट से अधिक तथा 20 किलोवाट तक की संविदा मांग हेतु)	540	200 प्रति किलोवाट अथवा रू. 160 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	140 प्रति किलोवाट अथवा रू. 112 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर
अनिवार्य (Mandatory) 20 किलोवाट से अधिक संविदा मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु	540	200 प्रति किलोवाट अथवा रू. 160 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	140 प्रति किलोवाट अथवा रू. 112 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर

एलवी 2.2

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) रेलवे {रेलवे कर्षण (ट्रैक्शन) तथा रेलवे कालोनीं/जलप्रदाय व्यवस्था के प्रयोजन को छोड़कर}, दुकानों/शोरूम, बैठक–कक्ष (पारलर), समस्त कार्यालयों, अस्पतालों, तथा चिकित्सा देखभाल सुविधाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सम्मिलित कर, औषधालयों (क्लीनिकों), नर्सिंग होम (जो शासन या सार्वजनिक या निजी संस्थाओं से संबंद्ध हैं), सार्वजनिक

भवनों, अतिथि–गृहों (गेस्ट हाऊसों), सर्किट हाऊस, शासकीय विश्राम गृहों, क्ष–किरण संयंत्र (एक्सरे प्लांट), मान्यता–प्राप्त लघु स्तर के सेवा संस्थानों, क्लब, रेस्टॉरेंट, खान–पान संबंधी स्थापनाओं, बैठक–परिसरों (मीटिंग हाल), सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, सर्कस–प्रदर्शनों, होटलों, सिनेमाघरों, व्यावसायिक परिसरों (चेम्बर्स) {यथा, अधिवक्ताओं, सनदी लेखापालों (चार्टर्ड अकाऊंटेंट, परामर्शदाताओं, चिकित्सकों आदि के} बॉटलिंग संयंत्रों, वैवाहिक उद्यान–स्थलों (मैरिज गार्डन), विवाह–घरों, विज्ञापन–सेवाओं, विज्ञापन पटलों (बोर्डों)/होर्डिंग, प्रशिक्षण अथवा कोचिंग संस्थाओं, पेट्रोल पंपों तथा सेवा केन्द्रों (सर्विस स्टेशन), सिलाई कार्य की दुकानों (टेलरिंग शॉप), वस्त्र धुलाई–घर (लाउण्ड्री), व्यायाम–घर (जिमनेजियम), स्वास्थ्य–क्लब (हेल्थ–क्लब) मोबाईल संचार हेतु दूरसंचार टॉवर तथा अन्य कोई स्थापना (एलवी 2.1 श्रेणी में सम्मिलित की गई संस्थाओं को छोड़कर) जिन्हें केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों के अंतर्गत वाणिज्यिक–कर/सेवा–कर/वेल्यू एडिड टैक्स (वैट)/मनोरंजन–कर/विलास–कर (लक्ज़री टैक्स) का भुगतान करने संबंधी अर्हता हो, को बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु प्रयोज्य है।

विद्युत–दर टैरिफ :

विद्युत–दर (टैरिफ) निम्न तालिका के अनुसार होगी :

उप–श्रेणी	ऊर्जा प्रभार, (पैसे/यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि मासिक खपत 50 यूनिट से अधिक न हो	575	65 प्रति किलोवाट	35 प्रति किलोवाट
समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि खपत की मात्रा 50 यूनिट से अधिक है	650	95 प्रति किलोवाट	70 प्रति किलोवाट
वैकल्पिक (Optional) मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) (केवल 10 किलोवाट से अधिक तथा 20 किलोवाट तक की संविदा मांग हेतु)	555	210 प्रति किलोवाट अथवा 168 प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर	140 प्रति किलोवाट अथवा 112 प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर
अनिवार्य (Mandatory) 20 किलोवाट से अधिक संविदा मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु	555	210 प्रति किलोवाट अथवा रू. 168 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	140 प्रति किलोवाट अथवा रू. 112 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर
अस्थाई संयोजन, मय मेला निम्नदाब पर स्थलों* हेतु बहु–बिन्दु अस्थाई संयोजन के लिये	775	150 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो	115 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो

उप–श्रेणी	ऊर्जा प्रभार, (पैसे / यूनिट) शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों में	स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
वैवाहिक प्रयोजनों हेतु, विवाह उद्यान स्थल (मैरिज गार्डन) अथवा विवाह–घर (मैरिज हॉल) अथवा एलवी 2.1 तथा 2.2 श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले अन्य परिसरों हेतु अस्थाई संयोजन	775 (न्यूनतम खपत प्रभारों की बिलिंग 6 यूनिट प्रति किलोवाट भार पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, पर की जायेगी जो न्यूनतम राशि रू. 500 / – के अध्यधीन होगी)	65 प्रत्येक किलो वाट के अथवा उसके किसी अंश पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा उसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत किये गये अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो,	45 प्रत्येक किलो वाट के अथवा उसके किसी अंश पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा उसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत किये गये अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो,
क्ष–किरण संयंत्र (एक्सरे प्लांट) हेतु	अतिरिक्त स्थाई प्रभार (रूपये प्रति मशीन प्रति माह)		
एकल फेज	475		
तीन फेज	685		
दंत क्ष–किरण मशीन (डेंटल एक्सरे प्लांट)	75		

* केवल उसी स्थिति में लागू होंगे जबकि मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मेला आयोजन की अनुमति प्रदान की गई हो।

एलवी–2 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन एवं शर्तें

(ए) **न्यूनतम खपत :** उपभोक्ता को **स्वीकृत भार अथवा संविदा मांग (मांग आधारित प्रभारों के प्रकरण में)** हेतु शहरी क्षेत्रों में 360 यूनिट प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश की न्यूनतम वार्षिक खपत को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 180 यूनिट प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश की न्यूनतम वार्षिक खपत को प्रत्याभूत (गारंटी) करना होगा। परन्तु, न्यूनतम खपत की गणना हेतु उपभोक्ता के संयोजित भार पर विचार करते समय, क्ष–किरण इकाई के भार को, सम्मिलित नहीं किया जाएगा। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि निम्न दाब विद्युत दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

(बी) **आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार :** इसकी बिलिंग विधि निम्न–दाब विद्युत–दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में निर्दिष्ट की गई है।

(सी) **ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दूरसंचार अधोसंरचना (Telecom Infrastructure) हेतु ऊर्जा प्रभारों में छूट** : राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के संवर्धन की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मोबाईल संचार टावरों (Mobile Communication Towers) हेतु 15 पैसे प्रति यूनिट की छूट प्रदान की गई है।

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युत–दर टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ई) **श्रेणी एलवी–1 तथा एलवी–2 हेतु** : ऐसा कोई उपभोक्ता जिसकी संविदा मांग 10 किलोवाट अथवा इससे अधिक तथा 20 किलोवाट तक है, द्वारा मांग आधारित विद्युत–दर के लिये विकल्प दिया जा सकता है, तथापि 20 किलोवाट से अधिक संविदा मांग हेतु मांग आधारित विद्युत–दर अनिवार्य है। विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसके लिये एम्पीयर/ट्राईवेक्टर/बाईवेक्टर मापयन्त्र (मीटर), जो मांग को किलोवोल्ट एम्पीयर/किलोवाट, किलोवाट ऑवर, किलोवोल्ट एम्पीयर आवर में अभिलेखन हेतु सक्षम है, प्रदान किया जाएगा।

(एफ) पूर्व भुगतान उपभोक्ताओं (Prepaid consumers) के प्रकरण में, मूलभूत ऊर्जा (basic energy) तथा स्थाई प्रभारों (fixed charges) पर मासिक आधार पर एक प्रतिशत की छूट (rebate) लागू होगी तथा अन्य समस्त प्रभारों की गणना प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर छूट के बाद की जानी चाहिए। एक उपभोक्ता जो पूर्व भुगतान मापयंत्र से विद्युत प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करता हो, उसे ऊर्जा प्रभार (energy charge) पर कोई प्रतिभूति निक्षेप (security deposit) भुगतान करने की आवश्यकता न होगी।

———————

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–3

सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य एवं पथ–प्रकाश (Public Water Works and Street Lights) :

प्रयोज्यता :

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–3.1** लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग अथवा नगरीय निकायों अथवा ग्राम पंचायतों अथवा कोई अन्य संस्था जिन्हें शासन द्वारा जलप्रदाय/जलप्रदाय संयंत्रों/जल–मल संयंत्रों का उत्तरदायित्व जनोपयोगी जलप्रदाय योजनाओं, जल–मल उपचार संयंत्रों (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), जल–मल पंपिंग संयंत्रों हेतु जलप्रदाय/सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्रों/जल–मल संस्थापनों के संधारण हेतु दायित्व सौंपा गया हो, को लागू होगा तथा यह दर नगरीय निकायों/ न्यासों द्वारा संधारित विद्युत शव–दाह गृहों (Electric crematorium) को भी लागू होगी।

टीप : निजी जलप्रदाय योजनाएँ, संस्थाओं आदि द्वारा अपने स्वयं के उपयोग/कर्मचारियों/टाऊनशिपों हेतु चलाई जा रही जलप्रदाय योजनाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी। इनकी बिलिंग समुचित टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे वह संस्था संबद्ध है। यदि जलप्रदाय का उपयोग दो या दो से अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा हो, तो ऐसी दशा में सम्पूर्ण खपत की बिलिंग उक्त प्रयोजन हेतु की जाएगी, जिस हेतु विद्युत–दर उच्चतर है।

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–3.2** यातायात संकेतों (ट्रैफिक सिग्नल), सार्वजनिक मार्गों अथवा सार्वजनिक स्थलों की प्रकाश व्यवस्था मय उद्यानों, नगर भवन (टाऊन हाल), स्मारकों तथा इनसे संबद्ध संस्थानों, संग्रहालयों, सार्वजनिक प्रसाधनों (टायलेट), शासन अथवा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा वाचनालयों तथा सुलभ शौचालयों को लागू होगा।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

उपभोक्ता श्रेणी/प्रयोज्यता का क्षेत्र	ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये/ किलोवाट)	न्यूनतम प्रभार
एलवी 3.1 सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य			**कोई न्यूनतम प्रभार लागू न होंगे**
नगरपालिक निगम/छाबनी (केन्टोनमेंट) बोर्ड	405	190	
नगरपालिका/नगर पंचायत	405	170	
ग्राम पंचायत	405	95	
अस्थाई विद्युत प्रदाय	प्रयोज्य विद्युत–दर से 1.3 गुना दर पर		
एलवी 3.2 पथ–प्रकाश			
नगरपालिक निगम/छाबनी (केन्टोनमेंट) बोर्ड	415	290	**कोई न्यूनतम प्रभार लागू न होंगे**
नगरपालिका/नगर पंचायत	410	270	
ग्राम पंचायत	410	65	

एलवी–3 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन तथा शर्ते

(ए) मांग–परक प्रबन्धन (डिमांड साईड मैनेजमेंट) अपनाए जाने पर प्रोत्साहन :

ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना किये जाने पर [जैसे कि, पम्प सेट्स हेतु, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटरों तथा पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु कार्यक्रमबद्ध चालू–बन्द/मन्द करने वाला स्विच, स्वचालन व्यवस्था सहित] उपभोक्ता को 5% की दर से **प्रोत्साहन** प्रदान किया जाएगा। **प्रोत्साहन** उसी दशा में अनुज्ञेय किया जाएगा, यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका परिपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनिटों का भुगतान सामान्य दरों पर करना होगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों को उपयोग में लाये जाने वाले माह से आगामी माह से अनुज्ञेय किया जाएगा तथा इसका सत्यापन अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा। यह प्रोत्साहन उक्त अवधि तक अनुज्ञेय किया जाना जारी रहेगा जब तक ये ऊर्जा बचत उपकरण सेवारत रहते हैं। अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु, व्यापक प्रचार–प्रसार की व्यवस्था भी करनी होगी।

(बी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———————

विद्युत–दर टैरिफ अनुसूची एलवी – 4

निम्नदाब औद्योगिक (LT Industrial) :

प्रयोज्यता :

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–4** प्रिंटिंग प्रेस अथवा अन्य कोई औद्योगिक स्थापनाओं तथा कर्मशालाओं {जहां कोई प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) अथवा विनिर्माण (मेन्युफेक्चरिंग) कार्य, टायर–रीट्रिडिंग को सम्मिलित कर सम्पन्न किया जा रहा हो} के लिए बत्ती, पंखा या उपकरणों के प्रचालन हेतु पावर के लिये लागू होंगी। ये विद्युत–दरें (टैंरिफ) शीतागार (कोल्ड स्टोरेज), गुड़ (जैगरी) तैयार करने वाली मशीनों, आटा चक्कियों (फ्लोर मिल्स), मसाला चक्कियों, हलर, खाण्डसारी इकाईयों, ओटाई (गिन्निंग) तथा प्रेसिंग इकाईयों, गन्ना पिराई (गन्ने का रस निकालने वाली मशीनों को सम्मिलित करते हुए) विद्युत–करघों (पावरलूम), दाल मिलों, बेसन मिलों तथा बर्फखानों (आईस–फैक्टरी) तथा अन्य कोई विनिर्माण (मेन्युफेक्चरिंग) अथवा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) इकाईयों (बॉटलिंग संयत्रों को छोड़कर) खाद्य वस्तुओं का उत्पादन/प्रसंस्करण अथवा कृषि उत्पादों के प्रस्संकरण, उनके संरक्षण/उनके शेल्फ उपयोगी जीवन काल (shelf life) में अभिवृद्धि हेतु तथा डेरी इकाईयों [जहां दूध का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), शीतलीकरण (चिलिंग), पाश्चुरीकरण प्रक्रिया आदि को छोड़कर किया जाता है जिससे अन्य दुग्ध उत्पादों का उत्पादन हो सके] हेतु भी लागू होंगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

	उपभोक्ता श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)		ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	
4.1 गैर–मौसमी उपभोक्ता				
4.1 ए	मांग–आधारित विद्युत–दर* (Demand based tariff) (संविदा मांग 150 अश्वशक्ति तक)	260 प्रति किलोवाट अथवा 208 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	145 प्रति किलोवाट अथवा 116 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	570
4.1 डी	अस्थाई संयोजन	प्रयोज्य विद्युत–दर का 1.3 गुना		

***ऐसे उपभोक्ताओं के प्रकरण में जिनकी संविदा मांग 25 अश्व शक्ति (HP) तक हो, वहां ऊर्जा प्रभारों तथा स्थाई प्रभारों की बिलिंग उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई टैरिफ श्रेणी 4.1 ए हेतु प्रभारों से 30 प्रतिशत कम दर पर की जाएगी।**

4.2 **मौसमी उपभोक्ता** (seasonal consumers) (मौसम की अवधि एक वित्तीय वर्ष में निरंतर 180 दिवस से अधिक की न होगी)। यदि घोषित मौसम अथवा मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) का विस्तार दो टैरिफ अवधियों के अन्तर्गत हो, तो ऐसी दशा में प्रयोज्य विद्युत–दर तत्संबंधी अवधि हेतु लागू होगी।				
4.2 ए	**मौसम के दौरान**	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप, सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)
4.2 बी	**मौसम बाह्य (ऑफ–सीजन) के दौरान**	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर, संविदा मांग के 10 प्रतिशत पर अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग पर, इनमें से जो भी अधिक हो	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर, संविदा मांग के 10 प्रतिशत पर अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग पर, इनमें से जो भी अधिक हो	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर का 120 प्रतिशत

निबंधन तथा शर्तें

(ए) उपभोक्ता की प्रतिमाह अधिकतम मांग, उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह में निरंतर पन्द्रह मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई चार गुना अधिकतम किलोवाट एम्पीयर आवर्स की मात्रा के बराबर मानी जाएगी।

(बी) समस्त निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु मांग आधारित विद्युत–दर (Demand Based Tariff) की प्रयोज्यता अनिवार्य है तथा अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को दो माह के भीतर टाईवेक्टर/बाईवेक्टर मीटर जो मांग को किलोवोल्ट एम्पीयर/ किलोवाट, किलोवाट ऑवर, किलोवोल्ट एम्पीयर ऑवर तथा उपयोग के समय विद्युत खपत (टाईम ऑफ यूज कंसम्पशन) को अभिलिखित किये जाने हेतु सक्षम हो, प्रदान करेंगे। ऐसे उपभोक्ता जो वर्तमान में संयोजित भार निम्न दाब औद्योगिक विद्युत दर श्रेणी के अन्तर्गत शामिल हैं, उन्हें दो माह के भीतर संविदा मांग पर आधारित अनुबन्ध निष्पादन करने होंगे। उपभोक्ताओं द्वारा संविदा मांग घोषित किये जाने तक तथा अनुबन्ध का निष्पादन किये जाने तक ऐसे उपभोक्ताओं हेतु बिलिंग स्वीकृत मांग को संविदा मांग मानकर की जाएगी।

(सी) **न्यूनतम खपत** : निम्नानुसार मानी जाएगी :

i. **ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) 240 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत न भी की गई हो।

ii. **शहरी क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) 420 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत न भी की गई हो।

iii. ऐसे प्रकरण में जहां उपभोक्ता की वास्तविक खपत उपरोक्त निर्दिष्ट की गई यूनिटों की संख्या से कम हो, वहां उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 20

यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 35 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी।

iv. न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग की विधि निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार : इनकी बिलिंग निम्न दाब विद्युत–दर हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप की जाएगी।

(डी) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ई) मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें :

i. उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु मौसम के तथा मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) के माह, टैरिफ आदेश जारी होने के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा। यदि उपभोक्ता द्वारा इस वित्तीय वर्ष के लिये मौसम तथा मौसम बाह्य की अवधि इस टैरिफ आदेश के जारी होने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को सूचित की जा चुकी हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे संज्ञान में लिया जाएगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाएगा।

ii. उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

iii. यह विद्युत–दर उन सम्मिश्रित इकाईयों, (composite units) को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं।

iv. उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत को, पिछले तीन मौसमों के दौरान औसत मासिक खपत के अधिकतम 15 प्रतिशत तक सीमित रखना होगा। यदि इस सीमा का किसी बाह्य मौसम माह के दौरान उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु, प्रभावशील गैर–मौसमी (non-seasonal) विद्युत–दर (टैरिफ) के अन्तर्गत की जाएगी।

v. उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग का 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम–बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग इस सीमा से अधिक पाई जाती है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु, प्रभावशील गैर–मौसमी (non-seasonal) विद्युत–दर (टैरिफ) के अन्तर्गत की जाएगी।

————————

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–5

कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां (Agriculture and Allied Activities) :

1. प्रयोज्यता :

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–5.1** कृषि संबंधी पंप संयोजनों, भूसा काटने वाले उपकरणों (chaff cutters), थ्रेशरों, भूसा उड़ाने वाली मशीनों (Winnowing machines) बीजारोपण मशीनों, (Seeding machines), उद्‌वहन सिंचाई योजनाओं हेतु सिंचाई पंपों मय पशुओं के उपयोग हेतु कृषि पंपों द्वारा उद्‌वहन जल के संयोजनों पर प्रयोज्य होगा।

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–5.2** रोपणियों (नर्सरी) फूल/पौधे, पौध (सैपलिंग)/फल/कुकुरमुत्ता (mushroom) उगाने वाले प्रक्षेत्रों तथा चरागाहों (grasslands) हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होगा।

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–5.3** मत्स्य तालाबों, एक्वाकल्चर, (aquaculture) रेशम उद्योग (sericulture), अण्डा सेने के स्थलों (हैचरी), कुक्कुट पालन केन्द्रों (poultry farms), पशु–प्रजनन केन्द्रों (cattle breeding farms), तथा केवल उन्हीं डेरी इकाईयों हेतु, जहां केवल दूध निकालने तथा इसका प्रसंस्करण करने, जैसे कि शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण, आदि का कार्य किया जाता है, हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होगा।

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–5.4** कृषि संबंधी स्थाई पंप संयोजनों, भूसा काटने वाले उपकरणों (chaff cutters), थ्रेशरों, भूसा उड़ाने वाली मशीनों (Winnowing machines), बीजारोपण मशीनों (seeding machiners) उद्‌वहन सिंचाई योजनाओं हेतु सिंचाई पंपों मय पशुओं के उपयोग हेतु कृषि पंपों द्वारा उद्‌वहन जल के संयोजनों पर प्रयोज्य होगा जिन्हें एक मुश्त दर (flat rate) लागू होती है।

2. विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उप–श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट में)
एलवी–5.1			
ए)(i)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	25	355
(ii)	माह के अन्तर्गत 300 यूनिट से अधिक तथा 750 यूनिट तक		420
(iii)	माह के अंतर्गत, शेष यूनिटों की खपत हेतु		450
बी)	अस्थाई संयोजन	25	462

सी)	वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत समूह उपभोक्ताओं हेतु	कुछ नहीं	325
एलवी–5.2			
ए) (i)	प्रथम 300 यूनिट प्रति माह	25	355
(ii)	माह के अंतर्गत, 300 यूनिट से अधिक तथा 750 यूनिट तक		420
(iii)	माह के अंतर्गत, शेष यूनिटों की खपत हेतु		450
बी)	अस्थाई संयोजन	25	450
सरल क्रमांक	**उप–श्रेणी**	**मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)**	**ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट में)**
एलवी–5.3			
ए)	शहरी क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	65 प्रति अश्वशक्ति	410
बी)	ग्रामीण क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	35 प्रति अश्वशक्ति	400
सी)	शहरी क्षेत्रों में, मांग आधारित विद्युत–दर (Demand based Tariff) (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर)	180 प्रति किलोवॉट अथवा 144/केवीए, बिलिंग मांग पर	500
डी)	ग्रामीण क्षेत्रों में, मांग आधारित विद्युत दर (Demand based Tariff) (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर)	85 प्रति किलोवाट अथवा 68/केवीए बिलिंग मांग पर	500

एलवी–5.	**कृषि एक मुश्त दर विद्युत–दर, सहायतानुदान को छोड़कर***	**माह अप्रैल से सितम्बर हेतु उपभोक्ता द्वारा देय दर (रूपये प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह में)**	**माह अक्टूबर से मार्च हेतु उपभोक्ता द्वारा देय दर (रूपये प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह में)**
ए)	तीन फेज–शहरी	100	100
बी)	तीन फेज–ग्रामीण	100	100
सी)	एकल फेज–शहरी	100	100
डी)	एकल फेज–ग्रामीण	100	100

* देखें निबन्धन तथा शर्तों का पैरा 1.2

निबन्धन तथा शर्तें

1.1 **टैरिफ अनुसूची 5.1 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की बिलिंग (Billing of Consumers under Tariff Schedule LV5.1)** : टैरिफ अनुसूची एलवी 5.1 के अन्तर्गत शामिल किये गये उपभोक्ताओं की बिलिंग मासिक आधार पर मापयन्त्र (मीटर) में अभिलिखित खपत के आधार पर की जाएगी। इस अनुसूची के अंतर्गत अमीटरीकृत अस्थाई संयोजन की बिलिंग खपत के आकलन के आधार पर इसी अनुसूची की शर्त क्रमांक 1.3 (iii) के अंतर्गत की जाएगी।

1.2 **टैरिफ अनुसूची 5.4 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की बिलिंग (Billing of Consumers under Tariff Schedule LV5.4)** : टैरिफ अनुसूची एलवी 5.4 के अन्तर्गत उपभोक्ता द्वारा देय दरें केवल राज्यानुदान (Subsidy) से संबंधित हैं। टैरिफ अनुसूची एलवी 5.4 के अन्तर्गत सम्मिलित उपभोक्ता हेतु देयक की गणना टैरिफ अनुसूची एलवी 5.1 में निर्दिष्ट की गई दरों पर इस अनुसूची की शर्त 1.3 के अन्तर्गत प्रति अश्वशक्ति (H.P.) यूनिटों के आकलन के मापदण्डों के आधार पर की जाएगी। उपभोक्ता को टैरिफ अनुसूची एलवी 5.4 के अन्तर्गत निर्दिष्ट दरों पर भुगतान करना होगा तथा देयक की अवशेष राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अग्रिम राज्यानुदान (advance subsidy) के रूप में किया जाएगा।

1.3 **श्रेणियों एलवी 5.1 तथा एलवी 5.4 हेतु ऊर्जा अंकेक्षण तथा लेखांकन का आधार :**

(i) टैरिफ अनुसूची एलवी 5.1 तथा एलवी 5.4 के अन्तर्गत आने वाले मीटरीकृत उपभोक्ताओं को ऊर्जा अंकेक्षण तथा लेखांकन प्रयोजन हेतु वास्तविक बिल की गई खपत को ही माना जाएगा

(ii) एलवी 5.4 के अन्तर्गत एक मुश्त दर पर अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु, आकलित खपत निम्न मानदण्डों के अनुसार होगी :

विवरण	प्रति माह प्रति अश्वशक्ति की संख्या, स्वीकृत भार हेतु			
	शहरी क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र	
मोटर पम्प का प्रकार	अप्रैल से सितम्बर तक	अक्टूबर से मार्च तक	अप्रैल से सितम्बर	अक्टूबर से मार्च
तीन फेज	90	170	80	170
एकल फेज	90	180	90	180

(iii) एलवी–5.1 श्रेणी के अन्तर्गत अमीटरीकृत अस्थाई कृषि उपभोक्ताओं हेतु, विद्युत खपत का आकलन निम्न मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा :

विवरण	प्रति माह प्रति अश्वशक्ति की संख्या, स्वीकृत भार हेतु	
मोटर पम्प का प्रकार	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
तीन फेज	220	195
एकल फेज	230	205

1.4 अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु विकल्प देने वाले उपभोक्ताओं को तीन माह के अग्रिम प्रभारों का भुगतान करना होगा तथा इनमें वे उपभोक्ता भी शामिल होंगें

जो केवल एक माह हेतु संयोजन का लाभ लेने हेतु अनुरोध करते हैं जो कि बढ़ाई गई अवधि हेतु समय–समय पर की गई संपूर्ति (Replenishment) के अध्यधीन तथा संयोजन विच्छेद उपरान्त अन्तिम देयक के अनुसार समायोजन के अध्यधीन होगा। फसलों की थ्रेशिंग के प्रयोजन से अस्थाई संयोजन के संबंध में केवल रबी तथा खरीफ मौसम के अन्त में एक माह की अवधि हेतु अस्थाई संयोजन एक माह के प्रभारों के अग्रिम भुगतान द्वारा प्रदाय किया जा सकेगा।

1.5 मीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा बचत उपकरण स्थापित किये जाने पर, निम्न **प्रोत्साहन*** प्रदान किये जाएंगे :

सरल क्रमांक	ऊर्जा बचत उपकरणों का विवरण	टैरिफ में छूट (रिबेट) दर
1	पंप सेट्स हेतु जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों से संयोजित हैं	15 पैसे प्रति यूनिट
2	पंप सेट्स हेतु, जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों से संयोजित हैं तथा घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्व के उपयोग हेतु	30 पैसे प्रति यूनिट
3	पंप सेट्स हेतु, जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों से संयोजित हैं तथा घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्ब का उपयोग किये जाने पर मय उपयुक्त श्रेणी (रेटिंग) के शंट कैपेसिटर की संस्थापना किये जाने पर	45 पैसे प्रति यूनिट

*मांग परक प्रबंधन के अंतर्गत, ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन सामान्य टैरिफ दर पर (पूर्ण टैरिफ दर में से शासकीय अनुदान प्रति यूनिट घटा कर, यदि यह देय हो) उपभोक्ता के अंशदान भाग पर ही अनुज्ञेय किया जाएगा। यह प्रोत्साहन केवल उसी दशा में अनुज्ञेय होगा, जब पूर्ण बिल की राशि का भुगतान निर्धारित तिथियों के अंदर कर दिया जाए जिसका परिपालन न किये जाने पर, समस्त खपत किये गये यूनिटों को सामान्य दर पर प्रभारित किया जाएगा। प्रोत्साहन स्थापना के माह के उपरान्त ही वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही अनुज्ञेय होगा। वितरण अनुज्ञिप्तधारी को ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था हेतु वृहद् रूप से इसका प्रचार–प्रसार करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक सूचना अपनी वैबसाईट पर भी प्रदर्शित करनी होगी।

1.6 **न्यूनतम खपत :**

(i) **मीटरीकृत कृषि संबंधी उपभोक्ताओं हेतु (एलवी–5.1 तथा एल.वी 5.2)** : इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को माह अप्रैल से सितम्बर तक संयोजित भार की 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश की प्रतिमाह की न्यूनतम खपत तथा माह अक्टूबर से मार्च तक संयोजित भार की 90 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश की प्रतिमाह न्यूनतम खपत प्रत्याभूत (गारंटी) करनी होगी, भले ही उपभोक्ता द्वारा माह के दौरान ऊर्जा की खपत न भी की गई हो।

(ii) कृषि संबंधी अन्य प्रयोग हेतु (एलवी–5.3) :

(ए) उपभोक्ता को अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में सविंदा मांग का 180 यूनिट/अश्वशक्ति अथवा उसके अंश पर तथा शहरी क्षेत्रों में सविंदा मांग का 360 यूनिट/अश्वशक्ति अथवा उसके अंश पर आधारित न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) प्रत्याभूत करनी होगी, भले ही उसके द्वारा वर्ष के दौरान ऊर्जा की खपत न भी की गई हो।

(बी) उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 15 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत मासिक न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) से कम हो।

(सी) **न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग की विधि** निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

1.7 **आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार** : इसकी बिलिंग की विधि निम्न दाब विद्युत–दर हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

1.8 **विलम्बित भुगतान अधिभार (Delayed Payment Surcharge)** : श्रेणी एलवी 5.4 के अन्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं के प्रकरण में, विलम्बित भुगतान अधिभार प्रति खण्ड (ब्लाक) अथवा उसके किसी अंश के लिये रू. 100/– की बकाया राशि पर रू. 1/– प्रति माह की एक मुश्त दर पर अधिरोपित किया जाएगा। इस टैरिफ अनुसूची की अन्य उपश्रेणियों हेतु, विलम्बित भुगतान अधिभार की बिलिंग निम्न दाब विद्युत–दर की सामान्य निबन्धन तथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार की जाएगी।

1.9 **वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु विशिष्ट शर्ते :**

अ. वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं को उनके वास्तविक संयोजित भार पर की गई यूनिटों की गणना के अनुसार ऊर्जा प्रभारों का भुगतान करना होगा।

ब. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे संयोजित उपभोक्ताओं से बिलिंग हेतु उपरोक्त (अ) में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार सहमति प्राप्त की जाएगी।

1.10 पावर सर्किट से पंप पर या उस के समीप एक 40 वॉट का सीएफएल/ एलईडी लैम्प लगाने की अनुमति होगी।

1.11 बाह्य उपकरण की स्थापना के माध्यम से तीन–फेज कृषि पंप का उपयोग किया जाना जब विद्युत प्रदाय एकल फेज पर उपलब्ध हो, को ऐसी अवधि के दौरान विद्युत की अवैध निकासी माना जाएगा तथा ऐसा किये जाने पर त्रुटिकर्ता उपभोक्ता के विरूद्ध विद्यमान नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

1.12 अन्य निबंधन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युत–दर की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

—

निम्न दाब विद्युत–दर की सामान्य निबंधन तथा शर्ते (General Terms and Conditionns of Low Tension Tariff)

1. **ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas)** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2010/एफ 13/05/13/2006 दिनांक 25 मार्च, 2006 द्वारा अधिसूचित किये गये समस्त क्षेत्र जैसा कि इन्हें समय–समय पर संशोधित किया जाए। **शहरी क्षेत्रों (Urban Areas)** से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किये गये क्षेत्रों के अतिरिक्त समस्त अन्य क्षेत्र।

2. **पूर्णांक करना (Rounding off)** : समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात्, 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की लाएगी तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को अगले रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।

3. **बिलिंग मांग (Billing demand)** : मांग आधारित टैरिफ के प्रकरण में, माह हेतु बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। बिलिंग मांग को निकटतम एकीकृत (Integral) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात् 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (Fraction) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा, जबकि 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित (Ignored) माना जाएगा।

4. **स्थाई प्रभारों की बिलिंग (Fixed charges billing) –** जब तक विशिष्ट तौर पर निर्दिष्ट न किया जाए, स्थाई प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन से, आंशिक भार (Fractional load) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा अर्थात् 0.5 या इससे अधिक की भिन्न को उच्चतर अंक तक पूर्णांक किया जाएगा जबकि 0.5 से कम की भिन्न की उपेक्षा की जाएगी, तथापि एक किलोवाट/अश्वशक्ति से कम के भारों को एक किलोवाट/अश्वशक्ति ही माना जाएगा।

5. **न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि (Method of Billing of Minimum Consumption) –**

   (क) **मीटरीकृत कृषि संबंधी उपभोक्ताओं तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग उद्यानिकी (Horticulture) हेतु श्रेणी एलवी 5.1 तथा 5.2 :** उपभोक्ता की बिलिंग न्यूनतम मासिक खपत (किलोवाट ऑवर में) हेतु जो उस श्रेणी हेतु उक्त माह के लिये निर्दिष्ट की गई है, जिसके अन्तर्गत उसकी वास्तविक खपत विनिर्दिष्ट न्यूनतम खपत से कम हो, के अनुसार की जाएगी।

(ख) अन्य उपभोक्ताओं हेतु, जहां यह प्रयोज्य है :

(अ) उपभोक्ता की बिलिंग प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) जो उसकी श्रेणी हेतु प्रति माह विनिर्दिष्ट की गई है, के बारहवें (1/12) भाग पर की जाएगी, यदि वास्तविक खपत उपरोक्त उल्लेखित की गई खपत से कम हो।

(ब) उक्त माह, जिसमें वास्तविक संचित खपत (cumulative consumption) वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत के बराबर हो जाती है अथवा इससे अधिक हो जाती है तो वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में न्यूनतम मासिक खपत हेतु और आगे बिलिंग नहीं की जाएगी तथा केवल वास्तविक अभिलिखित खपत की बिलिंग ही की जाएगी।

(स) टैरिफ न्यूनतम खपत को उक्त माह में समायोजित किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी वास्तविक अथवा बिल की गई मासिक खपत संचयी उक्त माह, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक हो जाती हो। यदि वास्तविक संचयी खपत पूर्णतया उक्त माह में समायोजित नहीं हो पाती है तो समायोजन को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा। निम्न उदाहरण विद्युत खपत की मासिक बिलिंग की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, जहां 1200 किलोवाट ऑवर (KWh) मासिक खपत के आधार पर आनुपातिक मासिक न्यूनतम खपत 100 किलोवाट ऑवर (kWh) है।

माह	**वास्तविक संचयी खपत** (kWh)	**संचयी न्यूनतम खपत** (kWh)	**2 तथा 3 में से जो भी अधिक हो** (kWh)	**वर्ष के दौरान अद्यतन बिल की गई खपत** (kWh)	**यूनिट संख्या जिसकी माह के दौरान बिलिंग की जाना है (4–5)** (kWh)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
अप्रैल	95	100	100	0	100
मई	215	200	215	100	115
जून	315	300	315	215	100
जुलाई	395	400	400	315	85
अगस्त	530	500	530	400	130
सितम्बर	650	600	650	530	120
अक्टूबर	725	700	725	650	75
नवम्बर	805	800	805	725	80
दिसम्बर	945	900	945	805	140
जनवरी	1045	1000	1045	945	100
फरवरी	1135	1100	1135	1045	90
मार्च	1195	1200	1200	1135	65

6. **आधिक्य संयोजित भार अथवा आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge for Excess connected load or Excess Demand) :** इसकी बिलिंग निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी :

अ) **मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु (For demand based tariff)** मांग आधारित विद्युत–दर पर विद्युत की प्राप्ति करने वाले उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक उच्चतम मांग, संविदा मांग (Contract Demand) के अंतर्गत सीमित रखनी होगी। तथापि, यदि किसी माह के दौरान वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग से 105% अधिक हो जाती है, तो उक्त माह के दौरान इस अनुसूची के अन्तर्गत विद्युत–दर संविदा मांग के 105 प्रतिशत तक की सीमा हेतु ही लागू होगी। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को संविदा मांग से 105 प्रतिशत अधिक के अध्यधीन (जिसे आधिक्य मांग कहा गया है) अभिलिखित मांग हेतु तथा तत्संबंधी खपत हेतु निम्न दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा :–

i. **आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार (Energy Charges for Excess Demand)** : ऐसे प्रकरण में जहां अभिलिखित की गई अधिकतम मांग संविदा मांग से 105 प्रतिशत अधिक अभिलिखित की जाती हो, उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों का भुगतान आधिक्य मांग से तत्संबंधी खपत हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) के 1.3 गुना की दर से भुगतान करना होगा।

उदाहरण : जहां कोई उपभोक्ता, जिसकी संविदा मांग 50 केवीए है, यदि वह 60 केवीए की अधिकतम मांग अभिलिखित करता हो तो आधिक्य मांग (60 केवीए–52.5 केवीए) = 7.5 केवीए हेतु उसकी बिलिंग निम्न के बराबर होगी, अर्थात् (माह के दौरान अभिलिखित की गई कुल खपत)* 7.5 केवीए /अधिकतम अभिलिखित की गई मांग)* 1.3 *ऊर्जा प्रभार यूनिट दर

ii. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार (Fixed Charges for Excess Demand)** : इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

1. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 115 प्रतिशत तक हो (Fixed Charges for Excess Demand when the recorded maximum demand is up to 115% of the contract demand)** :– संविदा मांग से 105 प्रतिशत से अधिक आधिक्य मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

2. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 115 प्रतिशत से अधिक हो (Fixed Charges for Excess Demand when the recorded maximum demand exceeds 115% of the contract demand)** :– उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग से 15 प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 2 (दो) गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

ब) **संयोजित भार आधारित विद्युत–दर हेतु (For connected load based Tariff) :**

संयोजित भार आधारित विद्युत–दर पर विद्युत की प्राप्ति करने वाले उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक संयोजित मांग, स्वीकृत भार (sanctioned

load) के अंतर्गत सीमित रखनी होगी। तथापि, यदि किसी माह के दौरान वास्तविक संयोजित मांग, स्वीकृत मांग से 105% अधिक हो जाती है, तो उक्त माह के दौरान इस अनुसूची के अन्तर्गत विद्युत–दर स्वीकृत मांग के 105 प्रतिशत तक की सीमा हेतु ही लागू होगी। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को स्वीकृत मांग से 105 प्रतिशत अधिक के अध्यधीन (जिसे आधिक्य भार कहा गया है) पाये गये संयोजित भार हेतु तथा तत्संबंधी खपत हेतु निम्न दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा :–

i. **आधिक्य भार हेतु ऊर्जा प्रभार (Energy Charges for Excess load)** : ऐसे प्रकरण में जहां पाये गये अधिकतम भार संयोजित भार से 105 प्रतिशत अधिक पाया जाता हो, वहां उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों का भुगतान आधिक्य भार से तत्संबंधी खपत हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) के 1.3 गुना की दर से भुगतान करना होगा। यह प्रावधान सम्पूर्ण अवधि के लिये लागू होगा, जिस हेतु आधिक्य भार का उपयोग किया जाना पाया जाता हो, तथा, तथापि यदि ऐसी अवधि के दौरान जब पाये जाने वाले आधिक्य भार को सुनिश्चित किया जाना संभव न हो, वहां यह अवधि निरीक्षण तिथि से ठीक 12 माह पूर्व मानी जाएगी।

उदाहरण : जहां कोई उपभोक्ता, जिसका स्वीकृत भार 100 किलोवाट तथा संयोजत भार 107 किलोवाट पाया गया हो वहां आधिक्य भार (107 किलोवाट –105 किलोवाट) = 2 किलोवाट हेतु उसकी बिलिंग निम्न के बराबर होगी, अर्थात् (माह के दौरान अभिलिखित की गई कुल खपत)* 2 किलोवाट प्रति केवीए (पाया गया संयोजित भार)* 1.3 *ऊर्जा प्रभार यूनिट दर

ii. **आधिक्य भार हेतु स्थाई प्रभार (Fixed Charges for Excess Load)** : इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी : उक्त अवधि के लिये जब आधिक्य भार को उपरोक्त शर्त (i) के अन्तर्गत अवधारित किया जाता हो :

1. **आधिक्य भार हेतु स्थाई प्रभार जब संयोजित भार, स्वीकृत भार का 115 प्रतिशत तक हो (Fixed Charges for Excess Load when the connected load is found up to 115% of the sanctioned load)** :– स्वीकृत भार से 105 प्रतिशत से अधिक हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

2. **आधिक्य भार हेतु स्थाई प्रभार जब संयेजित भार, स्वीकृत भार का 115 प्रतिशत से अधिक हो (Fixed Charges for Excess Load when the connected load exceeds 115% of the sanctioned load)**:– उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, स्वीकृत भार से 15 प्रतिशत से अधिक पाये गये संयोजित भार हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 2 (दो) गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

स) उपभोक्ताओं को प्रयोज्य आधिक्य मांग हेतु उपरोक्त बिलिंग, बिना किसी पक्षपात के वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अनुबन्ध के पुनरीक्षण हेतु उसके द्वारा कहे जाने के अधिकारों तथा अन्य अधिकार, जो आयोग द्वारा विनियमों के अन्तर्गत या अन्य किसी कानून के अर्न्तगत अधिसूचित किये गये हों, प्रयोज्य होंगी।

द) प्रत्येक माह के दौरान, किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग (Maximum Demand) की गणना उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह के दौरान

निरन्तर 15 मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई किलोवाट एम्पीअर आवर्स की उच्चतम मात्रा के चार गुना के रूप में की जाएगी।

7. अन्य निबंधन तथा शर्तें:–

(ए) खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी **अग्रिम भुगतान** की राशि जिसके लिए देयक तैयार किया गया है, एक प्रतिशत प्रतिमाह की छूट उक्त राशि (प्रतिभूति निक्षेप राशि को छोड़कर) पर, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती है, उसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, उपभोक्ता के खाते में आकलित (क्रेडिट) कर दी जाएगी।

(बी) **तत्पर (Prompt) भुगतान हेतु प्रोत्साहन** : ऐसे प्रकरणों में, जहां किसी चालू माह हेतु देयक की राशि रू. एक लाख या इससे अधिक हो तथा देयक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता हो, देयक राशि {विद्युत शुल्क (Electricity Duty) तथा उपकर को छोड़कर} के तत्पर भुगतान पर 0.25% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। ऐसे उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध देयकों की राशि बकाया हो, उन्हें इस प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी।

(सी) स्वीकृत भार/संयोजित भार/संविदा मांग 112 किलोवाट/150 अश्वशक्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए सिवाय जहां इस हेतु उच्चतम सीमा निर्दिष्ट की गई है या फिर उक्त श्रेणी में संयोजित भार की कोई उच्चतम सीमा निर्दिष्ट से छूट प्रदान की गई हो। यदि उपभोक्ता उसके संयोजित भार/संविदा मांग की इस उच्चतम सीमा का उल्लंघन टैरिफ अवधि के अन्तर्गत दो बिलिंग माह में दो अवसरों से अधिक बार करता हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उच्चदाब विद्युत प्रदाय प्राप्त किये जाने बाबत आग्रह कर सकेगा।

(डी) मापयंत्र प्रभारों (metering charges) की बिलिंग, मीटरिंग तथा अन्य प्रभारों की अनुसूची के अनुसार जैसा कि इसे मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय करने का अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार की जाएगी। बिलिंग के प्रयोजन से माह के किसी भाग को पूर्ण माह माना जाएगा।

(ई) ऐसे प्रकरण में, जहां उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश (चेक) को अनादरित (डिसआनर्ड) कर दिया गया हो, वहां नियमों के अनुसार, बिना किसी पक्षपात अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार के कोई कार्यवाही किये जाने हेतु, जैसा कि वह सुसंगत कानून के अन्तर्गत उपलब्ध हो, 200 रूपये प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, अधिरोपित किया जाएगा।

(एफ) अन्य प्रभार, जैसा कि इनका उल्लेख विविध प्रभारों की अनुसूची में किया गया है, भी अतिरिक्त रूप से लागू होंगे।

(जी) **वेल्डिंग अधिभार (Welding Surcharge)** वेल्डिंग ट्रांसफार्मरयुक्त स्थापनाओं के साथ प्रयोज्य होगा, जहां वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का भार कुल संयोजित भार से 25 प्रतिशत अधिक हो तथा जहां निर्दिष्ट क्षमता के उपयुक्त कैपेसिटर स्थापित नहीं किये गये हों जिससे कि ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) न्यूनतम 0.8 (80%)

लैगिंग को सुनिश्चित किया जा सके। माह के दौरान सम्पूर्ण स्थापना हेतु वेल्डिंग अधिभार, 75 (पिचहत्तर) पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया जाएगा। तथापि, ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) 0.8 या इससे अधिक अभिलिखित किये जाने पर कोई वेल्डिंग प्रभार अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(एच) वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों को संयोजित भार को किलोवॉट में गणना किये जाने के प्रयोजन से ऐसे वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों का 0.6 (60%) का भार–कारक (पावर फेक्टर) अधिकतम करंट अथवा केवीए रेटिंग पर प्रयोज्य होगा।

(आई) वर्तमान निम्नदाब उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा उचित क्षमता (रेटिंग) के निम्नदाब कैपेसिटर की व्यवस्था कर दी गई है। इस संबंध में, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 जैसा इसे समय–समय पर संशोधित किया गया है का अवलोकन मार्गदर्शन प्राप्ति हेतु किया जा सकता है। उपभोक्ता द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व होगा कि किसी एक माह के दौरान समग्र रूप से औसत भार–कारक (पावर फेक्टर) 0.8 (80%) से कम न रहे। उपरोक्त मानदण्ड प्राप्त न किये जाने पर, उपभोक्ता को माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों पर निम्न दरों के अनुसार निम्न भार–कारक (लो पावर फेक्टर) हेतु भुगतान करना होगाः

1. **ऐसे निम्नदाब उपभोक्ता के लिये, जिसका मीटर औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) अभिलेखन हेतु सक्षम है :**

   क. 80% से नीचे 75% तक, ऊर्जा कारक की प्रत्येक 1% गिरावट के लिये, ऊर्जा प्रभारों पर 1% की दर से अधिभार।

   ख.. 75% से नीचे 70% तक, ऊर्जा कारक की प्रत्येक 1% गिरावट के लिये ऊर्जा प्रभारों पर 5% + 1.25% की दर से अधिभार।

   अधिभार की अधिकतम सीमा माह के दौरान बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों के 10% राशि तक सीमित होगी।

2. **ऐसे निम्नदाब उपभोक्ता के लिये, जिसका मीटर औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) अभिलेखन हेतु सक्षम नहीं है** : उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उचित क्षमता के निम्नदाब कैपेसिटर की व्यवस्था करे तथा इसे सही हालत में संचालित रखे। इस संबंध में, मार्गदर्शन प्राप्ति हेतु मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया गया है, का अवलोकन किया जा सकता है। उपरोक्त मानदण्डों का परिपालन न किये की दशा में, उपभोक्ता पर माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों के विरूद्ध बिल की गई सम्पूर्ण राशि पर 10% की दर से निम्न ऊर्जा कारक (Low Power Factor) अधिभार अधिरोपित किया जाएगा तथा इसे ऐसी अवधि तक निरन्तर जारी रखा जाएगा जब तक उपभोक्ता उपरोक्त मानदण्डों की प्राप्ति नहीं कर लेता।

(जे) यदि उपभोक्ता द्वारा भार–कारक (पावर फेक्टर) में सुधार किये जाने के संबंध में उचित शंट कैपेसिटरों की स्थापना द्वारा उचित कदम नहीं उठाये जाते हैं तो उपरोक्तानुसार दर्शाये गये वेल्डिंग/भार–कारक (पावर फेक्टर) सरचार्ज, अनुज्ञप्तिधारी के बिना किसी पक्षपात, उपभोक्ता की स्थापना के संयोजन–विच्छेद (डिसकनेक्ट) किये जाने के अधिकारों के अंतर्गत होंगे।

(के) **भार कारक (लोड फेक्टर) रियायत** : मांग आधारित टैरिफ (डिमांड बेस्ड टैरिफ) के अंतर्गत, उपभोक्ताओं को निम्नानुसार रियायत के स्लैब (खण्ड) अनुज्ञेय होंगे:

भार–कारक (लोड फेक्टर)	ऊर्जा प्रभारों में रियायत
संविदा मांग पर 25 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक के भार–कारक (लोड फेक्टर) पर	बिलिंग माह के दौरान, 25 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 12 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी
संविदा मांग पर 30 प्रतिशत से अधिक तथा 40 प्रतिशत तक के भार कारक पर	30 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 30 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 24 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी
संविदा मांग पर 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर	40 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 36 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी

भार कारक (लोड फेक्टर) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत में)} = \frac{\text{मासिक खपत} \times 100}{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या} \times \text{मांग ऊर्जा कारक}}$$

i. मासिक खपत माह के दौरान की गई यूनिटों (kWh) में खपत के अनुसार होगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी के अलावा बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त किये यूनिटों की संख्या सम्मिलित नहीं होगी।

ii. बिलिंग माह में अनुसूचित विद्युत अवरोध (Scheduled Outages) घंटों की संख्या शामिल नहीं होगी।

iii. मांग अभिलिखित की गई अधिकतम मांग अथवा संविदा मांग इनमें से जो अधिक हो, होगी।

iv. ऊर्जा कारक 0.8 अथवा वास्तविक ऊर्जा कारक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी।

टीप : भार कारक (लोड फेक्टर) प्रतिशत को निकटतम संख्या (Integer) तक पूर्णांक किया जाएगा। बिलिंग माह, मीटर वाचन की दो क्रमिक (consecutive) तिथियों की दिवस संख्या में वह अवधि होगी जो उपभोक्ता हेतु, बिलिंग के प्रयोजन से एक माह के रुप में विचाराधीन हो।

(एल) किसी विशिष्ट निम्न दाब श्रेणी पर, टैरिफ की प्रयोज्यता के संबंध में विवाद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

(एम) विद्युत–दर (टैरिफ) में विद्युत ऊर्जा पर कर (Tax), उपकर (Cess) अथवा चुंगी (duty) सम्मिलित नहीं होतीं, जो कि तत्समय प्रचलित किसी कानून के अनुसार किसी भी समय देय हो सकती हैं। ऐसे प्रभार, यदि लागू हों तो उपभोक्ता द्वारा इनका भुगतान टैरिफ प्रभारों तथा प्रयोज्य विविध प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।

(एन) **समस्त श्रेणियों हेतु विलम्बित भार अधिभार** : बकाया (outstanding) राशि पर पूर्व की अवशेष राशि (Arrears) सम्मिलित कर, पर 1.25% प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश अनुसार, की दर से अधिभार की राशि का भुगतान करना होगा यदि देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता, जो कुल बकाया देयक की राशि रू. 500/– तक न्यूनतम रू. 5/– तथा देयक की राशि के रू. 500/– से अधिक होने पर रू. 10/– के अध्यधीन होगा। विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन से, माह के किसी अंश को पूर्ण माह माना जाएगा। किसी उपभोक्ता का विद्युत प्रदाय संयोजन स्थाई तौर पर विच्छेद किये जाने के उपरान्त विलंबित भुगतान अधिभार को अधिरोपित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान ऐसी श्रेणी के लिये लागू न होगा जहां विलंबित भुगतान अधिभार अधिरोपित किये जाने का प्रावधान पृथक से किया गया है।

(ओ) निम्नदाब संयोजन को उच्चदाब संयोजन में परिवर्तन किये जाने की दशा में, उपभोक्ता द्वारा उच्च दाब विद्युत प्रदाय की सुविधा का लाभ उठाने से पूर्व दोनों उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी को उच्चदाब अनुबंध निष्पादित किया जाना अनिवार्य (mandatory) होगा।

(पी) **ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) प्रोत्साहन :** यदि औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक हो तो प्रोत्साहन निम्नानुसार भुगतान योग्य होगा :

भार कारक (पावर फैक्टर)	बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों पर भुगतान योग्य प्रोत्साहन प्रतिशत
85 प्रतिशत से अधिक तथा 86 प्रतिशत तक	0.5
86 प्रतिशत से अधिक तथा 87 प्रतिशत तक	1.0
87 प्रतिशत से अधिक तथा 88 प्रतिशत तक	1.5
88 प्रतिशत से अधिक तथा 89 प्रतिशत तक	2.0
89 प्रतिशत से अधिक तथा 90 प्रतिशत तक	2.5
90 प्रतिशत से अधिक तथा 91 प्रतिशत तक	3.0
91 प्रतिशत से अधिक तथा 92 प्रतिशत तक	3.5
92 प्रतिशत से अधिक तथा 93 प्रतिशत तक	4.0
93 प्रतिशत से अधिक तथा 94 प्रतिशत तक	4.5
94 प्रतिशत से अधिक तथा 95 प्रतिशत तक	5.0
95 प्रतिशत से अधिक तथा 96 प्रतिशत तक	6.0
96 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत तक	7.0
97 प्रतिशत से अधिक तथा 98 प्रतिशत तक	8.0
98 प्रतिशत से अधिक तथा 99 प्रतिशत तक	9.0
99 प्रतिशत से अधिक	10.0

इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान 'कुल किलोवाट आवर्स' तथा 'कुल किलोवोल्ट एम्पीयर औवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है।

(क्यू) **एक ही संयोजन से मिश्रित भारों का उपयोग** : जब तक किसी टैरिफ श्रेणी में विशिष्ट रूप से अनुज्ञेय न किया जाए, विभिन्न प्रयोजनों हेतु मिश्रित भारों हेतु अनुरोध करने वाले उपभोक्ता को उक्त प्रयोजन हेतु विद्युत–दर की बिलिंग की जाएगी, जो इनमें से उच्चतर हो।

(आर) अधिसूचित औद्योगिक विकास केन्द्रों के अन्तर्गत शहरी नियमावली (discipline) के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं पर शहरी विद्युत बिलिंग लागू की जाएगी।

(एस) टैरिफ तथा टैरिफ संरचना में, उपभोक्ता की किसी भी श्रेणी हेतु न्यूनतम प्रभारों को सम्मिलित कर, किसी प्रकार के परिवर्तन, सिवाय आयोग की लिखित अनुमति के, अनुज्ञेय न होंगे। आयोग की लिखित अनुमति के बिना की गई किसी कार्यवाही को शून्य तथा अप्रवृत्त माना जाएगा तथा प्रकरण में विद्युत अधिनियम, 2003 के सुसंगत उपबन्धों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

(टी) यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही कोई ऐसे उपबंध विद्यमान हों जो उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध से विपरीतात्मक हों।

8. निम्नदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु अतिरिक्त शर्तें (Additional conditions for Temporary Supply at LT):

(ए) किसी प्रत्याशित विद्यमान उपभोक्ता द्वारा अस्थाई विद्युत प्रदाय की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सामान्यतः इसकी व्यवस्था की जा सकेगी, जब मांग हेतु यथोचित सूचना (नोटिस) दी जाए। अस्थाई अतिरिक्त विद्युत प्रदाय को अतिरिक्त सेवा माना जाएगा तथा निम्न शर्तों के अध्यधीन इसे प्रभारित किया जाएगा। तथापि, तत्काल योजना के अंतर्गत विविध प्रभारों की अनुसूची अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रभारों के अनुसार सेवा 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

(बी) स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार की बिलिंग सामान्य टैरिफ की **1.3 गुना** की दर से, जैसा कि वह तत्संबंधी श्रेणी हेतु लागू हो, की जाएगी, यदि वह विशिष्ट रूप से अन्यथा विनिर्दिष्ट न भी की गई हो।

(सी) प्राक्कलित देयक राशि का भुगतान अस्थाई संयोजनों को सेवाकृत करने से पूर्व, अग्रिम रूप से भुगतानयोग्य होगा जिसकी समय–समय पर सम्पूर्ति (replenishment) की जाएगी तथा संयोजन विच्छेद के समय इसे अन्तिम देयक के अनुसार समायोजित किया जाएगा। इस अग्रिम भुगतान पर उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का ब्याज देय न होगा।

(डी) स्वीकृत भार/संयोजित भार 112 किलोवाट/150 अश्वशक्ति (HP) से अधिक न होगा।

(ई) अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन से, माह से अभिप्रेत है संयोजन की दिनांक से 30 दिवस की अवधि। बिलिंग के प्रयोजन से तीस दिवस से कम की किसी भी अवधि को पूर्ण माह माना जाएगा।

(एफ) संयोजन एवं संयोजन विच्छेद प्रभार तथा अन्य विविध प्रभारों का भुगतान पृथक से करना होगा जैसा कि इन्हें विविध प्रभारों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(जी) भार–कारक (लोड–फैक्टर) रियायत (कन्सेशन) को अस्थाई संयोजन खपत हेतु अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

(एच) ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) प्रोत्साहन/अर्थदण्ड स्थाई संयोजन के अनुरुप एक समान दर पर प्रयोज्य होंगे।

————————

परिशिष्ट–3 उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां

वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

द्वारा पारित विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

उच्च दाब (हाई टेंशन–एचटी) उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां

अनुक्रमणिका

विद्युत–दर अनुसूचियां (**Tariff Schedules**)	पृष्ठ क्रमांक
एचवी–1 रेलवे कर्षण (HV-1 Railway Traction)	224
एचवी–2 कोयला खदानें (HV-2 Coal Mines)	226
एचवी–3 औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग मॉल (HV-3 Industrial, Non Industrial and Shopping Mall)	227
एचवी–4 मौसमी (HV-4 Seasonal)	230
एचवी–5 सिंचाई, सार्वजनिक जल–प्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग (HV-5 Irrigation, Public Water Works and Other than agricultural)	232
एचवी–6 थोक आवासीय प्रयोक्ता (HV-6 Bulk Residential Users)	234
एचवी–7 ग्रिड से संयोजित विद्युत–उत्पादकों हेतु समकालन तथा प्रारंभिक विद्युत का प्रावधान (HV-7 Synchronization and Start-Up Power for generators connected to the Grid)	236
उच्च दाब विद्युत–दर (टैरिफ) की सामान्य निबन्धन तथा शर्तें (General Terms and Conditions of High Tension Tariff)	237

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–1

रेलवे कर्षण (Railway Traction) :

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) रेलवे के केवल कर्षण (Traction) भारों हेतु ही लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांकक	उपभोक्ता श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रतिमाह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)
1	132 केवी/220 केवी पर रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	280	540

विशिष्ट निबंधन तथा शर्ते

(ए) राज्य में रेलवे नेटवर्क को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की दृष्टि से संयोजन तिथि से पांच वर्षो की अवधि हेतु उन्हीं नवीन रेलवे कर्षण परियोजनाओं हेतु ऊर्जा प्रभारों में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी जिनके अनुज्ञप्तिधारी के साथ विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु अनुबंध वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान अंतिम किये जाते हैं। पूर्व में जारी किये गये आदेशों में दी गई, छूट उक्त टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत उल्लेखित दर तथा अवधि हेतु जारी रहेगी।

(बी) समर्पित संभारक संधारण प्रभार (Dedicated Feeder Maintenance Charges) लागू **नहीं** होंगे।

(सी) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption) संविदा मांग की 1500 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में दर्शाये गये के अनुरूप होगी।

(डी) ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) अर्थदण्ड :

i. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उसे प्रत्येक 1% (एक प्रतिशत) गिरावट हेतु जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। **ऊर्जा कारक के अवधारण हेतु, केवल अनुगामी तर्क (लैग लॉजिक) का उपयोग किया जाएगा तथा अग्रगामी (लीडिंग) ऊर्जा–कारक अभिलिखित होने पर कोई ऊर्जा कारक अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया जाएगा।**

ii. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उपभोक्ता को शीर्ष ''ऊर्जा प्रभारों'' के अन्तर्गत कुल देयक राशि पर 5 (पांच) प्रतिशत + 2 (दो) प्रतिशत की दर से जिसके अनुसार औसत मासिक ऊर्जा कारक 85% प्रतिशत से नीचे गिर जाता

है, अधिरोपित किया जाएगा। यह अर्थदण्ड इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35% से अधिक नहीं होगा।

iii. इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान ''कुल किलोवॉट ऑवर्स' तथा 'कुल किलोवोल्ट एम्पीयर आवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा कारक के इस अनुपात (%) को निकटतम एकीकृत अंश तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न को आगामी उच्च अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित किया जाएगा।

iv. उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 (छः) माह के दौरान किसी भी समय 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उपभोक्ता के संबंधमें उपरोक्त इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत स्तर तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु प्राधिकृत होगा :

- यह छः माह की अवधि उक्त तिथि से मान्य की जाएगी जिस पर औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया था।

- समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों की बिलिंग की जाएगी, परन्तु यदि उपभोक्ता अनुवर्ती तीन माह में (इस प्रकार कुल–मिलाकर चार माह) कम से कम 90**%** से अधिक औसत ऊर्जा कारक संधारित करता है तो कथित छः माह की अवधि को वापस ले लिया जाएगा तथा इन्हें आगामी मासिक देयकों में आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा।

- उल्लेखित की गई यह सुविधा, नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार देय नहीं होगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से छः माह के दौरान 90 प्रतिशत से कम न रहा हो। तत्पश्चात्, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 90**%** प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति ही करना होगा।

(ई) आकस्मिक प्रदाय विस्तार (Emergency Feed Extension) : यदि कर्षण उपकेन्द्र (traction station) में किसी आकस्मिकता के फलस्वरूप या फिर भार प्रदायक पारेषण तन्तुपथ या उसके किसी भाग को बाजू के कर्षण उपकेन्द्र पर अन्तरित कर दिया जाता है तो माह हेतु उक्त बाजू के उपकेन्द्र हेतु उच्चतम मांग (M.D.) पिछले तीन माह की औसत उच्चतम मांग (MD) के बराबर होगी जिसके अन्तर्गत कोई आकस्मिकता घटित न हुई हो।

(एफ) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसी कि इन्हें उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———————

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–2

कोयला खदानें (Coal mines) :

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) दर कोयला खदानों को पावर, वातायन (वेटिंलेशन), बत्तियां, पंखे, कूलर आदि हेतु लागू होगी जिससे अभिप्रेत है समस्त ऊर्जा का कोयला खदानों, कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन में प्रकाश व्यवस्था, प्रांगण की प्रकाश व्यवस्था आदि तथा उनसे संलग्न आवासीय उपयोग में विद्युत ऊर्जा की खपत को सम्मिलित किया जाना। संविदा मांग केवल पूर्णाकों में अभिव्यक्त की जाएगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

स.क्र.	उपभोक्ता उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
	कोयला खदानें			
1	11 केवी प्रदाय	560	580	520
2	33 केवी प्रदाय	570	570	500
3	132 केवी प्रदाय	580	555	490
4	220 केवी प्रदाय	590	540	480

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

ए. **प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption)** : निम्न आधार पर होगी :

प्रदाय वोल्टेज	प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिट (किलो वाट ऑवर में) प्रति केवीए संविदा मांग का
220/132 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	1620
33/11 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	1200

टीप : न्यूनतम खपत की बिलिंग विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होंगी।

बी. **भार कारक (लोड फैक्टर) प्रोत्साहन** : उपभोक्ता को उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

सी. **समयानुपाती (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट** : यह अधिभार/छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

डी. अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसी कि इन्हें उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———————

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–3

औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग मॉल (Industrial, Non Industrial and Shopping Malls)

प्रयोज्यता :

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.1 (औद्योगिक) समस्त उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को, खदानों को सम्मिलित कर (कोयला खदानों को छोड़कर) पावर, बत्ती, पंखा आदि को लागू होगा जिससे अभिप्रेत है कार्यालयों, मुख्य फेक्टरी भवन, भण्डारों, केन्टीन, उद्योगों की आवासीय कालोनियों, प्रांगण आदि की प्रकाश व्यवस्था आद्योगिक इकाईयों में स्थित सामान्य तथा सहायक सुविधाएं, जैस कि बैंक, सामान्य प्रयोजन की दुकानें, जल प्रदाय, जल मल उद्‌वहन व्यवस्था (पम्प), पुलिस थाने, आदि तथा डेरी इकाईयां जहां दूध का प्रसंस्करण (शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण आदि को छोड़कर)अन्य दुग्ध पदार्थों के उत्पादन में खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना।

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.2 (गैर–औद्योगिक) रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, होटलों, शासकीय अस्पतालों संस्थानों आदि (उपभोक्ताओं के समूह को छोड़कर) जैसी स्थापनाओं को लागू होगा जिनके पावर, बत्ती तथा पंखा आदि के मिश्रित भार हैं जिस से अभिप्रेत है कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन, प्रांगण आदि की प्रकाश व्यवस्था हेतु खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना। इसमें समस्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ता भी सम्मिलित होंगे, जो निम्नदाब गैर–घरेलू श्रेणी में परिभाषित होते हैं, बशर्ते उच्चदाब उपभोक्ता किसी भी प्रकार से अन्य निम्नदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा को न ही पुनर्वितरित करेगा अथवा न ही इसे उप–भाटक (सब–लेट) पर देगा।

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.3 (शॉपिंग मॉल) शॉपिंग मॉल की स्थापनाओं को लागू होगा जिनमें निम्न परिभाषित गैर–औद्योगिक समूह सम्मिलित हैं जो इस अनुसूची (ई) में दर्शाये विशिष्ट निबन्धनों तथा शर्ते के अध्यधीन होंगे।

शॉपिंग मॉल किसी शहरी क्षेत्र में एक बहुमंजिला बाजार करने का एक केन्द्र है जो पैदल भ्रमण करने वालों के लिये समावृत होगा जिसमें घेरी गई भूमि के अन्तर्गत पैदल चलने वालों के लिये मार्ग निर्मित होंगे तथा जिसका प्रबन्धन संस्था/विकासक (डेवलपर) द्वारा एक इकाई के रूप में स्वतंत्र खुदरा स्टोर समूह सेवाओं तथा पार्किंग स्थलों का निर्माण तथा संधारण किया जाता है।

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.4 [गहन विद्युत उद्योग (पावर इन्टेंसिव इन्डस्ट्रीज)] श्रेणी लद्यु इस्पात संयन्त्रों (मिनी स्टील प्लांट या एमएसपी) मय रोलिंग मिल, स्पोंज आयरन संयन्त्र के, जो एक ही परिसर में स्थिति हों, विद्युत रासायनिक (इलेक्ट्रो–केमिकल), विद्युत ताप उद्योग (इलेक्ट्रो

थर्मल इण्डस्ट्रीज), फैरो–अलॉय उद्योग, जिसका तात्पर्य तथा इसमें सम्मिलित होगी फैक्टरी परिसर में खपत की गई समस्त विद्युत तथा कार्यालयों, मुख्य फैक्टरी भवन, गोदामों केंटीन, उद्योगों के आवासीय परिसरों (कालोनियों), परिसर में विद्युत व्यवस्था (कम्पाउन्ड लाईटिंग) आदि।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उपभोक्ता की उप–श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
3.1	**औद्योगिक**			
	11 केवी प्रदाय	280	575	520
	33 केवी प्रदाय	435	565	470
	132 केवी प्रदाय	525	525	455
	220/400 केवी प्रदाय	560	505	435
3.2	**गैर–औद्योगिक**			
	11 केवी प्रदाय	250	605	545
	33 केवी प्रदाय	370	590	530
	132 केवी प्रदाय	475	540	485
3.3	**शॉपिंग मॉल**			
	11 केवी प्रदाय	230	615	540
	33 केवी प्रदाय	340	595	525
	132 केवी प्रदाय	450	540	485
3.4	**गहन विद्युत उद्योग (Power Intensive Industries)**			
	33 केवी प्रदाय	470	430	430
	132 केवी प्रदाय	570	410	410
	220 केवी प्रदाय	610	400	400

*श्रेणी एचवी 3.4 को भार प्रोत्साहन (load factor incentive) की पात्रता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, इस श्रेणी के लिये, ऊर्जा प्रभार, भार–कारक से असंबद्ध, सम्पूर्ण खपत हेतु एक समान होंगे।

विशिष्ट निबन्धन शर्तें

(ए) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption) :

उपरोक्त दर्शाई गई समस्त श्रेणियों हेतु निम्न आधार पर होगी :

प्रदाय वोल्टेज	उप–श्रेणी	प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिट (किलोवाट ऑवर) में प्रति केवीए संविदा मांग का
220/132 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	रोलिंग मिलें	1200
	शैक्षणिक संस्थाऐं	720
	अन्य	1800
33/11 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	शैक्षणिक संस्थाऐं	600
	100 केवीए तक की संविदा मांग	600
	अन्य	1200

टीप : न्यूनतम खपत की बिलिंग विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होंगी।

(बी) **भार कारक (लोड फैक्टर) प्रोत्साहन** : उपभोक्ता को उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन की पात्रता होगी। तथापि, एचवी 3.4 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को भार कारक प्रोत्साहनों की पात्रता नहीं होगी।

(सी) **समयानुपाती (Time of Day TOD) अधिभार/छूट** : यह अधिभार/ छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(डी) **ग्रामीण बहुल क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय करने वाले ग्रामीण संभारकों (फीडरों) के माध्यम से छूट** : इस श्रेणी के अन्तर्गत उच्च दाब उपभोक्ता जो ग्रामीण संभरकों (फीडर) के माध्यम से विद्युत प्रदाय प्राप्त करते हैं, उन्हें उपरोक्तानुसार तत्संबंधी वोल्टेज हेतु विनिर्दिष्ट स्थाई प्रभारों पर 5% तथा न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) पर 20% कमी की जाएगी।

(ई) **शॉपिंग मॉल हेतु, विनिर्दिष्ट अतिरिक्त निबंधन तथा शर्तें** :

(i) वैयक्तिक उपभोक्ताओं को (Individual end users) ऐसी विद्युत–दर (टैरिफ) अधिरोपित नही की जाएगी जो निम्न दाब संयोजन के प्रकरण में, गैर–घरेलू वाणिज्यिक विद्युत–दर तथा (उपश्रेणी एलवी 2.2) उच्च दाब संयोजन के प्रकरण में उच्च दाब गैर–औद्योगिक विद्युत–दर श्रेणी (उपश्रेणी एचवी 3.2) से अधिक हो, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अवधारित किया जाए।

(ii) इस श्रेणी के अन्तर्गत, समस्त उपभोक्ताओं (end users) को प्रबन्धक संस्थान/विकासक (Developer) तथा अनुज्ञप्तिधारी से शॉपिंग मॉल में विद्युत प्रदाय की प्राप्ति तथा उपलब्धि हेतु विद्युत–दर के लाभ की प्राप्ति हेतु एक त्रि–पक्षीय अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

(एफ) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–4

मौसमी (Seasonal) :–

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) ऐसे मौसमी (सीजनल) उद्योगों/उपभोक्ताओं को लागू होगी जिन्हें एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के प्रयोजनों से एक वित्तीय वर्ष में निरंतर एक सौ अस्सी दिवस की अवधि हेतु तथा न्यूनतम तीन माह की अवधि हेतु विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। **यदि घोषित मौसम का विस्तार दो टैरिफ अवधियों के अन्तर्गत होता है, तो ऐसी दशा में संबंधित अवधि की विद्युत–दर प्रयोज्य होगी।**

अनुज्ञप्तिधारी इस विद्युत–दर (टैरिफ) दर को केवल मौसमी उपयोग वाले किसी उद्योग को ही अनुज्ञेय करेगा।

यह विद्युत–दर मिनी/सूक्ष्म तथा लघु जल विद्युत संयन्त्रों की बिना किसी उच्चतम सीमा के, उक्त अवधि हेतु, जिसके लिये विद्युत प्राप्त की जाएगी, संयन्त्रों के संधारण हेतु, विद्युत की अनिवार्य आवश्यकताओं हेतु भी लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
मौसम (Season) के दौरान			
11 केवी प्रदाय	290	550	495
33 केवी प्रदाय	320	540	480
मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) के दौरान			
11 केवी प्रदाय	मौसम के दौरान, संविदा मांग अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो के 10 प्रतिशत पर, रूपये 290	654 अर्थात्, मौसमी (सीजनल) ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	लागू नहीं
33 केवी प्रदाय	मौसम के दौरान, संविदा मांग अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो के 10 प्रतिशत पर, रूपये 320	642 अर्थात्, मौसमी (सीजनल) ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	लागू नहीं

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(ए) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत संविदा मांग का 900 यूनिट (किलोवाट ऑवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य

निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(बी) **भार कारक (लोड फैक्टर) प्रोत्साहन** : उपभोक्ता के उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन हेतु पात्रता होगी।

(सी) **समयानुपाती (Time of Day-TOD) अधिभार/छूट** : यह अधिभार/छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(डी) उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु मौसम के तथा मौसम–बाह्य (ऑफ सीजन) के महीने, टैरिफ आदेश के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा।यदि इस आदेश के जारी होने से पूर्व उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को वित्तीय वर्ष के दौरान उसके मौसमी / मौसम–बाह्य महीनों की घोषणा कर दी गई हो तो इसे इस टैरिफ आदेश के संबंध में स्वीकार कर लिया जाएगा तथा इस हेतु वैध माना जाएगा।

(ई) उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

(एफ) यह विद्युत–दर उन सम्मिश्रित इकाईयों (composite units) को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं।

(जी) उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत को पिछले तीन मौसमों के अंतर्गत उच्चतम औसत मासिक खपत के 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि किसी प्रकरण में ऐसे किसी मौसम बाह्य माह में कोई खपत इस सीमा से अधिक पाई जाए तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु, एचवी–3.1 औद्योगिक टैरिफ अनुसूची दर के अनुसार की जाएगी।

(एच) उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग के 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम–बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग इस सीमा से अधिक पाई जाती है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु, एचवी–3.1 औद्योगिक टैरिफ अनुसूची के अनुसार की जाएगी।

(आई) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–5

सिंचाई, सार्वजनिक जल–प्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी एचवी–5.1 उद्वहन सिंचाई (लिफ्ट इरीगेशन) योजनाओं, समूह सिंचाई (ग्रुप इरीगेशन), सार्वजनिक उपयोगिता की जलप्रदाय योजनाओं, जल–मल उपचार सयंत्रों/ जल–मल पंपिंग संयत्रों में पावर प्रदाय तथा पंप हाऊस में प्रकाश व्यवस्था हेतु उपयोग की गई ऊर्जा हेतु ही लागू होगी।

टीप : निजी जल प्रदाय योजनाएँ, संस्था द्वारा अपने स्वयं के उपयोग/कर्मचारियों/ टाऊनशिपों हेतु चलाई जा रही जल प्रदाय आदि योजनाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी, वरन् इनकी बिलिंग समुचित टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे वह संस्था संबद्ध है। यदि जल प्रदाय का उपयोग दो या इससे अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में उच्चतम विद्युत–दर (टैरिफ) प्रयोज्य होगी।

टैरिफ श्रेणी एचवी–5.2 कृषि पंप संयोजनों को छोड़कर अन्य विद्युत प्रदाय, जैसे कि अंडे सेने के स्थल (हैचरी), मत्स्य तालाबों कुक्कुट पालन (पोल्ट्री फार्म), पशु–प्रजनन केन्द्र (केटल ब्रीडिंग फार्म), चारागाह (ग्रासलेंड), सब्जी/फल/पुष्प कृषि (फ्लोरीकल्चर), कुकरमुत्ता (मशरूम) उगाने वाली इकाईयों, आदि तथा डेरी [वे डेरी इकाईयां जहां केवल दूध निकालने का कार्य तथा इसका प्रसंस्करण जैसे कि शीतलीकरण (चिलिंग), पाश्चरीकरण आदि किया जाता है] को लागू होगी। परन्तु ऐसी इकाईयों में, जहां दूध का प्रसंस्करण दूध के अन्य दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है वहां बिलिंग, एचवी–3.1 (औद्योगिक) श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

क्रमांक	उपभोक्ताओं की उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
5.1	**सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य, समूह सिंचाई तथा उद्वहन सिंचाई योजनाएं**		
	11 केवी प्रदाय	195	445
	33 केवी प्रदाय	215	420
	132 केवी प्रदाय	240	400
5.2	**कृषि संबंधी अन्य उपयोग**		
	11 केवी प्रदाय	210	455
	33 केवी प्रदाय	230	435
	132 केवी प्रदाय	250	420

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(ए) **प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत :** संविदा मांग का 720 यूनिट (किलोवाट ऑवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(बी) **समयानुपाती (Time of Day-TOD) अधिभार/छूट** : उपभोक्ता के उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन हेतु पात्रता होगी।

(सी) **मांग–परक प्रबन्धन (Demand Side Management) अपनाए जाने पर प्रोत्साहन** : ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना किये जाने पर [जैसे कि, पम्प सेट्स हेतु, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटरों तथा पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु कार्यक्रमबद्ध चालू–बन्द/मन्द करने वाला स्विच, स्वचालन व्यवस्था सहित] उपभोक्ता को 5% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। **प्रोत्साहन** उसी दशा में अनुज्ञेय होगा, यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका परिपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनिटों का भुगतान सामान्य दरों पर करना होगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों को आयोग में लाये जाने वाले माह से आगामी माह से अनुज्ञेय किया जाएगा तथा इसका सत्यापन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। यह प्रोत्साहन उक्त अवधि तक अनुज्ञेय किया जाना जारी रहेगा जब तक ये ऊर्जा बचत उपकरण सेवारत रहते हैं। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन हेतु, व्यापक प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करनी होगी। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ताओं हेतु प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक जानकारी अपनी वैबसाईट पर भी प्रदर्शित करनी होगी।

(डी) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–6

थोक आवासीय प्रयोक्ता (Bulk Residential Users)

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी **एचवी–6.1** औद्योगिक अथवा अन्य टाऊनशिप [उदाहरणतया विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल, सैनिक अभियन्ता सेवा (एमईएस), सीमान्त ग्राम, आदि] के लिए केवल घरेलू प्रयोजन हेतु, जैसे कि प्रकाश व्यवस्था, पंखे, ऊष्मा प्रदाय (हीटिंग) हेतु लागू होगी, बशर्ते यह कि अत्यावश्यक सामान्य सुविधाओं जैसे कि आवासीय क्षेत्र में गैर–घरेलू विद्युत प्रदाय, पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु संयोजित भार निम्नानुसार विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं के अंतर्गत होगा :–

(i) जलप्रदाय तथा जल–मल (सीवेज) पंपिंग, अस्पताल हेतु–**कोई सीमा का बंधन नहीं होगा**

(ii) गैर–घरेलू/वाणिज्यिक तथा अन्य सामान्य प्रयोजन हेतु समन्वित रूप से–**कुल संयोजित भार का 20 प्रतिशत**

टैरिफ श्रेणी **एचवी–6.2**, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 798 (ई) दिनांक 9 जून 2005 के अनुसार पंजीकृत सहकारी समूह गृह–निर्माण समितियों तथा अन्य पंजीकृत समूह गृह–निर्माण समितियों तथा वैयक्तिक घरेलू प्रयोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु लागू होगी। उपभोक्ताओं की इस श्रेणी हेतु निबन्धन तथा शर्ते विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के सुसंबद्ध उपबन्धों, जैसे कि वे समय–समय पर संशोधित किये जाएं, के अनुसार प्रयोज्य होंगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
1.	**टैरिफ उप–श्रेणी एचवी–6.1 हेतु**			
	11 केवी प्रदाय	230	505	455
	33 केवी प्रदाय	250	480	430
	132 केवी प्रदाय	265	460	415
2.	**टैरिफ उप–श्रेणी एचवी–6.2 हेतु**			
	11 केवी प्रदाय	155	505	460
	33 केवी प्रदाय	160	495	450
	132 केवी प्रदाय	165	480	430

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(ए) **प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत** : संविदा मांग का 780 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए होगी । न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(बी) **भार कारक प्रोत्साहन (लोड फेक्टर इन्सेन्टिव) :** उपभोक्ता के उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन हेतु पात्रता होगी।

(सी) समस्त वैयक्तिक उपभोक्ता (end users) को इस श्रेणी के अन्तर्गत विद्युत–दर (टैरिफ) के लाभ की प्राप्ति हेतु समूह गृह निर्माण समिति तथा अनुज्ञप्तिधारी के साथ समिति के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु, त्रिपक्षीय समझौता करना होगा। वैयक्तिक उपभोक्ता को तत्स्थानी निम्न दाब श्रेणी की प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) से अधिक की दर अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(डी) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एचवी–7

विद्युत उत्पादकों हेतु समकालन तथा प्रारंभिक विद्युत को प्रावधान (Synchronization and Start up Power for generators connected to the grid)

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) ऐसे विद्युत उत्पादकों को लागू होगी जो पूर्व से ही ग्रिड से संयोजित हैं परन्तु वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नियमित उपभोक्ता नहीं है तथा ग्रिड से समकालन तथा प्रारंभिक विद्युत प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

समस्त वोल्टेज स्तरों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) :

श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
विद्युत उत्पादकों की प्रारंभिक विद्युत (Star up Power) तथा ग्रिड से समकालन (Synchronization) हेतु विद्युत प्रदाय	625

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(ए) ग्रिड से समकालन (Synchrornization) अथवा प्रारंभिक विद्युत (start up power) हेतु विद्युत संयंत्र में विद्युत प्रदाय उच्चतम मूल्यांकन (Rating) इकाई की क्षमता के 15% से अधिक नहीं किया जाएगा।

(बी) न्यूनतम खपत की शर्त विद्युत उत्पादकों हेतु, तथा कैप्टिव विद्युत उत्पादकों को, लागू नहीं होगी। विद्युत खपत की बिलिंग वास्तविक तथा बिलिंग माह के दौरान अभिलिखित विद्युत खपत हेतु की जाएगी।

(सी) कैप्टिव विद्युत उत्पादक को विद्युत प्रदाय विनिर्माण (production) गतिविधि हेतु विद्युत प्रदाय अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा जिस हेतु वह सुसंबद्ध विनियमों के अन्तर्गत वैकल्पिक समर्थन (stand-by support) प्राप्त कर सकेगा।

(डी) ग्रिड के साथ समकालन (Synchrornization) अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ किये जाने हेतु विद्युत प्रदाय वार्षिक नियोजित संधारण, अन्य संधारण हेतु, विद्युत अवरोधों (outages) हेतु, विद्युत उत्पादक इकाईयों के विवशजन्य अवरोधों (forced outages) तथा ग्रिड से विद्युत उत्पादक के पृथक किये जाने के अवसर पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

(ई) ग्रिड के साथ समकालन अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ करने हेतु ऊर्जा प्रत्येक अवसर पर अधिकतम दो घंटे के लिये उपलब्ध कराई जाएगी। यह समय सीमा प्रणाली को प्रारंभ करने संबंधी गतिविधि (start up activity) हेतु लागू नहीं होगी।

(एफ) विद्युत उत्पादक, कैप्टिव विद्युत विद्युत उत्पादक को सम्मिलित करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी के साथ ग्रिड का समकालन किये जाने बावत अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ करने हेतु विद्युत की आपूर्ति हेतु एक अनुबंध का निष्पादन करेंगे, जिसमें उपरोक्त निबंधन तथा शर्तों का भी समावेश किया जाएगा।

———

उच्चदाब विद्युत–दर की सामान्य निबंधन तथा शर्तें (General Terms and Conditions of High Tension Tariff)

<u>निम्न निबंधन तथा शर्तें समस्त उच्चदाब उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होंगी, जो तत्संबंधी श्रेणी हेतु उल्लेखित टैरिफ अनुसूची के अंतर्गत उक्त श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन होंगी</u> :

1.1 संविदा मांग को केवल पूर्णांक में ही व्यक्त किया जाएगा

1.2 **सेवा का स्वरूप (Character of Service) :** सेवा का स्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के अनुसार होगा जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया जाए।

1.3 **प्रदाय बिन्दु (Point of Supply)** :–

(ए) उपभोक्ता को सम्पूर्ण परिसर हेतु विद्युत प्रदाय सामान्य तौर पर एकल बिन्दु पर ही प्रदान किया जाएगा।

(बी) रेलवे कर्षण के प्रकरण में, प्रत्येक उपकेन्द्र पर विद्युत प्रदाय पृथक रूप से मीटरीकृत तथा प्रभारित किया जाएगा।

(सी) कोयला खदानों के प्रकरण में, उपभोक्ताओं को सामान्य तौर पर विद्युत प्रदाय सम्पूर्ण परिसर हेतु एक ही बिन्दु पर किया जाएगा। विद्युत प्रदाय, तथापि, उपभोक्ता के अनुरोध पर उसकी तकनीकी व्यवहार्यता के अध्यधीन, एक से अधिक बिन्दुओं पर प्रदाय किया जा सकेगा परन्तु ऐसे प्रकरण में मीटरीकरण तथा बिलिंग व्यवस्था प्रदाय के प्रत्येक बिन्दु के लिये अलग–अलग की जाएगी।

1.4 **मांग का अवधारण (Determination of Demand) :** प्रत्येक माह में विद्युत प्रदाय की **अधिकतम मांग (maximum demand)** माह के दौरान 15 मिनट की निरंतर अवधि के दौरान, मांग के मापन के सलाईडिंग विंडो सिद्धांत के अनुसार प्रदाय बिन्दु पर प्रदत्त अधिकतम किलोवाट एम्पीयर घंटे का चार गुना होगी।

1.5 **बिलिंग मांग (Billing Demand)** : माह के दौरान, माह हेतु, बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। बिलिंग मांग को निकटतम एकीकृत (Integral) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात् 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (fraction) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा जबकि 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित (ignored) किया जाएगा।

1.6 टैरिफ न्यूनतम खपत की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

1) उपभोक्ता को उसकी श्रेणी हेतु प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर) में विनिर्दिष्ट संविदा मांग की यूनिट संख्या प्रति केवीए के आधार पर बिलिंग की जाएगी इस तथ्य से असंबद्ध कि वर्ष के दौरान किसी विद्युत मात्रा की खपत की गई है, अथवा नहीं।

2) उपभोक्ता की बिलिंग प्रति माह उसकी श्रेणी से संबद्ध निर्धारित की गई प्रत्याभूत वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) के बारहवें (1/12) भाग पर की जाएगी, यदि वास्तविक खपत उपरोक्त उल्लेखित न्यूनतम खपत से कम हो।

3) उक्त माह में, जिसके अन्तर्गत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत (Guaranteed) खपत की प्राप्ति पूर्ण कर ली जाती है, उसके अनुवर्ती महीनों में वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक न्यूनतम खपत की बिलिंग नहीं की जाएगी।

4) टैरिफ न्यूनतम खपत को उक्त माह में समायोजित किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी वास्तविक अथवा बिल की गई मासिक खपत संचयी उक्त माह, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक होती हो तथा यदि उपभोक्ता को उसकी वास्तविक खपत कम होने के कारण, पूर्व के महीनों में मासिक न्यूनतम खपत हेतु प्रभारित किया गया हो तो ऐसी दशा में टैरिफ की न्यूनतम अन्तर खपत का समायोजन उक्त माह में किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी खपत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक हो जाती है। यदि ऐसा टैरिफ न्यूनतम अन्तर इस माह में पूर्ण रूप से समायोजित नहीं हो पाता है तो इस प्रकार के समायोजनों को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा। यदि वास्तविक संचयी खपत पूर्णतया उक्त माह में समायोजित नहीं हो पाती हो तो निम्न उदाहरण विद्युत खपत की मासिक बिलिंग की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, जहां 1200 किलोवाट ऑवर (kWh) मासिक खपत के आधार पर आनुपातिक मासिक न्यूनतम खपत 100 किलोवाट ऑवर (kWh) है।

माह	वास्तविक संचयी खपत (kWh)	संचयी न्यूनतम खपत (kWh)	2 तथा 3 में से जो भी अधिक हो (kWh)	वर्ष के दौरान अद्यतन बिल की गई खपत (kWh)	यूनिट संख्या जिसकी माह के दौरान बिलिंग की जाना है (4–5) (kWh)
1	2	3	4	5	6
अप्रैल	95	100	100	0	100
मई	215	200	215	100	115
जून	315	300	315	215	100
जुलाई	395	400	400	315	85
अगस्त	530	500	530	400	130
सितम्बर	650	600	650	530	120
अक्टूबर	725	700	725	650	75
नवम्बर	805	800	805	725	80
दिसम्बर	945	900	945	805	140
जनवरी	1045	1000	1045	945	100
फरवरी	1135	1100	1135	1045	90
मार्च	1195	1200	1200	1135	65

1.7 पूर्णांक करना (Rounding off) : समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा। अर्थात्, 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की लाएगी तथा 50 पैसे से अधिक के राशि को अगले रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।

<u>प्रोत्साहन/छूट/अर्थदण्ड</u> (Incentive/Rebate/Penalties):

1.8 ऊर्जा कारक प्रोत्साहन (Power Factor Incentive)

ऊर्जा कारक प्रोत्साहन का भुगतान निम्नानुसार देय होगा :

ऊर्जा कारक	बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों पर देय प्रतिशत प्रोत्साहन
95 प्रतिशत से अधिक तथा 96 प्रतिशत तक	1.0 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की दर से
96 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत तक	2.0 प्रतिशत (दो प्रतिशत) की दर से
97 प्रतिशत से अधिक तथा 98 प्रतिशत तक	3.0 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दर से
98 प्रतिशत से अधिक तथा 99 प्रतिशत तक	5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) की दर से
99 प्रतिशत से अधिक	7 प्रतिशत (सात प्रतिशत) की दर से

1.9 **भार कारक की गणना तथा भार कारक प्रोत्साहन (Load Factor Calculation and Load Factor Incentive)**

1) **भार–कारक (Load Factor)** : की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{भार कारक (Load Factor) (प्रतिशत में)} = \frac{\text{मासिक खपत} \times 100}{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या} \times \text{मांग ऊर्जा कारक}}$$

i मासिक खपत, माह के दौरान खपत किये गये यूनिटों (kWh) की संख्या के बराबर होगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से प्राप्त की गई ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाएगा।

ii बिलिंग माह के दौरान, घंटों की संख्या में, अनुसूचित अवरोध अवधियों (scheduled outages) के घंटे शामिल न होंगे।

iii. मांग अभिलिखित की गई अधिकतम मांग अथवा संविदा मांग इनमें से जो अधिक हो, होगी।

iv. ऊर्जा कारक 0.9 अथवा वास्तविक ऊर्जा कारक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी।

टीप : भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत) को निकटतम निम्न एकीकृत (Integral) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा। यदि उपभोक्ता विद्युत ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से प्राप्त कर रहा हो, तो अन्य स्त्रोतों से प्राप्त किये गये यूनिट, उपभोक्ता को बिल की गई शुद्ध ऊर्जा (खपत किये गये यूनिटों में से अन्य स्त्रोतों से प्राप्त यूनिटों को घटाकर) को ही

केवल भार कारक की गणना के प्रयोजन से माना जाएगा। उपभोक्ता हेतु बिलिंग के प्रयोजन से माह के दौरान मापयन्त्र (मीटर) वाचन की दो क्रमिक (Consecutive) तिथियों के बीच की अवधि दिवस संख्या के रुप में होगी।

2) **भार कारक प्रोत्साहन (Load Factor Incentive)** की गणना निम्न योजना के अनुसार उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी जहां इसे विनिर्दिष्ट किया गया हो:

भार कारक सीमा	प्रोत्साहन	ऊर्जा प्रभार (भार कारक = x%) पर प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) की गणना
भार कारक <=75%	किसी प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी	= 0.00%
भार कारक >75%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर 75% से अधिक, 75% भार कारक से अधिक धनात्मक खपत हेतु, भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 0.10% का प्रोत्साहन देय होगा	= (x-75) * 0.10

उदाहरण,

- वह उपभोक्ता, जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 72 प्रतिशत का होगा, वह ऊर्जा प्रभारों पर कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करेगा।
- वह उपभोक्ता, जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 82 प्रतिशत होगा, वह 75 प्रतिशत भार कारक से अधिक धनात्मक खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर [0.10 *(82-75)]=0.7 प्रतिशत प्रोत्साहन प्राप्त करेगा।

टीप : **धनात्मक खपत (incremental consumption)** की गणना हेतु, 75% भार कारकों से तत्संबंधी भार कारक को कुल खपत में से घटाया दिया जाएगा। उपरोक्त भार कारक प्रोत्साहन केवल ऊर्जा प्रभारों पर, जो कि ऐसी धनात्मक खपत से तत्संबंधी हैं, को लागू होंगे, जिसके लिये पृथक दरें विनिर्दिष्ट की गई हैं।

1.10 खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी **अग्रिम भुगतान** की राशि जिसके लिए कि देयक तैयार किया गया है, एक प्रतिशत प्रतिमाह का प्रोत्साहन उक्त राशि (प्रतिभूति निक्षेप राशि को छोड़कर) पर, जो कि अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती है, उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, उपभोक्ता के खाते में आकलित (क्रेडिट) कर दी जाएगी।

1.11 **त्वरित भुगतान हेतु छूट** : के प्रकरणों में, जहां किसी चालू माह हेतु देयक की राशि रू. 1 लाख या इससे अधिक हो तथा देयक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में देयक राशि {बकाया राशि (Arrears) प्रतिभूति निक्षेप (Security deposit), मापयंत्र भाड़ा (meter rent) तथा

शासकीय उद्ग्रहण (Government levies), अर्थात् विद्युत शुल्क (Electricity Duty) तथा उपकर (cess) को छोड़कर} के तत्पर भुगतान पर 0.25% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। वे उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध देयकों की राशि बकाया हो, उन्हें इस प्रोत्साहन पात्रता नहीं होगी।

1.12 समयानुपाती (Time of Day -TOD) अधिभार/छूटः यह योजना उन उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होगी जहां इसे विनिर्दिष्ट किया गया है। यह योजना दिवस की अलग–अलग अवधियों हेतु प्रयोज्य होगी, अर्थात सामान्य अवधि (नार्मल पीरियड), शीर्ष–भार (पीक लोड) तथा शीर्ष–बाह्य भार (ऑफ पीक लोड) अवधि हेतु। खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट निम्न तालिका के अनुसार लागू होंगे :

स.क्र.	शीर्ष/शीर्ष–बाह्य अवधि	तत्संबंधी अवधि हेतु खपत की गई विद्युत पर ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट
1	सायं शीर्ष–भार अवधि (सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 5 प्रतिशत, अधिभार के रूप में
2	शीर्ष–बाह्य अवधि (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 15 प्रतिशत, छूट के रूप में

टीप : स्थाई प्रभारों की बिलिंग सदैव केवल सामान्य दरों पर की जाएगी, अर्थात्, दिवस के समय (टीओडी) अधिभार/छूट स्थाई प्रभारों पर प्रयोज्य न होंगे।

1.13 ऊर्जा कारक अर्थदंड (पावर फेक्टर पैनाल्टी) (रेलवे कर्षण एचवी–1 श्रेणी से अन्य उपभोक्ताओं हेतु)

(i) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो वह प्रत्येक 1 (एक) % गिरावट प्रतिशत हेतु, जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु अतिरिक्त कुल बिल राशि पर 1% (एक प्रतिशत) का अर्थ दण्ड भुगतान शीर्ष ''ऊर्जा प्रभारों'' के अन्तर्गत करेगा।

(ii) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों के अन्तर्गत प्रत्येक 1% (एक प्रतिशत) गिरावट हेतु जिससे औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु 5% (पांच प्रतिशत) (+) 2% (दो प्रतिशत) की दर से, अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। यह अर्थदण्ड इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35% से अधिक न होगा।

(iii) यदि औसत मासिक ऊर्जा कारक, 70 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की स्थापना के संयोजन को विच्छेद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जब तक कि इसमें अनुज्ञप्तिधारी की तुष्टि होने तक इसमें उचित सुधार लाये जाने बाबत उचित कदम उठाये नहीं जाते। तथापि, यदि संयोजन का विच्छेद नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में, अनुज्ञप्तिधारी बिना किसी भेद–भाव के निम्न दाब कारक हेतु, दाण्डिक प्रभारों को अधिरोपित कर सकेगा।

(iv) इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान अभिलिखित की गई 'कुल किलोवाट आवर्स' तथा 'कुल किलोवोल्ट एम्पीयर आवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा कारक (%) को निकटतम एकीकृत अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न को आगामी उच्च एकीकृत अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित किया जाएगा।

(v) उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 (छः) माह के दौरान किसी भी समय 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो उपरोक्त को इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु अधिकृत होगाः

(ए) यह 6 माह की अवधि उस तिथि से मान्य की जाएगी जिस पर औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया हो।

(बी) समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों की बिलिंग की जाएगी, परन्तु यदि उपभोक्ता औसत आगामी तीन माह के दौरान (इस प्रकार कुल चार माह) कम से कम 90% ऊर्जा कारक संधारित करता है तो निम्न ऊर्जा कारक के कारण बिल किये गये प्रभारों को कथित 6 माह की अवधि को वापस ले लिया जाएगा तथा आगामी मासिक बिलों में इन्हें आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा।

(सी) उल्लेखित की गई उपरोक्त सुविधा नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार प्रदान नहीं की जाएगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से 6 माह के दौरान 90 प्रतिशत से कम न पाया गया हो। तत्पश्चात्, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति ही करना होगा।

1.14 आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार (Additional Charges for Excess Demand) :

i. उपभोक्ताओं को समस्त सदैव वास्तविक अधिकतम मांग को संविदा मांग के अंतर्गत सीमित रखना होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां कि किसी एक माह में वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग से 105 प्रतिशत अधिक तक बढ़ जाती है तो विभिन्न दर्शाई गई विद्युत–दरें (टैरिफ) संविदा मांग की 105 प्रतिशत अधिक की सीमा तक प्रयोज्य होंगी। उपभोक्ताओं को आधिक्य मांग हेतु प्रभारित किया जाएगा। ऊर्ज़ा प्रभारों तथा स्थाई प्रभारों पर अभिलिखित अधिकतम मांग तथा संविदा मांग के 105 प्रतिशत के अन्तर के रूप में, प्रभारित किया जाएगा तथा ऐसा करते समय टैरिफ की अन्य निबन्धन तथा शर्तें, यदि वे लागू हों, तो वे कथित आधिक्य मांग हेतु भी लागू होंगी। किसी माह के अन्तर्गत इस प्रकार की गई आधिक्य मांग की गणना, यदि कोई हो, को समस्त उपभोक्ताओं पर, केवल रेलवे कर्षण को छोड़कर, निम्न दरों के अनुसार भारित किया जाएगा :–

ii. **आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार (Energy charge for excess demand)** : ऐसे प्रकरण में, जहां अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 105 प्रतिशत से अधिक हो, उपभोक्ता को आधिक्य मांग से तत्संबंधी खपत के ऊर्जा प्रभारों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) की 1.3 गुना दर पर प्रभारों का भुगतान करना होगा।

उदाहरण : एक ऐसा उपभोक्ता, जिसकी संविदा मांग 200 केवीए है, यदि 250 केवीए की अधिकतम मांग अभिलिखित करता है तो (250 केवीए–210 केवीए) = 40 केवीए हेतु ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग निम्न के बराबर होगी, अर्थात् (माह के दौरान अभिलिखित की गई खपत* 40 केवीए/अधिकतम अभिलिखत संविदा मांग)* 1.3* ऊर्जा प्रभार यूनिट दर के अनुसार।

iii. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार (Fixed charges for Excess Demand)** : इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगीः

1. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 115 प्रतिशत तक हो (Fixed charges for Excess Demand when the recorded maximum demand is up to 115% of the contract demand)** :– संविदा मांग से 105 प्रतिशत से अधिक मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, सामान्य दर की 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

2. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 115 प्रतिशत से अधिक हो (Fixed charges for Excess Demand when the recorded maximum demand exceeds 115% of contract demand) :–** उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग से 15 प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 2 (दो) गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभारों की बिलिंग का उदाहरण : यदि किसी उपभोक्ता की संविदा मांग 100 केवीए है तथा बिलिंग माह के दौरान अधिकतम मांग 140 केवीए है, तो उपभोक्ता की स्थाई प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

(अ) 105 केवीए तक, सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर

(ब) 105 केवीए से अधिक तथा 115 केवीए तक, अर्थात् 10 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत–दर की 1.3 गुना दर पर

(स) 115 केवीए से अधिक तथा 140 केवीए तक, अर्थात् 25 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत–दर की दो गुना दर पर

iv. **रेलवे कर्षण** के प्रकरण में, उपरोक्तानुसार इस प्रकार गणना की गई आधिक्य मांग, यदि कोई हो, को किसी माह के अंतर्गत निम्न दरों पर प्रभारित किया जायेगा :

(अ) जब अभिलिखित अधिकतम मांग, संविदा मांग का 115% हो तो संविदा मांग से 105 प्रतिशत अधिक मांग पर – रू. 308/– प्रति केवीए की दर से प्रभारित किया जाएगा।

(ब) जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 115% से अधिक हो जाए तो उपरोक्त स्थाई प्रभारों के अलावा मांग, संविदा से 15% अधिक को रू. 420 प्रति केवीए की दर से प्रभारित किया जाएगा।

ऐसा करते समय, विद्युत–दर (टैरिफ) के अन्य उपबंध (जैसे कि टैरिफ न्यूनतम प्रभार, आदि) उपरोक्त दर्शाई गई आधिक्य मांग हेतु भी प्रयोज्य होंगे।

v. किसी माह में अधिक मांग की गणना को, मासिक देयकों के साथ प्रभारित किया जाएगा तथा उपभोक्ता को इसका भुगतान करना होगा।

vi. उपभोक्ता को आधिक्य मांग पर सामान्य विद्युत–दर से अधिक विद्युत–दर (टैरिफ) पर बिलिंग की जाना, मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, विद्युत प्रदाय विच्छेद किये जाने संबंधी अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

1.15 विलंबित भुगतान अधिभार (Delayed Payment Surcharge) : देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक न किये जाने पर, उपभोक्ता को (outstanding) राशि, {बकाया पूर्व की अवशेष (एरियर्स) राशि को जोड़कर}, पर अधिभार का भुगतान 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश की दर से करना होगा। माह के किसी अंश को विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन हेतु पूर्ण माह माना जाएगा। किसी उपभोक्ता के विद्युत संयोजन को स्थाई तौर पर विच्छेदित कर दिये जाने पर, विलंबित भुगतान अधिभार प्रयोज्य न होगा।

1.16 अनादरित धनादेशों पर सेवा प्रभार (Service charge for Dishonoured Cheques): ऐसे प्रकरण में, जहां उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश(ों) [cheque(s)] को अनादरित (डिसआनर्ड) कर दिया गया हो, वहां नियमों के अनुसार रूपये 1000/– प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, अधिरोपित किया जाएगा। यह प्रावधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी के बिना किसी पक्षपात सुसंगत कानून के अन्तर्गत, उसके द्वारा कार्रवाई किये जाने के अधिकार के अध्यधीन होगा।

1.17 उच्चदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय (Temporary Supply at HT) : अस्थाई विद्युत प्रदाय की प्रकृति मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के परिभाषित किये गये के अनुरूप होगी। यदि कोई उपभोक्ता अस्थाई विद्युत प्रदाय का इच्छुक हो, तो इसे पृथक सेवा माना जाएगा तथा इसे निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रभारित किया जाएगा :

(ए) स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार सामान्य टैरिफ दरों की 1.3 गुना दर पर प्रभारित किये जाएंगे। स्थाई प्रभारों की वसूली माह के दौरान संयोजन से प्राप्त की गई दिवस संख्या सेवाओं के आधार पर मासिक स्थाई प्रभारों की आनुपातिक दर पर की जाएगी। माह में दिवस संख्या को उक्त कलेण्डर माह में कुल दिवस संख्या का होना माना जाएगा।

(बी) उपभोक्ता को न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) प्रत्याभूत करनी होगी जैसा कि यह स्थाई उपभोक्ताओं को अनुपातिक आधार पर निम्न दर्शाई गई दिवस संख्या संबंधी विवरण पर प्रयोज्य है :–

$$\text{अस्थाई अवधि हेतु, अतिरिक्त विद्युत प्रदाय हेतु, न्यूनतम खपत} = \frac{\text{स्थाई विद्युत प्रदाय को प्रयोज्य वार्षिक न्यूनतम खपत} \times \text{अस्थाई संयोजन की दिवस संख्या}}{\text{वर्ष के अन्तर्गत दिवस संख्या}}$$

(सी) बिलिंग मांग, उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय अवधि के अंतर्गत संयोजन माह से प्रारंभ होकर बिलिंग माह की समाप्ति तक आवेदित की गई मांग अथवा उच्चतम मासिक अधिकतम मांग, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी। उदाहरण के तौर पर :

माह	अभिलिखित की गई अधिकतम मांग (केवीए में)	बिलिंग मांग (केवीए में)
अप्रैल	100	100
मई	90	100
जून	80	100
जुलाई	110	110
अगस्त	100	110
सितम्बर	80	110
अक्टूबर	90	110
नवम्बर	92	110
दिसम्बर	95	110
जनवरी	120	120
फरवरी	90	120
मार्च	80	120

(डी) उपभोक्ता को अस्थाई संयोजन प्रदान किये जाने से पूर्व, उसे प्राक्कलित प्रभारों का अग्रिम भुगतान करना होगा जो उसके द्वारा समय–समय पर की गई संपूर्ति (Replenishment) के अध्यधीन होगा तथा जिसे संयोजन विच्छेद के उपरान्त अन्तिम देयक में समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार की अग्रिम राशि पर ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ई) उपभोक्ता को मीटरिंग प्रणाली हेतु भाड़े का भुगतान करना होगा।

(एफ) उपभोक्ता को संयोजन तथा संयोजन विच्छेद प्रभारों का भुगतान भी करना होगा।

(जी) विद्यमान उच्च दाब उपभोक्ता के प्रकरण में, अस्थाई संयोजन को विद्यमान स्थाई उच्च दाब संयोजन के माध्यम से विद्युत–दर निर्धारण की निम्न पद्धति के अनुसार प्रदान किया जा सकेगाः–

(i) स्थाई प्रभारों को सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) के 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

(ii) मानी गई संविदा मांग (Deemed contract Demand -DCD) = स्थाई संयोजन हेतु संविदा मांग + अस्थाई संयोजन हेतु स्वीकृत मांग

(iii) किसी माह हेतु, बिलिंग मांग तथा स्थाई प्रभार की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

1. जब माह के दौरान अभिलिखित अधिकतम मांग (recorded MD) माह हेतु मानी गई संविदा मांग (CD) से कम पाई जाए तो माह हेतु स्थाई प्रभार (Fixed charges) शत प्रतिशत अस्थाई स्वीकृत मांग पर अस्थाई विद्युत–दर (temporary tariff) पर स्थाई प्रभारों का योग + 'a' या 'b' इनमें जो भी अधिक हो, सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर स्थाई प्रभार होंगे जहां 'a' अभिलिखित अधिकतम मांग (MD) (–) अस्थाई स्वीकृत मांग तथा 'b' स्थाई संयोजन की संविदा मांग का 90 प्रतिशत भाग है।

2. जब माह के दौरान अभिलिखित अधिकतम मांग (MD) माह हेतु मानी गई संविदा मांग के बराबर पाई जाए तो माह हेतु स्थाई प्रभार, स्थाई संयोजन हेतु शत प्रतिशत संविदा मांग (CD) पर सामान्य विद्युत–दर पर स्थाई प्रभारों का योग + शत प्रतिशत अस्थाई स्वीकृत मांग पर अस्थाई विद्युत–दर पर स्थाई प्रभार होंगे।

3. जब माह के दौरान अभिलिखित अधिकतम मांग (MD) माह हेतु मानी गई संविदा मांग (CD) से अधिक पाई जाए तो माह हेतु स्थाई प्रभार, स्थाई संयोजन हेतु शत प्रतिशत संविदा मांग पर सामान्य विद्युत–दर पर स्थाई प्रभारों का योग + शत प्रतिशत अस्थाई स्वीकृत मांग पर अस्थाई विद्युत–दर पर स्थाई प्रभार + डेढ़ गुना अस्थाई विद्युत–दर पर मानी गई संविदा मांग से अधिक शत प्रतिशत आधिक्य मांग पर स्थाई प्रभार होंगे।

4. स्थाई प्रभारों की वसूली मासिक स्थाई प्रभारों पर आनुपातिक दर के अनुसार उक्त दिवस संख्या के आधार पर की जाएगी जिस हेतु संयोजन (connection) से प्राप्त लाभ किया गया हो। माह में, दिवस संख्या को उक्त कलेण्डर माह में कुल दिवस संख्या का होना माना जायेगा।

(iv) माह के दौरान स्थाई संयोजन (permanent connection) से तत्संबंधी खपत, अर्थात् (A), की बिलिंग निम्न विधि द्वारा की जाएगी :

$$A = \frac{\text{संविदा मांग (स्थाई)}}{\text{मानी गई संविदा मांग अथवा वास्तविक मांग, इनमें से जो भी अधिक हो}} \times \text{कुल खपत}$$

(v) माह के दौरान अस्थाई स्वीकृत मांग से तत्संबंधी खपत, अर्थात (B) की बिलिंग, सामान्य ऊर्जा प्रभारों के 1.3 गुना दर की जाएगी तथा इसकी बिलिंग निम्न विधि के अनुसार की जाएगी :

$$B = \frac{\text{अस्थाई संयोजन हेतु स्वीकृत मांग}}{\text{मानी गई संविदा मांग अथवा अभिलिखि वास्तविक मांग, इनमें से जो भी अधिक हो}} \times \text{कुल खपत}$$

(vi) आधिक्य मांग से तत्संबंधी माह के दौरान खपत, अर्थात् (C), की गणना निम्न विधि के अनुसार की जाएगी।

C = कुल अभिलिखित खपत (–) (स्थाई संयोजन से तत्संबंधी खपत, अर्थात् A + अस्थाई स्वीकृत मांग से तत्संबंधी खपत, अर्थात् B)

(vii) उपरोक्त अभिलिखित की गई आधिक्य मानी गई संविदा मांग को आधिक्य मांग माना जाएगा। बिलिंग के प्रयोजन से, किसी माह के अन्तर्गत, इस प्रकार की आधिक्य मांग, यदि कोई हो, को अस्थाई संयोजन भार से संबद्ध माना जाएगा तथा इसे सामान्य अस्थाई संयोजन के स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की डेढ़ गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा। अस्थाई संयोजन की अवधि के दौरान लेख्यांकित की गई आधिक्य मांग के अतिरिक्त प्रभारों की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार (fixed charges) = अस्थाई संयोजन हेतु ऊर्जा प्रभार प्रति केवीए* आधिक्य मांग* 1.5 (डेढ़)

आधिक्य मांग से तत्संबंधी खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (energy charges) = अस्थाई संयोजन हेतु प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार * 1.5 (डेढ़) * (आधिक्य मांग से तत्संबंधी खपत अर्थात C)

(एच) अस्थाई संयोजन संबंधी खपत पर भार–कारक रियायत (load factor concession) अनुज्ञेय नहीं की जाएगी।

(आई) ऊर्जा कारक प्रोत्साहन/अर्थदण्ड स्थाई संयोजन हेतु तथा समयानुपाती (Time of day) अधिभार/छूट हेतु शर्त स्थाई संयोजन की शर्तों के अनुरूप दर पर होगी।

स्थाई संयोजन हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें

1.18 विद्यमान 11 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 300 केवीए से अधिक हो तथा जो 11 केवी पर उसी के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 5 प्रतिशत की दर से, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.19 विद्यमान 33 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 10,000 केवीए से अधिक हो तथा जो 33 केवी पर उसी के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 3 प्रतिशत की दर से, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.20 विद्यमान 132 केवी उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 50,000 केवीए से अधिक हो तथा जो 132 केवी पर उसके अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.21 मापयंत्र प्रभारों (metering charges) की बिलिंग मीटरिंग तथा प्रभारों की अनुसूची के अनुसार जैसा कि इसे मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय करने का अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार की जाएगी। माह के एक अंश को बिलिंग के प्रयोजन से पूर्ण माह माना जाएगा।

1.22 विद्युत–दर (टैरिफ) में विद्युत ऊर्जा पर कर (टैक्स), उपकर (सेस) अथवा चुंगी (डूयूटी) सम्मिलित नहीं होती जो कि तत्समय प्रचलित किसी कानून के अनुसार किसी भी समय देय हो सकते हैं। ऐसे प्रभार, यदि लागू हों, तो उपभोक्ता को इनका भुगतान विद्युत–दर (टैरिफ) प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।

1.23 इस विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश की व्याख्या के संबंध में और/या विद्युत–दर (टैरिफ) की प्रयोज्यता के संबंध में, किसी विवाद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

1.24 विद्युत–दर (टैरिफ) अथवा विद्युत–दर (टैरिफ) संरचना में, उपभोक्ता की किसी भी श्रेणी हेतु, न्यूनतम प्रभारों को सम्मिलित कर, किसी प्रकार के परिवर्तन, सिवाय आयोग की लिखित अनुमति के, अनुज्ञेय न होंगे। आयोग की बिना लिखित अनुमति किये गये किसी आदेश को शून्य तथा अप्रवृत्त माना जाएगा तथा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 के सुसंबद्ध उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

1.25 यदि कोई उपभोक्ता, उसी के अनुरोध पर, सुसंगत श्रेणी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई मानक प्रदाय वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय का उपयोग करता हो, तो ऐसी दशा में उसकी बिलिंग उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग की गई वोल्टेज के अनुसार की जाएगी तथा उसके द्वारा उच्चतर वोल्टेज उपयोग किये जाने के कारण कोई अतिरिक्त प्रभार उस पर अधिरोपित नहीं किये जाएंगे।

1.26 ऐसे समस्त उपभोक्ताओं को, जिनके लिये स्थाई प्रभार प्रयोज्य हैं, को प्रत्येक माह में स्थाई प्रभारों का भुगतान करना अनिवार्य होगा, भले ही उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

1.27 यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही कोई उपबंध, उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध से विपरीत क्यों न हों।

———